

Government of Rajasthan
REGISTRATION & STAMPS DEPARTMENT, RAJASTHAN, AJMER
SUB-REGISTRAR : JODHPUR-I

Fee Receipt
Appendix I-Form No. 9 (Rule 75 & 131) Print Date : 26-10-2020 5:56 PM

Fee Receipt No	: 202002051016498	Receipt Date	: 26/10/2020
Name	: RAKESH SHARMA ADV., DHARTI INFRA TH. KAMLESH PUROHIT S/O BASHILAL	Document S. No.	: 202001051016359
Address	: JODHPUR		
Document Type	: Inspection And Search		
Face Value	: ₹ 0	Evaluated Value	: ₹ 0
Ord-Registration Fee	: ₹ 0	Fee for Memorandum Us_64_67	: ₹
CSI	: ₹ 0	Certified copying fees Us_57	: ₹ 0
Stamp (Memorandum)	: ₹	Reg (memorandum)	: ₹
Surcharge	: ₹ 0	Stamp Duty	: ₹ 0
Penalty	: ₹ 0	Inspection fee	: ₹ 50
Us_25_34	: ₹ 0	Commission	: ₹ 0
Custody	: ₹	Others	: ₹ 0
		Cash Amount Received	: ₹ 0
		Other than Cash	: ₹ 50
From Year 2020 To Year 2020		Total Amount	: ₹ 50

Mode of Payment (#Mode Number Amount #)
e-Gras Challan 44124295 ₹ 50

Signature of presenter or applicant for
copy of Search certificate

Cashier



Signature of recipient
and date of return receipt

SUB-REGISTRAR

For DHARTI INFRA

Kamlesh Purohit
PARTNER

RAKESH SHARMA

Advocate

Off:
Cum
Res:

24-B, Bank Colony

Rai Ka Bag,

Jodhpur (Raj.)

Tel. No. 0291-2511176

Mobile No. 94149-12788

RAJASTHAN HIGH COURT, JODHPUR

Ref:-

Dated: 28/10/2020

To,

M/s. Dharti Infra,
Sardarpura, Jodhpur.

Dear Sir,

Reg. Legal Opinion of Residential Project situated at Leasehold Land for Group Housing for Plot No. 1 to 46 admeasuring total Plot area 6227.03 Sq. yard Land as per the Lease Deed and Projected Area 10551.20 S. Yard located at Khasra No. 15/8 (Rakba 5 Bigha 9 Biswa) Village Jhalamand, Tehsil & District Jodhpur (Raj.).

1. Name (s) & Address (es) of the Owner:-

Dharti Infa, through Partner Kamlesh Purohit S/o Shri Banshi Lal Purohit, By Caste Brahmin, R/o 11, Hari Om Nagar Extension, Jodhpur (Raj.).

2. Description and Area of Property proposed to be mortgage:-

Residential Project situated at Leasehold Land for Group Housing for Plot No. 1 to 46 admeasuring total Plot area 6227.03 Sq. yard Land and one of Plot No. 1 measurement 144.44 Sq. Yard. as per the Lease Deed and Projected Area 10551.20 S. Yard located at Khasra No. 15/8 (Rakba 5 Bigha 9 Biswa) Village Jhalamand, Tehsil & District Jodhpur (Raj.).

3. Nature of Title in the Property:-

Leasehold property as per documents.

4. Documents studies/scrutinized (in choronological orer):-

1. Photo Copy of Jamabandi of Agricultural Land Khasra No. 15/3 measurement 14 Bigha 15 Biswa category

For DHARTI INFRA

Kamlesh Purohit
PARTNER

Rakesh
RAKESH SHARMA
Advocate

RAKESH SHARMA
Advocate

Off:
Cum
Res:

24-B, Bank Colony
Rai Ka Bag,
Jodhpur (Raj.)
Tel. No. 0291-2511176
Mobile No. 94149-12788

RAJASTHAN HIGH COURT, JODHPUR

Dated:

Ref:-

Barani I situated at Village Jhalamand, Patwar Circle Jhalamand, R.I. Circle Kakelaw, Tehsil & District Jodhpur belonging to the Santosh Ram S/o Shri Gopa Ram, By Caste Meghwal, R/o Village Jhalamand, Tehsil & District Jodhpur.

2. Original Conversion Order No. LU2012/JOD/2019-20/100009 dated 05.09.2019 belonging to the Agricultural Land Khasra No. 15/8 measurement 5 Bigha 9 Biswa category Barani I situated at Village Jhalamand, Patwar Circle Jhalamand, R.I. Circle Kakelaw, Tehsil & District Jodhpur belonging to the Santosh Ram S/o Shri Gopa Ram, By Caste Meghwal, R/o Village Jhalamand, Tehsil & District Jodhpur.

3. Original Agreement to Sale dated 21.09.2019 executed by Santosh Ram S/o Shri Gopa Ram, By Caste Meghwal, R/o Village Jhalamand, Tehsil & District Jodhpur belonging to the Agricultural Land Khasra No. 15/8 measurement 5 Bigha 9 Biswa category Barani I situated at Village Jhalamand, Patwar Circle Jhalamand, R.I. Circle Kakelaw, Tehsil & District Jodhpur in favour of Dharti Infra (Partnership Firm) Address: 557, C Road, Sardarpura, Jodhpur through Partner Shri Kamlesh Purohit S/o Shri Banshi Lal Purohit, By Caste Brahmin, R/o 11, Hari Om Nagar Extension, Chopasani Jagir, Jodhpur.

4. Photo Copy of Mutation No. 7092 dated 17.07.2020 Agricultural Land Khasra No. 15/8 measurement 5 Bigha

For DHARTI INFRA

Kamlesh Purohit
PARTNER

(2)

Rakesh Sharma
RAKESH SHARMA
Advocate

RAKESH SHARMA

Advocate

Off:
Cum
Res:

24-B, Bank Colony
Rai Ka Bag,
Jodhpur (Raj.)
Tel. No. 0291-2511176
Mobile No. 94149-12788

RAJASTHAN HIGH COURT, JODHPUR

Ref:-

Dated:

9 Biswa category Barani I situated at Village Jhalamand, Patwar Circle Jhalamand, R.I. Circle Kakelaw, Tehsil & District Jodhpur belonging to the Jodhpur Development Authority, Jodhpur.

5. Original Lease Deed issued by the Deputy Commissioner (East) Jodhpur Development Authority, Jodhpur under the Rajasthan Urban Area (Agricultural Land into conversion & use Non Agricultural Land purposes Licence and Allotment) Rule, 2012 of Rule 22 belonging to the Residential Project situated at Leasehold Land for Group Housing for Plot No. 1 to 46 admeasuring total Plot area 6227.03 Sq. yard Land as per the Lease Deed and Projected Area 10551.20 S. Yard located at Khasra No. 15/8 (Rakba 5 Bigha 9 Biswa) Village Jhalamand, Tehsil & District Jodhpur (Raj.) by way of various total 46 Patta in the name of Dharti Infa, through Partner Kamlesh Purohit S/o Shri Banshi Lal Purohit, By Caste Brahmin, R/o 11, Hari Om Nagar Extension, Jodhpur (Raj.), which is Lease Deed registered in the office of Sub-Registrar (First) Jodhpur.

6. Original Lay Out Plan No. JDA/Dir (P.)/E/38 dated 10.09.2020 issued by the Deputy Commissioner (East), STP, Director Ayojna, Jodhpur Development Authority, Jodhpur under the Rajasthan Urban Area (Agricultural Land into conversion & use Non Agricultural Land purposes Licence and Allotment) Rule, 2012 of Rule 22 belonging to the Residential Project situated at

For DHARTI INFRA

Kamlesh Purohit
PARTNER

(3)

Rakesh Sharma
RAKESH SHARMA

RAKESH SHARMA

Advocate

Off:
Cum
Res:

24-B, Bank Colony
Rai Ka Bag,
Jodhpur (Raj.)
Tel. No. 0291-2511176
Mobile No. 94149-12788

RAJASTHAN HIGH COURT, JODHPUR

Dated:

Ref:-

Leasehold Land for Group Housing for Plot No. 1 to 46 admeasuring total Plot area 6227.03 Sq. yard Land as per the Lease Deed and Projected Area 10551.20 S. Yard located at Khasra No. 15/8 (Rakba 5 Bigha 9 Biswa) Village Jhalamand, Tehsil & District Jodhpur (Raj.) in the name of Dharti Infa, through Partner Kamlesh Purohit S/o Shri Banshi Lal Purohit, By Caste Brahmin, R/o 11, Hari Om Nagar Extension, Jodhpur (Raj.).

5. Tracing of title and Chain of Title in favour of Dharti Infra, through Partner Kamlesh Purohit s/o Shri Banshi Lal Purohit, by Caste Brahmin, R/o 11, Hari Om Nagar Extension, Jodhpur residential Pattasuda Leasehold Land for Group Housing at admeasuring 9680 Sq. Yard projected area admeasuring 8850.78 Sq.Yard located at Khasra No. 15 & 21 of Village Jhalamand, Tehsil & District Jodhpur.

That the Jamabandi of Agricultural Land Khasra No. 15/3 measurement 14 Bigha 15 Biswa category Barani I situated at Village Jhalamand, Patwar Circle Jhalamand, R.I. Circle Kakelaw, Tehsil & District Jodhpur belonging to the Santosh Ram S/o Shri Gopa Ram, By Caste Meghwal, R/o Village Jhalamand, Tehsil & District Jodhpur.

That the Conversion Order No. LU2012/JOD/2019-20/100009 dated 05.09.2019 belonging to the Agricultural Land Khasra No. 15/8 measurement 5 Bigha 9 Biswa category Barani I situated at Village Jhalamand, Patwar Circle Jhalamand, R.I. Circle Kakelaw, Tehsil & District Jodhpur

For DHARTI INFRA

Kamlesh Purohit
PARTNER

(4)

Rakesh Sharma
RAKESH SHARMA
Advocate

RAKESH SHARMA

Advocate

Off:
Cum
Res:

24-B, Bank Colony

Rai Ka Bag,

Jodhpur (Raj.)

Tel. No. 0291-2511176

Mobile No. 94149-12788

RAJASTHAN HIGH COURT, JODHPUR

Ref:-

Dated:

belonging to the Santosh Ram S/o Shri Gopa Ram, By Caste Meghwal, R/o Village Jhalamand, Tehsil & District Jodhpur.

That the Agreement to Sale dated 21.09.2019 executed by Santosh Ram S/o Shri Gopa Ram, By Caste Meghwal, R/o Village Jhalamand, Tehsil & District Jodhpur belonging to the Agricultural Land Khasra No. 15/8 measurement 5 Bigha 9 Biswa category Barani I situated at Village Jhalamand, Patwar Circle Jhalamand, R.I. Circle Kakelaw, Tehsil & District Jodhpur in favour of Dharti Infra (Partnership Firm) Address: 557, C Road, Sardarpura, Jodhpur through Partner Shri Kamlesh Purohit S/o Shri Banshi Lal Purohit, By Caste Brahmin, R/o 11, Hari Om Nagar Extension, Chopasani Jagir, Jodhpur.

That the Mutation No. 7092 dated 17.07.2020 Agricultural Land Khasra No. 15/8 measurement 5 Bigha 9 Biswa category Barani I situated at Village Jhalamand, Patwar Circle Jhalamand, R.I. Circle Kakelaw, Tehsil & District Jodhpur belonging to the Jodhpur Development Authority, Jodhpur.

That the Lease Deed issued by the Deputy Commissioner (East) Jodhpur Development Authority, Jodhpur under the Rajasthan Urban Area (Agricultural Land into conversion & use Non Agricultural Land purposes Licence and Allotment) Rule, 2012 of Rule 22 belonging to the Residential Project situated at Leasehold Land for Group Housing for Plot No. 1 to 46 admeasuring total Plot area 6227.03 Sq. yard Land as per the Lease Deed and Projected

For DHARTI INFRA

Kamlesh Purohit
PARTNER

(5)

Rakesh
RAKESH SHARMA
Advocate

RAKESH SHARMA

Advocate

Off:
Cum
Res:

24-B, Bank Colony
Rai Ka Bag,
Jodhpur (Raj.)
Tel. No. 0291-2511176
Mobile No. 94149-12788

RAJASTHAN HIGH COURT, JODHPUR

Ref:-

Dated:

Area 10551.20 S. Yard located at Khasra No. 15/8 (Rakba 5 Bigha 9 Biswa) Village Jhalamand, Tehsil & District Jodhpur (Raj.) by way of various total 46 Patta in the name of Dharti Infa, through Partner Kamlesh Purohit S/o Shri Banshi Lal Purohit, By Caste Brahmin, R/o 11, Hari Om Nagar Extension, Jodhpur (Raj.), which is Lease Deed registered in the office of Sub-Registrar (First) Jodhpur.

That the Lay Out Plan No. JDA/Dir (P.)/E/38 dated 10.09.2020 issued by the Deputy Commissioner (East), STP, Director Ayojna, Jodhpur Development Authority, Jodhpur under the Rajasthan Urban Area (Agricultural Land into conversion & use Non Agricultural Land purposes Licence and Allotment) Rule, 2012 of Rule 22 belonging to the Residential Project situated at Leasehold Land for Group Housing for Plot No. 1 to 46 admeasuring total Plot area 6227.03 Sq. yard Land as per the Lease Deed and Projected Area 10551.20 S. Yard located at Khasra No. 15/8 (Rakba 5 Bigha 9 Biswa) Village Jhalamand, Tehsil & District Jodhpur (Raj.) in the name of Dharti Infa, through Partner Kamlesh Purohit S/o Shri Banshi Lal Purohit, By Caste Brahmin, R/o 11, Hari Om Nagar Extension, Jodhpur (Raj.).

6. Inspection Years and Office:-

Inspection of Year 2020 before Office of S.R. (I) Jodhpur considered to be adequate for the purpose.

7. Whether the title is clear and property is free from any encumbrance:-

For DHARTI INFRA

Kamlesh Purohit
PARTNER

(6)

Rakesh Sharma
RAKESH SHARMA
Advocate

RAKESH SHARMA

Advocate

Off:
Cum
Res:

24-B, Bank Colony
Rai Ka Bag,
Jodhpur (Raj.)
Tel. No. 0291-2511176
Mobile No. 94149-12788

RAJASTHAN HIGH COURT, JODHPUR

Ref:-

Dated:

Yes, the title is clear and Free from any encumbrance. I have searched for last One Year in the office of concern Sub-Registrar (I) Jodhpur. The search is carried out from the Registration of documents.

8. Whether title to the property is clear, unambiguous, marketable and property is saleable:-

Yes, title of property is clear, unambiguous, marketable and property is saleable.

9. Whether there is any Bar/Registration for creation of equitable mortgage under any act, state law or rule/notification:-

There is no Bar/Restriction for creation of equitable mortgage.

10. Whether any permission/council/no objection is required and if so, it is obtained:-

No, there is no need to obtaining any permission/consent/no objection.

11. Whether all original deeds are available and scrutinized deed are duly executed/stamped and registered. There is no doubt/suspicious as to his genuineness or existence:-

Yes, The Deeds are duly executed/stamped and registered.

12. Final encumbrance Certificate/Opinion:-

I, have examined the Original Title Deeds intended to be deposited relating to the schedule property/(ies) and offered as security by way of Equitable Mortgage and that the

For DHARTI INFRA

Kamlesh Prakash
PARTNER

(7)

Rakesh Sharma
RAKESH SHARMA
Advocate

RAKESH SHARMA

Advocate

Off:
Cum
Res:

24-B, Bank Colony
Rai Ka Bag,
Jodhpur (Raj.)
Tel. No. 0291-2511176
Mobile No. 94149-12788

RAJASTHAN HIGH COURT, JODHPUR

Ref:-

Dated:

of Right, title and Interest and that if the said Equitable Mortgage is created, it will satisfy the requirements of creation of Equitable Mortgage and I further certify that:-

1. I confirm having verified and checked the records of the relevant Government Offices/Sub Registrar (s). I do not find anything adverse which would prevent the Title Holders from creating a valid Mortgage.
2. Following scrutiny of above mentioned properties/Land Records/Revenue Records: relative Title Deeds, Certified copies of such title deeds obtained from the concerned Registrar Officer. I hereby certify the genuineness of the Title Deeds.
3. There are no prior Mortgagor/Charges/Encumbrances whatsoever, as could be seen from the Encumbrance Certificate for the period from 2020 pertaining to the immovable Property(ies) covered by above said Title Deeds. The property is free from all Encumbrances.
4. In case of second/subsequent charge in favour of the Bank, there are not other mortgages/charges other than already stated in the Loan documents and agreed to by the Mortgagor and the Bank (Delete, whichever is inapplicable.)
5. Minor (s) and his/their interest in the property (ies) is to the extent of _____ (Specify the share of the minor with name,) Strike out if not applicable). Not applicable.
6. The Mortgage if created, will be available to the Bank for the liability of the intending Borrower of Residential Project situated

For DHARTI INFRA
Rakesh Purohit
PARTNER

(8)

Rakesh
RAKESH SHARMA
Advocate

RAKESH SHARMA

Advocate

Off:
Cum
Res:

24-B, Bank Colony

Rai Ka Bag,

Jodhpur (Raj.)

Tel. No. 0291-2511176

Mobile No. 94149-12788

RAJASTHAN HIGH COURT, JODHPUR

Ref:-

Dated:

at Leasehold Land for Group Housing for Plot No. 1 to 46 admeasuring total Plot area 6227.03 Sq. yard Land as per the Lease Deed and Projected Area 10551.20 S. Yard located at Khasra No. 15/8 (Rakba 5 Bigha 9 Biswa) Village Jhalamand, Tehsil & District Jodhpur (Raj.).

7. I further certify that Residential Project situated at Leasehold Land for Group Housing for Plot No. 1 to 46 admeasuring total Plot area 6227.03 Sq. yard Land as per the Lease Deed and Projected Area 10551.20 S. Yard located at Khasra No. 15/8 (Rakba 5 Bigha 9 Biswa) Village Jhalamand, Tehsil & District Jodhpur (Raj.) has/have an absolute, clear and marketable title over the Schedule property(ies) and they have right to sale the Unit Project Dharti Infra, which is enforceable by law and marketable. That in case of default in repayment of bank dues, the bank can take action/possession on the above said property under Securitization of Re-construction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 and the rules made under therer.

Place: Jodhpur.

Date: 28/10/2020

Rakesh
[RAKESH SHARMA]
Advocate

For DHARTI INFRA

Kamlesh Purohit
PARTNER

(9)

Government of Rajasthan
REGISTRATION & STAMPS DEPARTMENT, RAJASTHAN, AJMER
SUB-REGISTRAR : JODHPUR-I

Fee Receipt
Appendix I-Form No. 9 (Rule 75 & 131) Print Date : 26-10-2020 5:56 PM

Fee Receipt No	: 202002051016497	Receipt Date	: 26/10/2020
Name	: RAKESH SHARMA ADV.,	Document S. No.	: 202001051016358
Address	: ...		
Document Type	: Copy Of Document		
Face Value	: ₹ 0	Evaluated Value	: ₹ 0
Ord-Registration Fee	: ₹ 0	Fee for Memorandum Us_64_67	: ₹
CSI	: ₹ 0	Certified copying fees Us_57	: ₹ 100
Stamp (Memorandum)	: ₹	Reg (memorandum)	: ₹
Surcharge	: ₹ 30	Stamp Duty	: ₹ 100
Penalty	: ₹ 0	Inspection fee	: ₹ 0
Us_25_34	: ₹ 0	Commission	: ₹ 0
Custody	: ₹	Others	: ₹ 0
		Cash Amount Received	: ₹ 0
		Other than Cash	: ₹ 230
		Total Amount	: ₹ 230

Mode of Payment (#Mode Number Amount #)

e-Gras Challan 44124148 ₹ 230

Signature of presenter or applicant for
copy or Search certificate

Cashier

Signature of recipient
and date of return receipt

SUB-REGISTRAR

धर्म पंजादक (मिस्टर)
जोधपुर

For DHARTI INFRA

Kamlesh Purohit
PARTNER

जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर (जोन पूर्वी) राजस्थान सरकार



क्रमांक : LU2012/JOD/2019-20/100009

दिनांक - 05/09/2019

विषय :- राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90-क के अधीन कृषि भूमि का गैर-कृषिक प्रयोजन के उपयोग हेतु अनुज्ञा प्रदान करने।

— आदेश —

गामले के संबंधित तथ्य निम्नानुसार हैं:-

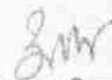
श्री संतोषराम पुत्र श्री गोपासम, जाति मेघवाल, निवासी मेघवालों का बास, झालामण्ड, जोधपुर

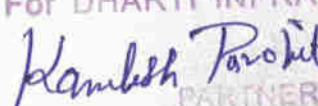
(1) ऊपर नामित आवेदक ने राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90-क के अधीन निम्नलिखित भूमि का आवासीय प्रयोजन के लिए उपयोग हेतु अनुज्ञा देने के लिए आवेदन किया है:-

क्र.सं.	ग्राम, तहसील व जिले का नाम	आवेदक का नाम	खसरा संख्या	क्षेत्रफल (हेक्टे.)
1	झालामण्ड, जोधपुर (जोधपुर)	संतोषराम पुत्र श्री गोपासम	15	कुल रकबा 14-15 बीघा में से 0.882185 हेक्टेयर यानि 5 बीघा 9 बिसवा
कुल				0.882185

- आवेदक ने आवेदन के साथ नवीनतम प्रमाणित जमाबंदी की प्रति, राजस्व खसरा अनुरेख, सम्यक् रूप से अनुप्राणित कतिपूति कंधपत्र और शपथपत्र, की-नैथ, अभिव्यास योजना, सर्वेक्षण नक्शा और अन्य सुसंगत दस्तावेज प्रस्तुत किये हैं।
- यह कि मैंने आवेदक द्वारा प्रस्तुत आवेदन और दस्तावेजों/कथनों का परीक्षण कर लिया है। मैंने संबंधित तहसीलदार की रिपोर्ट और स्थानीय प्राधिकारी की सहमति रिपोर्ट का परीक्षण कर लिया है। मेरी यह राय है कि आवेदित भूमि का गैर-कृषिक प्रयोजन के लिए वांछित उपयोग मास्टर योजना/विकास योजना/स्कीम के अनुरूप है और आवेदक के आवेदन की राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90-क और राजस्थान अभिवृत्ति अधिनियम की धारा 83 और तदधीन बनाये गये नियमों के उपबंधों के अनुसार ऐसी भूमि पर अभिवृत्ति अधिकार निर्वाचित करके भूमि का आवासीय प्रयोजन के लिए उपयोग करने हेतु अनुज्ञा प्रदान करने के लिए स्वीकार किया जा सकता है।
- अतः अब इसके द्वारा आदेश दिया जाता है कि उपरोक्त भूमि पर आवेदक के अभिवृत्ति अधिकारों को उक्त भूमि का आवासीय प्रयोजन के लिए उपयोग करने हेतु निर्वाचित किया जायेगा और इस आदेश की तारीख से उक्त भूमि को, उक्त भूमि का आवेदक/आवेदक द्वारा नाम निर्दिष्ट व्यक्तियों को, उक्त स्थानीय प्राधिकारी पर लागू विधि, नियमों, विनियमों या उप-विधि के अनुसार आवेदन के लिए, स्थानीय प्राधिकारी के व्ययनाधीन रखा गया समझा जायेगा।
- आवेदक द्वारा उस भूमि को, जिसके लिए यह अनुज्ञा दी गयी है, यथा विहित प्रीमियम, नगरीय निर्धारण के साथ ही विनिर्दिष्ट अन्य प्रभारों के निक्षेप और सुसंगत विधि के अधीन अभिव्यास योजना के अनुमोदन के पश्चात्, स्थानीय प्राधिकारी द्वारा सम्यक् आवेदन किये जाने के पश्चात् ही गैर-कृषिक प्रयोजन के लिए उपयोग में लिया जायेगा।
- इन नियमों के अधीन विहित और स्थानीय प्राधिकारी द्वारा सुसंगत विधि के अनुसार अधिशेषित निबंधनों और शर्तों की आवेदक द्वारा पालना की जायेगी।

यह आदेश अखोहस्ताक्षरी के हस्ताक्षर और मुहर के अंश आज दिनांक 05/09/2019 को पारित किया गया।


प्राधिकृत अधिकारी (जोन पूर्वी)
जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर

For DHARTI INFRA

Kamlesh Parodit
PARTNER

No. 0896176

पिपित

जिलाधिकारी (विशेष) कायदा प्रभाग, जिला न्यायालय, जयपुर

पिपित

जयपुर

जयपुर

क्र.सं.	दिनांक	विवरण	प्रमाण	टिप्पणी
7092	23/15/14-15	सन्तोषराम पुन गोपबन्ध	जयपुर विमान प्रमाणिका	जयपुर विमान प्रमाणिका (बोर्ड) के कोडा क्रमांक: 102
4364	1/14-15	जति मेधवाल सा:	जयपुर	जयपुर विमान प्रमाणिका (बोर्ड) के कोडा क्रमांक: 102
6144		आनन्दमल्ल व्यापार	जयपुर	जयपुर विमान प्रमाणिका (बोर्ड) के कोडा क्रमांक: 102

17/07/2020
उप सहायक न्यायाधीश

सही फोटो प्रतिलिपि
P-35 फॉर्म 57 दिनांक 20/7/20

पटवारी आनन्दमल्ल

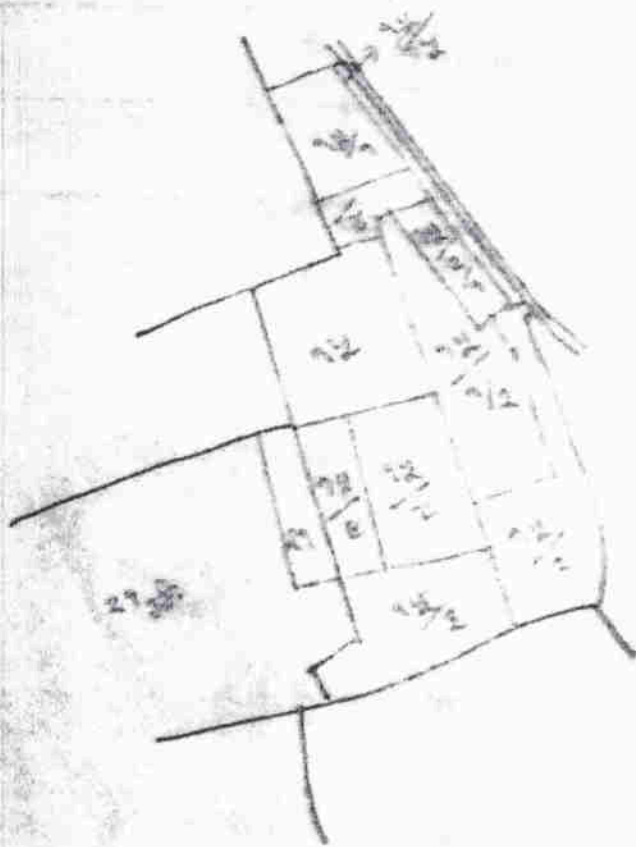
For DHARTI INFRA
Kamlesh Purohit
PARTNER

N नक्शा/करवाह

मैला-झालामंड

वहसील-मिचपूर

S



सही फोटो प्रतिलिपि

पं. 57 दि. 20/7/20

[Signature]

For DHARTI INFRA

Jalendra Purohit
PARTNER

सही फोटो प्रतिलिपि



जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर

राजस्थान नगरीय क्षेत्र (कृषि भूमि का गैर-कृषिक प्रयोजन के लिए उपयोग की अनुज्ञा और आवंटन) नियम, 2012 के नियम 22 के अन्तर्गत भूमि का



14956
11/9/2020 पट्टा विलेख

यह विलेख आज वर्ष के माह के वे दिन जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर (जिन्हें इसके बाद नगर निकाय कहकर संबोधित किया गया है) प्रथम पक्ष एवं श्री

श्री. कप्तान जयराज पटेल

श्री. कप्तान पुराहित पुत्र श्री. बनीलाल जी. पुराहित

जाति

व्यवसाय निवासी जयराज-बाबा, निवासी-11, हरिजोस नगर विस्तार, जोधपुर (जिनको इसके बाद लीजधारक संबोधित किया गया है) द्वितीय पक्ष तथा इस इबारत में जहां कहीं प्रसंग से वैसा अर्थ निकले, उनके उत्तराधिकारी, निर्वाहक, प्रबंधक, प्रतिनिधि और मुत्तकिल अलैह भी सम्मिलित होंगे) के मध्य निष्पादित हुआ है।

यह विलेख साक्ष्यांकित करता है कि प्रीमियम तथा विकास शुल्क की रकम जो लीजधारक (पट्टाधारक) के द्वारा अदा कर दी गई है और जिसकी रसीद नगर निकाय के द्वारा स्वीकार कर ली गई है, और इसमें उल्लेखित शर्तों और करारों जो लीजधारक द्वारा निष्पादित तथा पालन किये जायेंगे, के एवज में नगर निकाय इनके द्वारा लीजधारक को जमीन का वह तमाम भूखण्ड (जिसे इसके बाद उक्त भूखण्ड कहकर संबोधित किया गया है) प्रदान और लीज करती है जो योजना राजपुर ग्राम 211/1405 के खसरा संख्या 151.8 क्षेत्रफल 144.44 वर्ग मी. में स्थित है और जो अपनी सीमा और क्षेत्रफल के साथ इसके अन्तर्गत लिखे गये परिशिष्ट में अधिक पूर्णरूपेण वर्णित है तथा जिसका आकार विशेष रूप से इससे संलग्न नक्शे में लाल रंग में दिखाया गया है, और जिसे पूर्ण स्वामित्व संबंधी रवत्तों सहित किन्तु निम्नलिखित तमाम व प्रत्येक अपवादों, संरक्षणों, प्रतिबंधों, बंधनों, शर्तों और करारों के अधीन खरीददार अपने उपयोग, उपभोग और इस्तेमाल के लिए अपने अधिकार में रखेगा, अर्थात् :-

- लीजधारक नगर निकाय के कार्यालय में या ऐसे स्थान पर जिसे नगर निकाय समय-समय पर इस हेतु नियत कर दें, प्रत्येक वर्ष अप्रैल के प्रथम दिन उक्त भूखण्ड के संबंध में उक्त नियमों के नियम 20 के उप-नियम (1) के अन्तर्गत निर्धारित किये गये नगरीय निर्धारण (शहरी जमाबन्दी या भूमि का किराया) के तौर पर रुपये 14900/- अंके को पेशगी अदा करेगा, परन्तु लीजधारक, यदि चाहे तो एक बरीय नगरीय निर्धारण (शहरी जमाबन्दी या भूमि का किराया) की बरीय जमा करा सकेगा, जो उस वर्ष, जिसमें राशि जमा करायी जाती है, को सम्मिलित करते हुए, पूर्ण वार्षिक नगरीय निर्धारण की राशि के आठ गुणा के बराबर होगी और इस प्रकार जमा कराई गयी नगरीय निर्धारण की राशि के फलस्वरूप लीजधारक उक्त भूखण्ड पर नगरीय निर्धारण की राशि के संदाय के दायित्व से छूट प्राप्त करने का अधिकारी होगा।
- एक बार नियत किया गया नगरीय निर्धारण या भूमि का किराया प्रत्येक 15 वर्ष के पश्चात् और विक्रय या दान या अन्यथा द्वारा ऐसे अन्तरण पर भी पुनरीक्षण का दायी होगा और ऐसी वृद्धि प्रत्येक अवसर पर ऐसे पुनरीक्षण या, यथारिथति, अन्तरण के समय नगरीय निर्धारण या भूमि के किराये का 25 प्रतिशत होगी।
- पट्टे की अवधि :- पट्टाधृति अधिकार 99 वर्ष के लिए होंगे।
- उक्त भूखण्ड का उपयोग केवल 31.01.2021 प्रयोजन, जिसके लिए नगर निकाय द्वारा उक्त नियमों के अन्तर्गत अनुमति दी गयी है, के लिए किया जायेगा और इसी प्रयोजन के उपयोग हेतु इस भूखण्ड पर भवन का निर्माण किया जायेगा।
- इस पट्टा विलेख की तारीख से 7 वर्ष, या ऐसी अतिरिक्त अवधि के भीतर जो नियम-26 के अन्तर्गत बढ़ा दी जावे, लीजधारक के द्वारा इस भूखण्ड पर भवन का निर्माण कराया जायेगा।
- लीजधारक उक्त भूखण्ड को आगे और अन्तरित या उप-पट्टे पर दे सकेगा। उक्त नियमों में अन्तर्विष्ट निबंधन और शर्तों और अन्य उपबंध, यथावश्यक परिवर्तन सहित, अन्तरिती या उप-पट्टेदार पर इस प्रकार लागू होंगे मानो प्ररनगत उक्त भूखण्ड नगर निकाय द्वारा दिया गया है या अन्तरित किया गया है। लीजधारक द्वारा उप-पट्टे की कालावधि स्वयं द्वारा अवधारित की जायेगी किन्तु किसी भी दशा में मूल पट्टे की कालावधि से अधिक नहीं होगी। उप-पट्टे उक्त नियमों में विहित समस्त अन्य निबंधनों और शर्तों या किसी पृथक् आदेशों द्वारा, जो राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर इस निमित्त विनिर्दिष्ट मामलों में जारी किये जायें, शासित होंगे।
- उक्त भूखण्ड के अन्तरण के मामले में, अन्तरिती के पक्ष में नाम में अन्तरण के लिए नगर निकाय को आवेदन के साथ रजिस्ट्रीकृत विक्रय विलेख, दान विलेख, या बरीयत या अन्य सुसंगत दस्तावेज प्रस्तुत किये जायेंगे। प्रत्येक अन्तरण के लिए आवेदन के साथ दस रुपये प्रति वर्गमीटर की दर से अन्तरण फीस निशुल्क की जायेगी; परन्तु लीजधारक की मृत्यु के मामलों में इस नियम के अधीन कोई फीस प्रभारित नहीं की जायेगी।
- उक्त नियमों के अधीन किसी व्यक्ति के प्रति परादेय प्रीमियम या नगरीय निर्धारण या ब्याज, आन्तरिक/बाह्य विकास प्रभारों का कोई बकाया राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 के अधीन भू-राजस्व की बकाया के रूप में लीजधारक से वसूलीय होगा।
- यदि आवंटन या पट्टा विलेख के निष्पादन के पश्चात् यह पाया जाता है कि आवंटन या पट्टा विलेख विधि की दुरभिसंधि या उसके उत्त्पन्न में कपटपूर्ण दस्तावेज के आधार पर दुर्यपदेशन द्वारा अभिप्राप्त किया गया है या आवंटन या पट्टा विलेख के

(कृ.प.उ.)

निबंधनों और शर्तों का अतिक्रमण किया गया है तो नगर निकाय उक्त भूखण्ड पर उसके किसी सन्निर्माण सहित उसे प्रतिसंहत करेगा जो सभी प्रभारों से रहित नगर निकाय में निहित समझे जायेंगे, और नगर निकाय किसी भी व्यक्ति को कारित किसी भी प्रकार की नुकसानी के लिए दायी नहीं होगा।

10. इस पट्टा विलेख के आधार पर उक्त भूखण्ड को सरकार/जीवन बीमा निगम/शिड्युल्ड बैंक/सरकार ऋणदात्री संस्था/एच.डी.एफ. सी. अथवा नेशनल बैंक द्वारा अधिकृत ऋणदात्री संस्थाओं के पास ऋण के लिए बंधक रखा जा सकेगा।

*जो लागू नहीं हो उसे काट दें।

प्रकरण संख्या :-

परिशिष्ट

कस्बे का नाम :
राजस्व ग्राम : SHUKRIAS
खसरा नम्बर : 1518
योजना का नाम
विस्तृत नाप सहित क्षेत्रफल वर्गगज/वर्गमीटर
144.44 sq. ft.

सीमा पूर्व 30' Road सीमा पश्चिम OTHER LAND
सीमा उत्तर P.No. 2 सीमा दक्षिण 40' Road मानचित्र संलग्न है।
भूखण्ड की संख्या यदि कोई हो P.No. 1

इसके साक्षी के रूप में इसके फरीकेन ने इसके बाद प्रत्येक दशा में निर्देशित स्थानों और तारीखों पर अपने अपने हस्ताक्षर कर दिये हैं।

नगरीय निकाय की ओर से

आज सन् 20 माह के 11/12/2020 वें दिन
श्री अनिल कुमार पूनियाँ
निम्न की उपस्थिति में जोधपुर में हस्ताक्षर किये। उपायुक्त (पू)

उपायुक्त (पू)
नगर निकाय सचिव
(सक्षम अधिकारी के हस्ताक्षर एवं मोहर)

साक्षी :-

1. नाम श्री बाबुलाल
पिता/पति का नाम वरिष्ठ सहायक
व्यवसाय
निवास स्थान
2. नाम
पिता/पति का नाम
व्यवसाय
निवास स्थान

साक्षी के हस्ताक्षर

साक्षी के हस्ताक्षर

For DHARTI INFRA

आज दिनांक सन् 20 के माह के
वें दिन को निम्नलिखित की उपस्थिति में उक्त श्री
लोजधारक द्वारा कार्यालय, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर में हस्ताक्षर किये
गये।

Kamlesh Puri
PARTNER
लोजधारक - द्वितीय पक्ष

साक्षी :-

1. नाम गुमिका उपाध्याय
पिता/पति का नाम करोल उपाध्याय
व्यवसाय
निवास स्थान नागोरी गेट के अन्दर, अद्वार बिमा
2. नाम
पिता/पति का नाम
व्यवसाय
निवास स्थान

Gumika
साक्षी के हस्ताक्षर

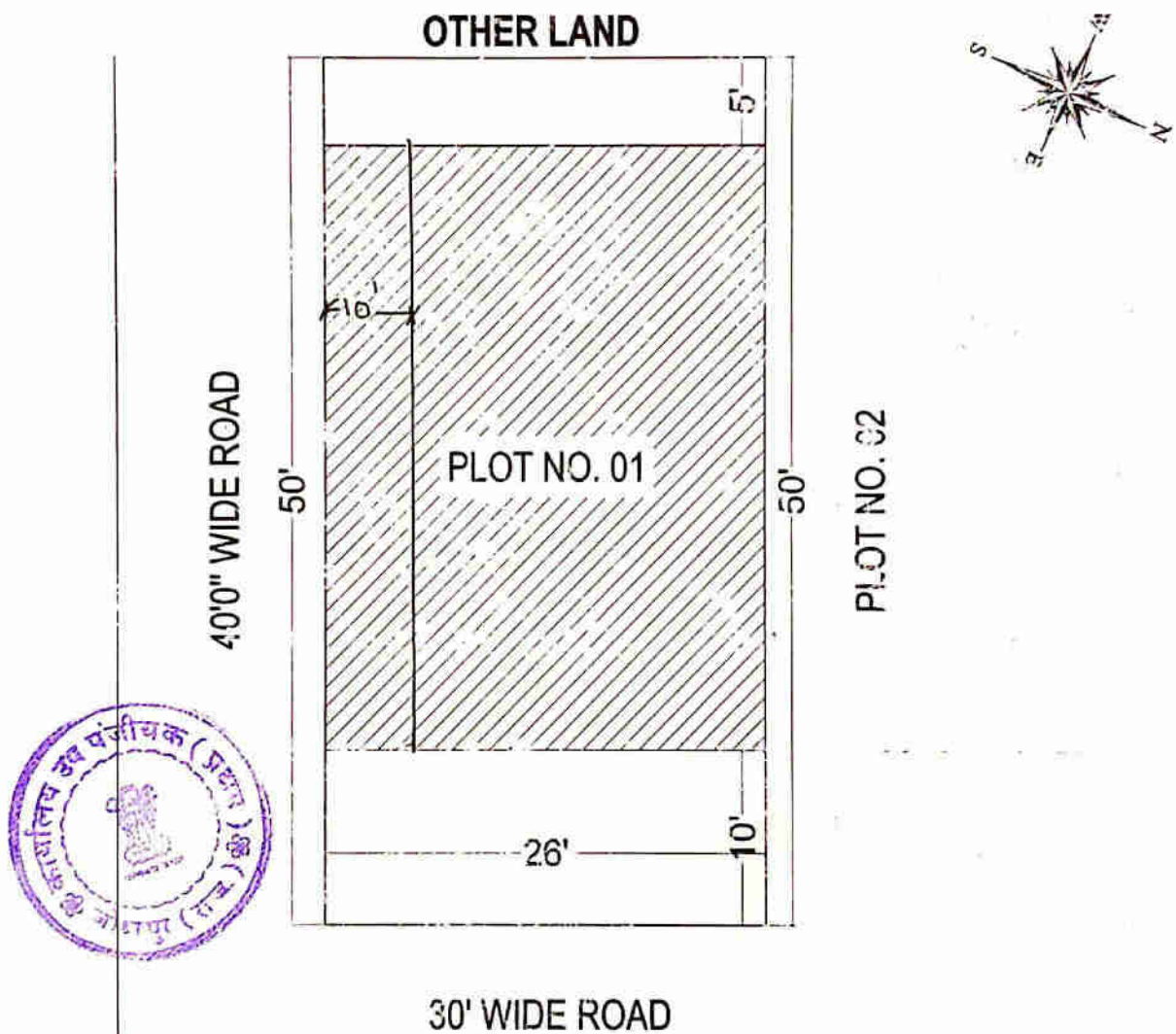
साक्षी के हस्ताक्षर

SITE PLAN OF PLOT NO. 01 IN RESIDENTIAL SCHEME (DHARTI ANGAN
PHASE - 02) ON KHASRA NO. $\frac{15}{8}$ OF VILLAGE JHALAMAND AT JODHPUR

PLOT SIZE - 26'0"X50'0"

PLOT AREA - 1300.00 SQ.FT. OR 144.44 SQ.YARD

SCALE - 1:10



सहायक नगर नियोजक
जोधपुर विकास प्राधिकरण
जोधपुर

उपायुक्त (पूर्व)
जोधपुर विकास प्राधिकरण
जोधपुर

क्रमांक :

46264



मूल्य : 100/-

जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर

राजस्थान नगरीय क्षेत्र (कृषि भूमि का गैर-कृषिक प्रयोजन के लिए उपयोग की अनुज्ञा और आवंटन) नियम, 2012 के नियम 22 के अन्तर्गत भूमि का



14957
11/9/20

पट्टा विलेख

यह विलेख आज वर्ष के माह के वे दिन जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर (जिन्हें इसके बाद नगर निकाय कहकर संबोधित किया गया है) प्रथम पक्ष एवं श्री के बीच

प्रती-इका-जरीये-परदन

श्री कमलेश पुनरहित पुन-श्री बन्सीलाल जी-पुनरहित

जाति-ब्राह्मण, निवासी-11, हरिओम नगर विस्तार, जोधपुर जाति

व्यवसाय निवासी (जिनको इसके बाद लीजधारक संबोधित किया गया है) द्वितीय पक्ष तथा इस इबारत में जहां कहीं प्रसंग से वैसा अर्थ निकले, उनके उत्तराधिकारी, निर्याहक, प्रबंधक, प्रतिनिधि और मुत्तकिल अलैह भी सम्मिलित होंगे) के मध्य निष्पादित हुआ है।

यह विलेख साक्षात्कृत करता है कि प्रीमियम तथा विकास शुल्क की रकम जो लीजधारक (पट्टाधारक) के द्वारा अदा कर दी गई है और जिसकी रसीद नगर निकाय के द्वारा रसीद कर ली गई है, और इसमें उल्लेखित शर्तों और करारों जो लीजधारक द्वारा निष्पादित तथा पालन किये जायेंगे, के एवज में नगर निकाय इनके द्वारा लीजधारक को जमीन का वह तमाम भूखण्ड (जिसे इसके बाद उक्त भूखण्ड कहकर संबोधित किया गया है) प्रदान और लीज करती है जो योजना राजस्थान ग्राम के खसरा संख्या क्षेत्रफल 116.674211 में स्थित है और जो अपनी सीमा और क्षेत्रफल के साथ इसके अन्तर्गत लिखे गये परिशिष्ट में अधिक पूर्णरूपेण वर्णित है तथा जिसका आकार विशेष रूप से इससे संलग्न नक्शों में लाल रंग में दिखाया गया है, और जिसे पूर्ण स्वामित्व संबंधी स्वत्वों सहित किन्तु निम्नलिखित तमाम च प्रत्येक अपवादों, संरक्षणों, प्रतिबंधों, वंधनों, शर्तों और करारों के अधीन खरीददार अपने उपयोग, उपभोग और इस्तेमाल के लिए अपने अधिकार में रखेगा, अर्थात् :-

- लीजधारक नगर निकाय के कार्यालय में या ऐसे स्थान पर जिसे नगर निकाय समय-समय पर इस हेतु नियत कर दे, प्रत्येक वर्ष अप्रैल के प्रथम दिन उक्त भूखण्ड के संबंध में उक्त नियमों के नियम 20 के उप-नियम (1) के अन्तर्गत निर्धारित किये गये नगरीय निर्धारण (शहरी जमाबन्दी या भूमि का किराया) के तौर पर रुपये 10926/- अंके परस हजार नौ सौ पचास मात्र पेशगी अदा करेगा, परन्तु लीजधारक, यदि चाहे तो एक बारीय नगरीय निर्धारण (शहरी जमाबन्दी या भूमि का किराया) की राशि जमा करा सकेगा, जो उस वर्ष, जिसमें राशि जमा करायी जाती है, को सम्मिलित करते हुए, पूर्ण वार्षिक नगरीय निर्धारण की राशि के आठ गुणा के बराबर होगी और इस प्रकार जमा कराई गयी नगरीय निर्धारण की राशि के फलस्वरूप लीजधारक उक्त भूखण्ड पर नगरीय निर्धारण की राशि के संदाय के दायित्व से छूट प्राप्त करने का अधिकारी होगा।
- एक बार नियत किया गया नगरीय निर्धारण या भूमि का किराया प्रत्येक 15 वर्ष के पश्चात् और विक्रय या दान या अन्यथा द्वारा ऐसे अन्तरण पर भी पुनरीक्षण का दायी होगा और ऐसी वृद्धि प्रत्येक अवसर पर ऐसे पुनरीक्षण या, यथारिथति, अन्तरण के समय नगरीय निर्धारण या भूमि के किराये को 25 प्रतिशत होगी।
- पट्टे की अवधि - पट्टावृत्ति अधिकार 99 वर्ष के लिए होंगे।
- उक्त भूखण्ड का उपयोग केवल प्रयोजन, जिसके लिए नगर निकाय द्वारा उक्त नियमों के अन्तर्गत अनुमति दी गयी है, के लिए किया जायेगा और इसी प्रयोजन के उपयोग हेतु इस भूखण्ड पर भवन का निर्माण किया जायेगा।
- इस पट्टा विलेख की तारीख से 7 वर्ष, या ऐसी अतिरिक्त अवधि के भीतर जो नियम-26 के अन्तर्गत बढ़ा दी जावे, लीजधारक के द्वारा इस भूखण्ड पर भवन का निर्माण कराया जायेगा।
- लीजधारक उक्त भूखण्ड को अपने और अन्तरित या उप-पट्टे पर दे सकेगा। उक्त नियमों में अन्तर्विष्ट निबंधन और शर्तों और अन्य उपबंध, यथावश्यक परिवर्तन सहित, अन्तरिती या उप-पट्टेदार पर इस प्रकार लागू होंगे मानो प्रश्नगत उक्त भूखण्ड नगर निकाय द्वारा दिया गया है या अन्तरित किया गया है। लीजधारक द्वारा उप-पट्टे की कालावधि स्वयं द्वारा अवधारित की जायेगी किन्तु किसी भी दशा में मूल पट्टे की कालावधि से अधिक नहीं होगी। उप-पट्टे उक्त नियमों में विहित समस्त अन्य निबंधनों और शर्तों या किसी पृथक् आदेशों द्वारा, जो राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर इस निमित्त विनिर्दिष्ट मामलों में जारी किये जायें, शासित होंगे।
- उक्त भूखण्ड के अन्तरण के मामले में, अन्तरिती के पक्ष में नाम में अन्तरण के लिए नगर निकाय को आवेदन के साथ शजिरद्वीकृत विक्रय विलेख, दान विलेख, या वसीयत या अन्य सुसंगत दस्तावेज प्रस्तुत किये जायेंगे। प्रत्येक अन्तरण के लिए आवेदन के साथ दस रुपये प्रति वर्गमीटर की दर से अन्तरण फीस निश्चित की जायेगी; परन्तु लीजधारक की मृत्यु के मामलों में इस नियम के अधीन कोई फीस प्रभारित नहीं की जायेगी।
- उक्त नियमों के अधीन किसी व्यक्ति के प्रति परादेय प्रीमियम या नगरीय निर्धारण या ब्याज, आन्तरिक/बाह्य विकास प्रभारों का कोई बकाया राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 के अधीन भू-राजस्व की बकाया के रूप में लीजधारक से वसूलीय होगा।
- यदि आवंटन या पट्टा विलेख के निष्पादन के पश्चात् यह पाया जाता है कि आवंटन या पट्टा विलेख विधि की दुरभिसंधि या उसके उल्लंघन में कपटपूर्ण दस्तावेज के आधार पर दुरुपदेशन द्वारा अभिप्राप्त किया गया है या आवंटन या पट्टा विलेख के

(क.प.उ.)

निबंधनों और शर्तों का अतिक्रमण किया गया है तो नगर निकाय उक्त भूखण्ड पर उसके किसी सन्निर्माण सहित उसे प्रतिसंहत करेगा जो सभी प्रमारों से रहित नगर निकाय में निहित समझे जायेंगे, और नगर निकाय किसी भी व्यक्ति को कारित किसी भी प्रकार की नुकसानी के लिए दायी नहीं होगा।

10. इस पट्टा विलेख के आधार पर उक्त भूखण्ड को सरकार/जीवन बीमा निगम/शिडयूल्ड बैंक/सरकार ऋणदात्री संस्था/एच.डी.एफ. सी. अथवा नेशनल बैंक द्वारा अधिकृत ऋणदात्री संस्थाओं के पास ऋण के लिए बंधक रखा जा सकेगा।

*जो लागू नहीं हो उसे काट दें।

प्रकरण संख्या :-

परिशिष्ट

कस्बे का नाम :
राजस्व ग्राम : ...SHIMHOS.....
खसरा नम्बर : ...1518.....
योजना का नाम
विस्तृत नाप सहित क्षेत्रफल वर्गगज/वर्गमीटर
.....116.67 (0.11).....

सीमा पूर्व ...30 Road..... सीमा पश्चिम ...OTHERLAND.....
सीमा उत्तर ...P.No. 3..... सीमा दक्षिण ...P.No. 1..... मानचित्र संलग्न है।
भूखण्ड की संख्या यदि कोई हो ...P.No. 2.....

इसके साक्षी के रूप में इसके फरीकेन ने इसके बाद प्रत्येक दशा में निर्देशित स्थानों और तारीखों पर अपने अपने हस्ताक्षर कर दिये हैं।

नगरीय निकाय की ओर से

आज सन् 20 माह के ...11/9/2020... वें दिन
श्री
निम्न कौ उपस्थिति में जोधपुर में हस्ताक्षर किये।
अनिल कुमार पूनियाँ
उपायुक्त (पञ्जी)

11.9.2020
उपायुक्त (पञ्जी)
नगर निकाय प्रथम पक्ष
विकास प्राधिकरण
(सक्षम अधिकारी के हस्ताक्षर एवं मोहर)

साक्षी :-

- नाम
पिता/पति का नाम
व्यवसाय
निवास स्थान
श्री बाबूलाल
हरिष्ठ सहायक
- नाम
पिता/पति का नाम
व्यवसाय
निवास स्थान


साक्षी के हस्ताक्षर

साक्षी के हस्ताक्षर

आज दिनांक सन् 20 के माह के
वें दिन को निम्नलिखित की उपस्थिति में उक्त श्री
लौजधारक द्वारा कार्यालय, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर में हस्ताक्षर किये
गये।

For DHARTI INFRA

Kamlesh Purohit
PARTNER
लौजधारक - द्वितीय पक्ष

साक्षी :-

- नाम
पिता/पति का नाम
व्यवसाय
निवास स्थान
मूमिका उपाध्याय
करन उपाध्याय
- नाम
पिता/पति का नाम
व्यवसाय
निवास स्थान
वित्त माधुर
नरेश चन्द्र माधुर
नौकरी
महवीरपुरम जोधपुर

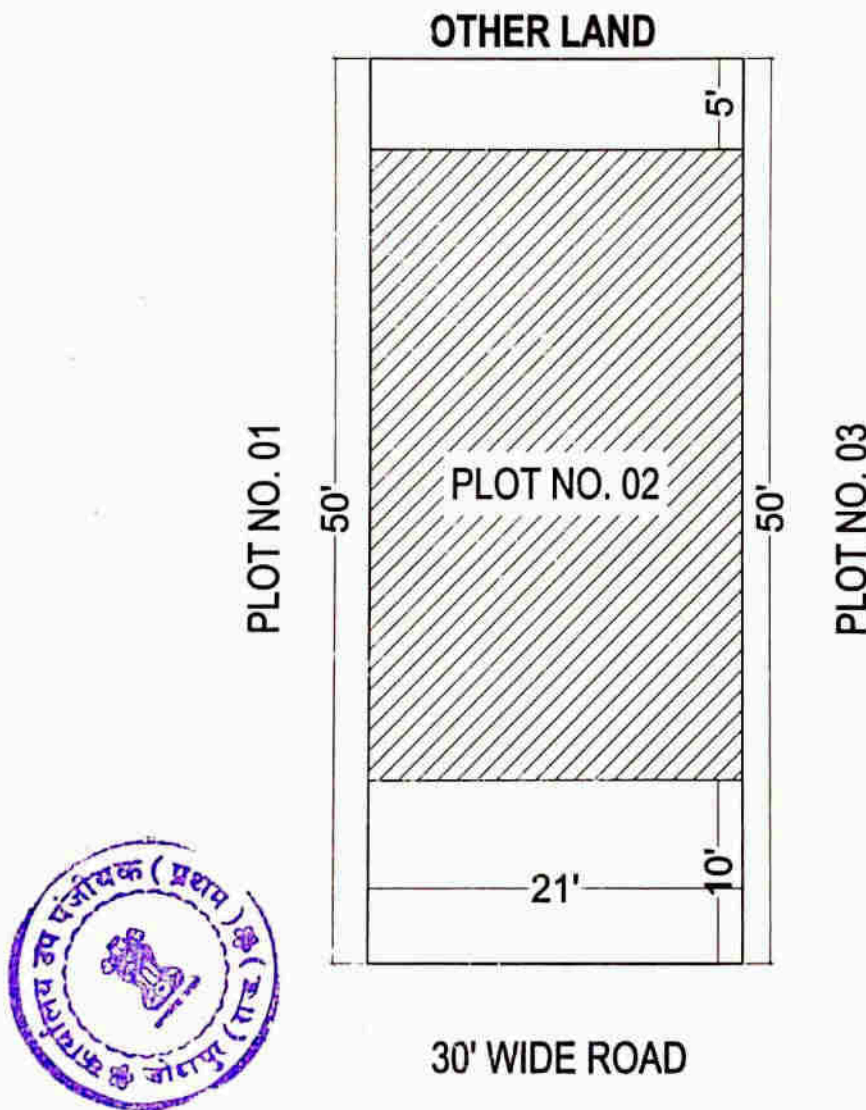
Sumit
साक्षी के हस्ताक्षर

Mit
साक्षी के हस्ताक्षर

SITE PLAN OF PLOT NO. 02 IN RESIDENTIAL SCHEME (DHARTI ANGAN
PHASE - 02) ON KHASRA NO. $\frac{15}{8}$ OF VILLAGE JHALAMAND AT JODHPUR

PLOT SIZE - 21'0"X50'0"
PLOT AREA - 1050.00 SQ.FT. OR 116.67 SQ.YARD

SCALE - 1:10



सहायक नगर नियोजक
जोधपुर विकास प्राधिकरण
जोधपुर

उपायुक्त (पूर्व)
जोधपुर विकास प्राधिकरण
जोधपुर

क्रमांक :

46263



जोधपुर विकास प्राधिकरण



मूल्य : 100/-

जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर

राजस्थान नगरीय क्षेत्र (कृषि भूमि का गैर-कृषिक प्रयोजन के लिए उपयोग की अनुज्ञा और आवंटन) नियम, 2012 के नियम 22 के अन्तर्गत भूमि का

14958
11/9/2022 पट्टा विलेख



यह विलेख आज वर्ष के माह के के वे दिन जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर (जिन्हें इसके बाद नगर निकाय कहकर संबोधित किया गया है) प्रथम पक्ष एवं श्री

श्री इम्रा जरिय पार्टेनर

श्री कमलेश पुराहित पुत्र श्री बन्सीलाल जी पुराहित

जाती-बाघण निवासी-11, हरिजाम नगर विस्तार, जोधपुर

जाति

(जिनको इसके बाद

व्यवसाय निवासी (जिनको इसके बाद लीजधारक संबोधित किया गया है) द्वितीय पक्ष तथा इस इबारत में जहां कहीं प्रसंग से वैसा अर्थ निकले, उनके उत्तराधिकारी, निर्वाहक, प्रबंधक, प्रतिनिधि और मुत्तकिल अलैह भी सम्मिलित होंगे) के मध्य निष्पादित हुआ है।

यह विलेख साक्षात्कृत करता है कि प्रीमियम तथा विकास शुल्क की रकम जो लीजधारक (पट्टाधारक) के द्वारा अदा कर दी गई है और जिसकी रसीद नगर निकाय के द्वारा स्वीकार कर ली गई है, और इसमें उल्लेखित शर्तों और करारों जो लीजधारक द्वारा निष्पादित तथा पालन किये जायेंगे, के एवज में नगर निकाय इनके द्वारा लीजधारक को जमीन का वह तमाम भूखण्ड (जिसे इसके बाद उक्त भूखण्ड कहकर संबोधित किया गया है) प्रदान और लीज करती है जो योजना राजस्थान ग्राम 31/11/2018 के खसरा संख्या 1518 क्षेत्रफल 116.63 (4) में स्थित है और जो अपनी सीमा और क्षेत्रफल के साथ इसके अन्तर्गत लिखे गये परिशिष्ट में अधिक पूर्णरूपेण वर्णित है तथा जिसका आकार विशेष रूप से इससे संलग्न नक्शे में लाल रंग में दिखाया गया है, और जिसे पूर्ण स्वामित्व संबंधी रस्सों सहित किन्तु निम्नलिखित तमाम व प्रत्येक अपवादों, संरक्षणों, प्रतिबंधों, बंधनों, शर्तों और करारों के अधीन खरीददार अपने उपयोग, उपयोग और इस्तेमाल के लिए अपने अधिकार में रखेगा, अर्थात् :-

- लीजधारक नगर निकाय के कार्यालय में या ऐसे स्थान पर जिसे नगर निकाय समय-समय पर इस हेतु नियत कर दे, प्रत्येक वर्ष अप्रैल के प्रथम दिन उक्त भूखण्ड के संबंध में उक्त नियमों के नियम 20 के उप-नियम (1) के अन्तर्गत निर्धारित किये गये नगरीय निर्धारण (राहरी जमाबन्दी या भूमि का किराया) के तौर पर रुपये 10926/- अंके 65 हजार 261 रुपये मात्र पेशगी अदा करेगा, परन्तु लीजधारक, यदि चाहे तो एक वार्षिक नगरीय निर्धारण (राहरी जमाबन्दी या भूमि का किराया) की राशि जमा करा सकेगा, जो उस वर्ष, जिसमें राशि जमा करायी जाती है, को सम्मिलित करते हुए, पूर्ण वार्षिक नगरीय निर्धारण की राशि के आठ गुणा के बराबर होगी और इस प्रकार जमा कराई गयी नगरीय निर्धारण की राशि के फलस्वरूप लीजधारक उक्त भूखण्ड पर नगरीय निर्धारण की राशि के संदाय के दायित्व से छूट प्राप्त करने का अधिकारी होगा।
- एक बार नियत किया गया नगरीय निर्धारण या भूमि का किराया प्रत्येक 15 वर्ष के परचात् और विक्रय या दान या अन्यथा द्वारा ऐसे अन्तरण पर भी पुनरीक्षण का दायी होगा और ऐसी वृद्धि प्रत्येक अवसर पर ऐसे पुनरीक्षण या, यथास्थिति, अन्तरण के समय नगरीय निर्धारण या भूमि के किराये का 25 प्रतिशत होगी।
- पट्टे की अवधि :- पट्टाप्राप्ति अधिकार 99 वर्ष के लिए होंगे।
- उक्त भूखण्ड का उपयोग केवल 31/11/2021 प्रयोजन, जिसके लिए नगर निकाय द्वारा उक्त नियमों के अन्तर्गत अनुमति दी गयी है, के लिए किया जायेगा और इसी प्रयोजन के उपयोग हेतु इस भूखण्ड पर भवन का निर्माण किया जायेगा।
- इस पट्टा विलेख की तारीख से 7 वर्ष, या ऐसी अतिरिक्त अवधि के भीतर जो नियम-26 के अन्तर्गत बढ़ा दी जावे, लीजधारक के द्वारा इस भूखण्ड पर भवन का निर्माण कराया जायेगा।
- लीजधारक उक्त भूखण्ड को आगे और अन्तरित या उप-पट्टे पर दे सकेगा। उक्त नियमों में अन्तर्विष्ट निबंधन और शर्तों और अन्य उपबंध, यथावश्यक परिवर्तन सहित, अन्तरिती या उप-पट्टेदार पर इस प्रकार लागू होंगे मानो प्रथमतः उक्त भूखण्ड नगर निकाय द्वारा दिया गया है या अन्तरित किया गया है। लीजधारक द्वारा उप-पट्टे की कालावधि स्वयं द्वारा अवधारित की जायेगी किन्तु किसी भी दशा में मूल पट्टे की कालावधि से अधिक नहीं होगी। उप-पट्टे उक्त नियमों में विहित समस्त अन्य निबंधनों और शर्तों या किन्हीं पृथक् आदेशों द्वारा, जो राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर इस निमित्त विनिर्दिष्ट मामलों में जारी किये जायें, शासित होंगे।
- उक्त भूखण्ड के अन्तरण के मामले में, अन्तरिती के पक्ष में नाम में अन्तरण के लिए नगर निकाय को आवेदन के साथ जरिस्तीकृत विक्रय विलेख, दान विलेख, या वसीयत या अन्य सुसंगत दस्तावेज प्रस्तुत किये जायेंगे। प्रत्येक अन्तरण के लिए आवेदन के साथ दस रुपये प्रति वर्गमीटर की दर से अन्तरण फीस निक्षिप्त की जायेगी; परन्तु लीजधारक की मृत्यु के मामले में इस नियम के अधीन कोई फीस प्रभारित नहीं की जायेगी।
- उक्त नियमों के अधीन किसी व्यक्ति के प्रति परादेय प्रीमियम या नगरीय निर्धारण या ब्याज, आन्तरिक/बाह्य विकास प्रमारों का कोई बकाया राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 के अधीन भू-राजस्व की बकाया के रूप में लीजधारक से वसूलीय होगा।
- यदि आवंटन या पट्टा विलेख के निष्पादन के परचात् यह पाया जाता है कि आवंटन या पट्टा विलेख विधि की दुरुबिधि या उसके उल्लंघन में कपटपूर्ण दस्तावेज के आधार पर दुरुपदेशन द्वारा अभिप्राप्त किया गया है या आवंटन या पट्टा विलेख के (क.प.उ.)

निबंधनों और शर्तों का अतिक्रमण किया गया है तो नगर निकाय उक्त भूखण्ड पर उसके किसी सन्निर्माण सहित उसे प्रतिसंभृत करेगा जो सभी प्रभारों से रहित नगर निकाय में निहित समझे जायेंगे, और नगर निकाय किसी भी व्यक्ति को कानि किसी भी प्रकार की नुकसानी के लिए दायी नहीं होगा।

10. इस पट्टा विलेख के आधार पर उक्त भूखण्ड को सरकार/जीवन बीमा निगम/शिड्युल्ड बैंक/सरकार ऋणदात्री संस्था/एच.डी.एफ. सी. अथवा नेशनल बैंक द्वारा अधिकृत ऋणदात्री संस्थाओं के पास ऋण के लिए बंधक रखा जा सकेगा।

*जो लागू नहीं हो उसे काट दें।

प्रकरण संख्या :-

परिशिष्ट

कस्बे का नाम :
 राजस्व ग्राम :
 खसरा नम्बर :
 योजना का नाम
 विस्तृत नाप सहित क्षेत्रफल वर्गगज/वर्गमीटर
 116.67 4.21.

सीमा पूर्व 30' Road सीमा पश्चिम 30' Road
 सीमा उत्तर P.No. 4 सीमा दक्षिण P.No. 2 मानचित्र संलग्न है।
 भूखण्ड की संख्या यदि कोई हो P.No. 3

इसके साक्षी के रूप में इसके फरीकेन ने इसके बाद प्रत्येक दशा में निर्देशित स्थानों और तारीखों पर अपने अपने हस्ताक्षर कर दिये हैं।

नगरीय निकाय की ओर से

आज सन् 20 माह के 11/9/2020 वें दिन
 श्री अनिल कुमार पूनियाँ
 निम्न की उपस्थिति में जोधपुर में हस्ताक्षर किये।
 उपायुक्त (प्र.)

11.9.2020
 नगर निकाय - प्रभु युक्त
 विकास प्राधिकरण
 (सक्षम अधिकारी के हस्ताक्षर एवं मोहर)

साक्षी :-

श्री बाबूलाल

1. नाम
 पिता/पति का नाम
 व्यवसाय
 निवास स्थान
 2. नाम
 पिता/पति का नाम
 व्यवसाय
 निवास स्थान



साक्षी के हस्ताक्षर

साक्षी के हस्ताक्षर

आज दिनांक सन् 20 के माह के
 वें दिन को निम्नलिखित की उपस्थिति में उक्त श्री
 लीजधारक द्वारा कार्यालय, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर में हस्ताक्षर किये
 गये।

For DHARTI INFRA
 Kamlesh Purohit
 PARTNER
 लीजधारक - द्वितीय पक्ष

साक्षी :-

1. नाम
 पिता/पति का नाम
 व्यवसाय
 निवास स्थान
 2. नाम
 पिता/पति का नाम
 व्यवसाय
 निवास स्थान

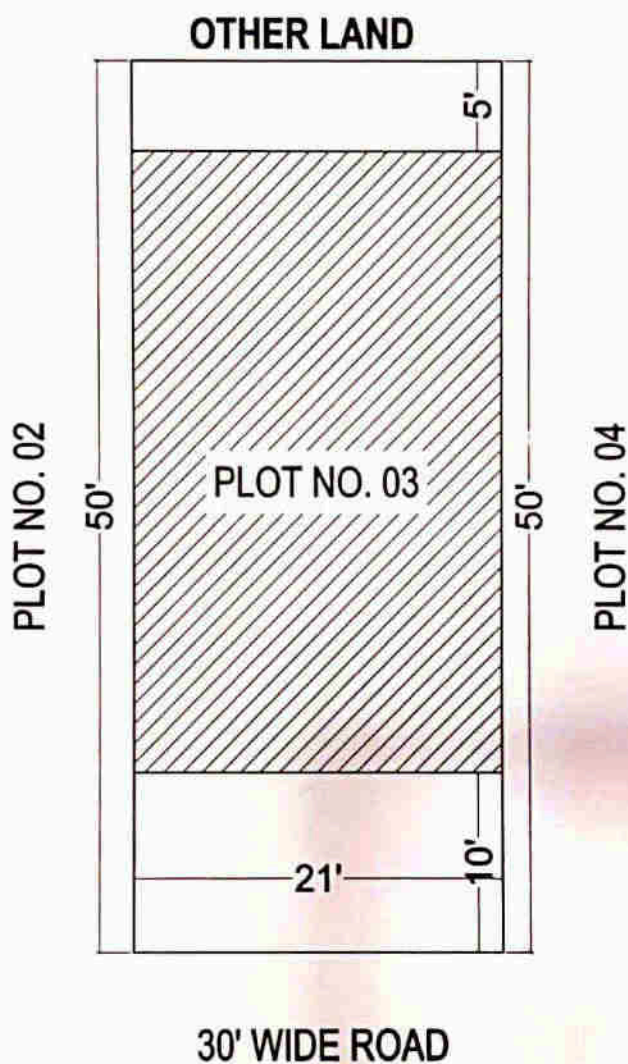
साक्षी के हस्ताक्षर

साक्षी के हस्ताक्षर

**SITE PLAN OF PLOT NO. 03 IN RESIDENTIAL SCHEME (DHARTI ANGAN
PHASE - 02) ON KHASRA NO. $\frac{15}{8}$ OF VILLAGE JHALAMAND AT JODHPUR**

PLOT SIZE - 21'0"X50'0"
PLOT AREA - 1050.00 SQ.FT. OR 116.67 SQ.YARD

SCALE - 1:10




सहायक नगर नियोजक
जोधपुर विकास प्राधिकरण
जोधपुर


11.9.2020
उपायुक्त (पूरी)
जोधपुर विकास प्राधिकरण
जोधपुर



जोधपुर विकास प्राधिकरण



जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर

राजस्थान नगरीय क्षेत्र (कृषि भूमि का गैर-कृषिक प्रयोजन के लिए उपयोग की अनुज्ञा और आवंटन) नियम, 2012 के नियम 22 के अन्तर्गत भूमि का

149/119/2012 पट्टा विलेख



यह विलेख आज वर्ष के माह के ये दिन जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर (जिन्हें इसके बाद नगर निकाय कहकर संबोधित किया गया है) प्रथम पक्ष एवं श्री

वस्ती इन्का जरीस वार्टनर

श्री कमलेश पुराहित पुत्र श्री बन्नीलाल जी कुंभर

जाति-ब्राह्मण, निवासी-11, हरिओम नगर विस्तार, जोधपुर

जाति

व्यवसाय निवासी (जिनको इसके बाद लीजधारक संबोधित किया गया है) द्वितीय पक्ष तथा इस इबारत में जहां कहीं प्रसंग से वैसा अर्थ निकले, उनके उत्तराधिकारी, निर्वाहक, प्रबंधक, प्रतिनिधि और मुन्तखिल अलैह भी सम्मिलित होंगे) के मध्य निष्पादित हुआ है।

यह विलेख साक्ष्यांकित करता है कि प्रीमियम तथा विकास शुल्क की रकम जो लीजधारक (पट्टाधारक) के द्वारा अदा कर दी गई है और जिसकी रसीद नगर निकाय के द्वारा स्वीकार कर ली गई है, और इसमें उल्लेखित शर्तों और करारों जो लीजधारक द्वारा निष्पादित तथा पालन किये जायेंगे, के एवज में नगर निकाय इनके द्वारा लीजधारक को जमीन का वह तमाम मुखण्ड (जिसे इसके बाद उक्त मुखण्ड कहकर संबोधित किया गया है) प्रदान और लीज करती है जो योजना राजस्व ग्राम 511/1-2/05 के खसरा सत्या 15/8 क्षेत्रफल 116.69 वर्ग मी. में स्थित है और जो अपनी सीमा और क्षेत्रफल के साथ इसके अन्तर्गत लिखे गये परिशिष्ट में अधिक पूर्णरूपेण वर्णित है तथा जिसका आकार विशेष रूप से इससे संलग्न नक्शों में लाल रंग में दिखाया गया है, और जिससे पूर्ण स्वामित्व संबंधी स्वत्वां सहित किन्तु निम्नलिखित तमाम व प्रत्येक अपवादों, संरक्षणों, प्रतिबंधों, बंधनों, शर्तों और करारों के अधीन खरीददार अपने उपयोग, उपभोग और इस्तेमाल के लिए अपने अधिकार में रखेगा, अर्थात् :-

- लीजधारक नगर निकाय के कार्यालय में या ऐसे स्थान पर जिसे नगर निकाय समय-समय पर इस हेतु नियत कर दे, प्रत्येक वर्ष अप्रैल के प्रथम दिन उक्त मुखण्ड के संबंध में उक्त नियमों के नियम 20 के उप-नियम (1) के अन्तर्गत निर्धारित किये गये नगरीय निर्धारण (शहरी जमाबन्दी या भूमि का किराया) के तौर पर रुपये 10926/- अंके 65 हजार नीसी दलीस मात्र पेशगी अदा करेगा, परन्तु लीजधारक, यदि चाहे तो एक नगरीय निर्धारण (शहरी जमाबन्दी या भूमि का किराया) की राशि जमा कर सकेंगा, जो उस वर्ष, जिसमें राशि जमा कराई जाती है, को सम्मिलित करते हुए, पूर्ण वार्षिक नगरीय निर्धारण की राशि के आठ गुणा के बराबर होगी और इस प्रकार जमा कराई गयी नगरीय निर्धारण की राशि के फलस्वरूप लीजधारक उक्त मुखण्ड पर नगरीय निर्धारण की राशि के संदाय के दायित्व से छूट प्राप्त करने का अधिकारी होगा।
- आठ बार निश्चित किया गया नगरीय निर्धारण या भूमि का किराया प्रत्येक 15 वर्ष के परचात और विक्रय या दान या अन्यथा द्वारा ऐसे अन्तरण पर भी पुनरीक्षण का अधिकारी होगा और ऐसी वृद्धि प्रत्येक अवसर पर ऐसे पुनरीक्षण या, यथास्थिति, अन्तरण के समय नगरीय निर्धारण या भूमि का किराया में सम्मिलित होगी।
- पट्टे की अवधि :- पट्टाधुति अधिकार 99 वर्ष के लिए होंगे।
- उक्त मुखण्ड का उपयोग केवल 31/9/2012 प्रयोजन, जिसके लिए नगर निकाय द्वारा उक्त नियमों के अन्तर्गत अनुमति दी गयी है, के लिए किया जायेगा और इसी प्रयोजन के उपयोग हेतु इस मुखण्ड पर भवन का निर्माण किया जायेगा।
- इस पट्टा विलेख की तारीख से 7 वर्ष, या ऐसी अतिरिक्त अवधि के भीतर जो नियम-26 के अन्तर्गत बढ़ा दी जावे, लीजधारक के द्वारा इस मुखण्ड पर भवन का निर्माण कराया जायेगा।
- लीजधारक उक्त मुखण्ड को आगे और अन्तरित या उप-पट्टे पर दे सकेंगा। उक्त नियमों में अन्तर्विष्ट निबंधन और शर्तों और अन्य उपबंध, यथावश्यक परिवर्तन सहित, अन्तरिती या उप-पट्टेदार पर इस प्रकार लागू होंगे मानो प्ररगत उक्त मुखण्ड नगर निकाय द्वारा दिया गया है या अन्तरित किया गया है। लीजधारक द्वारा उप-पट्टे की कालावधि स्वयं द्वारा अवधारित की जायेगी किन्तु किसी भी दशा में मूल पट्टे की कालावधि से अधिक नहीं होगी। उप-पट्टे उक्त नियमों में विहित समस्त अन्य निबंधनों और शर्तों या किन्हीं पृथक् आदेशों द्वारा, जो राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर इस निमित्त विनिर्दिष्ट मामलों में जारी किये जायें, शासित होंगे।
- उक्त मुखण्ड के अन्तरण के मामले में, अन्तरिती के पक्ष में नाम में अन्तरण के लिए नगर निकाय को आवेदन के साथ रजिस्ट्रीकृत विक्रय विलेख, दान विलेख, या वसीयत या अन्य सुसंगत दस्तावेज प्रस्तुत किये जायेंगे। प्रत्येक अन्तरण के लिए आवेदन के साथ दस रुपये प्रति वर्गमीटर की दर से अन्तरण फीस निश्चित की जायेगी; परन्तु लीजधारक की मृत्यु के मामलों में इस नियम के अधीन कोई फीस प्रभावित नहीं की जायेगी।
- उक्त नियमों के अधीन किसी व्यक्ति के प्रति परादेय प्रीमियम या नगरीय निर्धारण या ब्याज, आन्तरिक/बाह्य विकास प्रभारों का कोई बकाया राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 के अधीन भू-राजस्व की बकाया के रूप में लीजधारक से वसूलीय होगा।
- यदि आवंटन या पट्टा विलेख के निष्पादन के परचात यह पाया जाता है कि आवंटन या पट्टा विलेख विधि की दुरभिसंधि या उसके उत्पन्न में कपटपूर्ण दस्तावेज के आधार पर दुर्यपदेशन द्वारा अभिप्राप्त किया गया है या आवंटन या पट्टा विलेख के

(क.प.उ.)

निबंधनों और शर्तों का अतिक्रमण किया गया है तो नगर निकाय उक्त भूखण्ड पर उसके किसी सम्निर्माण सहित उसे प्रतिबंधित करेगा जो सभी प्रमारों से रहित नगर निकाय में निहित समझे जायेंगे, और नगर निकाय किसी भी व्यक्ति को कांश्त किसी भी प्रकार की नुकसानी के लिए दायी नहीं होगा।

10. इस पट्टा विलेख के आधार पर उक्त भूखण्ड को सरकार/जीवन बीमा निगम/शिड्यूल्ड बैंक/सरकार ऋणदात्री संस्था/एच.डी.एफ. सी. अथवा नेशनल बैंक द्वारा अधिकृत ऋणदात्री संस्थाओं के पास ऋण के लिए बंधक रखा जा सकेगा।

*जो लागू नहीं हो उसे काट दें।

प्रकरण संख्या :-

परिशिष्ट

कस्बे का नाम :
राजस्व ग्राम :
खसरा नम्बर :
योजना का नाम
विस्तृत नाप सहित क्षेत्रफल वर्गगज/वर्गमीटर
116.62 1/2

सीमा पूर्व 30' Road सीमा पश्चिम OTHER LAND
सीमा उत्तर P.No. 5 सीमा दक्षिण P.No. 3 मानचित्र संलग्न है।
भूखण्ड की संख्या यदि कोई हो P.No. 4

इसके साक्षी के रूप में इसके फरीकेन ने इसके बाद प्रत्येक दशा में निर्देशित स्थानों और तारीखों पर अपने अपने हस्ताक्षर कर दिये हैं।

नगरीय निकाय की ओर से

आज सन् 20 माह के 11/9/2020 वें दिन
श्री अनिल कुमार पूनियाँ
निम्न की उपस्थिति में जोधपुर में हस्ताक्षर किये। उपायुक्त (पूर्व)

11.9.2020
उपायुक्त (पूर्व)
निकलन संप्रदाय
(सक्षम अधिकारी के हस्ताक्षर एवं मोहर)

साक्षी :-

श्री बाबूलाल

- नाम
पिता/पति का नाम
व्यवसाय
निवास स्थान
- नाम
पिता/पति का नाम
व्यवसाय
निवास स्थान

साक्षी के हस्ताक्षर

साक्षी के हस्ताक्षर

For DHARTI INFRA

Kamlesh Parshit
PARTNER
लीजधारक - द्वितीय पक्ष

आज दिनांक सन् 20 के माह के
वें दिन को निम्नलिखित की उपस्थिति में उक्त श्री
लीजधारक द्वारा कार्यालय, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर में हस्ताक्षर किये
गये।

साक्षी :-

- नाम
पिता/पति का नाम
व्यवसाय
निवास स्थान
- नाम
पिता/पति का नाम
व्यवसाय
निवास स्थान

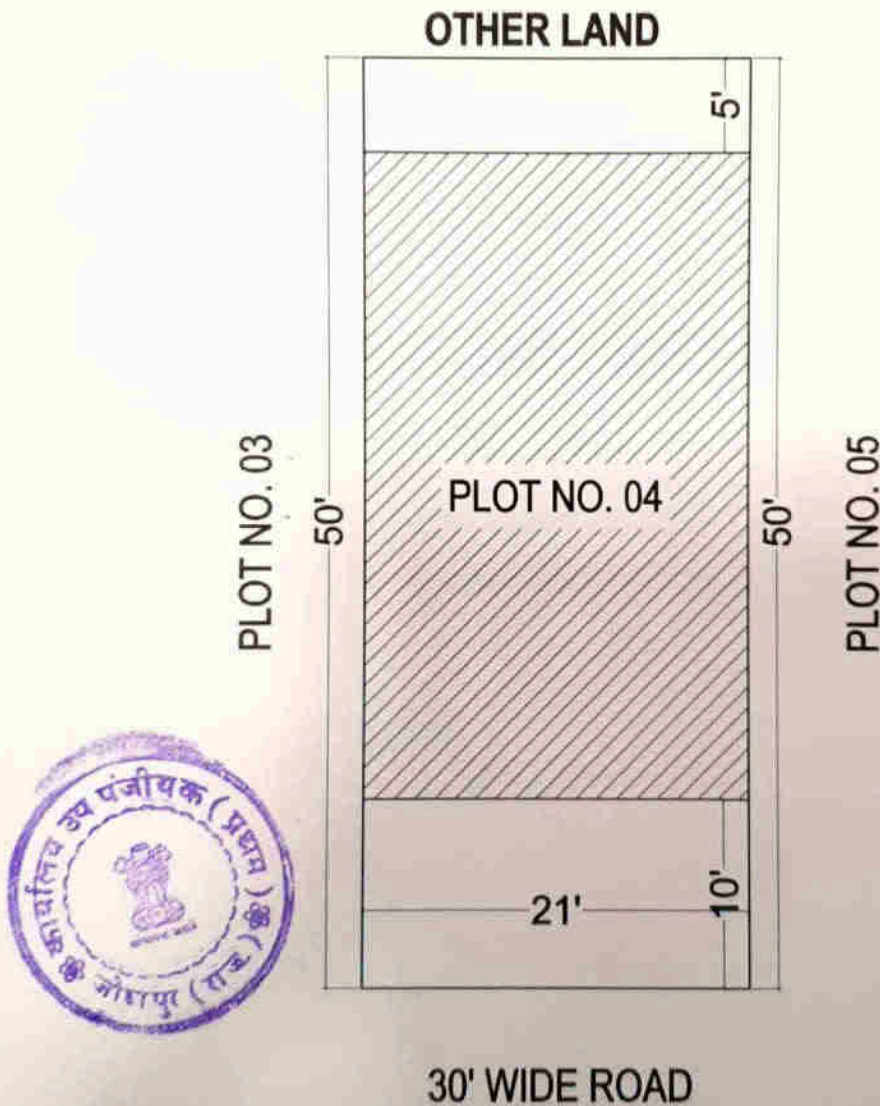
साक्षी के हस्ताक्षर

साक्षी के हस्ताक्षर

SITE PLAN OF PLOT NO. 04 IN RESIDENTIAL SCHEME (DHARTI ANGAN
PHASE - 02) ON KHASRA NO. $\frac{15}{8}$ OF VILLAGE JHALAMAND AT JODHPUR

PLOT SIZE - 21'0"X50'0"
PLOT AREA - 1050.00 SQ.FT. OR 116.67 SQ.YARD

SCALE - 1:10



सहायक नगर नियाजक
जोधपुर विकास प्राधिकरण
जोधपुर

17.9.2020
उपायुक्त (पूर्व)
जोधपुर विकास प्राधिकरण
जोधपुर



जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर

राजस्थान नगरीय क्षेत्र (कृषि भूमि का गैर-कृषिक प्रयोजन के लिए उपयोग की अनुज्ञा और आवंटन) नियम, 2012 के नियम 22 के अन्तर्गत भूमि का

14960
11/9/2020

पट्टा विलेख



यह विलेख आज वर्ष के माह के वे दिन जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर (जिन्हें इसके बाद नगर निकाय कहकर संबोधित किया गया है) प्रथम पक्ष एवं श्री

प्रती इन्द्रा करिये पार्टनर

श्री कमलेश पुराहित पुत्र श्री बन्सीलाल जी पुराहित

जाती-बाह्य, निवासी-11, हरिओम नगर विस्तार, जोधपुर जाति

व्यवसाय निवासी (जिनको इसके बाद लीजधारक संबोधित किया गया है) द्वितीय पक्ष तथा इस इबारत में जहां कहीं प्रसंग से वैसा अर्थ निकले, उनके उत्तराधिकारी, निर्वाहक, प्रबंधक, प्रतिनिधि और मुत्तकिल अलैह भी सम्मिलित होंगे) के मध्य निष्पादित हुआ है।

यह विलेख साक्ष्यकित करता है कि प्रीमियम तथा विकास शुल्क की रकम जो लीजधारक (पट्टाधारक) के द्वारा अदा कर दी गई है और जिसकी रसीद नगर निकाय के द्वारा स्वीकार कर ली गई है, और इसमें उल्लेखित शर्तों और करारों जो लीजधारक द्वारा निष्पादित तथा पालन किये जायेंगे, के एवज में नगर निकाय इनके द्वारा लीजधारक को जमीन का वह तमाम भूखण्ड (जिसे इसके बाद उक्त भूखण्ड कहकर संबोधित किया गया है) प्रदान और लीज करती है जो योजना राजस्थान ग्राम "SALIMHOS" के खसरा संख्या 15/8 क्षेत्रफल 146.69 वर्ग मी. में स्थित है और जो अपनी सीमा और क्षेत्रफल के साथ इसके अन्तर्गत लिखे गये परिशिष्ट में अधिक पूर्णरूपेण वर्णित है तथा जिसका आकार विशेष रूप से इससे संलग्न नक्शे में ताल रंग में दिखाया गया है, और जिसे पूर्ण स्वामित्व संबंधी स्वत्वों सहित किन्तु निम्नलिखित तमाम व प्रत्येक अपवादों, संरक्षणों, प्रतिबंधों, बंधनों, शर्तों और करारों के अधीन खरीददार अपने उपयोग, उपभोग और इस्तेमाल के लिए अपने अधिकार में रखेगा, अर्थात् :-

- लीजधारक नगर निकाय के कार्यालय में या ऐसे स्थान पर जिसे नगर निकाय समय-समय पर इस हेतु नियत कर दे, प्रत्येक वर्ष अप्रैल के प्रथम दिन उक्त भूखण्ड के संबंध में उक्त नियमों के नियम 20 के उप-नियम (1) के अन्तर्गत निर्धारित किये गये नगरीय निर्धारण (शहरी जमाबन्दी या भूमि का किराया) के तौर पर रुपये 109.26/- अंके दस हजार आठ सौ रुपये मात्र पेशगी अदा करेगा, परन्तु लीजधारक, यदि चाहे तो एक वार्षिक नगरीय निर्धारण (शहरी जमाबन्दी या भूमि का किराया) की राशि जमा करा सकेगा, जो उस वर्ष, जिसमें राशि जमा करायी जाती है, को सम्मिलित करते हुए, पूर्ण वार्षिक नगरीय निर्धारण की राशि के आठ गुणा के बराबर होगी और इस प्रकार जमा कराई गयी नगरीय निर्धारण की राशि के फलस्वरूप लीजधारक उक्त भूखण्ड पर नगरीय निर्धारण की राशि के संदाय के दायित्व से छूट प्राप्त करने का अधिकारी होगा।
- एक बार नियत किया गया नगरीय निर्धारण या भूमि का किराया प्रत्येक 15 वर्ष के पश्चात् और विक्रय या दान या अन्यथा द्वारा ऐसे अन्तरण पर भी पुनरीक्षण का दायी होगा और ऐसी वृद्धि प्रत्येक अवसर पर ऐसे पुनरीक्षण या, यथास्थिति, अन्तरण के समय नगरीय निर्धारण या भूमि के किराये का 25 प्रतिशत होगा।
- पट्टे की अवधि पट्टाधिति अधिकार 99 वर्ष के लिए होगी।
- उक्त भूखण्ड को उपयोग केवल प्रयोजन, जिसके लिए नगर निकाय द्वारा उक्त नियमों के अन्तर्गत अनुमति दी गयी है, के लिए किया जायेगा और इसी प्रयोजन के उपयोग हेतु इस भूखण्ड पर भवन का निर्माण किया जायेगा।
- इस पट्टा विलेख की तारीख से 7 वर्ष, या ऐसी अतिरिक्त अवधि के भीतर जो नियम-26 के अन्तर्गत बढ़ा दी जावे, लीजधारक के द्वारा इस भूखण्ड पर भवन का निर्माण कराया जायेगा।
- लीजधारक उक्त भूखण्ड को आगे और अन्तरित या उप-पट्टे पर दे सकेगा। उक्त नियमों में अन्तर्विष्ट निबंधन और शर्तों और अन्य उपबंध, यथावश्यक परिवर्तन सहित, अन्तरिती या उप-पट्टेदार पर इस प्रकार लागू होंगे मानो प्ररनगत उक्त भूखण्ड नगर निकाय द्वारा दिया गया है या अन्तरित किया गया है। लीजधारक द्वारा उप-पट्टे की कालावधि स्वयं द्वारा अवधारित की जायेगी किन्तु किसी भी दशा में मूल पट्टे की कालावधि से अधिक नहीं होगी। उप-पट्टे उक्त नियमों में विहित समस्त अन्य निबंधनों और शर्तों या किन्हीं पृथक् आदेशों द्वारा, जो राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर इस निमित्त विनिर्दिष्ट मामलों में जारी किये जायें, शासित होंगे।
- उक्त भूखण्ड के अन्तरण के मामले में, अन्तरिती के पक्ष में नाम में अन्तरण के लिए नगर निकाय को आवेदन के साथ रजिस्ट्रीकृत विक्रय विलेख, दान विलेख, या वसीयत या अन्य सुसंगत दस्तावेज प्रस्तुत किये जायेंगे। प्रत्येक अन्तरण के लिए आवेदन के साथ दस रुपये प्रति वर्गमीटर की दर से अन्तरण फीस निक्षिप्त की जायेगी; परन्तु लीजधारक की मृत्यु के मामलों में इस नियम के अधीन कोई फीस प्रभारित नहीं की जायेगी।
- उक्त नियमों के अधीन किसी व्यक्ति के प्रति परादेय प्रीमियम या नगरीय निर्धारण या ब्याज, आन्तरिक/बाह्य विकास प्रभारों का कोई बकाया राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 के अधीन भू-राजस्व की बकाया के रूप में लीजधारक से वसूलीय होगा।
- यदि आवंटन या पट्टा विलेख के निष्पादन के पश्चात् यह पाया जाता है कि आवंटन या पट्टा विलेख विधि की दुरभिसंधि या उसके उत्पन्न में कपटपूर्ण दस्तावेज के आधार पर दुर्यपदेशन द्वारा अभिप्राप्त किया गया है या आवंटन या पट्टा विलेख के

(क.प.उ.)

निबंधनों और शर्तों का अतिक्रमण किया गया है तो नगर निकाय उक्त भूखण्ड पर उसके किसी सन्निर्माण सहित उसे प्रतिसंभृत करेगा जो सभी प्रमारों से रहित नगर निकाय में निहित समझे जायेंगे, और नगर निकाय किसी भी व्यक्ति को कारित किसी भी प्रकार की नुकसानी के लिए दायी नहीं होगा।

10. इस पट्टा विलेख के आधार पर उक्त भूखण्ड को सरकार/जीवन बीमा निगम/शिड्यूल्ड बैंक/सरकार ऋणदात्री संस्था/एच.डी.एफ. सी. अथवा नेशनल बैंक द्वारा अधिकृत ऋणदात्री संस्थाओं के पास ऋण के लिए बंधक रखा जा सकेगा।

*जो लागू नहीं हो उसे काट दें।

प्रकरण संख्या :-

परिशिष्ट

कस्बे का नाम :
राजस्व ग्राम : 311/11/10/5
खसरा नम्बर : 15/8
योजना का नाम
विस्तृत नाप सहित क्षेत्रफल वर्गगज/वर्गमीटर
116.62 वर्गमीटर

सीमा पूर्व 30' Road सीमा पश्चिम OTHER LAND
सीमा उत्तर P.No. 6 सीमा दक्षिण P.No. 4 मानचित्र संलग्न है।
भूखण्ड की संख्या यदि कोई हो P.No. 5

इसके साक्षी के रूप में इसके फरीकेन ने इसके बाद प्रत्येक दशा में निर्देशित स्थानों और तारीखों पर अपने अपने हस्ताक्षर कर दिये हैं।

नगरीय निकाय की ओर से

आज सन् 20 माह के 11/9/2020 वें दिन
श्री
निम्न की उपस्थिति में जोधपुर में हस्ताक्षर किये।
अनिल कुमार पूनियाँ
उपायुक्त (प्रभु)

11-9-2020
उपायुक्त (प्रभु)
नगर निकाय प्रथम पक्ष
विकास प्राधिकरण
(सक्षम अधिकारी के हस्ताक्षर एवं मोहर)
जोधपुर

साक्षी :-

- नाम श्री बाबूलाल
पिता/पति का नाम वरिष्ठ सहायक
व्यवसाय
निवास स्थान
- नाम
पिता/पति का नाम
व्यवसाय
निवास स्थान



.....
साक्षी के हस्ताक्षर

.....
साक्षी के हस्ताक्षर

आज दिनांक सन् 20 के माह के
वें दिन को निम्नलिखित की उपस्थिति में उक्त श्री
लोजधारक द्वारा कार्यालय, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर में हस्ताक्षर किये
गये।

For DHARTI INFRA

Kamlesh Purohit
PARTNER
लोजधारक - द्वितीय पक्ष

साक्षी :-

- नाम श्री मूमिका 30/11/2020
पिता/पति का नाम करन 30/11/2020
व्यवसाय नीकरी
निवास स्थान नागौरी गेट के अन्दर, अद्वर शिला
- नाम नितिन भागुत
पिता/पति का नाम नरेश चन्द्र भागुत
व्यवसाय नीकरी
निवास स्थान महाविश्वम्, जोधपुर

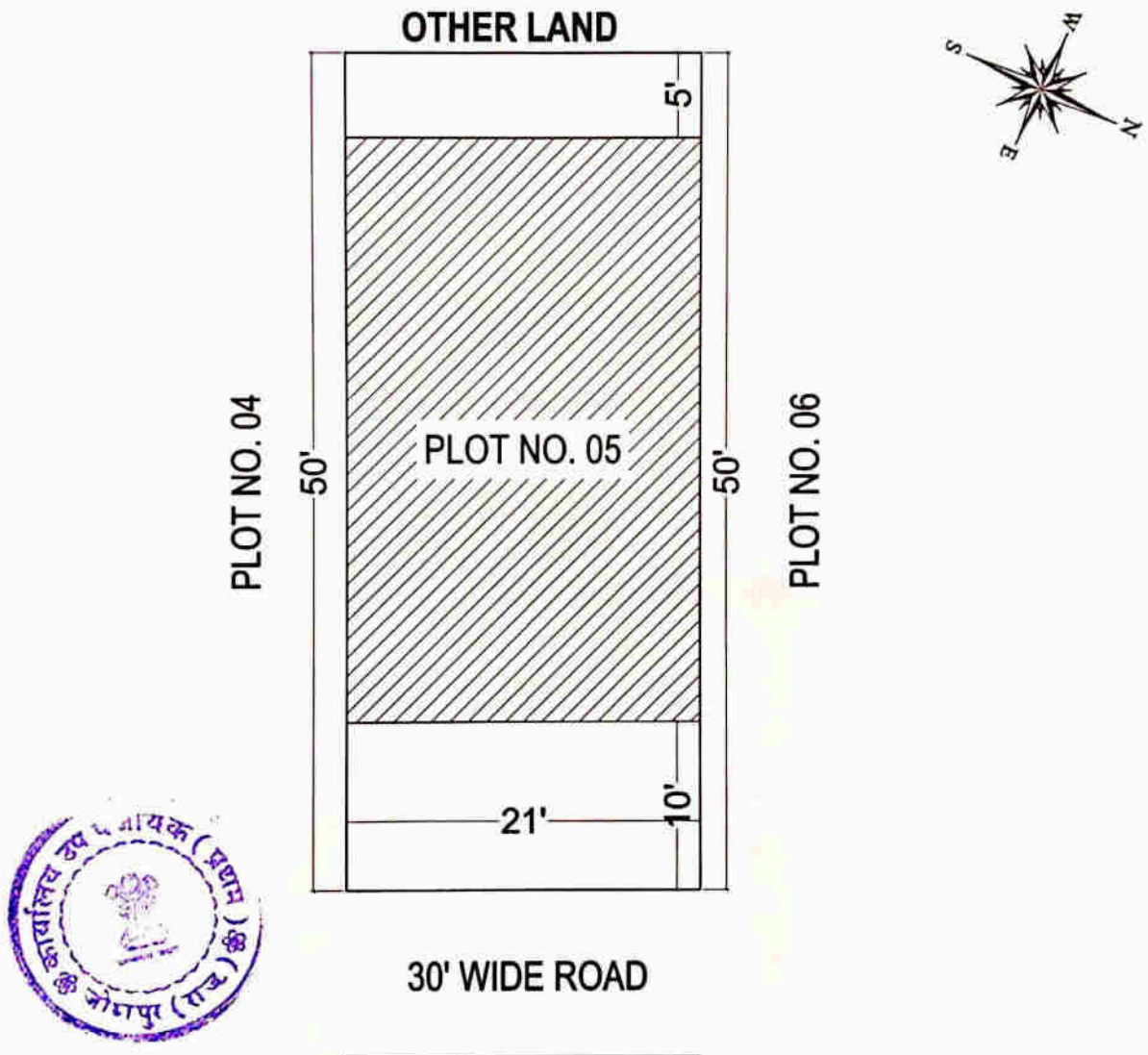
Bhumi/100
.....
साक्षी के हस्ताक्षर

N. M.
.....
साक्षी के हस्ताक्षर

**SITE PLAN OF PLOT NO. 05 IN RESIDENTIAL SCHEME (DHARTI ANGAN
PHASE - 02) ON KHASRA NO. $\frac{15}{8}$ OF VILLAGE JHALAMAND AT JODHPUR**

PLOT SIZE - 21'0"X50'0"
PLOT AREA - 1050.00 SQ.FT. OR 116.67 SQ.YARD

SCALE - 1:10



सहायक नगर निवाजक
जोधपुर विकास प्राधिकरण
जोधपुर

11.9.2020
उपायुक्त (पूर्व)
जोधपुर विकास प्राधिकरण
जोधपुर



जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर

राजस्थान नगरीय क्षेत्र (कृषि भूमि का गैर-कृषिक प्रयोजन के लिए उपयोग की अनुज्ञा और आवंटन) नियम, 2012 के नियम 22 के अन्तर्गत भूमि का

14961/11/19/2022 पट्टा विलेख



यह विलेख आज वर्ष के माह के के दिन जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर (जिन्हें इसके बाद नगर निकाय कहकर संबोधित किया गया है) प्रथम पक्ष एवं श्री धरती इंडिया प्रॉपर्टी प्राइवेट लि.

श्री कमलेश पुराहित पुत्र श्री बन्सीलाल जी पुराहित

जाति-ब्राह्मण निवासी-11, हरिश्चन्द्र नगर बिल्डिंग, जोधपुर जाति

व्यवसाय निवासी (जिनको इसके बाद लीजधारक संबोधित किया गया है) द्वितीय पक्ष तथा इस इच्छा में जहां कहीं प्रसंग से ऐसा अर्थ निकले, उनके उतगधिकारी, निर्वाहक, प्रबंधक, प्रतिनिधि और मुन्तकिल अलैह भी सम्मिलित होंगे) के मध्य निष्पादित हुआ है।

यह विलेख साक्षात्कृत करता है कि प्रीमियम तथा विकास शुल्क की रकम जो लीजधारक (पट्टाधारक) के द्वारा अदा कर दी गई है और जिसकी रसीद नगर निकाय के द्वारा स्वीकार कर ली गई है, और इसमें उल्लेखित शर्तों और करारों जो लीजधारक द्वारा निष्पादित तथा पालन किये जायेंगे, के एवज में नगर निकाय इनके द्वारा लीजधारक को जमीन का वह तमाम भूखण्ड (जिसे इसके बाद उक्त भूखण्ड कहकर संबोधित किया गया है) प्रदान और लीज करती है जो योजना

के खसरा संख्या 15/8 क्षेत्रफल 116.67 (4) में स्थित है और जो अपनी सीमा और क्षेत्रफल के साथ इसके अन्तर्गत लिखे गये परिशिष्ट में अधिक पूर्णरूपेण वर्णित है तथा जिसका आकार विशेष रूप से इससे संलग्न नक्शों में लाल रंग में दिखाया गया है, और जिसे पूर्ण स्वामित्व संबंधी स्वत्वों सहित किन्तु निम्नलिखित तमाम व प्रत्येक अपवादों, संरक्षणों, प्रतिबंधों, बंधनों, शर्तों और करारों के अधीन खरीददार अपने उपयोग, उपभोग और इस्तेमाल के लिए अपने अधिकार में रखेगा, अर्थात :-

- लीजधारक नगर निकाय के कार्यालय में या ऐसे स्थान पर जिसे नगर निकाय समय-समय पर इस हेतु नियत कर दें, प्रत्येक वर्ष अप्रैल के प्रथम दिन उक्त भूखण्ड के संबंध में उक्त नियमों के नियम 20 के उप-नियम (1) के अन्तर्गत निर्धारित किये गये नगरीय निर्धारण (शहरी जमाबन्दी या भूमि का किराया) के तौर पर रुपये 10926/- अंके दस हजार नौ सौ द्वादश मात्र पेशगी अदा करेगा, परन्तु लीजधारक, यदि चाहे तो एक वार्षिक नगरीय निर्धारण (शहरी जमाबन्दी या भूमि का किराया) की राशि जमा करा सकेगा, जो उस वर्ष, जिसमें राशि जमा करायी जाती है, को सम्मिलित करते हुए, पूर्ण वार्षिक नगरीय निर्धारण की राशि के आठ गुणा के बराबर होगी और इस प्रकार जमा कराई गयी नगरीय निर्धारण की राशि के फलस्वरूप लीजधारक उक्त भूखण्ड पर नगरीय निर्धारण की राशि के संदाय के दायित्व से छूट प्राप्त करने का अधिकारी होगा।
- एक बार निम्न किया गया नगरीय निर्धारण या भूमि का किराया प्रत्येक 15 वर्ष के पश्चात् और विक्रय या दान या अन्यथा द्वारा ऐसे अन्तरण पर भी पुनरीक्षण का दायित्व होगा और ऐसी वृद्धि प्रत्येक अवसर पर ऐसे पुनरीक्षण या, यथास्थिति, अन्तरण के समय नगरीय निर्धारण या भूमि का किराया का 25 प्रतिशत होगी।
- पट्टे की अवधि पट्टाधृति अधिकार 99 वर्ष के लिए होंगे।
- उक्त भूखण्ड का उपयोग केवल 31/12/2022 प्रयोजन, जिसके लिए नगर निकाय द्वारा उक्त नियमों के अन्तर्गत अनुमति दी गयी है, के लिए किया जायेगा और इसी प्रयोजन के उपयोग हेतु इस भूखण्ड पर भवन का निर्माण किया जायेगा।
- इस पट्टा विलेख की तारीख से 7 वर्ष, या ऐसी अतिरिक्त अवधि के भीतर जो नियम-26 के अन्तर्गत बढ़ा दी जावे, लीजधारक के द्वारा इस भूखण्ड पर भवन का निर्माण कराया जायेगा।
- लीजधारक उक्त भूखण्ड को आगे और अन्तरित या उप-पट्टे पर दे सकेगा। उक्त नियमों में अन्तर्विष्ट निबंधन और शर्तों और अन्य उपबंध, यथावश्यक परिवर्तन सहित, अन्तरिती या उप-पट्टेदार पर इस प्रकार लागू होंगे मानो प्रश्नगत उक्त भूखण्ड नगर निकाय द्वारा दिया गया है या अन्तरित किया गया है। लीजधारक द्वारा उप-पट्टे की कालावधि स्वयं द्वारा अवधारित की जायेगी किन्तु किसी भी दशा में मूल पट्टे की कालावधि से अधिक नहीं होगी। उप-पट्टे उक्त नियमों में विहित समस्त अन्य निबंधनों और शर्तों या किन्हीं पृथक् आदेशों द्वारा, जो राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर इस निमित्त विनिर्दिष्ट मामलों में जारी किये जायें, शासित होंगे।
- उक्त भूखण्ड के अन्तरण के मामले में, अन्तरिती के पक्ष में नाम में अन्तरण के लिए नगर निकाय को आवेदन के साथ रजिस्ट्रीकृत विक्रय विलेख, दान विलेख, या वसीयत या अन्य सुसंगत दस्तावेज प्रस्तुत किये जायेंगे। प्रत्येक अन्तरण के लिए आवेदन के साथ दस रुपये प्रति वर्गमीटर की दर से अन्तरण फीस निक्षिप्त की जायेगी; परन्तु लीजधारक की मृत्यु के मामलों में इस नियम के अधीन कोई फीस प्रभारित नहीं की जायेगी।
- उक्त नियमों के अधीन किसी व्यक्ति के प्रति परादेय प्रीमियम या नगरीय निर्धारण या ब्याज, आन्तरिक/बाह्य विकास प्रभारों का कोई बकाया राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 के अधीन भू-राजस्व की बकाया के रूप में लीजधारक को वसूलीय होगा।
- यदि आवंटन या पट्टा विलेख के निष्पादन के पश्चात् यह पाया जाता है कि आवंटन या पट्टा विलेख विधि की दुरभिसंधि या उसके उत्त्पन्न में कपटपूर्ण दस्तावेज के आधार पर दुरुपदेशन द्वारा अभिप्राप्त किया गया है या आवंटन या पट्टा विलेख के (क.प.उ.)

निबंधनों और शर्तों का अतिक्रमण किया गया है तो नगर निकाय उक्त भूखण्ड पर उसके किसी सम्मिलन सहित उसे प्रतिबंधित करेगा जो सभी प्रभावों से रहित नगर निकाय में निहित समझे जावेंगे, और नगर निकाय किसी भी व्यक्ति को कानित किसी भी प्रकार की नुकसानी के लिए दायी नहीं होगा।

10. इस पट्टा विलेख के आधार पर उक्त भूखण्ड को सरकार/जीवन बीमा निगम/शिदयुल्ट बैंक/सरकार ऋणदात्री संस्था/एच.डी.एच. सी. अथवा नेशनल बैंक द्वारा अधिकृत ऋणदात्री संस्थाओं के पास ऋण के लिए कंधक रखा जा सकेगा।

*जो लागू नहीं हो उसे काट दें।

प्रकरण संख्या :-

परिशिष्ट

कस्बे का नाम :
राजस्व ग्राम :
खसरा नम्बर :
योजना का नाम
विस्तृत नाप सहित क्षेत्रफल वर्गगज/वर्गमीटर
116.67 वर्गमीटर

सीमा पूर्व 30' Road सीमा पश्चिम OTHER LAND
सीमा उत्तर P.No. 7 सीमा दक्षिण P.No. 5 मानचित्र संलग्न है।
भूखण्ड की संख्या यदि कोई हो P.No. 6

इसके साक्षी के रूप में इसके फरीकेन ने इसके बाद प्रत्येक दशा में निर्देशित स्थानों और तारीखों पर अपने अपने हस्ताक्षर कर दिये हैं।

नगरीय निकाय की ओर से

आज सन् 20 माह के 11/9/2020 वें दिन
श्री अनिल कुमार पूनियाँ
निम्न की उपस्थिति में जोधपुर में हस्ताक्षर किये।
उपायुक्त ()

उपायुक्त (पु) नगर निकाय - प्रकृति विकास प्राधिकरण (सक्षम अधिकारी के हस्ताक्षर एवं मोहर) जोधपुर

साक्षी :-

- नाम श्री बाबूलाल
वरिष्ठ सहायक
पिता/पति का नाम
व्यवसाय
निवास स्थान
- नाम
पिता/पति का नाम
व्यवसाय
निवास स्थान

साक्षी के हस्ताक्षर

साक्षी के हस्ताक्षर

आज दिनांक सन् 20 के माह के
वें दिन को निम्नलिखित की उपस्थिति में उक्त श्री
लौजधारक द्वारा कार्यालय, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर में हस्ताक्षर किये
गये।

For DHARTI INFRA

Kamlesh Purohit
PARTNER
लौजधारक - द्वितीय पक्ष

साक्षी :-

- नाम मूमिनी 34162114
पिता/पति का नाम करन 34162114
व्यवसाय नौकरी
निवास स्थान नागोरी गेट के आन्दर, आदर शिना
- नाम नितिन भायूर
पिता/पति का नाम नरेश चन्द्र भायूर
व्यवसाय नौकरी
निवास स्थान महेन्द्रपुरम, जोधपुर

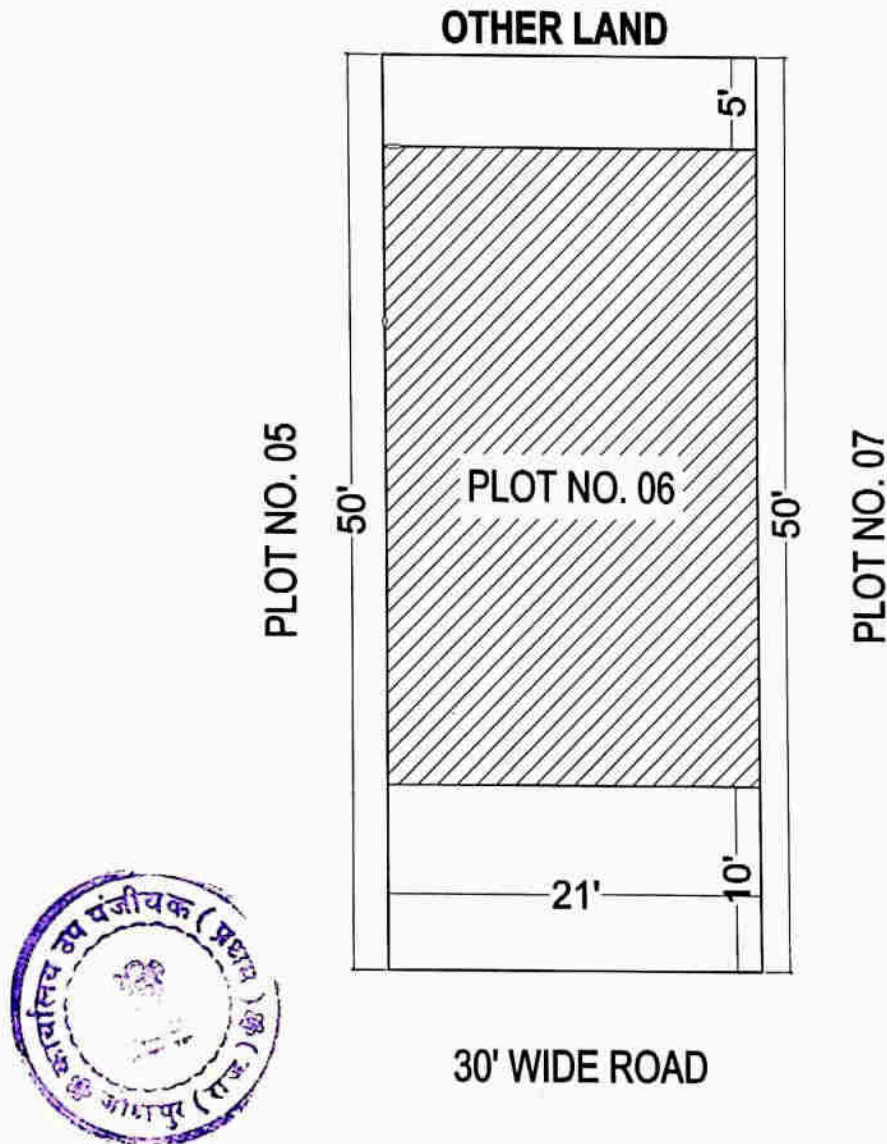
साक्षी के हस्ताक्षर

साक्षी के हस्ताक्षर

SITE PLAN OF PLOT NO. 06 IN RESIDENTIAL SCHEME (DHARTI ANGAN
PHASE - 02) ON KHASRA NO. $\frac{15}{8}$ OF VILLAGE JHALAMAND AT JODHPUR

PLOT SIZE - 21'0"X50'0"
PLOT AREA - 1050.00 SQ.FT. OR 116.67 SQ.YARD

SCALE - 1:10



सहायक नगर नियोजक
जोधपुर विकास प्राधिकरण
जोधपुर

11.9.2020
उपायुक्त (पूर्व)
जोधपुर विकास प्राधिकरण
जोधपुर



जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर

राजस्थान नगरीय क्षेत्र (कृषि भूमि का गैर-कृषिक प्रयोजन के लिए उपयोग की अनुज्ञा और आवंटन) नियम, 2012 के नियम 22 के अन्तर्गत भूमि का



149/12
11/9/2020 पट्टा विलेख

यह विलेख आज वर्ष के माह के के दिन जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर (जिन्हें इसके बाद नगर निकाय कहकर संबोधित किया गया है) प्रथम पक्ष एवं श्री

श्री इशिका प्रिये पाटनर

श्री कमलेश पुरहित पुत्र श्री बन्सीलाल जी पुरोहि

जाति-ब्राह्मण निवासी-11, हरिओम नगर विस्तार, जोधपुर जाति

व्यवसाय निवासी (जिनको इसके बाद लीजधारक संबोधित किया गया है) द्वितीय पक्ष तथा इस इबास्त में जहां कहीं प्रसंग से वैसा अर्थ निकले, उनके उत्तराधिकारी, निर्याहक, प्रबंधक, प्रतिनिधि और मुन्तकिल अलैह श्री सम्मिलित होंगे) के मध्य निष्पादित हुआ है।

यह विलेख साक्ष्यांकित करता है कि प्रीमियम तथा विकास शुल्क की रकम जो लीजधारक (पट्टाधारक) के द्वारा अदा कर दी गई है और जिसकी रसीद नगर निकाय के द्वारा रचीकार कर ली गई है, और इसमें उल्लेखित शर्तों और करारों जो लीजधारक द्वारा निष्पादित तथा पालन किये जायेंगे, के एवज में नगर निकाय इनके द्वारा लीजधारक को जमीन का यह तमाम भूखण्ड (जिसे इसके बाद उक्त भूखण्ड कहकर संबोधित किया गया है) प्रदान और लीज करती है जो योजना

के खसरा संख्या 15/8 क्षेत्रफल 116.62 d.21. में स्थित है और जो अपनी सीमा और क्षेत्रफल के साथ इसके अन्तर्गत लिखे गये परिशिष्ट में अधिक पूर्णरूपेण वर्णित है तथा जिसका आकार विशेष रूप से इससे संलग्न नक्शे में लाल रंग में दिखाया गया है, और जिसे पूर्ण स्वामित्व संबंधी स्वत्वों सहित किन्तु निम्नलिखित तमाम व प्रत्येक अपवादों, संरक्षणों, प्रतिबंधों, बंधनों, शर्तों और करारों के अधीन खरीददार अपने उपयोग, उपभोग और इस्तेमाल के लिए अपने अधिकार में रखेगा, अर्थात् :-

- लीजधारक नगर निकाय के कोर्टालय में या ऐसे स्थान पर जिसे नगर निकाय समय-समय पर इस हेतु नियत कर दे, प्रत्येक वर्ष अप्रैल के प्रथम दिन उक्त भूखण्ड के संबंध में उक्त नियमों के नियम 20 के उप-नियम (1) के अन्तर्गत निर्धारित किये गये नगरीय निर्धारण (शहरी जमाबन्दी या भूमि का किराया) के तौर पर रुपये 10926/- अंके फस एजारी नी सी ध्वनि मात्र पेशगी अदा करेगा, परन्तु लीजधारक, यदि चाहे तो एक बरसिय नगरीय निर्धारण (शहरी जमाबन्दी या भूमि का किराया) की राशि जमा करा सकेगा, जो उस वर्ष, जिसमें राशि जमा कराई जाती है, को सम्मिलित करते हुए, पूर्ण वार्षिक नगरीय निर्धारण की राशि के आठ गुणा के बराबर होगी और इस प्रकार जमा कराई गयी नगरीय निर्धारण की राशि के फलस्वरूप लीजधारक उक्त भूखण्ड पर नगरीय निर्धारण की राशि के संदाय के दायित्व से छूट प्राप्त करने का अधिकारी होगा।
- एक बार नियत किया गया नगरीय निर्धारण या भूमि का किराया प्रत्येक 15 वर्ष के पश्चात् और विक्रय या दान या अन्यथा द्वारा ऐसे अन्तरण पर पुनरीक्षण का दायी होगा और ऐसी वृद्धि प्रत्येक अवसर पर ऐसे पुनरीक्षण या, यथास्थिति, अन्तरण के समय नगरीय निर्धारण या भूमि के किराया का 25 प्रतिशत होगी।
- पट्टे की अवधि :- पट्टाप्राप्ति अधिकार 99 वर्ष के लिए होगा।
- उक्त भूखण्ड का उपयोग केवल आवासीय प्रयोजन, जिसके लिए नगर निकाय द्वारा उक्त नियमों के अन्तर्गत अनुमति दी गयी है, के लिए किया जायेगा और इसी प्रयोजन के उपयोग हेतु इस भूखण्ड पर भवन का निर्माण किया जायेगा।
- इस पट्टा विलेख की तारीख से 7 वर्ष, या ऐसी अतिरिक्त अवधि के भीतर जो नियम-26 के अन्तर्गत बढ़ा दी जावे, लीजधारक के द्वारा इस भूखण्ड पर भवन का निर्माण कराया जायेगा।
- लीजधारक उक्त भूखण्ड को आगे और अन्तरित या उप-पट्टे पर दे सकेगा। उक्त नियमों में अन्तर्विष्ट निबंधन और शर्तों और अन्य उपबंध, यथावश्यक परिवर्तन सहित, अन्तरिती या उप-पट्टेदार पर इस प्रकार लागू होंगे मानो प्ररनगत उक्त भूखण्ड नगर निकाय द्वारा दिया गया है या अन्तरित किया गया है। लीजधारक द्वारा उप-पट्टे की कालावधि स्वयं द्वारा अवधारित की जायेगी किन्तु किसी भी दशा में मूल पट्टे की कालावधि से अधिक नहीं होगी। उप-पट्टे उक्त नियमों में विहित समस्त अन्य निबंधनों और शर्तों या किन्हीं पृथक् आदेशों द्वारा, जो राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर इस निमित्त विनिर्दिष्ट मामलों में जारी किये जायें, शासित होंगे।
- उक्त भूखण्ड के अन्तरण के मामले में, अन्तरिती के पक्ष में नाम में अन्तरण के लिए नगर निकाय को आवेदन के साथ रजिस्ट्रीकृत विक्रय विलेख, दान विलेख, या वसीयत या अन्य सुसंगत दस्तावेज प्रस्तुत किये जायेंगे। प्रत्येक अन्तरण के लिए आवेदन के साथ दस रुपये प्रति वर्गमीटर की दर से अन्तरण फीस निक्षिप्त की जायेगी; परन्तु लीजधारक की मृत्यु के मामलों में इस नियम के अधीन कोई फीस प्रभारित नहीं की जायेगी।
- उक्त नियमों के अधीन किसी ध्यवित के प्रति परादेय प्रीमियम या नगरीय निर्धारण या ब्याज, आन्तरिक/बाह्य विकास प्रभारों का कोई बकाया राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 के अधीन भू-राजस्व की बकाया के रूप में लीजधारक से वसूलीय होगा।
- यदि आवंटन या पट्टा विलेख के निष्पादन के पश्चात् यह पाया जाता है कि आवंटन या पट्टा विलेख विधि की दुरभिसंधि या उसके उल्लंघन में कपटपूर्ण दस्तावेज के आधार पर दुरुपदेशन द्वारा अभिप्राप्त किया गया है या आवंटन या पट्टा विलेख के

(क.प.उ.)

विश्वनी और शर्तों का अतिक्रमण किया गया है तो नगर निकाय उक्त भूखण्ड पर उसके किसी सम्निर्माण सहित उसे प्रतिबंधित करेगा जो सभी प्रभारों से रहित नगर निकाय में निहित समझे जायेंगे, और नगर निकाय किसी भी व्यक्ति को कांश्चित किसी भी प्रकार की नुकसानी के लिए दायी नहीं होगा।

10. इस पट्टा विलेख के आधार पर उक्त भूखण्ड को सरकार/जीवन बीमा निगम/शिद्दुल्ल बैंक/सरकार ऋणदात्री संस्था/एच.डी.एफ. सी. अथवा नेशनल बैंक द्वारा अधिकृत ऋणदात्री संस्थाओं के पास ऋण के लिए बंधक रखा जा सकेगा।

*जो लागू नहीं हो उसे काट दें।

प्रकरण संख्या :-

परिशिष्ट

कस्बे का नाम :
राजस्व ग्राम : 51/141/15
खसरा नम्बर : 15/8
योजना का नाम
विस्तृत नाप सहित क्षेत्रफल वर्गगज/वर्गमीटर
116.67 (1.1).

सीमा पूर्व 30 Road सीमा पश्चिम OTHER (AND)
सीमा उत्तर P.No. 8 सीमा दक्षिण P.No. 6 मानचित्र संलग्न है।
भूखण्ड की संख्या यदि कोई हो P.No. 7

इसके साक्षी के रूप में इसके फरीकने ने इसके बाद प्रत्येक दशा में निर्दिष्ट स्थानों और तारों पर अपने अपने हस्ताक्षर कर दिये हैं।

नगरीय निकाय की ओर से

आज सन् 20 माह के 11/9/2020 वें दिन
श्री अनिल कुमार पूनिया
निम्न की उपस्थिति में जोधपुर में हस्ताक्षर किये
उपायुक्त (पुर्ण)

11.9.2020
उपायुक्त (पुर्ण)
नगर निकाय - पंचायत
जोधपुर विकास प्राधिकरण
(सक्षम अधिकारी के हस्ताक्षर एवं मोहर)

साक्षी :-

1. नाम श्री बाबूलाल
वरिष्ठ सहायक
पिता/पति का नाम
व्यवसाय
निवास स्थान
2. नाम
पिता/पति का नाम
व्यवसाय
निवास स्थान



साक्षी के हस्ताक्षर

साक्षी के हस्ताक्षर

आज दिनांक सन् 20 के माह के
वें दिन को निम्नलिखित की उपस्थिति में उक्त श्री
लीजधारक द्वारा कार्यालय, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर में हस्ताक्षर किये
गये।

For DHARTI INFRA

Kamlesh Purohit
PARTNER
लीजधारक - द्वितीय पक्ष

साक्षी :-

1. नाम गुमिका उपाध्याय
पिता/पति का नाम करण उपाध्याय
व्यवसाय नौकरी
निवास स्थान नागोरी गेट के अन्दर, अद्वार शिला
2. नाम सतिश माथुर
पिता/पति का नाम नरेश चन्द्र माथुर
व्यवसाय नौकरी
निवास स्थान महाविश्वम्, जोधपुर

साक्षी के हस्ताक्षर

साक्षी के हस्ताक्षर

साक्षी के हस्ताक्षर

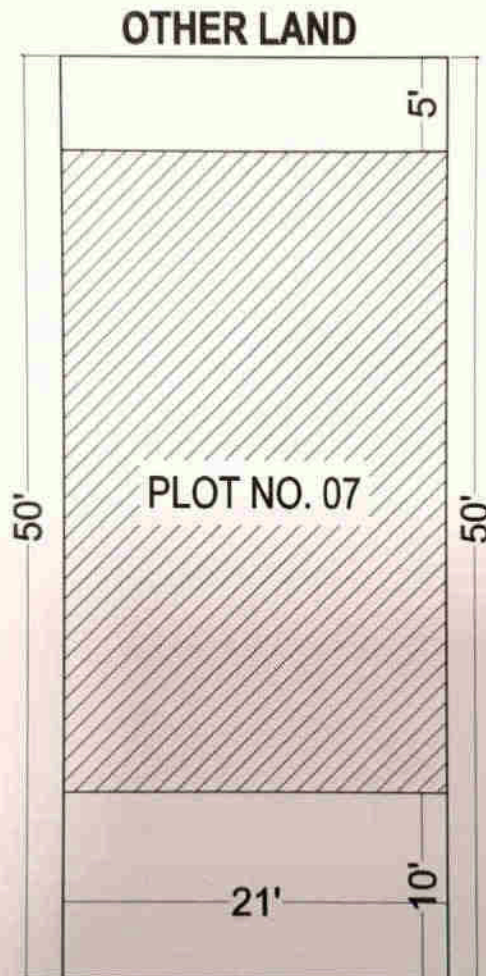
SITE PLAN OF PLOT NO. 07 IN RESIDENTIAL SCHEME (DHARTI ANGAN
PHASE - 02) ON KHASRA NO. $\frac{15}{8}$ OF VILLAGE JHALAMAND AT JODHPUR

PLOT SIZE - 21'0"X50'0"
PLOT AREA - 1050.00 SQ.FT. OR 116.67 SQ.YARD

SCALE - 1:10



PLOT NO. 06



OTHER LAND

PLOT NO. 07

PLOT NO. 08

30' WIDE ROAD

सहायक नगर नियाजक
जोधपुर विकास प्राधिकरण
जोधपुर

11.9.2020
सपायुक्त (पूर्व)
जोधपुर विकास प्राधिकरण
जोधपुर



जोधपुर विकास प्राधिकरण



जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर

राजस्थान नगरीय क्षेत्र (कृषि भूमि का गैर-कृषिक प्रयोजन के लिए उपयोग की अनुज्ञा और आवंटन) नियम, 2012 के नियम 22 के अन्तर्गत भूमि का



14963
11/9/2020 पट्टा विलेख

यह विलेख आज वर्ष के माह के के दिन जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर (जिनमें इसके बाद नगर निकाय कहकर संबोधित किया गया है) प्रथम पक्ष एवं श्री (जिनमें इसके बाद नगर निकाय कहकर संबोधित किया गया है) प्रथम पक्ष एवं श्री श्री. कमलेश प्रताप पुत्र. श्री. बन्दीताल. जी. पुरोहित जन्म-दिनांक-11, हरिओम नगर, विस्तार, जोधपुर जाति

व्यवसाय निवासी (जिनको इसके बाद लीजधारक संबोधित किया गया है) द्वितीय पक्ष तथा इस इबारत में जहां कहीं प्रसंग से वैसा अर्थ निकले, उनके उत्तराधिकारी, निर्वाहक, प्रबंधक, प्रतिनिधि और मुत्तकिल अलैह भी सम्मिलित होंगे) के मध्य निष्पादित हुआ है।

यह विलेख शास्त्राधिकृत करता है कि प्रीमियम तथा विकास शुल्क की रकम जो लीजधारक (पट्टाधारक) के द्वारा अदा कर दी गई है और जिसकी रसीद नगर निकाय के द्वारा स्वीकार कर ली गई है, और इसमें उल्लेखित शर्तों और करारों जो लीजधारक द्वारा निष्पादित तथा पालन किये जायेंगे, के एवज में नगर निकाय इनके द्वारा लीजधारक को जमीन का वह तमाम भूखण्ड (जिसके इसके बाद उक्त भूखण्ड कहकर संबोधित किया गया है) प्रदान और लीज करती है जो योजना राजस्थान ग्राम के खसरा संख्या क्षेत्रफल में स्थित है और जो अपनी सीमा और क्षेत्रफल के साथ इसके अन्तर्गत लिखे गये परिशिष्ट में अधिक पूर्णरूपेण वर्णित है तथा जिसका आकार विशेष रूप से इससे संलग्न नक्शों में लाल रंग में दिखाया गया है, और जिसे पूर्ण स्वामित्व संबंधी स्वतंत्रता सहित किन्तु निम्नलिखित तमाम व प्रत्येक अपवादों, संरक्षणों, प्रतिबंधों, बंधनों, शर्तों और करारों के अधीन खरीददार अपने उपयोग, उपयोग और इस्तेमाल के लिए अपने अधिकार में रखेगा, अर्थात् :-

- लीजधारक नगर निकाय के कार्यालय में या ऐसे स्थान पर जिसे नगर निकाय समय-समय पर इस हेतु नियत कर दें, प्रत्येक वर्ष अप्रैल के प्रथम दिन उक्त भूखण्ड के संबंध में उक्त नियमों के नियम 20 के उप-नियम (1) के अन्तर्गत निर्धारित किये गये नगरीय निर्धारण (शहरी जमाबन्दी या भूमि का किराया) के तौर पर रुपये अंके मात्र पेशगी अदा करेगा, परन्तु लीजधारक, यदि चाहे तो एक नगरीय निर्धारण (शहरी जमाबन्दी या भूमि का किराया) को राशि जमा करा सकेगा, जो उस वर्ष, जिसमें राशि जमा करायी जाती है, को सम्मिलित करते हुए, पूर्ण वार्षिक नगरीय निर्धारण की राशि के आठ गुणा के बराबर होगी और इस प्रकार जमा कराई गयी नगरीय निर्धारण की राशि के फलस्वरूप लीजधारक उक्त भूखण्ड पर नगरीय निर्धारण की राशि के संदाय के दायित्व से छूट प्राप्त करने का अधिकारी होगा।
- एक बार नियत किया गया नगरीय निर्धारण या भूमि का किराया प्रत्येक 15 वर्ष के पश्चात् और विक्रय या दान या अन्यथा द्वारा ऐसे अन्तरण पर भी पुनर्विचार का दायी होगा और ऐसी वृद्धि प्रत्येक अवसर पर ऐसे पुनर्विचार या, यथास्थिति, अन्तरण के समय नगरीय निर्धारण या भूमि के किराये का 25 प्रतिशत होगी।
- पट्टे की अवधि :- पट्टाप्राप्ति अधिकार 99 वर्ष के लिए होंगे।
- उक्त भूखण्ड का उपयोग केवल प्रयोजन, जिसके लिए नगर निकाय द्वारा उक्त नियमों के अन्तर्गत अनुमति दी गयी है, के लिए किया जायेगा और इसी प्रयोजन के उपयोग हेतु इस भूखण्ड पर भवन का निर्माण किया जायेगा।
- इस पट्टा विलेख की तारीख से 7 वर्ष, या ऐसी अतिरिक्त अवधि के भीतर जो नियम-26 के अन्तर्गत बढ़ा दी जावे, लीजधारक के द्वारा इस भूखण्ड पर भवन का निर्माण कराया जायेगा।
- लीजधारक उक्त भूखण्ड को आगे और अन्तरित या उप-पट्टे पर दे सकेगा। उक्त नियमों में अन्तर्विष्ट निबंधन और शर्तों और अन्य उपबंध, यथावश्यक परिवर्तन सहित, अन्तरिती या उप-पट्टेदार पर इस प्रकार लागू होंगे मानो प्ररनगत उक्त भूखण्ड नगर निकाय द्वारा दिया गया है या अन्तरित किया गया है। लीजधारक द्वारा उप-पट्टे की कालावधि स्वयं द्वारा अवधारित की जायेगी किन्तु किसी भी दशा में मूल पट्टे की कालावधि से अधिक नहीं होगी। उप-पट्टे उक्त नियमों में विहित समस्त अन्य निबंधनों और शर्तों या किन्हीं पृथक् आदेशों द्वारा, जो राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर इस निमित्त विनिर्दिष्ट मामलों में जारी किये जायें, शासित होंगे।
- उक्त भूखण्ड के अन्तरण के मामले में, अन्तरिती के पक्ष में नाम में अन्तरण के लिए नगर निकाय को आवेदन के साथ रजिस्ट्रीकृत विक्रय विलेख, दान विलेख, या बसीयत या अन्य सुरंगत दस्तावेज प्रस्तुत किये जायेंगे। प्रत्येक अन्तरण के लिए आवेदन के साथ दस रुपये प्रति वर्गमीटर की दर से अन्तरण फीस निक्षिप्त की जायेगी; परन्तु लीजधारक की मृत्यु के मामले में इस नियम के अधीन कोई फीस प्रभारित नहीं की जायेगी।
- उक्त नियमों के अधीन किसी व्यक्ति के प्रति परादेय प्रीमियम या नगरीय निर्धारण या व्याज, आन्तरिक/बाह्य विकास प्रभारों का कोई बकाया राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 के अधीन भू-राजस्व की बकाया के रूप में लीजधारक से वसूलीय होगा।
- यदि आवंटन या पट्टा विलेख के निष्पादन के पश्चात् यह पाया जाता है कि आवंटन या पट्टा विलेख विधि की दुरुभिसंधि या उसके उल्लंघन में कष्टपूर्ण दस्तावेज के आधार पर दुरुपदेशन द्वारा अभिप्राप्त किया गया है या आवंटन या पट्टा विलेख के

(कृ.प.उ.)

निबंधनों और शर्तों का अतिक्रमण किया गया है तो नगर निकाय उक्त भूखण्ड पर उसके किसी सन्निर्माण सहित उसे प्रतिसंहत करेगा जो सभी प्रभारों से रहित नगर निकाय में निहित समझे जायेंगे, और नगर निकाय किसी भी व्यक्ति को कारित किसी भी प्रकार की नुकसानी के लिए दायी नहीं होगा।

10. इस पट्टा विलेख के आधार पर उक्त भूखण्ड को सरकार/जीवन बीमा निगम/शिड्यूल्ड बैंक/सरकार ऋणदात्री संस्था/एच.डी.एफ. सी. अथवा नेशनल बैंक द्वारा अधिकृत ऋणदात्री संस्थाओं के पास ऋण के लिए बंधक रखा जा सकेगा।

*जो लागू नहीं हो उसे काट दें।

प्रकरण संख्या :-

परिशिष्ट

कस्बे का नाम :
राजस्व ग्राम : SHILIMPS
खसरा नम्बर : 15/8
योजना का नाम
विस्तृत नाप सहित क्षेत्रफल वर्गगज/वर्गमीटर
116.67 sq. ft.

सीमा पूर्व 30' Road सीमा पश्चिम OTHER LAND
सीमा उत्तर P.No. 9 सीमा दक्षिण P.No. 7 मानचित्र संलग्न है।
भूखण्ड की संख्या यदि कोई हो P.No. 8

इसके साक्षी के रूप में इसके फरीकेन ने इसके बाद प्रत्येक दशा में निर्देशित स्थानों और तारीखों पर अपने अपने हस्ताक्षर कर दिये हैं।

नगरीय निकाय की ओर से

आज सन् 20 माह के 11/9/2020 वें दिन
श्री अनिल कुमार पूनियाँ
निम्न की उपस्थिति में जोधपुर में हस्ताक्षर किये। उपायुक्त (पूर्व)

11.9.2020
नगर उपायुक्त (पूर्व)
(सक्षम अधिकारी के हस्ताक्षर एवं मोहर)
जोधपुर

साक्षी :-

- नाम श्री बाबूलाल
पिता/पति का नाम वरिष्ठ सहायक
व्यवसाय
निवास स्थान
- नाम
पिता/पति का नाम
व्यवसाय
निवास स्थान



[Signature]
साक्षी के हस्ताक्षर

साक्षी के हस्ताक्षर

आज दिनांक सन् 20 के माह के
वें दिन को निम्नलिखित की उपस्थिति में उक्त श्री
लौजधारक द्वारा कार्यालय, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर में हस्ताक्षर किये
गये।

For DHARTI INFRA
Kamlesh Purohit
लौजधारक - द्वितीय पक्ष
PARTNER

साक्षी :-

- नाम श्रीमती उषा देवी
पिता/पति का नाम कमल उषा देवी
व्यवसाय नौकरी
निवास स्थान नागोरी गेट के अन्दर, अक्षय शिला
- नाम निलीन माथुर
पिता/पति का नाम नरेश चन्द्र माथुर
व्यवसाय नौकरी
निवास स्थान महाविश्व, जोधपुर

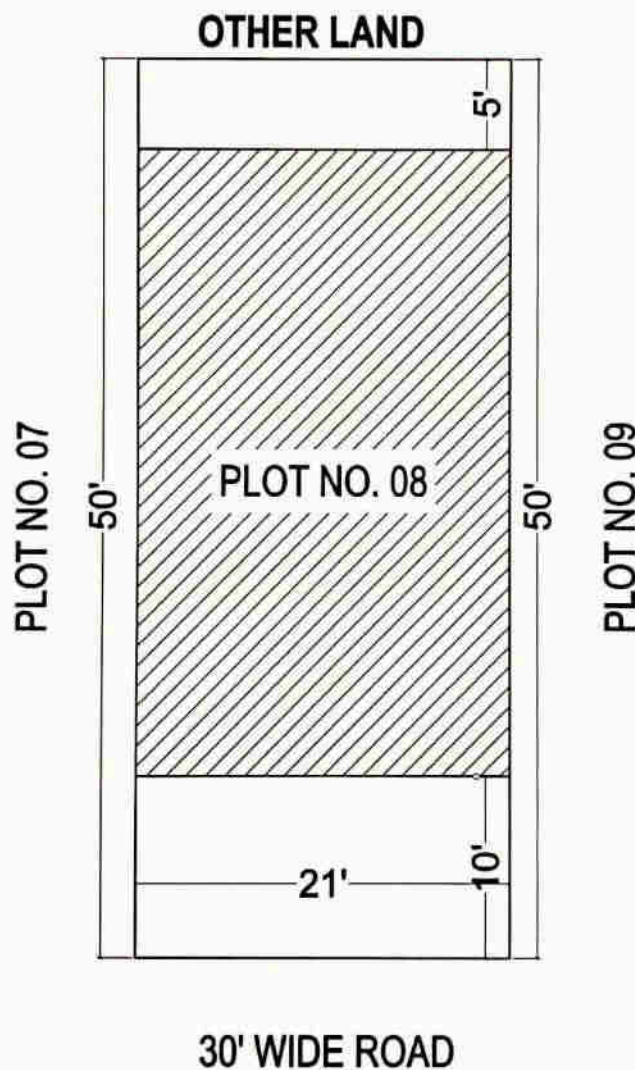
[Signature]
साक्षी के हस्ताक्षर

साक्षी के हस्ताक्षर

**SITE PLAN OF PLOT NO. 08 IN RESIDENTIAL SCHEME (DHARTI ANGAN
PHASE - 02) ON KHASRA NO. $\frac{15}{8}$ OF VILLAGE JHALAMAND AT JODHPUR**

PLOT SIZE - 21'0"X50'0"
PLOT AREA - 1050.00 SQ.FT. OR 116.67 SQ.YARD

SCALE - 1:10



सहायक नगर निवाजक
जोधपुर विकास प्राधिकरण
जोधपुर

11.9.2020
उपायुक्त (पूर्व)
जोधपुर विकास प्राधिकरण
जोधपुर



जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर

राजस्थान नगरीय क्षेत्र (कृषि भूमि का गैर-कृषिक प्रयोजन के लिए उपयोग की अनुज्ञा और आवंटन) नियम, 2012 के नियम 22 के अन्तर्गत भूमि का

14964
11/9/2020 पट्टा विलेख



यह विलेख आज वर्ष के माह के वे दिन जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर (जिन्हें इसके बाद नगर निकाय कहकर संबोधित किया गया है) प्रथम पक्ष एवं श्री

श्री. अमर जयसिंह

श्री. कमलेश पुराणिक पुत्र श्री. बन्सीलाल जी. पुराणिक

जाती-ब्राह्मण, निवासी-14, हरिमोहन नगर विस्तार, जोधपुर जाति

व्यवसाय निवासी (जिनको इसके बाद लीजधारक संबोधित किया गया है) द्वितीय पक्ष तथा इस इबारत में जहां कहीं प्रसंग से वैसा अर्थ निकले, उनके उत्तराधिकारी, निर्याहक, प्रबंधक, प्रतिनिधि और मुत्ताफल अलैह भी सम्मिलित होंगे) के मध्य निष्पादित हुआ है।

यह विलेख साक्ष्यांकित करता है कि प्रीमियम तथा विकास शुल्क की रकम जो लीजधारक (पट्टाधारक) के द्वारा अदा कर दी गई है और जिसकी रसीद नगर निकाय के द्वारा स्वीकार कर ली गई है, और इसमें उल्लेखित शर्तों और करारों जो लीजधारक द्वारा निष्पादित तथा पालन किये जायेंगे, के एवज में नगर निकाय इनके द्वारा लीजधारक को जमीन का यह तमाम भूखण्ड (जिसे इसके बाद उक्त भूखण्ड कहकर संबोधित किया गया है) प्रदान और लीज करती है जो योजना राजस्थान ग्राम 511/11/03 के खसरा संख्या 15/8 क्षेत्रफल 116.63 वर्ग मी. में स्थित है और जो अपनी सीमा और क्षेत्रफल के साथ इसके अन्तर्गत लिखे गये परिशिष्ट में अधिक पूर्णरूपेण वर्णित है तथा जिसका आकार विशेष रूप से इससे संलग्न नक्शे में लाल रंग में दिखाया गया है, और जिसे पूर्ण स्वामित्व संबंधी रयत्तों सहित किन्तु निम्नलिखित तमाम व प्रत्येक अपवादों, संरक्षणों, प्रतिबंधों, बंधनों, शर्तों और करारों के अधीन खरीददार अपने उपयोग, उपयोग और इस्तेमाल के लिए अपने अधिकार में रखेगा, अर्थात् :-

- लीजधारक नगर निकाय के कार्यालय में या ऐसे स्थान पर जिसे नगर निकाय समय-समय पर इस हेतु नियत कर दे, प्रत्येक वर्ष अप्रैल के प्रथम दिन उक्त भूखण्ड के संबंध में उक्त नियमों के नियम 20 के उप-नियम (1) के अन्तर्गत निर्धारित किये गये नगरीय निर्धारण (शहरी जमाबन्दी या भूमि का किराया) के तौर पर रुपये 10,726/- अंके 65 हजार ना सो रुपये मात्र पेशगी अदा करेगा, परन्तु लीजधारक, यदि चाहे तो एक वार्षिक नगरीय निर्धारण (शहरी जमाबन्दी या भूमि का किराया) की राशि जमा करा सकेगा, जो उस वर्ष, जिसमें राशि जमा करायी जाती है, को सम्मिलित करते हुए, पूर्ण वार्षिक नगरीय निर्धारण की राशि के आठ गुणा के बराबर होगी और इस प्रकार जमा कराई गयी नगरीय निर्धारण की राशि के फलस्वरूप लीजधारक उक्त भूखण्ड पर नगरीय निर्धारण की राशि के संदाय के दायित्व से छूट प्राप्त करने का अधिकारी होगा।
- एक बार निष्पादित किया गया नगरीय निर्धारण या भूमि का किराया प्रत्येक 15 वर्ष के पश्चात् और विक्रय या दान या अन्यथा द्वारा ऐसे अन्तरण पर भी पुनरीक्षण का दायी होगा और ऐसी वृद्धि प्रत्येक अवसर पर ऐसे पुनरीक्षण या, यथारिथति, अन्तरण के समय नगरीय निर्धारण या भूमि का किराया का 25 प्रतिशत होगी।
- पट्टे की अवधि - पट्टाप्राप्ति अधिकार 99 वर्ष के लिए होंगे।
- उक्त भूखण्ड का उपयोग केवल प्रयोजन, जिसके लिए नगर निकाय द्वारा उक्त नियमों के अन्तर्गत अनुमति दी गयी है, के लिए किया जायेगा और इसी प्रयोजन के उपयोग हेतु इस भूखण्ड पर भवन का निर्माण किया जायेगा।
- इस पट्टा विलेख की तारीख से 7 वर्ष, या ऐसी अतिरिक्त अवधि के भीतर जो नियम-26 के अन्तर्गत बढ़ा दी जावे, लीजधारक के द्वारा इस भूखण्ड पर भवन का निर्माण कराया जायेगा।
- लीजधारक उक्त भूखण्ड को आगे और अन्तरित या उप-पट्टे पर दे सकेगा। उक्त नियमों में अन्तर्विष्ट निबंधन और शर्तों और अन्य उपबंध, यथावश्यक परिवर्तन सहित, अन्तरिती या उप-पट्टेदार पर इस प्रकार लागू होंगे मानो प्ररनगत उक्त भूखण्ड नगर निकाय द्वारा दिया गया है या अन्तरित किया गया है। लीजधारक द्वारा उप-पट्टे की कालावधि स्वयं द्वारा अधधारित की जायेगी किन्तु किसी भी दशा में मूल पट्टे की कालावधि से अधिक नहीं होगी। उप-पट्टे उक्त नियमों में विहित समस्त अन्य निबंधनों और शर्तों या किन्हीं पृथक् आदेशों द्वारा, जो राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर इस निमित्त विनिर्दिष्ट मामलों में जारी किये जायें, शासित होंगे।
- उक्त भूखण्ड के अन्तरण के मामले में, अन्तरिती के पक्ष में नाम में अन्तरण के लिए नगर निकाय को आवेदन के साथ रजिस्ट्रीकृत विक्रय विलेख, दान विलेख, या वसीयत या अन्य सुसंगत दस्तावेज प्रस्तुत किये जायेंगे। प्रत्येक अन्तरण के लिए आवेदन के साथ दस रुपये प्रति वर्गमीटर की दर से अन्तरण फीस निक्षिप्त की जायेगी; परन्तु लीजधारक की मृत्यु के मामलों में इस नियम के अधीन कोई फीस प्रभारित नहीं की जायेगी।
- उक्त नियमों के अधीन किसी व्यक्ति के प्रति परादेय प्रीमियम या नगरीय निर्धारण या व्याज, आन्तरिक/बाह्य विकास प्रभारों का कोई बकाया राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 के अधीन भू-राजस्व की बकाया के रूप में लीजधारक से वसूलीय होगा।
- यदि आवंटन या पट्टा विलेख के निष्पादन के पश्चात् यह पाया जाता है कि आवंटन या पट्टा विलेख विधि की दुरुभिसंधि या उसके उल्लंघन में कपटपूर्ण दस्तावेज के आधार पर दुरुपदेशन द्वारा अभिप्राप्त किया गया है या आवंटन या पट्टा विलेख के (क.प.उ.)

निबंधनों और शर्तों का अतिक्रमण किया गया है तो नगर निकाय उक्त भूखण्ड पर उसके किसी सन्निर्माण सहित उसे प्रतिसंहत करेगा जो सभी प्रभारों से रहित नगर निकाय में निहित समझे जायेंगे, और नगर निकाय किसी भी व्यक्ति को कारित किसी भी प्रकार की नुकसानी के लिए दायी नहीं होगा।

10. इस पट्टा विलेख के आधार पर उक्त भूखण्ड को सरकार/जीवन बीमा निगम/शिड्यूल्ड बैंक/सरकार ऋणदात्री संस्था/एच.डी.एफ. सी. अथवा नेशनल बैंक द्वारा अधिकृत ऋणदात्री संस्थाओं के पास ऋण के लिए बंधक रखा जा सकेगा।

*जो लागू नहीं हो उसे काट दें।

प्रकरण संख्या :-

परिशिष्ट

कम्बे का नाम :
राजस्व ग्राम : 51/11/105
खसरा नम्बर : 15/8
योजना का नाम
विस्तृत नाप सहित क्षेत्रफल वर्गगज/वर्गमीटर
116.62 (11).

सीमा पूर्व 30' Road सीमा पश्चिम OTHER LAND
सीमा उत्तर P.No. 10 सीमा दक्षिण P.No. 8 मानचित्र संलग्न है।
भूखण्ड की संख्या यदि कोई हो P.No. 9

इसके साक्षी के रूप में इसके फरीकें ने इसके बाद प्रत्येक दशा में निर्देशित स्थानों और तारीखों पर अपने अपने हस्ताक्षर कर दिये हैं।

नगरीय निकाय की ओर से

आज सन् 20 माह के 11/9/2020 वें दिन
श्री अनिल कुमार पूनियाँ
निम्न की उपस्थिति में जोधपुर में हस्ताक्षर किये। उपायुक्त (प्र.)

नगर निकाय प्रमुख
जोधपुर
(सक्षम अधिकारी के हस्ताक्षर एवं मोहर)

साक्षी :-

1. नाम श्री बाबूलाल
पिता/पति का नाम
व्यवसाय
निवास स्थान

साक्षी के हस्ताक्षर

2. नाम
पिता/पति का नाम
व्यवसाय
निवास स्थान

साक्षी के हस्ताक्षर

आज दिनांक सन् 20 के माह के
वें दिन को निम्नलिखित की उपस्थिति में उक्त श्री
लोजधारक द्वारा कार्यालय, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर में हस्ताक्षर किये
गये।

For DHARTI INFRA

Kamlesh Purohit
PARTNER
लोजधारक - द्वितीय पक्ष

साक्षी :-

1. नाम कमलिका उपाध्याय
पिता/पति का नाम करण उपाध्याय
व्यवसाय नौकरी
निवास स्थान नाजोरी जीट के अन्दर, अद्वार शिला

साक्षी के हस्ताक्षर

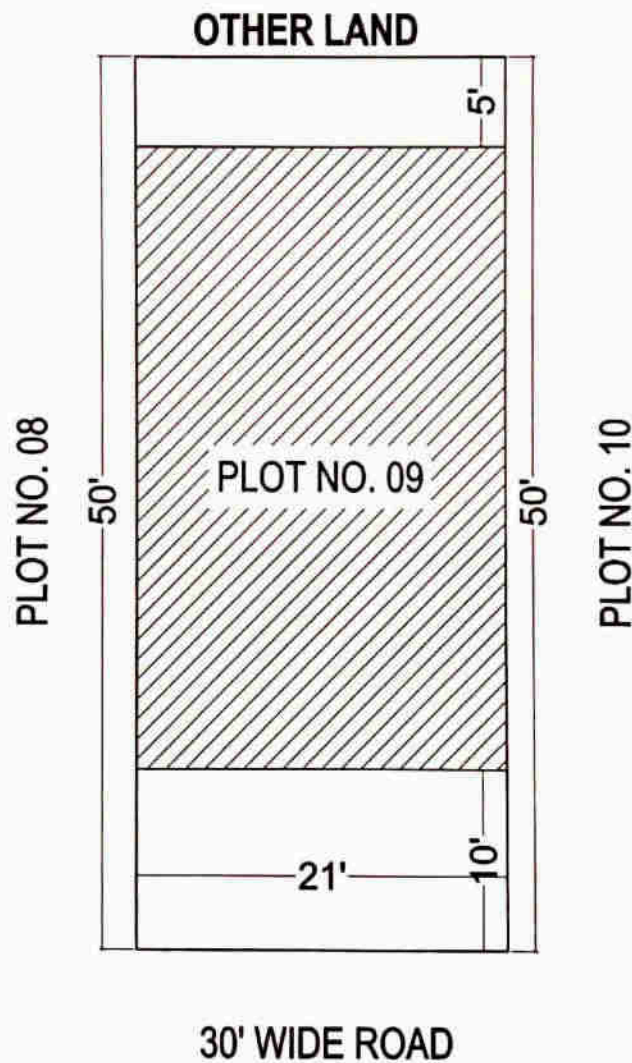
2. नाम नीतीन माथुर
पिता/पति का नाम नरेश चन्द्र माथुर
व्यवसाय नौकरी
निवास स्थान महाविष्णु, जोधपुर

साक्षी के हस्ताक्षर

**SITE PLAN OF PLOT NO. 09 IN RESIDENTIAL SCHEME (DHARTI ANGAN
PHASE - 02) ON KHASRA NO. $\frac{15}{8}$ OF VILLAGE JHALAMAND AT JODHPUR**

PLOT SIZE - 21'0"X50'0"
PLOT AREA - 1050.00 SQ.FT. OR 116.67 SQ.YARD

SCALE - 1:10



सहायक नगर नियाजक
जोधपुर विकास प्राधिकरण
जोधपुर

11.9.2020
उपायुक्त (पूर्वी)
जोधपुर विकास प्राधिकरण
जोधपुर



जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर

राजस्थान नगरीय क्षेत्र (कृषि भूमि का गैर-कृषिक प्रयोजन के लिए उपयोग की अनुज्ञा और आवंटन) नियम, 2012 के नियम 22 के अन्तर्गत भूमि का

14965
11/9/2020

पट्टा विलेख



यह विलेख आज वर्ष के माह के ये दिन जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर (जिन्हें इसके बाद नगर निकाय कहकर संबोधित किया गया है) प्रथम पक्ष एवं श्री धरती इन्फ्रा. जॉरिय. पार्टनर.

श्री. कमलेश मुरादित. गुज. धी. नत्तीकाज. जी. पुरोहित.

जाती-ब्राह्मण; निवासी-14, हरिसोम नगर विस्तार, जोधपुर जाति

व्यवसाय निवासी (जिनको इसके बाद लीजधारक संबोधित किया गया है) द्वितीय पक्ष तथा इस इबारत में जहां कहीं प्रसंग से वैसा अर्थ निकले, उनके उत्तराधिकारी, निर्वाहक, प्रबंधक, प्रतिनिधि और मुत्तकित अलैह भी सम्मिलित होंगे) के मध्य निष्पादित हुआ है।

यह विलेख साक्ष्यांकित करता है कि प्रीमियम तथा विकास शुल्क की रकम जो लीजधारक (पट्टाधारक) के द्वारा अदा कर दी गई है और जिसकी रसीद नगर निकाय के द्वारा रवीकार कर ली गई है, और इसमें उल्लेखित शर्तों और करारों जो लीजधारक द्वारा निष्पादित तथा पालन किये जायेंगे, के एवज में नगर निकाय इनके द्वारा लीजधारक को जमीन का वह तमाम भूखण्ड (जिसे इसके बाद उक्त भूखण्ड कहकर संबोधित किया गया है) प्रदान और लीज करती है जो योजना राजस्व ग्राम 311/1/405

के खसरा संख्या 15/18 क्षेत्रफल 116.67/210 में स्थित है और जो अपनी सीमा और क्षेत्रफल के साथ इसके अन्तर्गत लिखे गये परिशिष्ट में अधिक पूर्णरूपेण वर्णित है तथा जिसका आकार विशेष रूप से इससे संलग्न नक्शों में लाल रंग में दिखाया गया है, और जिसे पूर्ण स्वामित्व संबंधी स्वत्वों सहित किन्तु निम्नलिखित तमाम व प्रत्येक अपवादों, संरक्षणों, प्रतिबंधों, बंधनों, शर्तों और करारों के अधीन खरीददार अपने उपयोग, उपभोग और इस्तेमाल के लिए अपने अधिकार में रखेगा, अर्थात् :-

- लीजधारक नगर निकाय के कार्यालय में या ऐसे स्थान पर जिसे नगर निकाय समय-समय पर इस हेतु नियत कर दें, प्रत्येक वर्ष अप्रैल के प्रथम दिन उक्त भूखण्ड के संबंध में उक्त नियमों के नियम 20 के उप-नियम (1) के अन्तर्गत निर्धारित किये गये नगरीय निर्धारण (शहरी जमाबन्दी या भूमि का किराया) के तौर पर रुपये 10326/- अंके दस हजार दो सौ दस के मात्र पेशगी अदा करेगा, परन्तु लीजधारक, यदि चाहे तो एक वार्षिक नगरीय निर्धारण (शहरी जमाबन्दी या भूमि का किराया) की राशि जमा करा सकेगा, जो उस वर्ष, जिसमें राशि जमा करायी जाती है, को सम्मिलित करते हुए, पूर्ण वार्षिक नगरीय निर्धारण की राशि के आठ गुणा के बराबर होगी और इस प्रकार जमा कराई गयी नगरीय निर्धारण की राशि के फलस्वरूप लीजधारक उक्त भूखण्ड पर नगरीय निर्धारण की राशि के संदाय के दायित्व से छूट प्राप्त करने का अधिकारी होगा।
- एक बार नियत किया गया नगरीय निर्धारण या भूमि का किराया प्रत्येक 15 वर्ष के परचात और विक्रय या दान या अन्यथा द्वारा ऐसे अन्तरण पर भी पुनरीक्षण का दायी होगा और ऐसी वृद्धि प्रत्येक अवसर पर ऐसे पुनरीक्षण या, यथार्थिति, अन्तरण के समय नगरीय निर्धारण या भूमि का किराये का 25 प्रतिशत होगी।
- पट्टे की अधिधि :- पट्टाधृति अधिकार 99 वर्ष के लिए होंगे।
- उक्त भूखण्ड का उपयोग केवल 31.12.14 प्रयोजन, जिसके लिए नगर निकाय द्वारा उक्त नियमों के अन्तर्गत अनुमति दी गयी है, के लिए किया जायेगा और इसी प्रयोजन के उपयोग हेतु इस भूखण्ड पर भवन का निर्माण किया जायेगा।
- इस पट्टा विलेख की तारीख से 7 वर्ष, या ऐसी अतिरिक्त अधिधि के भीतर जो नियम-26 के अन्तर्गत बढ़ा दी जायें, लीजधारक के द्वारा इस भूखण्ड पर भवन का निर्माण कराया जायेगा।
- लीजधारक उक्त भूखण्ड को आगे और अन्तरित या उप-पट्टे पर दे सकेगा। उक्त नियमों में अन्तर्विष्ट निबंधन और शर्तों और अन्य उपबंध, यथावश्यक परिवर्तन सहित, अन्तरिती या उप-पट्टेदार पर इस प्रकार लागू होंगे मानो प्ररनगत उक्त भूखण्ड नगर निकाय द्वारा दिया गया है या अन्तरित किया गया है। लीजधारक द्वारा उप-पट्टे की कालावधि स्वयं द्वारा अवधारित की जायेगी किन्तु किसी भी दशा में मूल पट्टे की कालावधि से अधिक नहीं होगी। उप-पट्टे उक्त नियमों में विहित समस्त अन्य निबंधनों और शर्तों या किन्हीं पृथक् आदेशों द्वारा, जो राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर इस निमित्त विनिर्दिष्ट मामलों में जारी किये जायें, शासित होंगे।
- उक्त भूखण्ड के अन्तरण के मामले में, अन्तरिती के पक्ष में नाम में अन्तरण के लिए नगर निकाय को आवेदन के साथ रजिस्ट्रीकृत विक्रय विलेख, दान विलेख, या वरीयत या अन्य सुरंगत दरतावेज प्रस्तुत किये जायेंगे। प्रत्येक अन्तरण के लिए आवेदन के साथ दस रुपये प्रति वर्गमीटर की दर से अन्तरण फीस निक्षिप्त की जायेगी; परन्तु लीजधारक की मृत्यु के मामलों में इस नियम के अधीन कोई फीस प्रमारित नहीं की जायेगी।
- उक्त नियमों के अधीन किसी व्यक्ति के प्रति परादेय प्रीमियम या नगरीय निर्धारण या ब्याज, आन्तरिक/बाह्य विकास प्रभारों का कोई बकाया राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 के अधीन भू-राजस्व की बकाया के रूप में लीजधारक से वसूलीय होगा।
- यदि आवंटन या पट्टा विलेख के निष्पादन के परचात यह पाया जाता है कि आवंटन या पट्टा विलेख विधि की दुरुभिसंधि या उसके उल्लंघन में कपटपूर्ण दरतावेज के आधार पर दुरुपदेशन द्वारा अभिप्राप्त किया गया है या आवंटन या पट्टा विलेख के (क.प.उ.)

निबंधनों और शर्तों का अतिक्रमण किया गया है तो नगर निकाय उक्त भूखण्ड पर उसके किसी सन्निर्माण सहित उसे प्रतिसंहत करेगा जो सभी प्रभारों से रहित नगर निकाय में निहित समझे जायेंगे, और नगर निकाय किसी भी व्यक्ति को कारित किसी भी प्रकार की नुकसानी के लिए दायी नहीं होगा।

10. इस पट्टा विलेख के आधार पर उक्त भूखण्ड को सरकार/जीवन बीमा निगम/शिड्यूल्ड बैंक/सरकार ऋणदात्री संस्था/एच.डी.एफ. सी. अथवा नेशनल बैंक द्वारा अधिकृत ऋणदात्री संस्थाओं के पास ऋण के लिए बंधक रखा जा सकेगा।

*जो लागू नहीं हो उसे काट दें।

प्रकरण संख्या :-

परिशिष्ट

कस्बे का नाम :
राजस्व ग्राम : ...S11.111.1105...
खसरा नम्बर : ...1518...
योजना का नाम
विस्तृत नाप सहित क्षेत्रफल वर्गगज/वर्गमीटर
116.67 वर्गमीटर

सीमा पूर्व ...30' Road... सीमा पश्चिम ...OTHERLAND...
सीमा उत्तर ...P.No. 11... सीमा दक्षिण ...P.No. 9... मानचित्र संलग्न है।
भूखण्ड की संख्या यदि कोई हो ...P.No. 40...

इसके साक्षी के रूप में इसके फरीकेन ने इसके बाद प्रत्येक दशा में निर्देशित स्थानों और तारीखों पर अपने अपने हस्ताक्षर कर दिये हैं।

नगरीय निकाय की ओर से

आज सन् 20 माह के 11/9/2020 वें दिन
श्री अनिल कुमार पूनियाँ
निम्न की उपस्थिति में जोधपुर में हस्ताक्षर किये।
उपायुक्त ()

11.9.2020
उपायुक्त (पुनः)
नगर निकाय - प्रथम पक्ष
सक्षम अधिकारी के हस्ताक्षर एवं मोहर

साक्षी :-

1. नाम श्री बाबूलाल
पिता/पति का नाम वरिष्ठ सहायक
व्यवसाय
निवास स्थान

साक्षी के हस्ताक्षर

2. नाम
पिता/पति का नाम
व्यवसाय
निवास स्थान

साक्षी के हस्ताक्षर

आज दिनांक सन् 20 के माह के
वें दिन को निम्नलिखित की उपस्थिति में उक्त श्री
लोजधारक द्वारा कार्यालय, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर में हस्ताक्षर किये
गये।

For DHARTI INFRA

Kamlesh Parohit
PARTNER
लोजधारक - द्वितीय पक्ष

साक्षी :-

1. नाम श्रीमती उषा देवी
पिता/पति का नाम करण उषा देवी
व्यवसाय नौकरी
निवास स्थान नागौरी गेट के अन्दर, अद्वार शिला

साक्षी के हस्ताक्षर

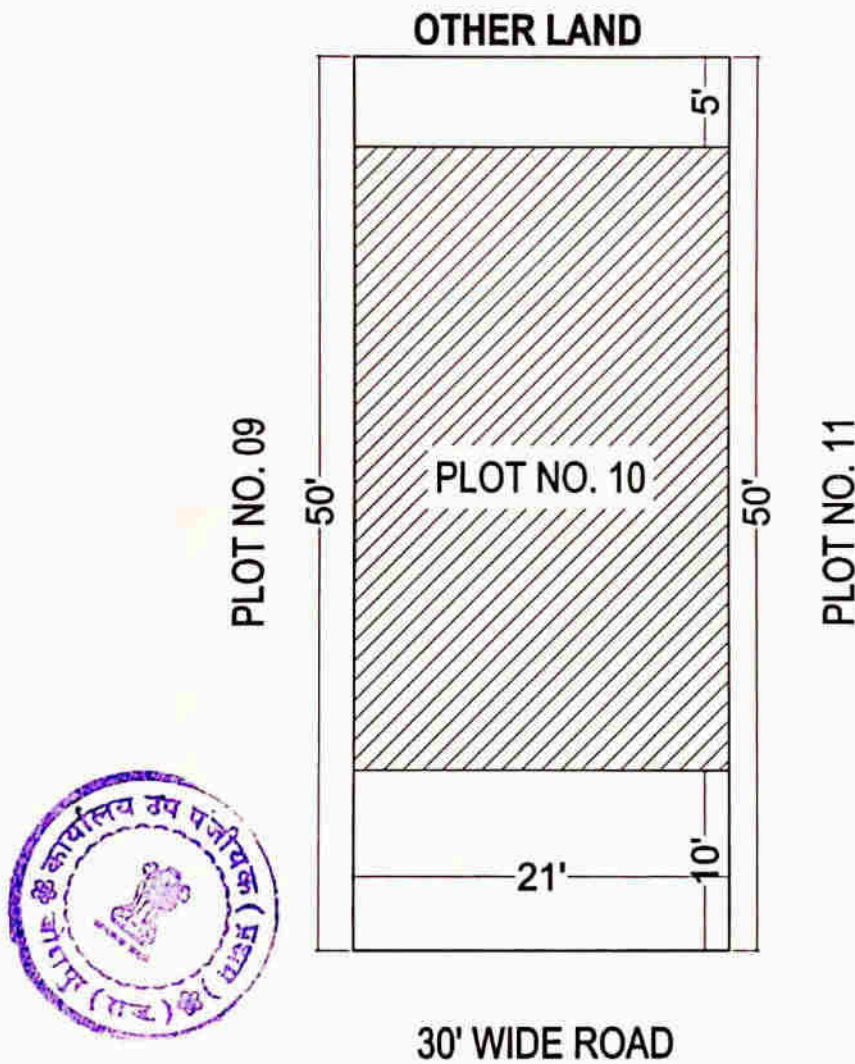
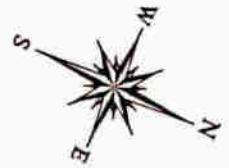
2. नाम नितीन माधुर
पिता/पति का नाम नरेन्द्र चन्द्र माधुर
व्यवसाय नौकरी
निवास स्थान महावीर पुरम जोधपुर

साक्षी के हस्ताक्षर

**SITE PLAN OF PLOT NO. 10 IN RESIDENTIAL SCHEME (DHARTI ANGAN
PHASE - 02) ON KHASRA NO. $\frac{15}{8}$ OF VILLAGE JHALAMAND AT JODHPUR**

PLOT SIZE - 21'0"X50'0"
PLOT AREA - 1050.00 SQ.FT. OR 116.67 SQ.YARD

SCALE - 1:10



सहायक नगर नियोजक
जोधपुर विकास प्राधिकरण
जोधपुर

11.9.2020
उपायुक्त (पूर्व)
जोधपुर विकास प्राधिकरण
जोधपुर



जोधपुर विकास प्राधिकरण



जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर

राजस्थान नगरीय क्षेत्र (कृषि भूमि का गैर-कृषिक प्रयोजन के लिए उपयोग की अनुज्ञा और आवंटन) नियम, 2012 के नियम 22 के अन्तर्गत भूमि का



14966
11/9/20

पट्टा विलेख

यह विलेख आज वर्ष के माह के के दिन जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर (जिन्हें इसके बाद नगर निकाय कहकर संबोधित किया गया है) प्रथम पक्ष एवं श्री प्रती इका. जयपुर. पट्टाधारक श्री. कमलेश. मुरादित. मुत्र. श्री. बन्नीलाल जी. पुरोहित जाति जाति निवासी-11, हरिश्चन्द्र नगर-विस्तार, जोधपुर जाति (जिनको इसके बाद व्यवसाय निवासी (जिनको इसके बाद

लीजधारक संबोधित किया गया है) द्वितीय पक्ष तथा इस इबारत में जहां कहीं प्रसंग से वैसा अर्थ निकले, उनके उत्तराधिकारी, निर्याहक, प्रबंधक, प्रतिनिधि और मुत्तकिल अलैह भी सम्मिलित होंगे) के मध्य निष्पादित हुआ है।

यह विलेख साक्ष्यकित करता है कि प्रीमियम तथा विकास शुल्क की रकम जो लीजधारक (पट्टाधारक) के द्वारा अदा कर दी गई है और जिसकी रसीद नगर निकाय के द्वारा स्वीकार कर ली गई है, और इसमें उल्लेखित शर्तों और करारों जो लीजधारक द्वारा निष्पादित तथा पालन किये जायेंगे, के एवज में नगर निकाय इनके द्वारा लीजधारक को जमीन का यह तमाम भूखण्ड (जिसे इसके बाद उक्त भूखण्ड कहकर संबोधित किया गया है) प्रदान और लीज करती है जो योजना राजस्थान ग्राम के खसरा संख्या 15/8 क्षेत्रफल 116.69 वर्ग मी. में स्थित है और जो अपनी सीमा और क्षेत्रफल के साथ इसके अन्तर्गत लिखे गये परिशिष्ट में अधिक पूर्णरूपेण वर्णित है तथा जिसका आकार विशेष रूप से इससे संलग्न नक्शों में लाल रंग में दिखाया गया है, और जिसे पूर्ण स्वामित्व संबंधी रयतों सहित किन्तु निम्नलिखित तमाम व प्रत्येक अपवादों, संरक्षणों, प्रतिबंधों, बंधनों, शर्तों और करारों के अधीन खरीददार अपने उपयोग, उपयोग और इस्तेमाल के लिए अपने अधिकार में रखेगा, अर्थात् :-

- लीजधारक नगर निकाय के कार्यालय में या ऐसे स्थान पर जिसे नगर निकाय समय-समय पर इस हेतु नियत कर दे, प्रत्येक वर्ष अप्रैल के प्रथम दिन उक्त भूखण्ड के संबंध में उक्त नियमों के नियम 20 के उप-नियम (1) के अन्तर्गत निर्धारित किये गये नगरीय निर्धारण (शहरी जमाबन्दी या भूमि का किराया) के तौर पर रुपये 10926/- अंके के द्वारा पेशगी अदा करेगा, परन्तु लीजधारक, यदि चाहे तो एक वार्षिक नगरीय निर्धारण (शहरी जमाबन्दी या भूमि का किराया) की राशि जमा करा सकेगा, जो उस वर्ष, जिसमें राशि जमा करायी जाती है, को सम्मिलित करते हुए, पूर्ण वार्षिक नगरीय निर्धारण की राशि के आठ गुणा के बराबर होगी और इस प्रकार जमा कराई गयी नगरीय निर्धारण की राशि के फलस्वरूप लीजधारक उक्त भूखण्ड पर नगरीय निर्धारण की राशि के संदाय के दायित्व से छूट प्राप्त करने का अधिकारी होगा।
- एक बार निश्चित किया गया नगरीय निर्धारण या भूमि का किराया प्रत्येक 15 वर्ष के परचात और विक्रय या दान या अन्यथा द्वारा ऐसे अन्तरण पर भी पुनरीक्षण का दावा होगा और ऐसी वृद्धि प्रत्येक अवसर पर ऐसे पुनरीक्षण या, यथास्थिति, अन्तरण के समय नगरीय निर्धारण या भूमि के किराये का 2% प्रीमियम होगी।
- पट्टे की अवधि :- पट्टाधृति अधिकार 99 वर्ष के लिए होंगे।
- उक्त भूखण्ड का उपयोग केवल निवासी प्रयोजन, जिसके लिए नगर निकाय द्वारा उक्त नियमों के अन्तर्गत अनुमति दी गयी है, के लिए किया जायेगा और इसी प्रयोजन के उपयोग हेतु इस भूखण्ड पर भवन का निर्माण किया जायेगा।
- इस पट्टा विलेख की तारीख से 7 वर्ष, या ऐसी अतिरिक्त अवधि के भीतर जो नियम-26 के अन्तर्गत बढ़ा दी जायें, लीजधारक के द्वारा इस भूखण्ड पर भवन का निर्माण कराया जायेगा।
- लीजधारक उक्त भूखण्ड को आगे और अन्तरित या उप-पट्टे पर दे सकेगा। उक्त नियमों में अन्तर्विष्ट निबंधन और शर्तों और अन्य उपबंध, यथावश्यक परिवर्तन सहित, अन्तरित या उप-पट्टेदार पर इस प्रकार लागू होंगे मानो प्रश्नगत उक्त भूखण्ड नगर निकाय द्वारा दिया गया है या अन्तरित किया गया है। लीजधारक द्वारा उप-पट्टे की कालावधि खयों द्वारा अवधारित की जायेगी किन्तु किसी भी दशा में मूल पट्टे की कालावधि से अधिक नहीं होगी। उप-पट्टे उक्त नियमों में विहित समस्त अन्य निबंधनों और शर्तों या किन्हीं पृथक् आदेशों द्वारा, जो राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर इस निमित्त विनिर्दिष्ट मामलों में जारी किये जायें, शासित होंगे।
- उक्त भूखण्ड के अन्तरण के मामले में, अन्तरित के पक्ष में नाम में अन्तरण के लिए नगर निकाय को आवेदन के साथ रजिस्ट्रीकृत विक्रय विलेख, दान विलेख, या वसीयत या अन्य सुसंगत दस्तावेज प्रस्तुत किये जायेंगे। प्रत्येक अन्तरण के लिए आवेदन के साथ दस रुपये प्रति वर्गमीटर की दर से अन्तरण फीस निश्चित की जायेगी; परन्तु लीजधारक की मृत्यु के मामले में इस नियम के अधीन कोई फीस प्रभारित नहीं की जायेगी।
- उक्त नियमों के अधीन किसी व्यक्ति के प्रति परादेय प्रीमियम या नगरीय निर्धारण या व्याज, आन्तरिक/बाह्य विकास प्रभारों का कोई बकाया राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 के अधीन भू-राजस्व की बकाया के रूप में लीजधारक से वसूलीय होगा।
- यदि आवंटन या पट्टा विलेख के निष्पादन के परचात यह पाया जाता है कि आवंटन या पट्टा विलेख विधि की दुरभिसंधि या उसके उल्लंघन में कपटपूर्ण दस्तावेज के आधार पर दुर्यपदेशन द्वारा अभिप्राप्त किया गया है या आवंटन या पट्टा विलेख के (क.प.उ.)

निबंधनों और शर्तों का अतिक्रमण किया गया है तो नगर निकाय उक्त भूखण्ड पर उराके किसी सन्निर्माण सहित उसे प्रतिसंहत करेगा जो सभी प्रमारों से रहित नगर निकाय में निहित समझे जायेंगे, और नगर निकाय किसी भी व्यक्ति को कारित किसी भी प्रकार की नुकसानी के लिए दायी नहीं होगा।

10. इस पट्टा विलेख के आधार पर उक्त भूखण्ड को सरकार/जीवन बीमा निगम/शिड्यूल्ड बैंक/सरकार ऋणदात्री संस्था/एच.डी.एफ. सी. अधवा नेशनल बैंक द्वारा अधिकृत ऋणदात्री संस्थाओं के पास ऋण के लिए बंधक रखा जा सकेगा।

*जो लागू नहीं हो उसे काट दें।

प्रकरण संख्या :-

परिशिष्ट

कस्बे का नाम :
राजस्व ग्राम :
खसरा नम्बर :
योजना का नाम
विस्तृत नाप सहित क्षेत्रफल वर्गगज/वर्गमीटर
776.67 वर्गमीटर

सीमा पूर्व 30' Road सीमा पश्चिम OTHERLAND
सीमा उत्तर P.No. 12 सीमा दक्षिण P.No. 10 मानचित्र संलग्न है।
भूखण्ड की संख्या यदि कोई हो P.No. 11

इसके साक्षी के रूप में इसके फरीकेन ने इसके बाद प्रत्येक दशा में निर्देशित स्थानों और तारीखों पर अपने अपने हस्ताक्षर कर दिये हैं।

नगरीय निकाय की ओर से

आज सन् 20 माह के 11/9/2020 वें दिन
श्री अनिल कुमार पूनियाँ
निम्न की उपस्थिति में जोधपुर में हस्ताक्षर किये।
उपायुक्त (पूर्व)

11.9.2020
उपायुक्त (पूर्व)
नगर विकास प्राधिकरण
(सक्षम अधिकारी/हस्ताक्षर एवं मोहर)

साक्षी :-

1. नाम श्री बाबुलाल
वरिष्ठ सहायक
पिता/पति का नाम
व्यवसाय
निवास स्थान
2. नाम
पिता/पति का नाम
व्यवसाय
निवास स्थान

साक्षी के हस्ताक्षर

साक्षी के हस्ताक्षर

आज दिनांक सन् 20 के माह के
वें दिन को निम्नलिखित की उपस्थिति में उक्त श्री
लीजधारक द्वारा कार्यालय, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर में हस्ताक्षर किये
गये।

For DHARTI INFRA

Kamlesh Purohit
PARTNER
लीजधारक - द्वितीय पक्ष

साक्षी :-

1. नाम मूमिका उपाध्याय
पिता/पति का नाम करण उपाध्याय
व्यवसाय नौकरी
निवास स्थान नागौरी गेट के अन्दर, अद्वार शिला
2. नाम नितिन भादुर
पिता/पति का नाम नरेन्द्र चन्द्र भादुर
व्यवसाय नौकरी
निवास स्थान महाविद्यालय, जोधपुर हाउसिंग बोर्ड, जोधपुर

साक्षी के हस्ताक्षर

साक्षी के हस्ताक्षर

**SITE PLAN OF PLOT NO. 11 IN RESIDENTIAL SCHEME (DHARTI ANGAN
- PHASE - 02) ON KHASRA NO. $\frac{15}{8}$ OF VILLAGE JHALAMAND AT JODHPUR**

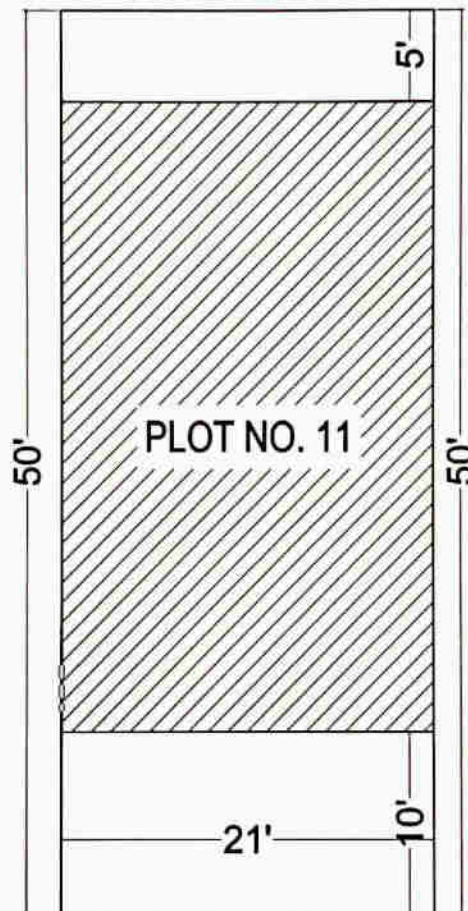
PLOT SIZE - 21'0"X50'0"
PLOT AREA - 1050.00 SQ.FT. OR 116.67 SQ.YARD

SCALE - 1:10



OTHER LAND

PLOT NO. 10



PLOT NO. 12

30' WIDE ROAD



सहायक नगर नियोजक
जोधपुर विकास प्राधिकरण
जोधपुर

11.9.2020
उपायुक्त (पूर्व)
जोधपुर विकास प्राधिकरण
जोधपुर

46269



जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर

राजस्थान नगरीय क्षेत्र (कृषि भूमि का गैर-कृषिक प्रयोजन के लिए उपयोग की अनुज्ञा और आवंटन) नियम, 2012 के नियम 22 के अन्तर्गत भूमि का

14957-
11/9/2020

पट्टा विलेख



यह विलेख आज वर्ष के माह के के दिन जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर (जिन्हे इसके बाद नगर निकाय कहकर संबोधित किया गया है) प्रथम पक्ष एवं श्री

वस्ती इफ्फा जरिसे मार्टन

श्री कमलेश पुरहित पुत्र श्री नसीमूलत जी मुल्हिक

जाती-बाह्यण, निवासी-11, हरिओम नगर विस्तार, जोधपुर जाति

व्यवसाय निवासी (जिनको इसके बाद लीजधारक संबोधित किया गया है) द्वितीय पक्ष तथा इस इबारत में जहां कहीं प्रसंग से ऐसा अर्थ निकले, उनके उत्तराधिकारी, निर्वाहक, प्रबंधक, प्रतिनिधि और मुत्तकित अलैह भी सम्मिलित होंगे) के मध्य निष्पादित हुआ है।

यह विलेख साक्ष्यकित करता है कि प्रीमियम तथा विकास शुल्क की रकम जो लीजधारक (पट्टाधारक) के द्वारा अदा कर दी गई है और जिसकी रसीद नगर निकाय के द्वारा स्वीकार कर ली गई है, और इसमें उल्लेखित शर्तों और करारों जो लीजधारक द्वारा निष्पादित तथा पालन किये जायेंगे, के एवज में नगर निकाय इनके द्वारा लीजधारक को जमीन का वह तमाम भूखण्ड (जिसे इसके बाद उक्त भूखण्ड कहकर संबोधित किया गया है) प्रदान और लीज करती है जो योजना राजस्थान ग्राम के खसरा संख्या क्षेत्रफल में स्थित है और जो अपनी सीमा और क्षेत्रफल के साथ इसके अन्तर्गत लिखे गये परिशिष्ट में अधिक पूर्णरूपेण वर्णित है तथा जिसका आकार विशेष रूप से इससे सलग्न नक्शे में लाल रंग में दिखाया गया है, और जिसे पूर्ण स्वामित्व संबंधी स्वत्वों सहित किन्तु निम्नलिखित तमाम च प्रत्येक अपवादों, संरक्षणों, प्रतिबंधों, बंधनों, शर्तों और करारों के अधीन खरीददार अपने उपयोग, उपभोग और इस्तेमाल के लिए अपने अधिकार में रखेगा, अर्थात :-

- लीजधारक नगर निकाय के कार्यालय में या ऐसे स्थान पर जिसे नगर निकाय समय-समय पर इस हेतु नियत कर दे, प्रत्येक वर्ष अप्रैल के प्रथम दिन उक्त भूखण्ड के संबंध में उक्त नियमों के नियम 20 के उप-नियम (1) के अन्तर्गत निर्धारित किये गये नगरीय निर्धारण (शहरी जमाबन्दी या भूमि का किराया) के तौर पर रुपये अंके मात्र पेशगी अदा करेगा, परन्तु लीजधारक, यदि चाहे तो एक वार्षिक नगरीय निर्धारण (शहरी जमाबन्दी या भूमि का किराया) की राशि जमा करा सकेगा, जो उस वर्ष, जिसमें राशि जमा करायी जाती है, को सम्मिलित करते हुए, पूर्ण वार्षिक नगरीय निर्धारण की राशि के आठ गुणा के बराबर होगी और इस प्रकार जमा कराई गयी नगरीय निर्धारण की राशि के फलस्वरूप लीजधारक उक्त भूखण्ड पर नगरीय निर्धारण की राशि के संदाय के दायित्व से छूट प्राप्त करने का अधिकारी होगा।
- एक बार नियत किया गया नगरीय निर्धारण या भूमि का किराया प्रत्येक 15 वर्ष के पश्चात् और विक्रय या दान या अन्यथा द्वारा ऐसे अन्तरण पर भी भू-विकास का दायी होगा और ऐसी वृद्धि प्रत्येक अवसर पर ऐसे पुनरीक्षण या, यथास्थिति, अन्तरण के समय नगरीय निर्धारण या भूमि के किराये का 25 प्रतिशत होगी।
- पट्टे की अवधि :- पट्टाधृति अधिकार 99 वर्ष के लिए होंगे।
- उक्त भूखण्ड का उपयोग केवल प्रयोजन, जिसके लिए नगर निकाय द्वारा उक्त नियमों के अन्तर्गत अनुमति दी गयी है, के लिए किया जायेगा और इसी प्रयोजन के उपयोग हेतु इस भूखण्ड पर भवन का निर्माण किया जायेगा।
- इस पट्टा विलेख की तारीख से 7 वर्ष, या ऐसी अतिरिक्त अवधि के भीतर जो नियम-26 के अन्तर्गत बढ़ा दी जावे, लीजधारक के द्वारा इस भूखण्ड पर भवन का निर्माण कराया जायेगा।
- लीजधारक उक्त भूखण्ड को आगे और अन्तरित या उप-पट्टे पर दे सकेगा। उक्त नियमों में अन्तर्विष्ट निबंधन और शर्तों और अन्य उपबंध, यथावश्यक परिवर्तन सहित, अन्तरिती या उप-पट्टेदार पर इस प्रकार लागू होंगे मानो प्रश्नगत उक्त भूखण्ड नगर निकाय द्वारा दिया गया है या अन्तरित किया गया है। लीजधारक द्वारा उप-पट्टे की कालावधि स्वयं द्वारा अधिधारित की जायेगी किन्तु किसी भी दशा में मूल पट्टे की कालावधि से अधिक नहीं होगी। उप-पट्टे उक्त नियमों में विहित समस्त अन्य निबंधनों और शर्तों या किन्हीं पृथक् आदेशों द्वारा, जो राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर इस निमित्त विनिर्दिष्ट मामलों में जारी किये जायें, शासित होंगे।
- उक्त भूखण्ड के अन्तरण के मामलों में, अन्तरिती के पक्ष में नाम में अन्तरण के लिए नगर निकाय को आवेदन के साथ रजिस्ट्रीकृत विक्रय विलेख, दान विलेख, या वरीयत या अन्य सुरंगत दस्तावेज प्रस्तुत किये जायेंगे। प्रत्येक अन्तरण के लिए आवेदन के साथ दस रुपये प्रति वर्गमीटर की दर से अन्तरण फीस निक्षिप्त की जायेगी; परन्तु लीजधारक की मृत्यु के मामलों में इस नियम के अधीन कोई फीस प्रभारित नहीं की जायेगी।
- उक्त नियमों के अधीन किसी व्यक्ति के प्रति परादेय प्रीमियम या नगरीय निर्धारण या ब्याज, आन्तरिक/बाह्य विकास प्रभारों का कोई बकाया राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 के अधीन भू-राजस्व की बकाया के रूप में लीजधारक से वसूली होगी।
- यदि आवंटन या पट्टा विलेख के निष्पादन के पश्चात् यह पाया जाता है कि आवंटन या पट्टा विलेख विधि की दुरभिराधि या उसके उल्लंघन में कपटपूर्ण दस्तावेज के आधार पर दुरुपदेशन द्वारा अभिप्राप्त किया गया है या आवंटन या पट्टा विलेख के

(क.प.उ.)

निबंधनों और शर्तों का अतिक्रमण किया गया है तो नगर निकाय उक्त भूखण्ड पर उसके किसी सन्निर्माण सहित उसे प्रतिसंहत करेगा जो सभी प्रमारों से रहित नगर निकाय में निहित समझे जायेंगे, और नगर निकाय किसी भी व्यक्ति को कारित किसी भी प्रकार की नुकसानी के लिए दायी नहीं होगा।

10. इस पट्टा विलेख के आधार पर उक्त भूखण्ड को सरकार/जीवन बीमा निगम/शिड्यूल्ड बैंक/सरकार ऋणदात्री संस्था/एच.डी.एफ. सी. अथवा नेशनल बैंक द्वारा अधिकृत ऋणदात्री संस्थाओं के पास ऋण के लिए बंधक रखा जा सकेगा।

*जो लागू नहीं हो उसे काट दें।

प्रकरण संख्या :-

परिशिष्ट

कस्बे का नाम :
राजस्व ग्राम : 51/51/11/05
खसरा नम्बर : 15/8
योजना का नाम
विस्तृत नाप सहित क्षेत्रफल वर्गगज/वर्गमीटर
716.67 4/21.

सीमा पूर्व 30' Road सीमा पश्चिम OTHERLAND
सीमा उत्तर P.No. 13 सीमा दक्षिण P.No. 11 मानचित्र संलग्न है।
भूखण्ड की संख्या यदि कोई हो P.No. 12

इसके साक्षी के रूप में इसके फरीकेन ने इसके बाद प्रत्येक दशा में निर्देशित स्थानों और तारीखों पर अपने अपने हस्ताक्षर कर दिये हैं।

नगरीय निकाय की ओर से

आज सन् 20 माह के 11/9/2020 वें दिन
श्री अनिल कुमार पूनियाँ
निम्न की उपस्थिति में जोधपुर में हस्ताक्षर किये। उपायुक्त (उ.क.)

11-9-2020
नवराज कुमार (सूक्ष्म पक्ष)
(सक्षम अधिकारी के हस्ताक्षर, मोहर)
जोधपुर

साक्षी :-

- नाम श्री बाबूलाल
वरिष्ठ सहायक
पिता/पति का नाम
व्यवसाय
निवास स्थान
- नाम
पिता/पति का नाम
व्यवसाय
निवास स्थान

साक्षी के हस्ताक्षर

साक्षी के हस्ताक्षर

आज दिनांक सन् 20 के माह के
वें दिन को निम्नलिखित की उपस्थिति में उक्त श्री
लीजधारक द्वारा कार्यालय, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर में हस्ताक्षर किये
गये।

For DHARTI INFRA
Kamlesh Purohit
PARTNER
लीजधारक - द्वितीय पक्ष

साक्षी :-

- नाम कमिका उपाध्याय
पिता/पति का नाम करन उपाध्याय
व्यवसाय नौकरी
निवास स्थान नागोरी गेट के अन्दर, 54 वर 1 शिला
- नाम नितिन भागुडा
पिता/पति का नाम नरेश चन्द्र भागुडा
व्यवसाय नौकरी
निवास स्थान महाविश्वपुर, जोधपुर

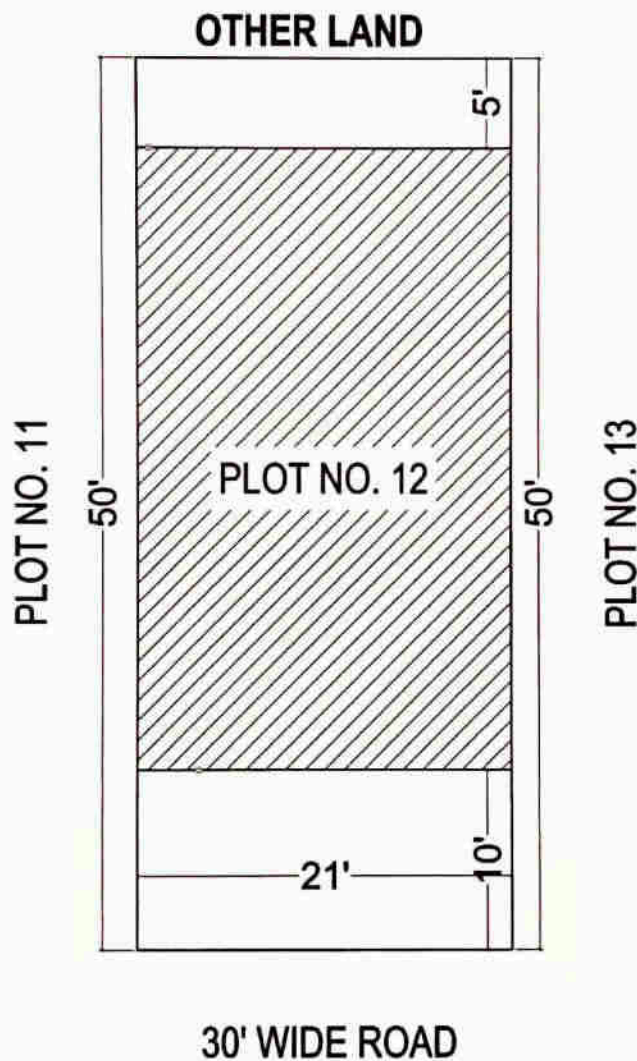
साक्षी के हस्ताक्षर

साक्षी के हस्ताक्षर

**SITE PLAN OF PLOT NO. 12 IN RESIDENTIAL SCHEME (DHARTI ANGAN
PHASE - 02) ON KHASRA NO. $\frac{15}{8}$ OF VILLAGE JHALAMAND AT JODHPUR**

PLOT SIZE - 21'0"X50'0"
PLOT AREA - 1050.00 SQ.FT. OR 116.67 SQ.YARD

SCALE - 1:10



सहायक नगर नियाजक
जोधपुर विकास प्राधिकरण
जोधपुर

सपायुक्त (पूर्व)
जोधपुर विकास प्राधिकरण
जोधपुर



जोधपुर विकास प्राधिकरण



जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर

राजस्थान नगरीय क्षेत्र (कृषि भूमि का गैर-कृषिक प्रयोजन के लिए उपयोग की अनुज्ञा और आवंटन) नियम, 2012 के नियम 22 के अन्तर्गत भूमि का

14968
11/9/2020

पट्टा विलेख



यह विलेख आज वर्ष के माह के वे दिन जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर (जिन्हें इसके बाद नगर निकाय कहकर संबोधित किया गया है) प्रथम पक्ष एवं श्री

श्री कल्लेस बुल्लि बुल्लि श्री बनीलाल जी पुणेसि

जाती-ब्राह्मण, निवासी-11, हरिओम नगर विस्तार, जोधपुर

जाति

(जिनको इसके बाद

व्यवसाय निवासी (जिनको इसके बाद लीजधारक संबोधित किया गया है) द्वितीय पक्ष तथा इस इबारत में जहां कहीं प्रारंभ से वंशा अर्थ निकले, उनके उत्तराधिकारी, निर्वाहक, प्रबंधक, प्रतिनिधि और मुत्ताफल अलैह भी सम्मिलित होंगे) के मध्य निष्पादित हुआ है।

यह विलेख साक्षात्कृत करता है कि प्रीमियम तथा विकास शुल्क की रकम जो लीजधारक (पट्टाधारक) के द्वारा अदा कर दी गई है और जिसकी रसीद नगर निकाय के द्वारा रबीकार कर ली गई है, और इसमें उल्लेखित शर्तों और करारों जो लीजधारक द्वारा निष्पादित तथा पालन किये जायेंगे, के एवज में नगर निकाय इनके द्वारा लीजधारक को जमीन का यह तमाम भूखण्ड (जिसे इसके बाद उक्त भूखण्ड कहकर संबोधित किया गया है) प्रदान और लीज करती है जो योजना राजस्थान ग्राम के खसरा संख्या क्षेत्रफल में स्थित है और जो अपनी सीमा और क्षेत्रफल के साथ इसके अन्तर्गत लिखे गये परिशिष्ट में अधिक पूर्णरूपेण वर्णित है तथा जिसका आकार विशेष रूप से इससे संलग्न नक्शे में लाल रंग में दिखाया गया है, और जिसे पूर्ण स्वामित्व संबंधी स्वत्वों सहित किन्तु निम्नलिखित तमाम व प्रत्येक अपवादों, संरक्षणों, प्रतिबंधों, वंशों, शर्तों और करारों के अधीन खरीददार अपने उपयोग, उपभोग और इस्तेमाल के लिए अपने अधिकार में रखेगा, अर्थात् :-

- लीजधारक नगर निकाय के कार्यालय में या ऐसे स्थान पर जिसे नगर निकाय समय-समय पर इस हेतु नियत कर दे, प्रत्येक वर्ष अप्रैल के प्रथम दिन उक्त भूखण्ड के संबंध में उक्त नियमों के नियम 20 के उप-नियम (1) के अन्तर्गत निर्धारित किये गये नगरीय निर्धारण (शहरी जमाबन्दी या भूमि का किराया) के तौर पर रुपये 109261/- अंके दस हजार नौ सौ धवीस मात्र पेशगी अदा करेगा, परन्तु लीजधारक, यदि चाहे तो एक वार्षिक नगरीय निर्धारण (शहरी जमाबन्दी या भूमि का किराया) की राशि जमा करा सकेगा, जो उस वर्ष, जिसमें राशि जमा करायी जाती है, को सम्मिलित करते हुए, पूर्ण वार्षिक नगरीय निर्धारण की राशि के आठ गुणा के बराबर होगी और इस प्रकार जमा कराई गयी नगरीय निर्धारण की राशि के फलस्वरूप लीजधारक उक्त भूखण्ड पर नगरीय निर्धारण की राशि के संदाय के दायित्व से छूट प्राप्त करने का अधिकारी होगा।
- एक बार नियत किया गया नगरीय निर्धारण या भूमि का किराया प्रत्येक 15 वर्ष के पश्चात् और विक्रय या दान या अन्यथा द्वारा ऐसे अन्तरण पर भी पुनरीक्षण का हकदार होगा और ऐसी वृद्धि प्रत्येक अवसर पर ऐसे पुनरीक्षण या, यथास्थिति, अन्तरण के समय नगरीय निर्धारण या भूमि का किराया का 25 प्रतिशत होगी।
- पट्टे की अवधि पट्टाधृति अधिकार 99 वर्ष के लिए होंगे।
- उक्त भूखण्ड का उपयोग केवल प्रयोजन, जिसके लिए नगर निकाय द्वारा उक्त नियमों के अन्तर्गत अनुमति दी गयी है, के लिए किया जायेगा और इसी प्रयोजन के उपयोग हेतु इस भूखण्ड पर भवन का निर्माण किया जायेगा।
- इस पट्टा विलेख की तारीख से 7 वर्ष, या ऐसी अतिरिक्त अवधि के भीतर जो नियम-26 के अन्तर्गत बढ़ा दी जावे, लीजधारक के द्वारा इस भूखण्ड पर भवन का निर्माण कराया जायेगा।
- लीजधारक उक्त भूखण्ड को आगे और अन्तरित या उप-पट्टे पर दे सकेगा। उक्त नियमों में अन्तर्विष्ट निबंधन और शर्तों और अन्य उपबंध, यथावश्यक परिवर्तन सहित, अन्तरित या उप-पट्टेदार पर इस प्रकार लागू होंगे मानो प्रश्नगत उक्त भूखण्ड नगर निकाय द्वारा दिया गया है या अन्तरित किया गया है। लीजधारक द्वारा उप-पट्टे की कालावधि स्वयं द्वारा अवधारित की जायेगी किन्तु किसी भी दशा में मूल पट्टे की कालावधि से अधिक नहीं होगी। उप-पट्टे उक्त नियमों में विहित समस्त अन्य निबंधनों और शर्तों या किन्हीं पृथक् आदेशों द्वारा, जो राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर इस निमित्त विनिर्दिष्ट मामलों में जारी किये जायें, शासित होंगे।
- उक्त भूखण्ड के अन्तरण के मामले में, अन्तरित के पक्ष में नाम में अन्तरण के लिए नगर निकाय को आवेदन के साथ रजिस्ट्रीकृत विक्रय विलेख, दान विलेख, या वसीयत या अन्य सुसंगत दस्तावेज प्रस्तुत किये जायेंगे। प्रत्येक अन्तरण के लिए आवेदन के साथ दस रुपये प्रति वर्गमीटर की दर से अन्तरण फीस निश्चित की जायेगी; परन्तु लीजधारक की मृत्यु के मामलों में इस नियम के अधीन कोई फीस प्रभारित नहीं की जायेगी।
- उक्त नियमों के अधीन किसी व्यक्ति के प्रति परादेय प्रीमियम या नगरीय निर्धारण या व्याज, आन्तरिक/बाह्य विकास प्रभारों का कोई बकाया राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 के अधीन भू-राजस्व की बकाया के रूप में लीजधारक से वसूलीय होगा।
- यदि आवंटन या पट्टा विलेख के निष्पादन के पश्चात् यह पाया जाता है कि आवंटन या पट्टा विलेख विधि की दुरुभिराधि या उसके उल्लंघन में कपटपूर्ण दस्तावेज के आधार पर दुर्यपदेशन द्वारा अभिप्राप्त किया गया है या आवंटन या पट्टा विलेख के (क.प.उ.)

निबंधनों और शर्तों का अतिक्रमण किया गया है तो नगर निकाय उक्त भूखण्ड पर उराके किसी सन्निर्माण सहित उसे प्रतिरक्षित करेगा जो सभी प्रमारों से रहित नगर निकाय में निहित समझे जायेंगे, और नगर निकाय किसी भी व्यक्ति को कारित किसी भी प्रकार की नुकसानी के लिए दायी नहीं होगा।

10. इस पट्टा विलेख के आधार पर उक्त भूखण्ड को सरकार/जीवन बीमा निगम/शिड्युलड बैंक/सरकार ऋणदात्री संस्था/एच.डी.एफ. सी. अथवा नेशनल बैंक द्वारा अधिकृत ऋणदात्री संस्थाओं के पास ऋण के लिए बंधक रखा जा सकेगा।

*जो लागू नहीं हो उसे काट दें।

प्रकरण संख्या :-

परिशिष्ट

कस्बे का नाम :
राजस्व ग्राम :
खसरा नम्बर : 151/8
योजना का नाम
विस्तृत नाप सहित क्षेत्रफल वर्गगज/वर्गमीटर
116.62 d.21.

सीमा पूर्व 90' Road सीमा पश्चिम OTHER LAND
सीमा उत्तर P.No. 14 सीमा दक्षिण P.No. 12 मानचित्र संलग्न है।
भूखण्ड की संख्या यदि कोई हो P.No. 13

इसके साक्षी के रूप में इसके फरीकेन ने इसके बाद प्रत्येक दशा में निर्देशित स्थानों और तारीखों पर अपने अपने हस्ताक्षर कर दिये हैं।

नगरीय निकाय की ओर से

आज सन् 20 माह के 11/9/2020 वें दिन
श्री अनिल कुमार पूनियाँ
निम्न की उपस्थिति में जोधपुर में हस्ताक्षर किये। उपायुक्त (पू.)

11.9.2020
उपायुक्त (पू.)
जोधपुर विकास प्राधिकरण
(सक्षम अधिकारी के हस्ताक्षर एवं मोहर)

साक्षी :-

श्री बाबूलाल

1. नाम
पिता/पति का नाम
व्यवसाय
निवास स्थान

साक्षी के हस्ताक्षर

2. नाम
पिता/पति का नाम
व्यवसाय
निवास स्थान

साक्षी के हस्ताक्षर



आज दिनांक सन् 20 के माह के
वें दिन को निम्नलिखित की उपस्थिति में उक्त श्री
लोजधारक द्वारा कार्यालय, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर में हस्ताक्षर किये
गये।

For DHARTI INFRA

Kamlesh Purohit
PARTNER
लोजधारक - द्वितीय पक्ष

साक्षी :-

1. नाम
पिता/पति का नाम
व्यवसाय
निवास स्थान

साक्षी के हस्ताक्षर

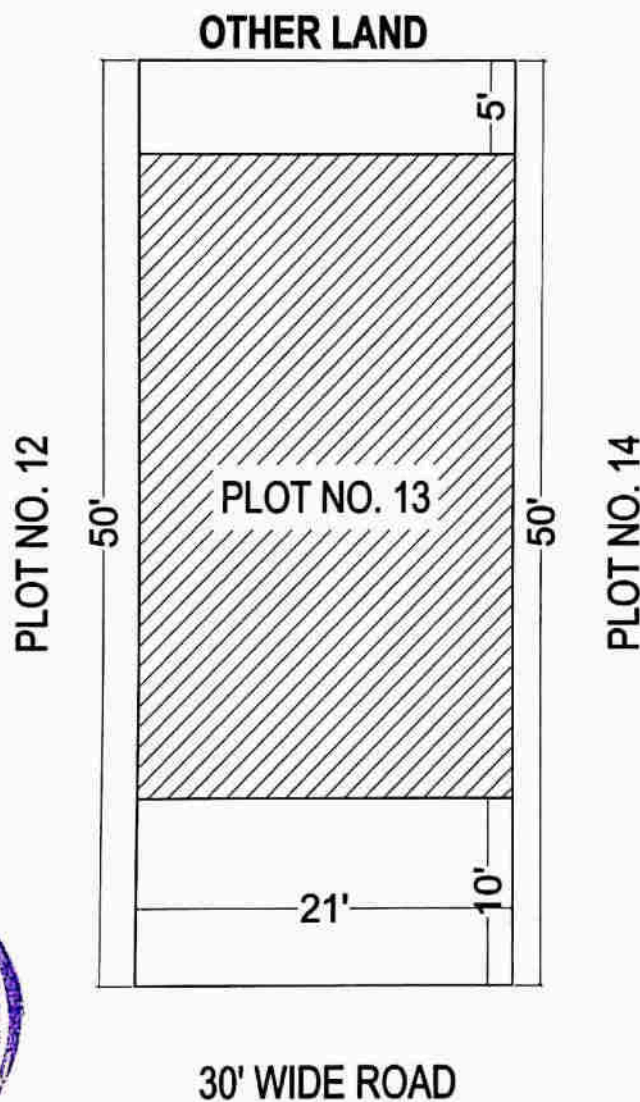
2. नाम
पिता/पति का नाम
व्यवसाय
निवास स्थान

साक्षी के हस्ताक्षर

**SITE PLAN OF PLOT NO. 13 IN RESIDENTIAL SCHEME (DHARTI ANGAN
PHASE - 02) ON KHASRA NO. $\frac{15}{8}$ OF VILLAGE JHALAMAND AT JODHPUR**

PLOT SIZE - 21'0"X50'0"
PLOT AREA - 1050.00 SQ.FT. OR 116.67 SQ.YARD

SCALE - 1:10



सहायक नगर नियोजक
जोधपुर विकास प्राधिकरण
जोधपुर

11.9.2020
सपायुक्त (पूर्व)
जोधपुर विकास प्राधिकरण
जोधपुर



जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर

राजस्थान नगरीय क्षेत्र (कृषि भूमि का गैर-कृषिक प्रयोजन के लिए उपयोग की अनुज्ञा और आवंटन) नियम, 2012 के नियम 22 के अन्तर्गत भूमि का



14969
11/9/2020 पट्टा विलेख

यह विलेख आज वर्ष के माह के वे दिन जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर (जिन्हें इसके बाद नगर निकाय कहकर संबोधित किया गया है) प्रथम पक्ष एवं श्री

वस्ती इंका जरिये पार्टनर

श्री कमलेश पुरोहित पुत्र श्री बन्नीलाल जी पुरोहित

जाती-ब्राह्मण, निवासी-11, हारजाम नगर विस्तार, जोधपुर

जाति

व्यवसाय निवासी (जिनको इसके बाद लीजधारक संबोधित किया गया है) द्वितीय पक्ष तथा इस इबारत में जहां कहीं प्रसंग से वैसा अर्थ निकले, उनके उत्तराधिकारी, निर्वाहक, प्रबंधक, प्रतिनिधि और मुत्तकिल अलैह भी सम्मिलित होंगे) के मध्य निष्पादित हुआ है।

यह विलेख साक्ष्यांकित करता है कि प्रीमियम तथा विकास शुल्क की रकम जो लीजधारक (पट्टाधारक) के द्वारा अदा कर दी गई है और जिसकी रसीद नगर निकाय के द्वारा रवीकार कर ली गई है, और इसमें उल्लेखित शर्तों और करारों जो लीजधारक द्वारा निष्पादित तथा पालन किये जायेंगे, के एवज में नगर निकाय इनके द्वारा लीजधारक को जमीन का वह तमाम भूखण्ड (जिसे इसके बाद उक्त भूखण्ड कहकर संबोधित किया गया है) प्रदान और लीज करती है जो योजना राजस्थान ग्राम के खसरा संख्या क्षेत्रफल 116.62 वर्ग मी. में स्थित है और जो अपनी सीमा और क्षेत्रफल के साथ इसके अन्तर्गत लिखे गये परिशिष्ट में अधिक पूर्णरूपेण वर्णित है तथा जिसका आकार विशेष रूप से इससे संलग्न नक्शे में लाल रंग में दिखाया गया है, और जिसे पूर्ण स्वामित्व संबंधी स्वत्वों सहित किन्तु निम्नलिखित तमाम व प्रत्येक अपवादों, संरक्षणों, प्रतिबंधों, बंधनों, शर्तों और करारों के अधीन खरीददार अपने उपयोग, उपभोग और इस्तेमाल के लिए अपने अधिकार में रखेगा, अर्थात् :-

- लीजधारक नगर निकाय के कार्यालय में या ऐसे स्थान पर जिसे नगर निकाय समय-समय पर इस हेतु नियत कर दे, प्रत्येक वर्ष अप्रैल के प्रथम दिन उक्त भूखण्ड के संबंध में उक्त नियमों के नियम 20 के उप-नियम (1) के अन्तर्गत निर्धारित किये गये नगरीय निर्धारण (शहरी जमाबन्दी या भूमि का किराया) के तौर पर रुपये 10926/- अंके दस हजार नौ सौ दस रुपये मात्र पेशगी अदा करेगा, परन्तु लीजधारक, यदि चाहे तो एक बारीय नगरीय निर्धारण (शहरी जमाबन्दी या भूमि का किराया) की राशि जमा करा सकेगा, जो उस वर्ष, जिसमें राशि जमा करायी जाती है, को सम्मिलित करते हुए, पूर्ण वार्षिक नगरीय निर्धारण की राशि के आठ गुणा के बराबर होगी और इस प्रकार जमा कराई गयी नगरीय निर्धारण की राशि के फलस्वरूप लीजधारक उक्त भूखण्ड पर नगरीय निर्धारण की राशि के संदाय के दायित्व से छूट प्राप्त करने का अधिकारी होगा।
- एक बार नियत किया गया नगरीय निर्धारण या भूमि का किराया प्रत्येक 15 वर्ष के पश्चात् और विक्रय या दान या अन्यथा द्वारा ऐसे अन्तरण पर भी पुनरीक्षण का वैध होगा और ऐसी वृद्धि प्रत्येक अवसर पर ऐसे पुनरीक्षण या, यथारिचयि, अन्तरण के समय नगरीय निर्धारण या भूमि के किराये का 25 प्रतिशत होगी।
- पट्टे की अवधि :- पट्टाधृति अधिकार 99 वर्ष के लिए होंगे।
- उक्त भूखण्ड का उपयोग केवल प्रयोजन, जिसके लिए नगर निकाय द्वारा उक्त नियमों के अन्तर्गत अनुमति दी गयी है, के लिए किया जायेगा और इसी प्रयोजन के उपयोग हेतु इस भूखण्ड पर भवन का निर्माण किया जायेगा।
- इस पट्टा विलेख की तारीख से 7 वर्ष, या ऐसी अतिरिक्त अवधि के भीतर जो नियम-26 के अन्तर्गत बढ़ा दी जावे, लीजधारक के द्वारा इस भूखण्ड पर भवन का निर्माण कराया जायेगा।
- लीजधारक उक्त भूखण्ड को आगे और अन्तरित या उप-पट्टे पर दे सकेगा। उक्त नियमों में अन्तर्विष्ट निबंधन और शर्तों और अन्य उपबंध, यथावश्यक परिवर्तन सहित, अन्तरिती या उप-पट्टेदार पर इस प्रकार लागू होंगे मानो प्रथमतः उक्त भूखण्ड नगर निकाय द्वारा दिया गया है या अन्तरित किया गया है। लीजधारक द्वारा उप-पट्टे की कालावधि स्वयं द्वारा अधधारित की जायेगी किन्तु किसी भी दशा में मूल पट्टे की कालावधि से अधिक नहीं होगी। उप-पट्टे उक्त नियमों में विहित समस्त अन्य निबंधनों और शर्तों या किन्हीं पृथक् आदेशों द्वारा, जो राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर इस निमित्त विनिर्दिष्ट मामलों में जारी किये जायें, शासित होंगे।
- उक्त भूखण्ड के अन्तरण के मामले में, अन्तरिती के पक्ष में नाम में अन्तरण के लिए नगर निकाय को आवेदन के साथ रजिस्ट्रीकृत विक्रय विलेख, दान विलेख, या वसीयत या अन्य सुसंगत दस्तावेज प्रस्तुत किये जायेंगे। प्रत्येक अन्तरण के लिए आवेदन के साथ दस रुपये प्रति वर्गमीटर की दर से अन्तरण फीस निक्षिप्त की जायेगी; परन्तु लीजधारक की मृत्यु के मामलों में इस नियम के अधीन कोई फीस प्रभारित नहीं की जायेगी।
- उक्त नियमों के अधीन किसी व्यक्ति के प्रति परादेय प्रीमियम या नगरीय निर्धारण या ब्याज, आन्तरिक/बाह्य विकास प्रभारों का कोई बकाया राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 के अधीन भू-राजस्व की बकाया के रूप में लीजधारक से वसूलीय होगा।
- यदि आवंटन या पट्टा विलेख के निष्पादन के पश्चात् यह पाया जाता है कि आवंटन या पट्टा विलेख विधि की दुरभिसंधि या उसके उत्पत्तिन में कपटपूर्ण दस्तावेज के आधार पर दुरुपपदेशन द्वारा अभिप्राप्त किया गया है या आवंटन या पट्टा विलेख के

निबंधनों और शर्तों का अतिक्रमण किया गया है तो नगर निकाय उक्त भूखण्ड पर उसके किसी सन्निर्माण सहित उसे प्रतिसंस्त करेगा जो सभी प्रभारों से रहित नगर निकाय में निहित समझे जायेंगे, और नगर निकाय किसी भी व्यक्ति को कारित किसी भी प्रकार की नुकसानी के लिए दायी नहीं होगा।

10. इस पट्टा विलेख के आधार पर उक्त भूखण्ड को सरकार/जीवन बीमा निगम/शिड्यूल्ड बैंक/सरकार ऋणदात्री संस्था/एच.डी.एफ. सी. अथवा नेशनल बैंक द्वारा अधिकृत ऋणदात्री संस्थाओं के पास ऋण के लिए बंधक रखा जा सकेगा।

*जो लागू नहीं हो उसे काट दें।

प्रकरण संख्या :-

परिशिष्ट

कस्बे का नाम :
राजस्व ग्राम :
खसरा नम्बर :
योजना का नाम
विस्तृत नाप सहित क्षेत्रफल वर्गगज/वर्गमीटर
116.67 वर्गमीटर

सीमा पूर्व 30' Road सीमा पश्चिम OTHER (MHD)
सीमा उत्तर P.No. 15 सीमा दक्षिण P.No. 13 मानचित्र संलग्न है।
भूखण्ड की संख्या यदि कोई हो P.No. 14

इसके साक्षी के रूप में इसके फरीकेन ने इसके बाद प्रत्येक दशा में निर्देशित स्थानों और तारीखों पर अपने अपने हस्ताक्षर कर दिये हैं।

नगरीय निकाय की ओर से

आज सन् 20 माह के 11/9/2020 वें दिन
श्री अनिल कुमार पूनियाँ
निम्न की उपस्थिति में जोधपुर में हस्ताक्षर किये।
उपायुक्त (पूर्व)

11.9.2020
उपायुक्त (पूर्व)
जोधपुर निकाय प्रथम वृक्ष
(सक्षम अधिकारी के हस्ताक्षर एवं मोहर)

साक्षी :-

श्री बाबूलाल

1. नाम
पिता/पति का नाम
व्यवसाय
निवास स्थान
2. नाम
पिता/पति का नाम
व्यवसाय
निवास स्थान



साक्षी के हस्ताक्षर

साक्षी के हस्ताक्षर

आज दिनांक सन् 20 के माह के
वें दिन को निम्नलिखित की उपस्थिति में उक्त श्री
लौजधारक द्वारा कार्यालय, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर में हस्ताक्षर किये
गये।

For DHARTI INFRA

Kamlesh Purohit
PARTNER
लौजधारक - द्वितीय पक्ष

साक्षी :-

1. नाम
पिता/पति का नाम
व्यवसाय
निवास स्थान
2. नाम
पिता/पति का नाम
व्यवसाय
निवास स्थान

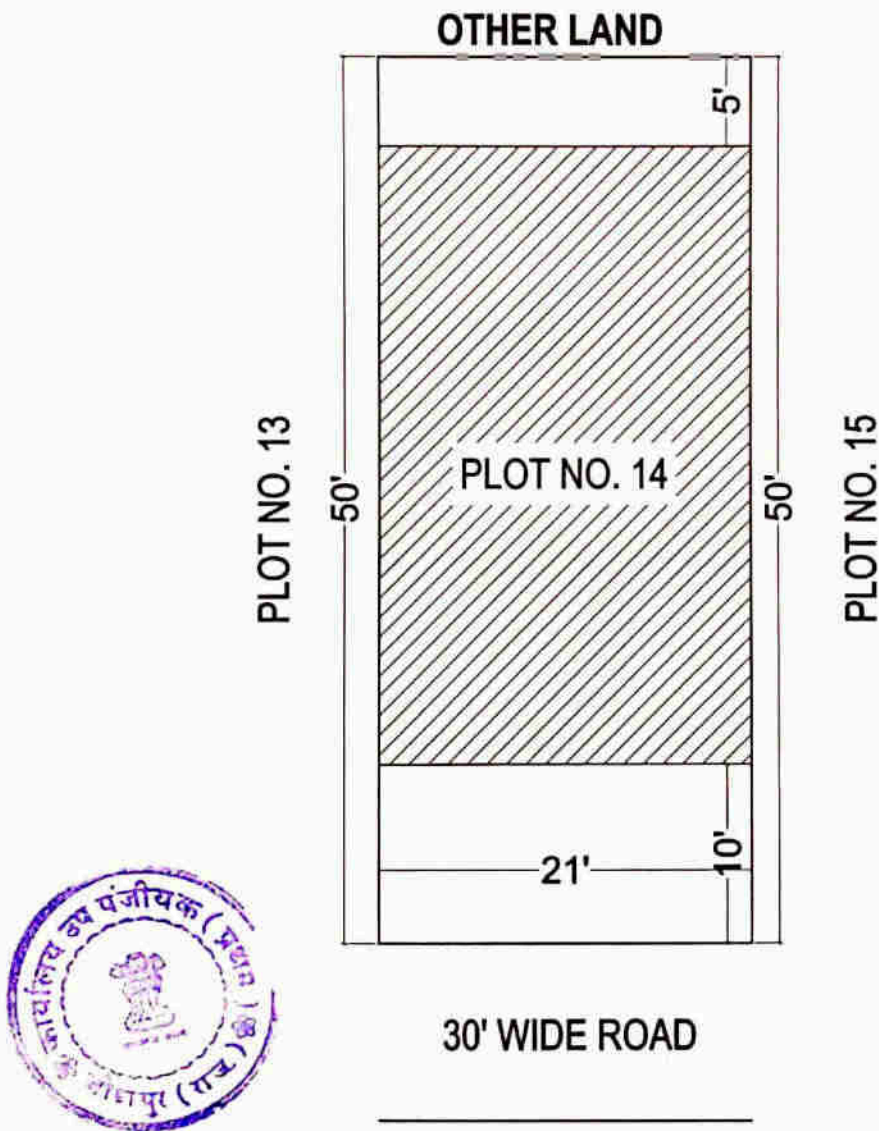
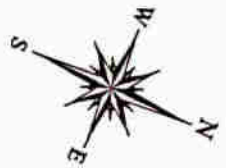
साक्षी के हस्ताक्षर

साक्षी के हस्ताक्षर

**SITE PLAN OF PLOT NO. 14 IN RESIDENTIAL SCHEME (DHARTI ANGAN
PHASE - 02) ON KHASRA NO. $\frac{15}{8}$ OF VILLAGE JHALAMAND AT JODHPUR**

PLOT SIZE - 21'0"X50'0"
PLOT AREA - 1050.00 SQ.FT. OR 116.67 SQ.YARD

SCALE - 1:10



सहायक नगर नियाजक
जोधपुर विकास प्राधिकरण
जोधपुर

उपायुक्त (पूर्वी)
जोधपुर विकास प्राधिकरण
जोधपुर



जोधपुर विकास प्राधिकरण



जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर

राजस्थान नगरीय क्षेत्र (कृषि भूमि का गैर-कृषिक प्रयोजन के लिए उपयोग की अनुज्ञा और आवंटन) नियम, 2012 के नियम 22 के अन्तर्गत भूमि का

14970
11/9/2020 पट्टा विलेख

यह विलेख आज वर्ष के माह के के दिन जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर (जिन्हें इसके बाद नगर निकाय कहकर संबोधित किया गया है) प्रथम पक्ष एवं श्री प्ररती इफ्ता ज़ोरिय पाटनर

श्री कसदेव पुरहित पुत्र श्री बन्दीलाल श्री पुरोहित
जाती-ब्राह्मण, निवासी-11, हरिओम नगर विस्तार, जोधपुर जाति

व्यवसाय निवासी (जिनको इसके बाद लीजधारक संबोधित किया गया है) द्वितीय पक्ष तथा इस इबारत में जहां कहीं प्रसंग से वैसा अर्थ निकले, उनके उत्तराधिकारी, निर्वाहक, प्रबंधक, प्रतिनिधि और मुत्तफिल अलैह भी सम्मिलित होंगे) के मध्य निष्पादित हुआ है।

यह विलेख साक्षात्कृत करता है कि प्रीमियम तथा विकास शुल्क की रकम जो लीजधारक (पट्टाधारक) के द्वारा अदा कर दी गई है और जिसकी रसीद नगर निकाय के द्वारा रसीद कर ली गई है, और इसमें उल्लेखित शर्तों और कर्तारों जो लीजधारक द्वारा निष्पादित तथा पालन किये जायेंगे, के एवज में नगर निकाय इनके द्वारा लीजधारक को जमीन का वह तमाम भूखण्ड (जिसे इसके बाद उक्त भूखण्ड कहकर संबोधित किया गया है) प्रदान और लीज करती है जो योजना राजस्व ग्राम 31/1/2015 के खसरा संख्या 1518 क्षेत्रफल 116.67 अ. में स्थित है और जो अपनी सीमा और क्षेत्रफल के साथ इसके अन्तर्गत लिखे गये परिशिष्ट में अधिक पूर्णरूपेण वर्णित है तथा जिसका आकार विशेष रूप से इससे संलग्न नक्शे में लाल रंग में दिखाया गया है, और जिसे पूर्ण स्वामित्व संबंधी स्वत्वों सहित किन्तु निम्नलिखित तमाम व प्रत्येक अपवादों, संरक्षणों, प्रतिबंधों, बंधनों, शर्तों और कर्तारों के अधीन खसरीदार अपने उपयोग, उपयोग और इस्तेमाल के लिए अपने अधिकार में रखेगा, अर्थात् :-

- लीजधारक नगर निकाय के कार्यालय में या ऐसे स्थान पर जिसे नगर निकाय समय-समय पर इस हेतु नियत कर दें, प्रत्येक वर्ष अप्रैल के प्रथम दिन उक्त भूखण्ड के संबंध में उक्त नियमों के नियम 20 के उप-नियम (1) के अन्तर्गत निर्धारित किये गये नगरीय निर्धारण (शहरी जमाबन्दी या भूमि का किराया) के तौर पर रुपये 10,926/- अंके दस हजार नौ सौ द्वादश मात्र पेशगी अदा करेगा, परन्तु लीजधारक, यदि चाहे तो एक बारीय नगरीय निर्धारण (शहरी जमाबन्दी या भूमि का किराया) की राशि जमा करा सकेगा, जो उस वर्ष, जिसमें राशि जमा करायी जाती है, को सम्मिलित करते हुए, पूर्ण वार्षिक नगरीय निर्धारण की राशि के आठ गुणा के बराबर होगी और इस प्रकार जमा कराई गयी नगरीय निर्धारण की राशि के फलस्वरूप लीजधारक उक्त भूखण्ड पर नगरीय निर्धारण की राशि के संदाय के दायित्व से छूट प्राप्त करने का अधिकारी होगा।
- एक बार नियत किया गया नगरीय निर्धारण या भूमि का किराया प्रत्येक 15 वर्ष के पश्चात् और विक्रय या दान या अन्यथा द्वारा ऐसे अन्तरण पर भी पुनरीक्षण का दायी होगा और ऐसी वृद्धि प्रत्येक अवसर पर ऐसे पुनरीक्षण या, यथास्थिति, अन्तरण के समय नगरीय निर्धारण या भूमि के किराये का 25 प्रतिशत होगी।
- पट्टे की अवधि :- पट्टाधृति अधिकार 99 वर्ष के लिए होंगे।
- उक्त भूखण्ड का उपयोग केवल 31/1/2015 प्रयोजन, जिसके लिए नगर निकाय द्वारा उक्त नियमों के अन्तर्गत अनुमति दी गयी है, के लिए किया जायेगा और इसी प्रयोजन के उपयोग हेतु इस भूखण्ड पर भवन का निर्माण किया जायेगा।
- इस पट्टा विलेख की तारीख से 7 वर्ष, या ऐसी अतिरिक्त अवधि के भीतर जो नियम-26 के अन्तर्गत बढ़ा दी जावें, लीजधारक के द्वारा इस भूखण्ड पर भवन का निर्माण कराया जायेगा।
- लीजधारक उक्त भूखण्ड को आगे और अन्तरित या उप-पट्टे पर दे सकेगा। उक्त नियमों में अन्तर्विष्ट निबंधन और शर्तों और अन्य उपबंध, यथावश्यक परिवर्तन सहित, अन्तरिती या उप-पट्टेदार पर इस प्रकार लागू होंगे मानो प्रश्नगत उक्त भूखण्ड नगर निकाय द्वारा दिया गया है या अन्तरित किया गया है। लीजधारक द्वारा उप-पट्टे की कालावधि स्वयं द्वारा अवधारित की जायेगी किन्तु किसी भी दशा में मूल पट्टे की कालावधि से अधिक नहीं होगी। उप-पट्टे उक्त नियमों में विहित समस्त अन्य निबंधनों और शर्तों या किन्हीं पृथक् आदेशों द्वारा, जो राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर इस निमित्त विनिर्दिष्ट मामलों में जारी किये जायें, शासित होंगे।
- उक्त भूखण्ड के अन्तरण के मामले में, अन्तरिती के पक्ष में नाम में अन्तरण के लिए नगर निकाय को आवेदन के साथ रजिस्ट्रीकृत विक्रय विलेख, दान विलेख, या वसीयत या अन्य सुसंगत दस्तावेज प्रस्तुत किये जायेंगे। प्रत्येक अन्तरण के लिए आवेदन के साथ दस रुपये प्रति वर्गमीटर की दर से अन्तरण फीस निश्चित की जायेगी; परन्तु लीजधारक की मृत्यु के मामलों में इस नियम के अधीन कोई फीस प्रभारित नहीं की जायेगी।
- उक्त नियमों के अधीन किसी व्यक्ति के प्रति परादेय प्रीमियम या नगरीय निर्धारण या ब्याज, आन्तरिक/बाह्य विकास प्रभारों का कोई बकाया राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 के अधीन भू-राजस्व की बकाया के रूप में लीजधारक से वसूलीय होगा।
- यदि आवंटन या पट्टा विलेख के निष्पादन के पश्चात् यह पाया जाता है कि आवंटन या पट्टा विलेख विधि की दुरभिसंधि या उसके उल्लंघन में कपटपूर्ण दस्तावेज के आधार पर दुरुपदेशन द्वारा अभिप्राप्त किया गया है या आवंटन या पट्टा विलेख के (क.प.उ.)

निबंधनों और शर्तों का अतिक्रमण किया गया है तो नगर निकाय उक्त भूखण्ड पर उसके किसी सन्निर्माण सहित उसे प्रतिसादित करेगा जो सभी प्रभावों से रहित नगर निकाय में निहित समझे जायेंगे, और नगर निकाय किसी भी व्यक्ति को कारित किसी भी प्रकार की नुकसानी के लिए दायी नहीं होगा।

10. इस पट्टा विलेख के आधार पर उक्त भूखण्ड को सरकार/जीवन बीमा निगम/शिड्यूलड बैंक/सरकार ऋणदात्री संस्था/एच.डी.एफ. सी. अथवा नेशनल बैंक द्वारा अधिकृत ऋणदात्री संस्थाओं के पास ऋण के लिए बंधक रखा जा सकेगा।

*जो लागू नहीं हो उसे काट दें।

प्रकरण संख्या :-

परिशिष्ट

कस्बे का नाम :
राजस्व ग्राम :
खसरा नम्बर :
योजना का नाम
विस्तृत नाप सहित क्षेत्रफल वर्गगज/वर्गमीटर
16.62 वर्ग

सीमा पूर्व 30' Road सीमा पश्चिम OTHER LAND
सीमा उत्तर P.No. 16 सीमा दक्षिण P.No. 14 मानचित्र संलग्न है।
भूखण्ड की संख्या यदि कोई हो P.No. 15

इसके साक्षी के रूप में इसके फरीकेन ने इसके बाद प्रत्येक दशा में निर्देशित स्थानों और तारीखों पर अपने अपने हस्ताक्षर कर दिये हैं।

नगरीय निकाय की ओर से

आज सन् 20 माह के 11/9/2020 वें दिन
श्री अनिल कुमार पूनियाँ
निम्न की उपस्थिति में जोधपुर में हस्ताक्षर किये।
उपायुक्त (जन)

11.9.2020
उपायुक्त (जन)
नगर निकाय - जोधपुर
(सक्षम अधिकारी जोधपुर हस्ताक्षर एवं मोहर)

साक्षी :-

श्री बाबूलाल
वरिष्ठ सहायक

1. नाम
पिता/पति का नाम
व्यवसाय
निवास स्थान

साक्षी के हस्ताक्षर

2. नाम
पिता/पति का नाम
व्यवसाय
निवास स्थान

साक्षी के हस्ताक्षर

आज दिनांक सन् 20 के माह
वें दिन को निम्नलिखित की उपस्थिति में उक्त श्री
लोजधारक द्वारा कार्यालय, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर में हस्ताक्षर किये
गये।

For DHARTI INFRA
Kamlesh Parokhit
PARTNER
लोजधारक - द्वितीय पक्ष

साक्षी :-

1. नाम
पिता/पति का नाम
व्यवसाय
निवास स्थान

साक्षी के हस्ताक्षर

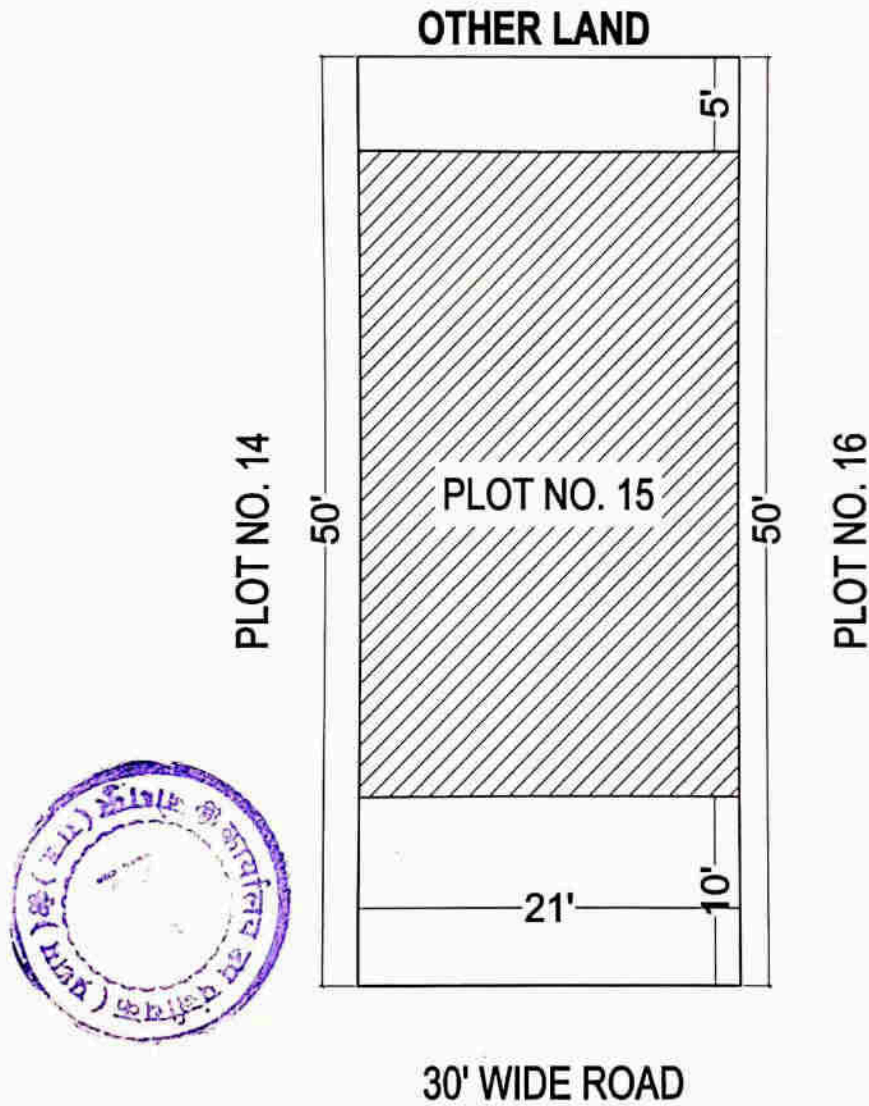
2. नाम
पिता/पति का नाम
व्यवसाय
निवास स्थान

साक्षी के हस्ताक्षर

**SITE PLAN OF PLOT NO. 15 IN RESIDENTIAL SCHEME (DHARTI ANGAN
PHASE - 02) ON KHASRA NO. $\frac{15}{8}$ OF VILLAGE JHALAMAND AT JODHPUR**

PLOT SIZE - 21'0"X50'0"
PLOT AREA - 1050.00 SQ.FT. OR 116.67 SQ.YARD

SCALE - 1:10



सहायक नगर नियोजक
जोधपुर विकास प्राधिकरण
जोधपुर

11.9.2020
उपायुक्त (पूर्व)
जोधपुर विकास प्राधिकरण
जोधपुर



जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर

राजस्थान नगरीय क्षेत्र (कृषि भूमि का गैर-कृषिक प्रयोजन के लिए उपयोग की अनुज्ञा और आवंटन) नियम, 2012 के नियम 22 के अन्तर्गत भूमि का

1500/1119/2020 पट्टा विलेख



यह विलेख आज वर्ष के माह के वे दिन जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर (जिन्हें इसके बाद नगर निकाय कहकर संबोधित किया गया है) प्रथम पक्ष एवं श्री द्वारा जारी पट्टा विलेख

श्री कमलेश पुरहित पुत्र श्री रत्नीलाल जी पुरहित

जाति-ब्राह्मण, निक्का-41, हरिजन नगर विस्तार, जोधपुर

जाति

व्यवसाय निवासी (जिनको इसके बाद लीजधारक संबोधित किया गया है) द्वितीय पक्ष तथा इस इबारत में जहां कहीं प्रसंग से वैसा अर्थ निकले, उनके उत्तराधिकारी, निर्वाहक, प्रबंधक, प्रतिनिधि और मुन्तकिल अतैह भी सम्मिलित होंगे) के मध्य निष्पादित हुआ है।

यह विलेख साक्षात्कृत करता है कि प्रीमियम तथा विकास शुल्क की रकम जो लीजधारक (पट्टाधारक) के द्वारा अदा कर दी गई है और जिसकी रसीद नगर निकाय के द्वारा रसीद कर ली गई है, और इसमें उल्लेखित शर्तों और करारों जो लीजधारक द्वारा निष्पादित तथा पालन किये जायेंगे, के एवज में नगर निकाय इनके द्वारा लीजधारक को जमीन का वह तमाम भूखण्ड (जिसे इसके बाद उक्त भूखण्ड कहकर संबोधित किया गया है) प्रदान और लीज करती है जो योजना राजस्थान ग्राम 311/111/05 के खसरा संख्या 15/8 क्षेत्रफल 116.67 वर्ग मी. में स्थित है और जो अपनी सीमा और क्षेत्रफल के साथ इसके अन्तर्गत लिखे गये परिशिष्ट में अधिक पूर्णरूपेण वर्णित है तथा जिसका आकार विशेष रूप से इससे संलग्न नक्शे में लाल रंग में दिखाया गया है, और जिसे पूर्ण स्वामित्व संबंधी स्वत्वों सहित किन्तु निम्नलिखित तमाम व प्रत्येक अपवादों, संरक्षणों, प्रतिबंधों, बंधनों, शर्तों और करारों के अधीन खरीददार अपने उपयोग, उपभोग और इस्तेमाल के लिए अपने अधिकार में रखेगा, अर्थात् :-

- लीजधारक नगर निकाय के कार्यालय में या ऐसे स्थान पर जिसे नगर निकाय समय-समय पर इस हेतु नियत कर दे, प्रत्येक वर्ष अप्रैल के प्रथम दिन उक्त भूखण्ड के संबंध में उक्त नियमों के नियम 20 के उप-नियम (1) के अन्तर्गत निर्धारित किये गये नगरीय निर्धारण (शहरी जमाबन्दी या भूमि का किराया) के तौर पर रुपये 10926/- अंके 65 हजार नीचे द्वाबिस मात्र पेशगी अदा करेगा, परन्तु लीजधारक, यदि चाहे तो एक नगरीय निर्धारण (शहरी जमाबन्दी या भूमि का किराया) को राशि जमा करा सकेगा, जो उस वर्ष, जिसमें राशि जमा करायी जाती है, को सम्मिलित करते हुए, पूर्ण वार्षिक नगरीय निर्धारण की राशि के आठ गुणा के बराबर होगी और इस प्रकार जमा कराई गयी नगरीय निर्धारण की राशि के फलस्वरूप लीजधारक उक्त भूखण्ड पर नगरीय निर्धारण की राशि के संदाय के दायित्व से छूट प्राप्त करने का अधिकारी होगा।
- एक बार निश्चित किया गया नगरीय निर्धारण या भूमि का किराया प्रत्येक 15 वर्ष के परचात् और विक्रय या दान या अन्यथा द्वारा ऐसे अन्तरण पर भी पुनरीक्षण का दायी होगा और ऐसी वृद्धि प्रत्येक अवसर पर ऐसे पुनरीक्षण या, यथास्थिति, अन्तरण के समय नगरीय निर्धारण या भूमि के किराये का 25 प्रतिशत होगी।
- पट्टे की अवधि :- पट्टाप्राप्ति अधिकार 99 वर्ष के लिए होगी।
- उक्त भूखण्ड का उपयोग केवल 31/01/2024 प्रयोजन, जिसके लिए नगर निकाय द्वारा उक्त नियमों के अन्तर्गत अनुमति दी गयी है, के लिए किया जायेगा और इसी प्रयोजन के उपयोग हेतु इस भूखण्ड पर भवन का निर्माण किया जायेगा।
- इस पट्टा विलेख की तारीख से 7 वर्ष, या ऐसी अतिरिक्त अवधि के भीतर जो नियम-26 के अन्तर्गत बढ़ा दी जावे, लीजधारक के द्वारा इस भूखण्ड पर भवन का निर्माण कराया जायेगा।
- लीजधारक उक्त भूखण्ड को आगे और अन्तरित या उप-पट्टे पर दे सकेगा। उक्त नियमों में अन्तर्विष्ट निबंधन और शर्तों और अन्य उपबंध, यथावश्यक परिवर्तन सहित, अन्तरिती या उप-पट्टेदार पर इस प्रकार लागू होंगे मानो प्रथमतः उक्त भूखण्ड नगर निकाय द्वारा दिया गया है या अन्तरित किया गया है। लीजधारक द्वारा उप-पट्टे की कालावधि स्वयं द्वारा अवधारित की जायेगी किन्तु किसी भी दशा में मूल पट्टे की कालावधि से अधिक नहीं होगी। उप-पट्टे उक्त नियमों में विहित समस्त अन्य निबंधनों और शर्तों या किन्हीं पृथक् आदेशों द्वारा, जो राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर इस निमित्त विनिर्दिष्ट मामलों में जारी किये जायें, शासित होंगे।
- उक्त भूखण्ड के अन्तरण के मामले में, अन्तरिती के पक्ष में नाम में अन्तरण के लिए नगर निकाय को आवेदन के साथ रजिस्ट्रीकृत विक्रय विलेख, दान विलेख, या वसीयत या अन्य सुसंगत दस्तावेज प्रस्तुत किये जायेंगे। प्रत्येक अन्तरण के लिए आवेदन के साथ दस रुपये प्रति वर्गमीटर की दर से अन्तरण फीस निक्षिप्त की जायेगी; परन्तु लीजधारक की मृत्यु के मामलों में इस नियम के अधीन कोई फीस प्रभारित नहीं की जायेगी।
- उक्त नियमों के अधीन किसी व्यक्ति के प्रति परादेय प्रीमियम या नगरीय निर्धारण या ब्याज, आन्तरिक/बाह्य विकास प्रभारों का कोई बकाया राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 के अधीन भू-राजस्व की बकाया के रूप में लीजधारक से वसूलीय होगा।
- यदि आवंटन या पट्टा विलेख के निष्पादन के परचात् यह पाया जाता है कि आवंटन या पट्टा विलेख विधि की दुरभिसंधि या उसके उल्लंघन में कपटपूर्ण दस्तावेज के आधार पर दुर्यपदेशन द्वारा अभिप्राप्त किया गया है या आवंटन या पट्टा विलेख के (क.प.उ.)

निबंधनों और शर्तों का अतिक्रमण किया गया है तो नगर निकाय उक्त भूखण्ड पर उसके किसी सन्निर्माण सहित उसे प्रतिसंहत करेगा जो सभी प्रभारों से रहित नगर निकाय में निहित समझे जायेंगे, और नगर निकाय किसी भी व्यक्ति को कारित किसी भी प्रकार की नुकसानी के लिए दायी नहीं होगा।

10. इस पट्टा विलेख के आधार पर उक्त भूखण्ड को सरकार/जीवन बीमा निगम/शिडयूल्ड बैंक/सरकार ऋणदात्री संस्था/एच.डी.एफ. सी. अथवा नेशनल बैंक द्वारा अधिकृत ऋणदात्री संस्थाओं के पास ऋण के लिए बंधक रखा जा सकेगा।

*जो लागू नहीं हो उसे काट दें।

प्रकरण संख्या :-

परिशिष्ट

कस्बे का नाम :
राजस्व ग्राम : भिलासपुर
खसरा नम्बर : 15/8
योजना का नाम
विस्तृत नाप सहित क्षेत्रफल वर्गगज/वर्गमीटर
146.63 वर्गमीटर

सीमा पूर्व 30' Road सीमा पश्चिम OTHER LAND
सीमा उत्तर OTHER LAND सीमा दक्षिण P.N. 15 मानचित्र संलग्न है।
भूखण्ड की संख्या यदि कोई हो P.N. 16

इसके साक्षी के रूप में इसके फरीकेन ने इसके बाद प्रत्येक दशा में निर्देशित स्थानों और तारीखों पर अपने अपने हस्ताक्षर कर दिये हैं।

नगरीय निकाय की ओर से

आज सन् 20 माह के 11/9/2020 वें दिन
श्री अनिल कुमार पूनियाँ
निम्न की उपस्थिति में जोधपुर में हस्ताक्षर किये।
उपायुक्त (पूर्व)

11.9.2020
उपायुक्त (पूर्व)
नगर निकाय - प्रथम पक्ष
जोधपुर विकास प्राधिकरण
(सक्षम अधिकारी के हस्ताक्षर एवं मोहर)

साक्षी :-

श्री बाबूलाल
वरिष्ठ सहायक

1. नाम
पिता/पति का नाम
व्यवसाय
निवास स्थान

साक्षी के हस्ताक्षर

2. नाम
पिता/पति का नाम
व्यवसाय
निवास स्थान

साक्षी के हस्ताक्षर

आज दिनांक सन् 20 के माह के
वें दिन को निम्नलिखित की उपस्थिति में उक्त श्री
लोजधारक द्वारा कार्यालय, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर में हस्ताक्षर किये
गये।

For DHARTI INFRA

Kamlesh Parokit
PARTNER
लोजधारक - द्वितीय पक्ष

साक्षी :-

1. नाम अमिका 34122112
पिता/पति का नाम करम 34122112
व्यवसाय नौकरी
निवास स्थान नागौरी गौर के अन्दर, अल्पर 1 डील

साक्षी के हस्ताक्षर

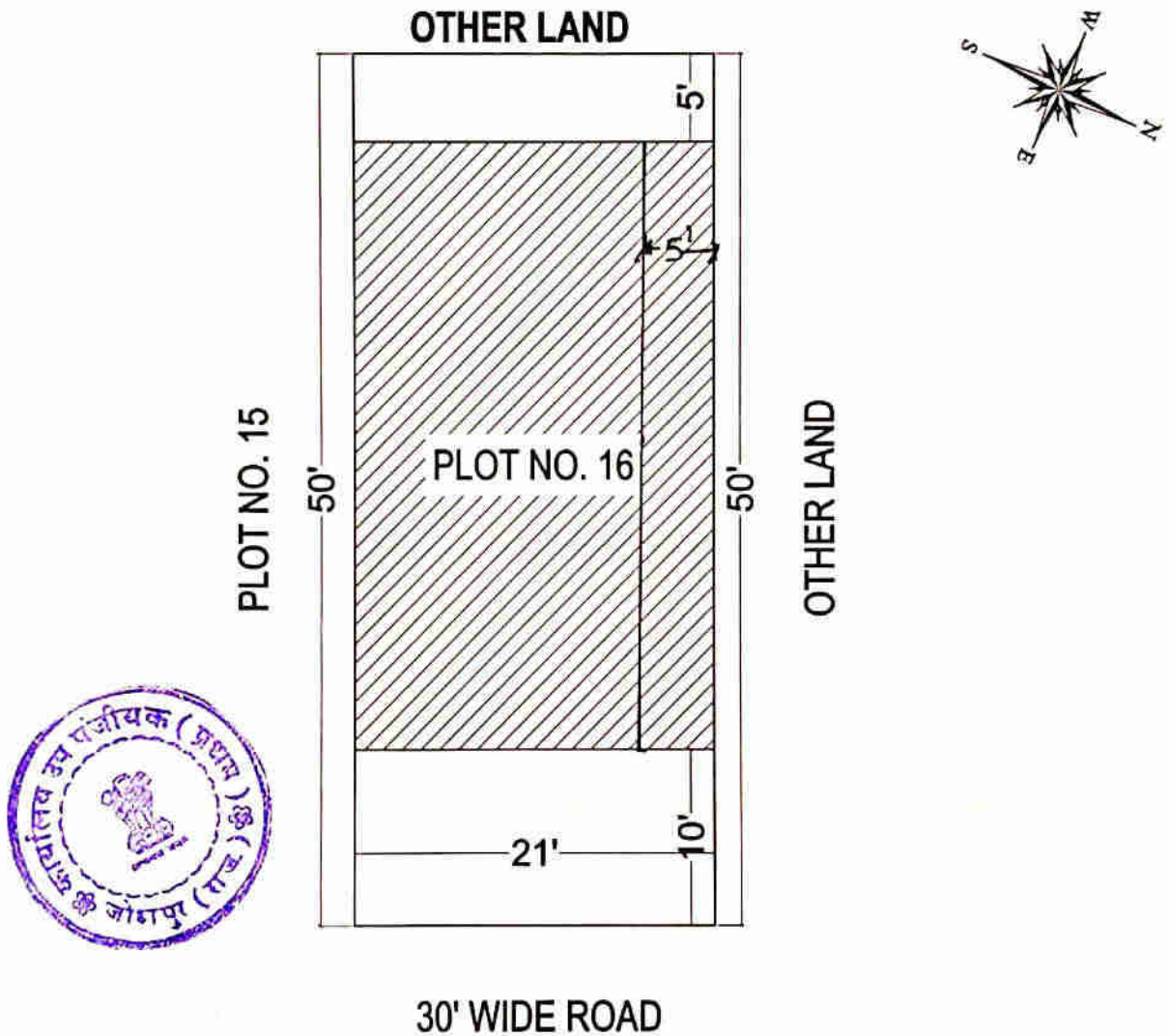
2. नाम मिनिन भायु
पिता/पति का नाम नरेश चन्द्र भायु
व्यवसाय नौकरी
निवास स्थान महाविष्णुम जोधपुर

साक्षी के हस्ताक्षर

**SITE PLAN OF PLOT NO. 16 IN RESIDENTIAL SCHEME (DHARTI ANGAN
PHASE - 02) ON KHASRA NO. $\frac{15}{8}$ OF VILLAGE JHALAMAND AT JODHPUR**

PLOT SIZE - 21'0"X50'0"
PLOT AREA - 1050.00 SQ.FT. OR 116.67 SQ.YARD

SCALE - 1:10



सहायक नगर निवाज
जोधपुर विकास प्राधिकरण
जोधपुर

उपायुक्त (पूर्व)
जोधपुर विकास प्राधिकरण
जोधपुर



जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर

राजस्थान नगरीय क्षेत्र (कृषि भूमि का गैर-कृषिक प्रयोजन के लिए उपयोग की अनुज्ञा और आवंटन) नियम, 2012 के नियम 22 के अन्तर्गत भूमि का

1497/119/2020

पट्टा विलेख



यह विलेख आज वर्ष के माह के वे दिन जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर (जिन्हें इसके बाद नगर निकाय कहकर संबोधित किया गया है) प्रथम पक्ष एवं श्री

धरती इंफ्रा जरिये पार्टनर

श्री कमलेश पुरहित पुत्र श्री बन्नीलाल जी पुरहित

जाति-बाढ़ान, निवासी-11, हरिओम नगर विस्तार, जोधपुर

जाति

व्यवसाय निवासी (जिनको इसके बाद लीजधारक संबोधित किया गया है) द्वितीय पक्ष तथा इस इबारत में जहां कहीं प्रसंग से वैसा अर्थ निकले, उनके उत्तराधिकारी, निर्वाहक, प्रबंधक, प्रतिनिधि और मुत्तकिल अलैह भी सम्मिलित होंगे) के मध्य निष्पादित हुआ है।

यह विलेख साक्षात्कृत करता है कि प्रीमियम तथा विकास शुल्क की रकम जो लीजधारक (पट्टाधारक) के द्वारा अदा कर दी गई है और जिसकी रसीद नगर निकाय के द्वारा स्वीकार कर ली गई है, और इसमें उल्लेखित शर्तों और कसरों जो लीजधारक द्वारा निष्पादित तथा पालन किये जायेंगे, के एवज में नगर निकाय इनके द्वारा लीजधारक को जमीन का वह तमाम भूखण्ड (जिसें इसके बाद उक्त भूखण्ड कहकर संबोधित किया गया है) प्रदान और लीज करती है जो योजना राजस्व ग्राम के खसरा संख्या क्षेत्रफल में स्थित है और जो अपनी सीमा और क्षेत्रफल के साथ इसके अन्तर्गत लिखे गये परिशिष्ट में अधिक पूर्णरूपेण वर्णित है तथा जिसका आकार विशेष रूप से इससे संलग्न नक्शे में लाल रंग में दिखाया गया है, और जिसे पूर्ण स्वामित्व संबंधी रयतों सहित किन्तु निम्नलिखित तमाम व प्रत्येक अपवादों, संरक्षणों, प्रतिबंधों, बंधनों, शर्तों और कसरों के अधीन खटेददार अपने उपयोग, उपयोग और इस्तेमाल के लिए अपने अधिकार में रखेगा, अर्थात् :-

- लीजधारक नगर निकाय के कार्यालय में या ऐसे स्थान पर जिसे नगर निकाय समय-समय पर इस हेतु नियत कर दे, प्रत्येक वर्ष अप्रैल के प्रथम दिन उक्त भूखण्ड के संबंध में उक्त नियमों के नियम 20 के उप-नियम (1) के अन्तर्गत निर्धारित किये गये नगरीय निर्धारण (शहरी जमाबन्दी का भूमि का किराया) के तौर पर रुपये अके मात्र पेशगी अदा करेगा, परन्तु लीजधारक, यदि चाहे तो एक बारिय नगरीय निर्धारण (शहरी जमाबन्दी का भूमि का किराया) को राशि जमा करा सकेगा, जो उस वर्ष, जिसमें राशि जमा करायी जाती है, को सम्मिलित करते हुए, पूर्ण वार्षिक नगरीय निर्धारण की राशि के आठ गुणा के बराबर होगी और इस प्रकार जमा कराई गयी नगरीय निर्धारण की राशि के फलस्वरूप लीजधारक उक्त भूखण्ड पर नगरीय निर्धारण की राशि के संदाय के दायित्व से छूट प्राप्त करने का अधिकारी होगा।
- एक बार भूखण्ड किराया नगरीय निर्धारण या भूमि का किराया प्रत्येक 15 वर्ष के पश्चात् और विक्रय या दान या अन्यथा द्वारा ऐसे अन्तरण पर भी पुनरीक्षण का दायी होगा और ऐसी वृद्धि प्रत्येक अवसर पर ऐसे पुनरीक्षण या, यथास्थिति, अन्तरण के समय नगरीय निर्धारण या भूमि के किराये का 25 प्रतिशत होगी।
- पट्टे की अवधि :- पट्टाप्राप्ति अधिकार 99 वर्ष के लिए होगी।
- उक्त भूखण्ड का उपयोग केवल प्रयोजन, जिसके लिए नगर निकाय द्वारा उक्त नियमों के अन्तर्गत अनुमति दी गयी है, के लिए किया जायेगा और इसी प्रयोजन के उपयोग हेतु इस भूखण्ड पर भवन का निर्माण किया जायेगा।
- इस पट्टा विलेख की तारीख से 7 वर्ष, या ऐसी अतिरिक्त अवधि के भीतर जो नियम-26 के अन्तर्गत बढ़ा दी जावे, लीजधारक के द्वारा इस भूखण्ड पर भवन का निर्माण कराया जायेगा।
- लीजधारक उक्त भूखण्ड को आगे और अन्तर्गत या उप-पट्टे पर दे सकेगा। उक्त नियमों में अन्तर्विष्ट निबंधन और शर्तों और अन्य उपबंध, यथावश्यक परिवर्तन सहित, अन्तरिती या उप-पट्टेदार पर इस प्रकार लागू होंगे मानो प्ररनगत उक्त भूखण्ड नगर निकाय द्वारा दिया गया है या अन्तर्गत किया गया है। लीजधारक द्वारा उप-पट्टे की कालावधि रयतों द्वारा अवधारित की जायेगी किन्तु किसी भी दशा में मूल पट्टे की कालावधि से अधिक नहीं होगी। उप-पट्टे उक्त नियमों में विहित समस्त अन्य निबंधनों और शर्तों या किसी पृथक् आदेशों द्वारा, जो राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर इस निमित्त विनिर्दिष्ट मामलों में जारी किये जायें, शासित होंगे।
- उक्त भूखण्ड के अन्तरण के मामले में, अन्तरिती के पक्ष में नाम में अन्तरण के लिए नगर निकाय को आवेदन के साथ रजिस्ट्रीकृत विक्रय विलेख, दान विलेख, या वसीयत या अन्य सुसंगत दस्तावेज प्रस्तुत किये जायेंगे। प्रत्येक अन्तरण के लिए आवेदन के साथ दस रुपये प्रति वर्गमीटर की दर से अन्तरण फीस निक्षिप्त की जायेगी; परन्तु लीजधारक की मृत्यु के मामलों में इस नियम के अधीन कोई फीस प्रभारित नहीं की जायेगी।
- उक्त नियमों के अधीन किसी व्यक्ति के प्रति परादेय प्रीमियम या नगरीय निर्धारण या ब्याज, आन्तरिक/बाह्य विकास प्रभारों का कोई बकाया राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 के अधीन भू-राजस्व की बकाया के रूप में लीजधारक से वसूलीय होगा।
- यदि आवंटन या पट्टा विलेख के निष्पादन के पश्चात् यह पाया जाता है कि आवंटन या पट्टा विलेख विधि की दुरभिसंधि या उसके उल्लंघन में कपटपूर्ण दस्तावेज के आधार पर दुर्यपदेशन द्वारा अभिप्राप्त किया गया है या आवंटन या पट्टा विलेख के

(क.प.उ.)

निबंधनों और शर्तों का अतिक्रमण किया गया है तो नगर निकाय उक्त भूखण्ड पर उसके किसी सन्निर्माण सहित उसे प्रतिसंभृत करेगा जो सभी प्रमारों से रहित नगर निकाय में निहित समझे जायेंगे, और नगर निकाय किसी भी व्यक्ति को कारित किसी भी प्रकार की नुकसानी के लिए दायी नहीं होगा।

10. इस पट्टा विलेख के आधार पर उक्त भूखण्ड को सरकार/जीवन बीमा निगम/शिड्यूल्ड बैंक/सरकार ऋणदात्री संस्था/एच.डी.एफ. सी. अथवा नेशनल बैंक द्वारा अधिकृत ऋणदात्री संस्थाओं के पास ऋण के लिए बंधक रखा जा सकेगा।

*जो लागू नहीं हो उसे काट दें।

प्रकरण संख्या :-

परिशिष्ट

कस्बे का नाम :
राजस्व ग्राम : 511/1405
खसरा नम्बर : 15/8
योजना का नाम
विस्तृत नाप सहित क्षेत्रफल वर्गगज/वर्गमीटर
100 do/10

सीमा पूर्व P.No. 46 सीमा पश्चिम 30' Road
सीमा उत्तर OTHER LAND सीमा दक्षिण P.No. 48 मानचित्र संलग्न है।
भूखण्ड की संख्या यदि कोई हो P.No. 17

इसके साक्षी के रूप में इसके फरीकेन ने इसके बाद प्रत्येक दशा में निर्देशित स्थानों और तारीखों पर अपने अपने हस्ताक्षर कर दिये हैं।

नगरीय निकाय की ओर से

आज सन् 20 माह के 11/9/2020 वें दिन
श्री अनिल कुमार पूनया
निम्न की उपस्थिति में जोधपुर में हस्ताक्षर किये।
उपायुक्त (पूर्व)

11.9.2020
उपायुक्त (पूर्व)
श्री अनिल कुमार पूनया
(सक्षम अधिकारी के हस्ताक्षर एवं मोहर)

साक्षी :-

श्री बाबूलाल

- नाम
पिता/पति का नाम
व्यवसाय
निवास स्थान
- नाम
पिता/पति का नाम
व्यवसाय
निवास स्थान

साक्षी के हस्ताक्षर

साक्षी के हस्ताक्षर

आज दिनांक सन् 20 के माह के
वें दिन को निम्नलिखित की उपस्थिति में उक्त श्री
लोजधारक द्वारा कार्यालय, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर में हस्ताक्षर किये
गये।

For DHARTI INFRA

Kamlesh Parohit
PARTNER
लोजधारक - द्वितीय पक्ष

साक्षी :-

- नाम अमीका उपाध्याय
पिता/पति का नाम करण उपाध्याय
व्यवसाय नौकरी
निवास स्थान नागौरी गेट के अन्दर, अद्वार शिला
- नाम नितीन माथुर
पिता/पति का नाम नरेश चन्द्र माथुर
व्यवसाय नौकरी
निवास स्थान महावीर प्ररम जोधपुर

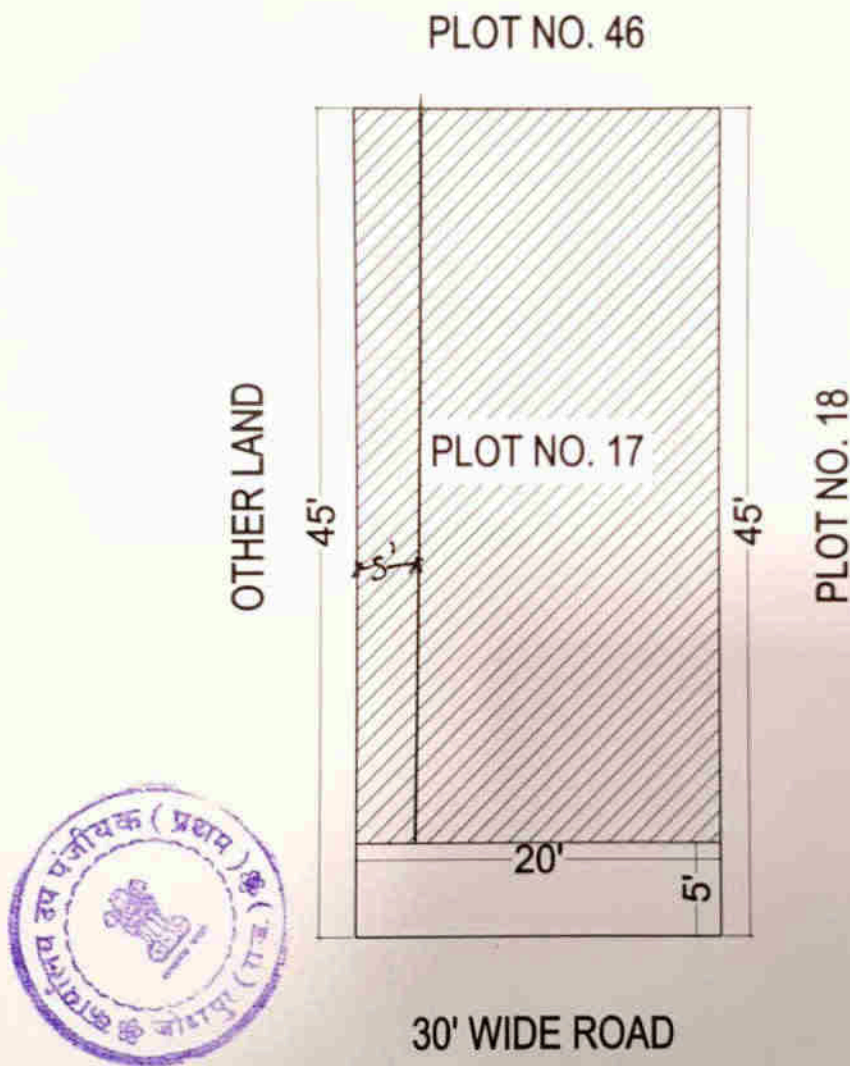
साक्षी के हस्ताक्षर

साक्षी के हस्ताक्षर

SITE PLAN OF PLOT NO. 17 IN RESIDENTIAL SCHEME (DHARTI ANGAN
PHASE - 02) ON KHASRA NO. $\frac{15}{8}$ OF VILLAGE JHALAMAND AT JODHPUR

PLOT SIZE - 20'0"X45'0"
PLOT AREA - 900.00 SQ.FT. OR 100.00 SQ.YARD

SCALE - 1:10



सहायक नगर निधी
जोधपुर विकास प्राधिकरण
जोधपुर

11.9.2020
उपायुक्त (पूर्व)
जोधपुर विकास प्राधिकरण
जोधपुर



जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर

राजस्थान नगरीय क्षेत्र (कृषि भूमि का गैर-कृषिक प्रयोजन के लिए उपयोग की अनुज्ञा और आवंटन) नियम, 2012 के नियम 22 के अन्तर्गत भूमि का



15972
11/11/2012 पट्टा विलेख

यह विलेख आज वर्ष के माह के वे दिन जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर (जिन्हें इसके बाद नगर निकाय कहकर संबोधित किया गया है) प्रथम पक्ष एवं श्री

श्री इन्द्रा जयिरे पटेल

श्री कमलेश पुराहित पुत्र श्री बन्नीलाल जी पुरोहित

जाती-ब्राह्मण निवासी-11, हरिओम नगर विस्तार, जेबपुराति

व्यवसाय निवासी (जिनको इसके बाद लीजधारक संबोधित किया गया है) द्वितीय पक्ष तथा इस इबारत में जहां कहीं प्रसंग से वैसा अर्थ निकले, उनके उत्तराधिकारी, निर्वाहक, प्रबंधक, प्रतिनिधि और मुक्तफिल अलैह भी सम्मिलित होंगे) के मध्य निष्पादित हुआ है।

यह विलेख साक्ष्यांकित करता है कि प्रीमियम तथा विकास शुल्क की रकम जो लीजधारक (पट्टाधारक) के द्वारा अदा कर दी गई है और जिसकी रसीद नगर निकाय के द्वारा रसीद कर ली गई है, और इसमें उल्लेखित शर्तों और करारों जो लीजधारक द्वारा निष्पादित तथा पालन किये जायेंगे, के एवज में नगर निकाय इनके द्वारा लीजधारक को जमीन का यह तमाम भूखण्ड (जिसे इसके बाद उक्त भूखण्ड कहकर संबोधित किया गया है) प्रदान और लीज करती है जो योजना

के खसरा संख्या 1518 क्षेत्रफल 100 वर्ग मी. में स्थित है और जो अपनी सीमा और क्षेत्रफल के साथ इसके अन्तर्गत लिखे गये परिशिष्ट में अधिक पूर्णरूपेण वर्णित है तथा जिसका आकार विशेष रूप से इससे संलग्न नक्शों में ताल रंग में दिखाया गया है, और जिसे पूर्ण स्वामित्व संबंधी रयत्तों सहित किन्तु निम्नलिखित तमाम य प्रत्येक अपवादों, संरक्षणों, प्रतिबंधों, बंधनों, शर्तों और करारों के अधीन खरीददार अपने उपयोग, उपभोग और इस्तेमाल के लिए अपने अधिकार में रखेगा, अर्थात् :-

- लीजधारक नगर निकाय के कार्यालय में या ऐसे स्थान पर जिसे नगर निकाय समय-समय पर इस हेतु नियत कर दे, प्रत्येक वर्ष अप्रैल के प्रथम दिन उक्त भूखण्ड के संबंध में उक्त नियमों के नियम 20 के उप-नियम (1) के अन्तर्गत निर्धारित किये गये नगरीय निर्धारण (शहरी जमाबन्दी या भूमि का किराया) के तौर पर रुपये 9365/- अंके में नगर निकाय को भुगतान करेगा, जो उस वर्ष, जिसमें राशि जमा करायी जाती है, को सम्मिलित करते हुए, पूर्ण वार्षिक नगरीय निर्धारण की राशि के आठ गुणा के बराबर होगी और इस प्रकार जमा कराई गयी नगरीय निर्धारण की राशि के फलस्वरूप लीजधारक उक्त भूखण्ड पर नगरीय निर्धारण की राशि के संदाय के दायित्व से छूट प्राप्त करने का अधिकारी होगा।
- उक्त भूखण्ड पर नगरीय निर्धारण या भूमि का किराया प्रत्येक 15 वर्ष के पश्चात् और विक्रय या दान या अन्यथा द्वारा ऐसे अन्तरण पर भी भुगतान किया जायेगा और ऐसी वृद्धि प्रत्येक अवसर पर ऐसे पुनरीक्षण या, यथास्थिति, अन्तरण के समय नगरीय निर्धारण या भूमि का किराया की 25 प्रतिशत होगी।
- पट्टे की अवधि :- पट्टाधृति अधिकार 99 वर्ष के लिए होंगे।
- उक्त भूखण्ड का उपयोग केवल प्रयोजन, जिसके लिए नगर निकाय द्वारा उक्त नियमों के अन्तर्गत अनुमति दी गयी है, के लिए किया जायेगा और इसी प्रयोजन के उपयोग हेतु इस भूखण्ड पर भवन का निर्माण किया जायेगा।
- इस पट्टा विलेख की तारीख से 7 वर्ष, या ऐसी अतिरिक्त अवधि के भीतर जो नियम-26 के अन्तर्गत बढ़ा दी जाये, लीजधारक के द्वारा इस भूखण्ड पर भवन का निर्माण कराया जायेगा।
- लीजधारक उक्त भूखण्ड को आगे और अन्तरित या उप-पट्टे पर दे सकेगा। उक्त नियमों में अन्तर्विष्ट निबंधन और शर्तों और अन्य उपबंध, यथावश्यक परिवर्तन सहित, अन्तरिती या उप-पट्टेदार पर इस प्रकार लागू होंगे मानो प्रश्नगत उक्त भूखण्ड नगर निकाय द्वारा दिया गया है या अन्तरित किया गया है। लीजधारक द्वारा उप-पट्टे की कालावधि स्वयं द्वारा अवधारित की जायेगी किन्तु किसी भी दशा में मूल पट्टे की कालावधि से अधिक नहीं होगी। उप-पट्टे उक्त नियमों में विहित समस्त अन्य निबंधनों और शर्तों या किन्हीं पृथक् आदेशों द्वारा, जो राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर इस निमित्त विनिर्दिष्ट मामलों में जारी किये जायें, शासित होंगे।
- उक्त भूखण्ड के अन्तरण के मामले में, अन्तरिती के पक्ष में नाम में अन्तरण के लिए नगर निकाय को आवेदन के साथ रजिस्ट्रीकृत विक्रय विलेख, दान विलेख, या वसीयत या अन्य सुसंगत दस्तावेज प्रस्तुत किये जायेंगे। प्रत्येक अन्तरण के लिए आवेदन के साथ दस रुपये प्रति वर्गमीटर की दर से अन्तरण फीस निक्षिप्त की जायेगी; परन्तु लीजधारक की मृत्यु के मामले में इस नियम के अधीन कोई फीस प्रभारित नहीं की जायेगी।
- उक्त नियमों के अधीन किसी व्यक्ति के प्रति परादेय प्रीमियम या नगरीय निर्धारण या ब्याज, आन्तरिक/बाह्य विकास प्रभारों का कोई बकाया राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 के अधीन भू-राजस्व की बकाया के रूप में लीजधारक से वसूलीय होगा।
- यदि आवंटन या पट्टा विलेख के निष्पादन के पश्चात् यह पाया जाता है कि आवंटन या पट्टा विलेख विधि की दुरभिसंधि या उसके उल्लंघन में कपटपूर्ण दस्तावेज के आधार पर दुरुपदेशन द्वारा अभिप्राप्त किया गया है या आवंटन या पट्टा विलेख के

(क.प.उ.)

निबंधनों और शर्तों का अतिक्रमण किया गया है तो नगर निकाय उक्त भूखण्ड पर उसके किसी सन्निर्माण सहित उसे प्रतिरहित करेगा जो सभी प्रभारों से रहित नगर निकाय में निहित समझे जायेंगे, और नगर निकाय किसी भी व्यक्ति को कारित किसी भी प्रकार की नुकसानी के लिए दायी नहीं होगा।

10. इस पट्टा विलेख के आधार पर उक्त भूखण्ड को सरकार/जीवन बीमा निगम/शिड्यूल्ड बैंक/सरकार ऋणदात्री संस्था/एच.डी.एफ. सी. अथवा नेशनल बैंक द्वारा अधिकृत ऋणदात्री संस्थाओं के पास ऋण के लिए बंधक रखा जा सकेगा।

*जो लागू नहीं हो उसे काट दें।

प्रकरण संख्या :-

परिशिष्ट

कस्बे का नाम :
राजस्व ग्राम :
खसरा नम्बर :
योजना का नाम
विस्तृत नाप सहित क्षेत्रफल वर्गगज/वर्गमीटर
100 90/10

सीमा पूर्व P.No. 45 सीमा पश्चिम 30' Road
सीमा उत्तर P.No. 17 सीमा दक्षिण P.No. 19 मानचित्र संलग्न है।
भूखण्ड की संख्या यदि कोई हो P.No. 18

इसके साक्षी के रूप में इसके फरीकेन ने इसके बाद प्रत्येक दशा में निर्देशित स्थानों और तारीखों पर अपने अपने हस्ताक्षर कर दिये हैं।

नगरीय निकाय की ओर से

आज सन् 20 माह के 11/9/2020 वें दिन
श्री अनिल कुमार पूनियाँ
निम्न की उपस्थिति में जोधपुर में हस्ताक्षर किये। उपायुक्त (पूर्व)

11.9.2020
उपायुक्त (पूर्व)
जोधपुर नगर विकास प्राधिकरण
(सक्षम अधिकारी के हस्ताक्षर एवं मोहर)

साक्षी :-

श्री बाबूलाल

1. नाम वरिष्ठ सहायक
पिता/पति का नाम
व्यवसाय
निवास स्थान

साक्षी के हस्ताक्षर

2. नाम
पिता/पति का नाम
व्यवसाय
निवास स्थान

साक्षी के हस्ताक्षर

आज दिनांक सन् 20 के माह के
वें दिन को निम्नलिखित की उपस्थिति में उक्त श्री
लोजधारक द्वारा कार्यालय, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर में हस्ताक्षर किये
गये।

For DHARTI INFRA

Kamlesh Purohit
PARTNER
लोजधारक - द्वितीय पक्ष

साक्षी :-

1. नाम नमिका उपाध्याय
पिता/पति का नाम करवी उपाध्याय
व्यवसाय नोकरी
निवास स्थान नागोरी गेट के अन्दर, अल्पर शिला

Bhumika

साक्षी के हस्ताक्षर

2. नाम विजित माथुर
पिता/पति का नाम प्रेम चन्द्र माथुर
व्यवसाय नोकरी
निवास स्थान महेविशपुर, जोधपुर

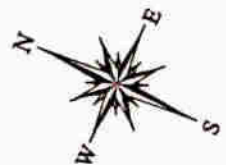
विजित

साक्षी के हस्ताक्षर

**SITE PLAN OF PLOT NO. 18 IN RESIDENTIAL SCHEME (DHARTI ANGAN
PHASE - 02) ON KHASRA NO. $\frac{15}{8}$ OF VILLAGE JHALAMAND AT JODHPUR**

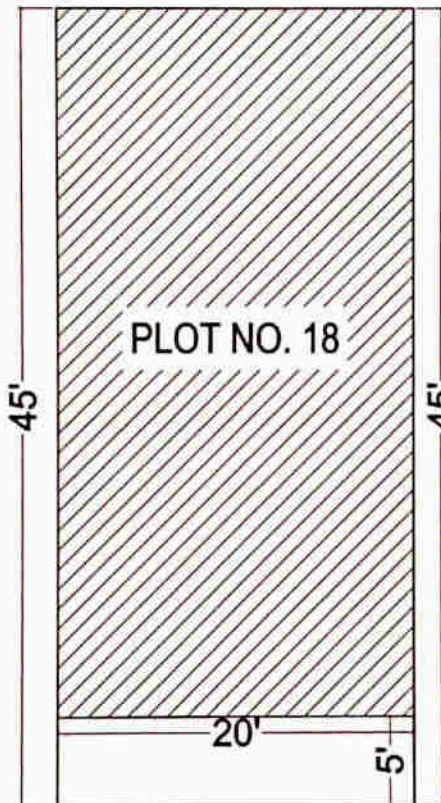
PLOT SIZE - 20'0"X45'0"
PLOT AREA - 900.00 SQ.FT. OR 100.00 SQ.YARD

SCALE - 1:10



PLOT NO. 45

PLOT NO. 17



PLOT NO. 19



30' WIDE ROAD

सहायक नगर नियाजक
जोधपुर विकास प्राधिकरण
जोधपुर

उपायुक्त (पूर्व)
जोधपुर विकास प्राधिकरण
जोधपुर



जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर

राजस्थान नगरीय क्षेत्र (कृषि भूमि का गैर-कृषिक प्रयोजन के लिए उपयोग की अनुज्ञा और आवंटन) नियम, 2012 के नियम 22 के अन्तर्गत भूमि का

14972
11/8/2020

पट्टा विलेख



यह विलेख आज वर्ष के माह के के दिन जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर (जिन्हें इसके बाद नगर निकाय कहकर संबोधित किया गया है) प्रथम पक्ष एवं श्री वस्ती इला-जस्मि मार्टन श्री कमलेश पुरहित-पुत्र-श्री-बन्सीलाल-जी-पुरहित जाति-ब्राह्मण, निवासी-11, हरिओम नगर विस्तार-जोधपुर जाति

व्यवसाय निवासी (जिनको इसके बाद लीजधारक संबोधित किया गया है) द्वितीय पक्ष तथा इस इबारत में जहां कहीं प्रसंग से वैसा अर्थ निकले, उनके उत्तराधिकारी, निरवाहक, प्रबंधक, प्रतिनिधि और मुत्तकिल अलैह भी सम्मिलित होंगे) के मध्य निष्पादित हुआ है।

यह विलेख साक्षात्कृत करता है कि प्रीमियम तथा विकास शुल्क की रकम जो लीजधारक (पट्टाधारक) के द्वारा अदा कर दी गई है और जिसकी रसीद नगर निकाय के द्वारा रबीकार कर ली गई है, और इसमें उल्लेखित शर्तों और करारों जो लीजधारक द्वारा निष्पादित तथा पालन किये जायेंगे, के एवज में नगर निकाय इनके द्वारा लीजधारक को जमीन का वह तमाम भूखण्ड (जिसे इसके बाद उक्त भूखण्ड कहकर संबोधित किया गया है) प्रदान और लीज करती है जो योजना राजस्थान ग्राम के खसरा संख्या क्षेत्रफल में स्थित है और जो अपनी सीमा और क्षेत्रफल के साथ इसके अन्तर्गत लिखे गये परिशिष्ट में अधिक पूर्णरूपेण वर्णित है तथा जिसका आकार विशेष रूप से इससे संलग्न नक्शों में लाल रंग में दिखाया गया है, और जिसे पूर्ण स्वामित्व संबंधी रक्तों सहित किन्तु निम्नलिखित तमाम व प्रत्येक अपवादों, संरक्षणों, प्रतिबंधों, बंधनों, शर्तों और करारों के अधीन खरीददार अपने उपयोग, उपभोग और इस्तेमाल के लिए अपने अधिकार में रखेगा, अर्थात :-

- लीजधारक नगर निकाय के कार्यालय में या ऐसे स्थान पर जिसे नगर निकाय समय-समय पर इस हेतु नियत कर दें, प्रत्येक वर्ष अप्रैल के प्रथम दिन उक्त भूखण्ड के संबंध में उक्त नियमों के नियम 20 के उप-नियम (1) के अन्तर्गत निर्धारित किये गये नगरीय निर्धारण (शहरी जमाबन्दी या भूमि का किराया) के तौर पर रुपये अर्के मात्र पेशगी अदा करेगा, परन्तु लीजधारक, यदि चाहे तो एक वार्षिक नगरीय निर्धारण (शहरी जमाबन्दी या भूमि का किराया) की राशि जमा करा सकेगा, जो उस वर्ष, जिसमें राशि जमा करायी जाती है, को सम्मिलित करते हुए, पूर्ण वार्षिक नगरीय निर्धारण की राशि के आठ गुणा के बराबर होगी और इस प्रकार जमा कराई गयी नगरीय निर्धारण की राशि के फलस्वरूप लीजधारक उक्त भूखण्ड पर नगरीय निर्धारण की राशि के संदाय के दायित्व से छूट प्राप्त करने का अधिकारी होगा।
- एक बार निश्चित किया गया नगरीय निर्धारण या भूमि का किराया प्रत्येक 15 वर्ष के पश्चात् और विक्रय या दान या अन्यथा द्वारा ऐसे अन्तरण पर भी पुनरीक्षण का दायी होगा और ऐसी वृद्धि प्रत्येक अवसर पर ऐसे पुनरीक्षण या, यथास्थिति, अन्तरण के समय नगरीय निर्धारण या भूमि के किराये का 25 प्रतिशत होगी।
- पट्टे की अवधि :- पट्टापट्टाधिकार 99 वर्ष के लिए होगा।
- उक्त भूखण्ड का उपयोग केवल प्रयोजन, जिसके लिए नगर निकाय द्वारा उक्त नियमों के अन्तर्गत अनुमति दी गयी है, के लिए किया जायेगा और इसी प्रयोजन के उपयोग हेतु इस भूखण्ड पर भवन का निर्माण किया जायेगा।
- इस पट्टा विलेख की तारीख से 7 वर्ष, या ऐसी अतिरिक्त अवधि के भीतर जो नियम-26 के अन्तर्गत बढ़ा दी जावे, लीजधारक के द्वारा इस भूखण्ड पर भवन का निर्माण कराया जायेगा।
- लीजधारक उक्त भूखण्ड को आगे और अन्तरित या उप-पट्टे पर दे सकेगा। उक्त नियमों में अन्तर्विष्ट निबंधन और शर्तें और अन्य उपबंध, यथावश्यक परिवर्तन सहित, अन्तरित या उप-पट्टेदार पर इस प्रकार लागू होंगे मानो प्रशस्त उक्त भूखण्ड नगर निकाय द्वारा दिया गया है या अन्तरित किया गया है। लीजधारक द्वारा उप-पट्टे की कालावधि स्वयं द्वारा अवधारित की जायेगी किन्तु किसी भी दशा में मूल पट्टे की कालावधि से अधिक नहीं होगी। उप-पट्टे उक्त नियमों में विहित समस्त अन्य निबंधनों और शर्तों या किन्हीं पृथक् आदेशों द्वारा, जो राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर इस निमित्त विनिर्दिष्ट मामलों में जारी किये जायें, शासित होंगे।
- उक्त भूखण्ड के अन्तरण के मामले में, अन्तरित के पक्ष में नाम में अन्तरण के लिए नगर निकाय को आवेदन के साथ रजिस्ट्रीकृत विक्रय विलेख, दान विलेख, या वसीयत या अन्य सुसंगत दस्तावेज प्रस्तुत किये जायेंगे। प्रत्येक अन्तरण के लिए आवेदन के साथ दस रुपये प्रति वर्गमीटर की दर से अन्तरण फीस निक्षिप्त की जायेगी; परन्तु लीजधारक की मृत्यु के मामलों में इस नियम के अधीन कोई फीस प्रभारित नहीं की जायेगी।
- उक्त नियमों के अधीन किसी व्यक्ति के प्रति परादेय प्रीमियम या नगरीय निर्धारण या ब्याज, आन्तरिक/बाह्य विकास प्रभारों का कोई बकाया राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 के अधीन भू-राजस्व की बकाया के रूप में लीजधारक से वसूली होगी।
- यदि आवंटन या पट्टा विलेख के निष्पादन के पश्चात् यह पाया जाता है कि आवंटन या पट्टा विलेख विधि की दुरभिरंधि या उसके उत्पन्न में कपटपूर्ण दस्तावेज के आधार पर दुरुपदेशन द्वारा अभिप्राप्त किया गया है या आवंटन या पट्टा विलेख के

निबंधनों और शर्तों का अतिक्रमण किया गया है तो नगर निकाय उक्त भूखण्ड पर उसके किसी सन्निर्माण सहित उसे प्रतिसंहत करेगा जो सभी प्रभाओं से रहित नगर निकाय में निहित समझे जायेंगे, और नगर निकाय किसी भी व्यक्ति को कारित किसी भी प्रकार की नुकसानी के लिए दायी नहीं होगा।

10. इस पट्टा विलेख के आधार पर उक्त भूखण्ड को सरकार/जीवन बीमा निगम/शिड्यूल्ड बैंक/सरकार ऋणदात्री संस्था/एच.डी.एफ. सी. अथवा नेशनल बैंक द्वारा अधिकृत ऋणदात्री संस्थाओं के पास ऋण के लिए बंधक रखा जा सकेगा।

*जो लागू नहीं हो उसे काट दें।

प्रकरण संख्या :-

परिशिष्ट

कस्बे का नाम :
राजस्व ग्राम : 511.13105
खसरा नम्बर : 15/8
योजना का नाम
विस्तृत नाप सहित क्षेत्रफल वर्गगज/वर्गमीटर
100 d.010

सीमा पूर्व P.No. 44 सीमा पश्चिम 30' Road
सीमा उत्तर P.No. 18 सीमा दक्षिण P.No. 20 मानचित्र संलग्न है।
भूखण्ड की संख्या यदि कोई हो P.No. 19

इसके साक्षी के रूप में इसके फरीकेन ने इसके बाद प्रत्येक दशा में निर्देशित स्थानों और तारीखों पर अपने अपने हस्ताक्षर कर दिये हैं।

नगरीय निकाय की ओर से

आज सन् 20 माह के 11/9/2020 वें दिन
श्री अनिल कुमार पूनियाँ
निम्न की उपस्थिति में जोधपुर में हस्ताक्षर किये। उपायुक्त (चुकी)

11.9.2020
उपायुक्त (चुकी)
नगरीय निकाय प्राधिकरण
(सक्षम अधिकारी हस्ताक्षर एवं मोहर)

साक्षी :-

श्री बाबूलाल
वरिष्ठ सहायक

1. नाम
पिता/पति का नाम
व्यवसाय
निवास स्थान

साक्षी के हस्ताक्षर

2. नाम
पिता/पति का नाम
व्यवसाय
निवास स्थान

साक्षी के हस्ताक्षर



आज दिनांक सन् 20 के माह के
वें दिन को निम्नलिखित की उपस्थिति में उक्त श्री
लोजधारक द्वारा कार्यालय, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर में हस्ताक्षर किये
गये।

For DHARTI INFRA

Ramlesh Parokit
PARTNER
लोजधारक - द्वितीय पक्ष

साक्षी :-

1. नाम मुनि का उपाध्याय
पिता/पति का नाम करण उपाध्याय
व्यवसाय नौकरी
निवास स्थान नागरी गेट के अन्दर, अवार शिवा

साक्षी के हस्ताक्षर

2. नाम नितिन माथुर
पिता/पति का नाम नरेश चन्द्र माथुर
व्यवसाय नौकरी
निवास स्थान महाविद्यालय, जोधपुर हाथी बाई, जोधपुर

साक्षी के हस्ताक्षर

**SITE PLAN OF PLOT NO. 19 IN RESIDENTIAL SCHEME (DHARTI ANGAN
PHASE.- 02) ON KHASRA NO. $\frac{15}{8}$ OF VILLAGE JHALAMAND AT JODHPUR**

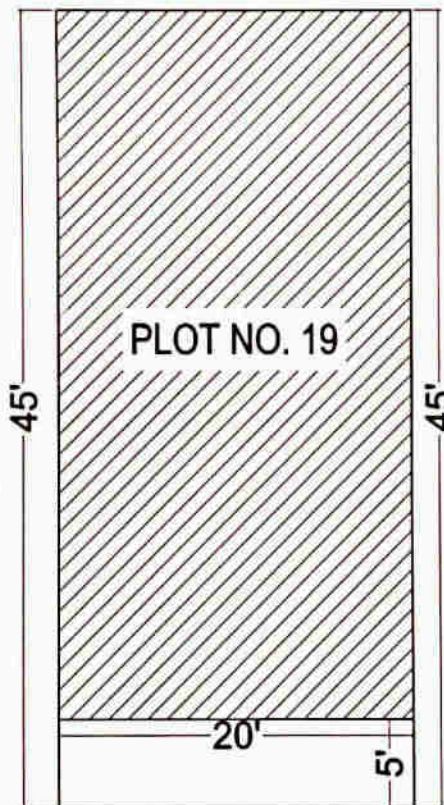
PLOT SIZE - 20'0"X45'0"
PLOT AREA - 900.00 SQ.FT. OR 100.00 SQ.YARD

SCALE - 1:10



PLOT NO. 44

PLOT NO. 18



PLOT NO. 20



30' WIDE ROAD

सहायक नगर निवाजक
जोधपुर विकास प्राधिकरण
जोधपुर

11.9.2020
उपायुक्त (पूरी)
जोधपुर विकास प्राधिकरण
जोधपुर



जोधपुर विकास प्राधिकरण



जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर

राजस्थान नगरीय क्षेत्र (कृषि भूमि का गैर-कृषिक प्रयोजन के लिए उपयोग को अनुज्ञा और आवंटन) नियम, 2012 के नियम 22 के अन्तर्गत भूमि का

14974
11/9/2020

पट्टा विलेख



यह विलेख आज वर्ष के माह के वे दिन जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर (जिन्हें इसके बाद नगर निकाय कहकर संबोधित किया गया है) प्रथम पक्ष एवं श्री द्वारा जारी पट्टा विलेख

श्री. कमलेश. पुरहित. पुत्र. श्री. रत्नीलाल. जी. पुरहित.

जाति-ब्राह्मण, निवासी-11, हरिजाम नगर विस्तार, जोधपुर

जाति

व्यवसाय निवासी (जिनको इसके बाद लीजधारक संबोधित किया गया है) द्वितीय पक्ष तथा इस इबारत में जहां कहीं प्रसंग से वैसा अर्थ निकले, उनके उत्तराधिकारी, निर्वाहक, प्रबंधक, प्रतिनिधि और मुत्तकिल अलैह भी सम्मिलित होंगे) के मध्य निष्पादित हुआ है।

यह विलेख साक्षात्कृत करता है कि प्रीमियम तथा विकास शुल्क की रकम जो लीजधारक (पट्टाधारक) के द्वारा अदा कर दी गई है और जिसकी रसीद नगर निकाय के द्वारा स्वीकार कर ली गई है, और इसमें उल्लेखित शर्तों और करारों जो लीजधारक द्वारा निष्पादित तथा पालन किये जायेंगे, के एवज में नगर निकाय इनके द्वारा लीजधारक को जमीन का वह तमाम भूखण्ड (जिसे इसके बाद उक्त भूखण्ड कहकर संबोधित किया गया है) प्रदान और लीज करती है जो योजना राजस्व ग्राम 311-11-11-05 के खसरा संख्या 15/8 क्षेत्रफल 100 वर्ग मी. में स्थित है और जो अपनी सीमा और क्षेत्रफल के साथ इसके अन्तर्गत लिखे गये परिशिष्ट में अधिक पूर्णरूपेण वर्णित है तथा जिसका आकार विशेष रूप से इससे संलग्न नक्शे में लाल रंग में दिखाया गया है, और जिसे पूर्ण स्वामित्व संबंधी दस्तावेजों सहित किन्तु निम्नलिखित तमाम च प्रत्येक अपवादों, संरक्षणों, प्रतिबंधों, बंधनों, शर्तों और करारों के अधीन खरीददार अपने उपयोग, उपभोग और इस्तेमाल के लिए अपने अधिकार में रखेगा, अर्थात :-

- लीजधारक नगर निकाय के कार्यालय में या ऐसे स्थान पर जिसे नगर निकाय समय-समय पर इस हेतु नियत कर दे, प्रत्येक वर्ष अप्रैल के प्रथम दिन उक्त भूखण्ड के संबंध में उक्त नियमों के नियम 20 के उप-नियम (1) के अन्तर्गत निर्धारित किये गये नगरीय निर्धारण (शहरी जमाबन्दी या भूमि का किराया) के तौर पर रुपये 10366/- अंके दस हजार तीन सौ पचास मात्र पेशगी अदा करेगा, परन्तु लीजधारक, यदि चाहे तो एक वार्षिक नगरीय निर्धारण (शहरी जमाबन्दी या भूमि का किराया) की राशि जमा करा सकेगा, जो उस वर्ष, जिसमें राशि जमा करायी जाती है, को सम्मिलित करते हुए, पूर्ण वार्षिक नगरीय निर्धारण की राशि के आठ गुणा के बराबर होगी और इस प्रकार जमा कराई गयी नगरीय निर्धारण की राशि के फलस्वरूप लीजधारक उक्त भूखण्ड पर नगरीय निर्धारण की राशि के संदाय के दायित्व से छूट प्राप्त करने का अधिकारी होगा।
- एक बार नियत किया गया नगरीय निर्धारण या भूमि का किराया प्रत्येक 15 वर्ष के परचात और विक्रय या दान या अन्यथा द्वारा ऐसे अन्तरण पर भी पुनरीक्षण का दायी होगा और ऐसी वृद्धि प्रत्येक अवसर पर ऐसे पुनरीक्षण या, यथास्थिति, अन्तरण के समय नगरीय निर्धारण या भूमि के किराये का 25 प्रतिशत होगा।
- पट्टे की अवधि - पट्टाधुरति अधिकार 99 वर्ष के लिए होगा।
- उक्त भूखण्ड को उपयोग केवल 311-11-11-05 प्रयोजन, जिसके लिए नगर निकाय द्वारा उक्त नियमों के अन्तर्गत अनुमति दी गयी है, के लिए किया जायेगा और इसी प्रयोजन के उपयोग हेतु इस भूखण्ड पर भवन का निर्माण किया जायेगा।
- इस पट्टा विलेख की तारीख से 7 वर्ष, या ऐसी अतिरिक्त अवधि के भीतर जो नियम-26 के अन्तर्गत बढ़ा दी जावे, लीजधारक के द्वारा इस भूखण्ड पर भवन का निर्माण कराया जायेगा।
- लीजधारक उक्त भूखण्ड को आगे और अन्तरित या उप-पट्टे पर दे सकेगा। उक्त नियमों में अन्तर्विष्ट निबंधन और शर्तों और अन्य उपबंध, यथावश्यक परिवर्तन सहित, अन्तरिती या उप-पट्टेदार पर इस प्रकार लागू होंगे मानो प्ररनगत उक्त भूखण्ड नगर निकाय द्वारा दिया गया है या अन्तरित किया गया है। लीजधारक द्वारा उप-पट्टे की कालावधि खर्च द्वारा अवधारित की जायेगी किन्तु किसी भी दशा में मूल पट्टे की कालावधि से अधिक नहीं होगी। उप-पट्टे उक्त नियमों में विहित समस्त अन्य निबंधनों और शर्तों या किसी पृथक् आदेशों द्वारा, जो राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर इस निमित्त विनिर्दिष्ट मामलों में जारी किये जायें, शासित होंगे।
- उक्त भूखण्ड के अन्तरण के मामले में, अन्तरिती के पक्ष में नाम में अन्तरण के लिए नगर निकाय को आवेदन के साथ रजिस्ट्रीकृत विक्रय विलेख, दान विलेख, या वसीयत या अन्य सुसंगत दस्तावेज प्रस्तुत किये जायेंगे। प्रत्येक अन्तरण के लिए आवेदन के साथ दस रुपये प्रति वर्गमीटर की दर से अन्तरण फीस निक्षिप्त की जायेगी; परन्तु लीजधारक की मृत्यु के मामलों में इस नियम के अधीन कोई फीस प्रभारित नहीं की जायेगी।
- उक्त नियमों के अधीन किसी व्यक्ति के प्रति परादेय प्रीमियम या नगरीय निर्धारण या ब्याज, आन्तरिक/बाह्य विकास प्रभारों का कोई बकाया राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 के अधीन भू-राजस्व की बकाया के रूप में लीजधारक से वसूलीय होगा।
- यदि आवंटन या पट्टा विलेख के निष्पादन के पश्चात् यह पाया जाता है कि आवंटन या पट्टा विलेख विधि की दुरभिसंधि या उसके उल्लंघन में कपटपूर्ण दस्तावेज के आधार पर दुर्व्यपदेशन द्वारा अभिप्राप्त किया गया है या आवंटन या पट्टा विलेख के (कृ.प.उ.)

निबंधनों और शर्तों का अतिक्रमण किया गया है तो नगर निकाय उक्त भूखण्ड पर उसके किसी सन्निर्माण सहित उसे प्रतिसंहत करेगा जो सभी प्रभारों से रहित नगर निकाय में निहित समझे जायेंगे, और नगर निकाय किसी भी व्यक्ति को कारित किसी भी प्रकार की नुकसानी के लिए दायी नहीं होगा।

10. इस पट्टा विलेख के आधार पर उक्त भूखण्ड को सरकार/जीवन बीमा निगम/शिड्यूल्ड बैंक/सरकार ऋणदात्री संस्था/एच.डी.एफ. सी. अथवा नेशनल बैंक द्वारा अधिकृत ऋणदात्री संस्थाओं के पास ऋण के लिए बंधक रखा जा सकेगा।

*जो लागू नहीं हो उसे काट दें।

प्रकरण संख्या :-

परिशिष्ट

कस्बे का नाम :
राजस्व ग्राम : 31-11-05
खसरा नम्बर : 15/8
योजना का नाम
विस्तृत नाप सहित क्षेत्रफल वर्गगज/वर्गमीटर
100 deha

सीमा पूर्व P.No. 43 सीमा पश्चिम 30' Road
सीमा उत्तर P.No. 19 सीमा दक्षिण 30' Road मानचित्र संलग्न है।
भूखण्ड की संख्या यदि कोई हो P.No. 20

इसके साक्षी के रूप में इसके फरीकेन ने इसके बाद प्रत्येक दशा में निर्देशित स्थानों और तारीखों पर अपने अपने हस्ताक्षर कर दिये हैं।

नगरीय निकाय की ओर से

आज सन् 20 माह के 11/9/2020 वें दिन
श्री
निम्न को उपस्थिति में जोधपुर में हस्ताक्षर किये
अनिल कुमार पूनियाँ
उपायुक्त (चुने)

उपायुक्त (चुने)
नगरीय निकाय प्रमुख पक्ष
(सक्षम अधिकारी हस्ताक्षर एवं मोहर)

साक्षी :-

1. नाम श्री यादूलाल
पिता/पति का नाम वरिष्ठ सहायक
व्यवसाय
निवास स्थान

साक्षी के हस्ताक्षर

2. नाम
पिता/पति का नाम
व्यवसाय
निवास स्थान

साक्षी के हस्ताक्षर



आज दिनांक सन् 20 के माह के
वें दिन को निम्नलिखित की उपस्थिति में उक्त श्री
लौजधारक द्वारा कार्यालय, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर में हस्ताक्षर किये
गये।

For DHARTI INFRA

Kamlesh Purohit
PARTNER
लौजधारक - द्वितीय पक्ष

साक्षी :-

1. नाम भूमिका उपाध्याय
पिता/पति का नाम करण उपाध्याय
व्यवसाय लोकर
निवास स्थान नाजोरी जीट के अन्दर, अवर शिला

Bhunikha

साक्षी के हस्ताक्षर

2. नाम निरंजन भागु
पिता/पति का नाम अरेश चन्द्र भागु
व्यवसाय लोकर
निवास स्थान मेदिनीपुर, जोधपुर

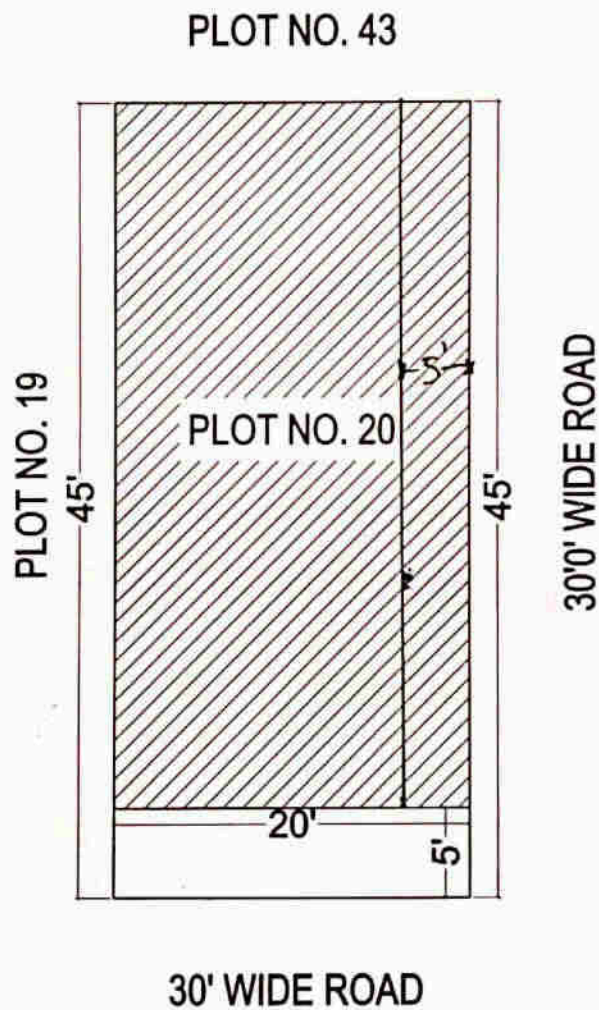
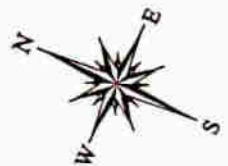
Niranjana

साक्षी के हस्ताक्षर

**SITE PLAN OF PLOT NO. 20 IN RESIDENTIAL SCHEME (DHARTI ANGAN
PHASE - 02) ON KHASRA NO. $\frac{15}{8}$ OF VILLAGE JHALAMAND AT JODHPUR**

PLOT SIZE - 20'0"X45'0"
PLOT AREA - 900.00 SQ.FT. OR 100.00 SQ.YARD

SCALE - 1:10



सहायक नगर निवाजक
जोधपुर विकास प्राधिकरण
जोधपुर

उपायुक्त (पूर्व)
जोधपुर विकास प्राधिकरण
जोधपुर



जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर

राजस्थान नगरीय क्षेत्र (कृषि भूमि का गैर-कृषिक प्रयोजन के लिए उपयोग की अनुज्ञा और आवंटन) नियम, 2012 के नियम 22 के अन्तर्गत भूमि का



14975
11/19/2020 पट्टा विलेख

यह विलेख आज वर्ष के माह के के दिन जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर (जिनमें इसके बाद नगर निकाय कहकर संबोधित किया गया है) प्रथम पक्ष एवं श्री धरती इफ्ता जरीये पार्टनर

श्री कमलेश पुसहित पुत्र श्री बन्सीलाल जी पुरोहित

जाती-ब्राह्मण; निवासी-11, हरिजोम नगर विस्तार, जोधपुर

जाति

व्यवसाय निवासी (जिनको इसके बाद लीजधारक संबोधित किया गया है) द्वितीय पक्ष तथा इस इबारत में जहां कहीं प्रसंग से वैसा अर्थ निकले, उनके उत्तराधिकारी, निर्वाहक, प्रबंधक, प्रतिनिधि और मुत्तकिल अलैह भी सम्मिलित होंगे) के मध्य निष्पादित हुआ है।

यह विलेख साक्ष्यांकित करता है कि प्रीमियम तथा विकास शुल्क की रकम जो लीजधारक (पट्टाधारक) के द्वारा अदा कर दी गई है और जिसकी रसीद नगर निकाय के द्वारा रसीकार कर ली गई है, और इसमें उल्लेखित शर्तों और करारों जो लीजधारक द्वारा निष्पादित तथा पालन किये जायेंगे, के एवज में नगर निकाय इनके द्वारा लीजधारक को जमीन का वह तमाम भूखण्ड (जिसे इसके बाद उक्त भूखण्ड कहकर संबोधित किया गया है) प्रदान और लीज करती है जो योजना राजस्थान ग्राम के खरास संख्या क्षेत्रफल में स्थित है और जो अपनी सीमा और क्षेत्रफल के साथ इसके अन्तर्गत लिखे गये परिशिष्ट में अधिक पूर्णरूपेण वर्णित है तथा जिसका आकार विशेष रूप से इससे संलग्न नक्शे में लाल रंग में दिखाया गया है, और जिसे पूर्ण स्वामित्व संबंधी रयत्तों सहित किन्तु निम्नलिखित तमाम व प्रत्येक अपवादों, संरक्षणों, प्रतिबंधों, बंधनों, शर्तों और करारों के अधीन खरीददार अपने उपयोग, उपभोग और इस्तेमाल के लिए अपने अधिकार में रखेगा, अर्थात् :-

- लीजधारक नगर निकाय के कार्यालय में या ऐसे स्थान पर जिसे नगर निकाय समय-समय पर इस हेतु नियत कर दे, प्रत्येक वर्ष अप्रैल के प्रथम दिन उक्त भूखण्ड के संबंध में उक्त नियमों के नियम 20 के उप-नियम (1) के अन्तर्गत निर्धारित किये गये नगरीय निर्धारण (शहरी जमाबन्दी या भूमि का किराया) के तौर पर रुपये अंके मात्र पेशगी अदा करेगा, परन्तु लीजधारक, यदि चाहे तो एक वार्षिक नगरीय निर्धारण (शहरी जमाबन्दी या भूमि का किराया) की राशि जमा करा सकेगा, जो उस वर्ष, जिसमें राशि जमा करायी जाती है, को सम्मिलित करते हुए, पूर्ण वार्षिक नगरीय निर्धारण की राशि के आठ गुणा के बराबर होगी और इस प्रकार जमा कराई गयी नगरीय निर्धारण की राशि के फलस्वरूप लीजधारक उक्त भूखण्ड पर नगरीय निर्धारण की राशि के संदाय के दायित्व से छूट प्राप्त करने का अधिकारी होगा।
- एक बार नियत किया गया नगरीय निर्धारण या भूमि का किराया प्रत्येक 15 वर्ष के पश्चात् और विक्रय या दान या अन्यथा द्वारा ऐसे अन्तरण पर भी पुनरीक्षण का दायी होगा और ऐसी वृद्धि प्रत्येक अवसर पर ऐसे पुनरीक्षण या, यथारिथति, अन्तरण के समय नगरीय निर्धारण या भूमि के किराये का 25 प्रतिशत होगी।
- पट्टे की अवधि :- पट्टाधृति अधिकार 99 वर्ष के लिए होंगे।
- उक्त भूखण्ड का उपयोग केवल प्रयोजन, जिसके लिए नगर निकाय द्वारा उक्त नियमों के अन्तर्गत अनुमति दी गयी है, के लिए किया जायेगा और इसी प्रयोजन के उपयोग हेतु इस भूखण्ड पर भवन का निर्माण किया जायेगा।
- इस पट्टा विलेख की तारीख से 7 वर्ष, या ऐसी अतिरिक्त अवधि के भीतर जो नियम-26 के अन्तर्गत बढ़ा दी जावे, लीजधारक के द्वारा इस भूखण्ड पर भवन का निर्माण कराया जायेगा।
- लीजधारक उक्त भूखण्ड को आगे और अन्तरित या उप-पट्टे पर दे सकेगा। उक्त नियमों में अन्तर्विष्ट निबंधन और शर्तें और अन्य उपबंध, यथावश्यक परिवर्तन सहित, अन्तरिती या उप-पट्टेदार पर इस प्रकार लागू होंगे मानो प्ररनगत उक्त भूखण्ड नगर निकाय द्वारा दिया गया है या अन्तरित किया गया है। लीजधारक द्वारा उप-पट्टे की कालावधि स्वयं द्वारा अवधारित की जायेगी किन्तु किसी भी दशा में मूल पट्टे की कालावधि से अधिक नहीं होगी। उप-पट्टे उक्त नियमों में विहित समस्त अन्य निबंधनों और शर्तों या किन्हीं पृथक् आदेशों द्वारा, जो राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर इस निमित्त विनिर्दिष्ट मामलों में जारी किये जायें, शासित होंगे।
- उक्त भूखण्ड के अन्तरण के मामले में, अन्तरिती के पक्ष में नाम में अन्तरण के लिए नगर निकाय को आवेदन के साथ रजिस्ट्रीकृत विक्रय विलेख, दान विलेख, या वसीयत या अन्य सुसंगत दस्तावेज प्रस्तुत किये जायेंगे। प्रत्येक अन्तरण के लिए आवेदन के साथ दस रुपये प्रति वर्गमीटर की दर से अन्तरण फीस निक्षिप्त की जायेगी; परन्तु लीजधारक की मृत्यु के मामलों में इस नियम के अधीन कोई फीस प्रभारित नहीं की जायेगी।
- उक्त नियमों के अधीन किसी व्यक्ति के प्रति परादेय प्रीमियम या नगरीय निर्धारण या ब्याज, आन्तरिक/वाह्य विकास प्रभारों का कोई बकाया राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 के अधीन भू-राजस्व की बकाया के रूप में लीजधारक से वसूलीय होगा।
- यदि आवंटन या पट्टा विलेख के निष्पादन के पश्चात् यह पाया जाता है कि आवंटन या पट्टा विलेख विधि की दुरभिसंधि या उसके उत्प्लंघन में कपटपूर्ण दस्तावेज के आधार पर दुर्यपदेशन द्वारा अभिप्राप्त किया गया है या आवंटन या पट्टा विलेख के

(क.प.उ.)

निबंधनों और शर्तों का अतिक्रमण किया गया है तो नगर निकाय उक्त भूखण्ड पर उसके किसी सन्निर्माण सहित उसे प्रतिसंहत करेगा जो सभी प्रभारों से रहित नगर निकाय में निहित समझे जायेंगे, और नगर निकाय किसी भी व्यक्ति को कारित किसी भी प्रकार की नुकसानी के लिए दायी नहीं होगा।

10. इस पट्टा विलेख के आधार पर उक्त भूखण्ड को सरकार/जीवन बीमा निगम/शिडयूल्ड बैंक/सरकार ऋणदात्री संस्था/एच.डी.एफ. सी. अथवा नेशनल बैंक द्वारा अधिकृत ऋणदात्री संस्थाओं के पास ऋण के लिए बंधक रखा जा सकेगा।

*जो लागू नहीं हो उसे काट दें।

प्रकरण संख्या :-

परिशिष्ट

कस्बे का नाम :
राजस्व ग्राम : 51/1/1/1/05
खसरा नम्बर : 15/8
योजना का नाम :
विस्तृत नाप सहित क्षेत्रफल वर्गगज/वर्गमीटर
105 do/10

सीमा पूर्व P.No. 42 सीमा पश्चिम 30' Road
सीमा उत्तर 30' Road सीमा दक्षिण P.No. 22 मानचित्र संलग्न है।
भूखण्ड की संख्या यदि कोई हो P.No. 21

इसके साक्षी के रूप में इसके फरीकेन ने इसके बाद प्रत्येक दशा में निर्देशित स्थानों और तारीखों पर अपने अपने हस्ताक्षर कर दिये हैं।

नगरीय निकाय की ओर से

आज सन् 20 माह के 11/9/2020 वें दिन
श्री
निम्न की उपस्थिति में जोधपुर में हस्ताक्षर किये।
अनिल कुमार पूनियाँ
उपायुक्त (प्रभु)

11.9.2020
उपायुक्त (प्रभु)
जनक निकाय विकास प्राधिकरण
(सक्षम अधिकारी के हस्ताक्षर एवं मोहर)

साक्षी :-

1. नाम श्री बाबूलाल
पिता/पति का नाम
व्यवसाय
निवास स्थान
2. नाम
पिता/पति का नाम
व्यवसाय
निवास स्थान
जोधपुर विकास प्राधिकरण (प्रधान) के अध्यक्ष

साक्षी के हस्ताक्षर

साक्षी के हस्ताक्षर

आज दिनांक सन् 20 के माह के
वें दिन को निम्नलिखित की उपस्थिति में उक्त श्री
लोजधारक द्वारा कार्यालय, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर में हस्ताक्षर किये
गये।

For DHARTI INFRA

Kamlesh Purohit
PARTNER
लोजधारक - द्वितीय पक्ष

साक्षी :-

1. नाम कमलिका उपाध्याय
पिता/पति का नाम केशव उपाध्याय
व्यवसाय
निवास स्थान नागौरी जी के अन्दर, अदर शिला
2. नाम
पिता/पति का नाम
व्यवसाय
निवास स्थान

Bhumiika

साक्षी के हस्ताक्षर

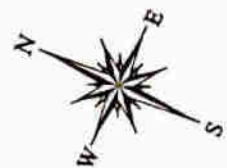
Ru/Ma

साक्षी के हस्ताक्षर

**SITE PLAN OF PLOT NO. 21 IN RESIDENTIAL SCHEME (DHARTI ANGAN
PHASE - 02) ON KHASRA NO. $\frac{15}{8}$ OF VILLAGE JHALAMAND AT JODHPUR**

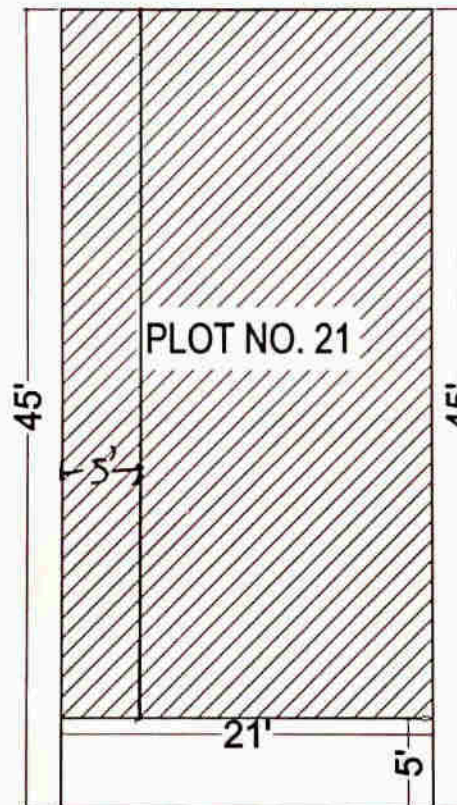
PLOT SIZE - 21'0"X45'0"
PLOT AREA - 945.00 SQ.FT. OR 105.00 SQ.YARD

SCALE - 1:10



PLOT NO. 42

30'0" WIDE ROAD



PLOT NO. 22

30' WIDE ROAD



सहायक नगर नियोजक
जोधपुर विकास प्राधिकरण
जोधपुर

11.9.2020
उपायुक्त (पूर्व)
जोधपुर विकास प्राधिकरण
जोधपुर



जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर

राजस्थान नगरीय क्षेत्र (कृषि भूमि का गैर-कृषिक प्रयोजन के लिए उपयोग की अनुज्ञा और आवंटन) नियम, 2012 के नियम 22 के अन्तर्गत भूमि का



14976
11/9/2020 पट्टा विलेख

यह विलेख आज वर्ष के माह के वे दिन जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर (जिन्हें इसके बाद नगर निकाय कहकर संबोधित किया गया है) प्रथम पक्ष एवं श्री धरती इका. जयि. प्रादन

श्री कमलेश प्रहलद पुत्र श्री बन्नीलाल जी पुरोहित

जाती- ब्राह्मण, निवासी-11, हरिकेश नगर, वित्तार, जोधपुर

जाति

व्यवसाय निवासी (जिनको इसके बाद लीजधारक संबोधित किया गया है) द्वितीय पक्ष तथा इस इबारत में जहां कहीं प्रसंग से वैसे अर्थ निकले, उनके उत्तराधिकारी, निर्वाहक, प्रबंधक, प्रतिनिधि और मुन्तफिल अलैह भी सम्मिलित होंगे) के मध्य निष्पादित हुआ है।

यह विलेख साक्षात्कृत करता है कि प्रीमियम तथा विकास शुल्क की रकम जो लीजधारक (पट्टाधारक) के द्वारा अदा कर दी गई है और जिसकी रसीद नगर निकाय के द्वारा स्वीकार कर ली गई है, और इसमें उल्लेखित शर्तों और करारों जो लीजधारक द्वारा निष्पादित तथा पालन किये जायेंगे, के एवज में नगर निकाय इनके द्वारा लीजधारक को जमीन का वह तमाम भूखण्ड (जिसे इसके बाद उक्त भूखण्ड कहकर संबोधित किया गया है) प्रदान और लीज करती है जो योजना राजस्व ग्राम 31111405 के खसरा संख्या 1518 क्षेत्रफल 105 cts) में स्थित है और जो अपनी सीमा और क्षेत्रफल के साथ इसके अन्तर्गत लिखे गये परिशिष्ट में अधिक पूर्णरूपेण वर्णित है तथा जिसका आकार विशेष रूप से इससे संलग्न नक्शे में ताल रंग में दिखाया गया है, और जिसे पूर्ण स्वामित्व संबंधी स्वत्वों सहित किन्तु निम्नलिखित तमाम व प्रत्येक अपवादों, संरक्षणों, प्रतिबंधों, बंधनों, शर्तों और करारों के अधीन खरीददार अपने उपयोग, उपभोग और इस्तेमाल के लिए अपने अधिकार में रखेगा, अर्थात :-

- लीजधारक नगर निकाय के कार्यालय में या ऐसे स्थान पर जिसे नगर निकाय समय-समय पर इस हेतु नियत कर दे, प्रत्येक वर्ष अप्रैल के प्रथम दिन उक्त भूखण्ड के संबंध में उक्त नियमों के नियम 20 के उप-नियम (1) के अन्तर्गत निर्धारित किये गये नगरीय निर्धारण (शहरी जमाबन्दी या भूमि का किराया) के तौर पर रूपये 98381/- अंके 98381/- मात्र पेशगी अदा करेगा, परन्तु लीजधारक, यदि चाहे तो एक वार्षिक नगरीय निर्धारण (शहरी जमाबन्दी या भूमि का किराया) की राशि जमा करा सकेगा, जो उस वर्ष, जिसमें राशि जमा करायी जाती है, को सम्मिलित करते हुए, पूर्ण वार्षिक नगरीय निर्धारण की राशि के आठ गुणा के बराबर होगी और इस प्रकार जमा कराई गयी नगरीय निर्धारण की राशि के फलस्वरूप लीजधारक उक्त भूखण्ड पर नगरीय निर्धारण की राशि के संदाय के दायित्व से छूट प्राप्त करने का अधिकारी होगा।
- एक बार नियत किया गया नगरीय निर्धारण या भूमि का किराया प्रत्येक 15 वर्ष के पश्चात् और विक्रय या दान या अन्यथा द्वारा ऐसे अन्तरण पर भी पुनर्निर्धारण का दायी होगा और ऐसी वृद्धि प्रत्येक अवसर पर ऐसे पुनर्निर्धारण या, यथारिथति, अन्तरण के समय नगरीय निर्धारण या भूमि के किराये को 25 प्रतिशत होगी।
- पट्टे की अवधि :- पट्टाधृति अधिकार 99 वर्ष के लिए होंगे।
- उक्त भूखण्ड का उपयोग केवल 311012121 प्रयोजन, जिसके लिए नगर निकाय द्वारा उक्त नियमों के अन्तर्गत अनुमति दी गयी है, के लिए किया जायेगा और इसी प्रयोजन के उपयोग हेतु इस भूखण्ड पर भवन का निर्माण किया जायेगा।
- इस पट्टा विलेख की तारीख से 7 वर्ष, या ऐसी अतिरिक्त अवधि के भीतर जो नियम-26 के अन्तर्गत बढ़ा दी जावे, लीजधारक के द्वारा इस भूखण्ड पर भवन का निर्माण कराया जायेगा।
- लीजधारक उक्त भूखण्ड को आगे और अन्तरित या उप-पट्टे पर दे सकेगा। उक्त नियमों में अन्तर्विष्ट निबंधन और शर्तें और अन्य उपबंध, यथावश्यक परिवर्तन सहित, अन्तरिती या उप-पट्टेदार पर इस प्रकार लागू होंगे मानो प्रश्नगत उक्त भूखण्ड नगर निकाय द्वारा दिया गया है या अन्तरित किया गया है। लीजधारक द्वारा उप-पट्टे की कालावधि स्वयं द्वारा अवधारित की जायेगी किन्तु किसी भी दशा में मूल पट्टे की कालावधि से अधिक नहीं होगी। उप-पट्टे उक्त नियमों में विहित समस्त अन्य निबंधनों और शर्तों या किन्हीं पृथक् आदेशों द्वारा, जो राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर इस निमित्त विनिर्दिष्ट मामलों में जारी किये जायें, शासित होंगे।
- उक्त भूखण्ड के अन्तरण के मामले में, अन्तरिती के पक्ष में नाम में अन्तरण के लिए नगर निकाय को आवेदन के साथ रजिस्ट्रीकृत विक्रय विलेख, दान विलेख, या वसीयत या अन्य सुसंगत दस्तावेज प्रस्तुत किये जायेंगे। प्रत्येक अन्तरण के लिए आवेदन के साथ दस रूपये प्रति वर्गमीटर की दर से अन्तरण फीस निक्षिप्त की जायेगी; परन्तु लीजधारक की मृत्यु के मामलों में इस नियम के अधीन कोई फीस प्रभारित नहीं की जायेगी।
- उक्त नियमों के अधीन किसी व्यक्ति के प्रति परादेय प्रीमियम या नगरीय निर्धारण या ब्याज, आन्तरिक/बाह्य विकास प्रभारों का कोई बकाया राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 के अधीन भू-राजस्व की बकाया के रूप में लीजधारक से वसूलीय होगा।
- यदि आवंटन या पट्टा विलेख के निष्पादन के पश्चात् यह पाया जाता है कि आवंटन या पट्टा विलेख विधि की दुरभिसंधि या उसके उत्संघन में कपटपूर्ण दस्तावेज के आधार पर दुर्यपदेशन द्वारा अभिप्राप्त किया गया है या आवंटन या पट्टा विलेख के

(क.प.उ.)

निबंधनों और शर्तों का अतिक्रमण किया गया है तो नगर निकाय उक्त भूखण्ड पर उसके किसी सन्निर्माण सहित उसे प्रतिसंहत करेगा जो सभी प्रभारों से रहित नगर निकाय में निहित समझे जायेंगे, और नगर निकाय किसी भी व्यक्ति को कारित किसी भी प्रकार की नुकसानी के लिए दायी नहीं होगा।

10. इस पट्टा विलेख के आधार पर उक्त भूखण्ड को सरकार/जीवन बीमा निगम/शिड्यूल्ड बैंक/सरकार ऋणदात्री संस्था/एच.डी.एफ. सी. अथवा नेशनल बैंक द्वारा अधिकृत ऋणदात्री संस्थाओं के पास ऋण के लिए बंधक रखा जा सकेगा।

*जो लागू नहीं हो उसे काट दें।

प्रकरण संख्या :-

परिशिष्ट

कस्बे का नाम :
राजस्व ग्राम : 511/1/2103
खसरा नम्बर : 15/8
योजना का नाम
विस्तृत नाप सहित क्षेत्रफल वर्गगज/वर्गमीटर
105 40/10

सीमा पूर्व P.No. 41 सीमा पश्चिम 30' Road
सीमा उत्तर P.No. 21 सीमा दक्षिण P.No. 23 मानचित्र संलग्न है।
भूखण्ड की संख्या यदि कोई हो P.No. 22

इसके साक्षी के रूप में इसके फरीकेन ने इसके बाद प्रत्येक दशा में निर्देशित स्थानों और तारीखों पर अपने अपने हस्ताक्षर कर दिये हैं।

नगरीय निकाय की ओर से

आज सन् 20 माह के 1/9/2020 वें दिन
श्री अनिल कुमार पूनियाँ
निम्न की उपस्थिति में जोधपुर में हस्ताक्षर किये।
उपायुक्त (पुर्व)

उपायुक्त (पूर्व)
जोधपुर नगर निकाय विकास प्राधिकरण
(सक्षम अधिकारी जोधपुर एवं मोहर)

साक्षी :-

श्री बाबूलाल

1. नाम वरिष्ठ सहायक
पिता/पति का नाम
व्यवसाय
निवास स्थान
2. नाम
पिता/पति का नाम
व्यवसाय
निवास स्थान



साक्षी के हस्ताक्षर

साक्षी के हस्ताक्षर

आज दिनांक सन् 20 के माह के
वें दिन को निम्नलिखित की उपस्थिति में उक्त श्री
लीजधारक द्वारा कार्यालय, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर में हस्ताक्षर किये
गये।

For DHARTI INFRA

Kamlesh Purohit
PARTNER
लीजधारक - द्वितीय पक्ष

साक्षी :-

1. नाम कमिका उपाध्याय
पिता/पति का नाम करण उपाध्याय
व्यवसाय नौकरी
निवास स्थान नागौरी गेट के अन्तर, अद्वैत शिला
2. नाम नीतिव माथुर
पिता/पति का नाम नरेश चन्द्र माथुर
व्यवसाय नौकरी
निवास स्थान महविशुप्रा, जोधपुर

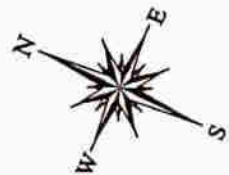
साक्षी के हस्ताक्षर

साक्षी के हस्ताक्षर

**SITE PLAN OF PLOT NO. 22 IN RESIDENTIAL SCHEME (DHARTI ANGAN
PHASE - 02) ON KHASRA NO. $\frac{15}{8}$ OF VILLAGE JHALAMAND AT JODHPUR**

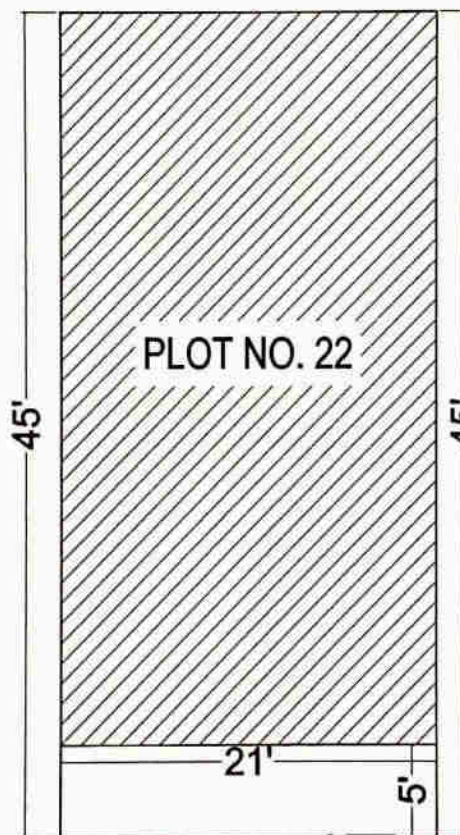
PLOT SIZE - 21'0"X45'0"
PLOT AREA - 945.00 SQ.FT. OR 105.00 SQ.YARD

SCALE - 1:10



PLOT NO. 41

PLOT NO. 21



PLOT NO. 23

30' WIDE ROAD



सहायक नगर नियोजक
जोधपुर विकास प्राधिकरण
जोधपुर

11.9.2020
उपायुक्त (पूवी)
जोधपुर विकास प्राधिकरण
जोधपुर



जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर

राजस्थान नगरीय क्षेत्र (कृषि भूमि का गैर-कृषिक प्रयोजन के लिए उपयोग की अनुज्ञा और आवंटन) नियम, 2012 के नियम 22 के अन्तर्गत भूमि का

14977-
11/9/2020 पट्टा विलेख



यह विलेख आज वर्ष के माह के वे दिन जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर (जिन्हें इसके बाद नगर निकाय कहकर संबोधित किया गया है) प्रथम पक्ष एवं श्री के

धरती इंफ्रा जरीये पार्टनर

श्री कमलेश पुनहित पुत्र श्री बन्सीलाल जी पुनहित

जाती-बाह्यण, निवासी-11, हरिओम नगर विस्तार, जोधपुर जाति

व्यवसाय निवासी (जिनको इसके बाद लीजधारक संबोधित किया गया है) द्वितीय पक्ष तथा इस इबारत में जहां कहीं प्रसंग से वैसा अर्थ निकले, उनके उत्तराधिकारी, निर्वाहक, प्रबंधक, प्रतिनिधि और मुत्तकिल अलैह भी सम्मिलित होंगे) के मध्य निष्पादित हुआ है।

यह विलेख साक्ष्यांकित करता है कि प्रीमियम तथा विकास शुल्क की रकम जो लीजधारक (पट्टाधारक) के द्वारा अदा कर दी गई है और जिसकी रसीद नगर निकाय के द्वारा स्वीकार कर ली गई है, और इसमें उल्लेखित शर्तों और करारों जो लीजधारक द्वारा निष्पादित तथा पालन किये जायेंगे, के एवज में नगर निकाय इनके द्वारा लीजधारक को जमीन का वह तमाम भूखण्ड (जिसे इसके बाद उक्त भूखण्ड कहकर संबोधित किया गया है) प्रदान और लीज करती है जो योजना राजस्व ग्राम 3-1-1-1/405 के खसरा संख्या 15/8 क्षेत्रफल 405 दे.10. में स्थित है और जो अपनी सीमा और क्षेत्रफल के साथ इसके अन्तर्गत लिखे गये परिशिष्ट में अधिक पूर्णरूपेण वर्णित है तथा जिसका आकार विशेष रूप से इससे संलग्न नक्शे में ताल रंग में दिखाया गया है, और जिसे पूर्ण स्वामित्व संबंधी स्वतंत्रों सहित किन्तु निम्नलिखित तमाम व प्रत्येक अपवादों, संरक्षणों, प्रतिबंधों, बंधनों, शर्तों और करारों के अधीन खरीददार अपने उपयोग, उपभोग और इस्तेमाल के लिए अपने अधिकार में रखेगा, अर्थात् :-

- लीजधारक नगर निकाय के कार्यालय में या ऐसे स्थान पर जिसे नगर निकाय समय-समय पर इस हेतु नियत कर दें, प्रत्येक वर्ष अप्रैल के प्रथम दिन उक्त भूखण्ड के संबंध में उक्त नियमों के नियम 20 के उप-नियम (1) के अन्तर्गत निर्धारित किये गये नगरीय निर्धारण (शहरी जमाबन्दी या भूमि का किराया) के तौर पर रुपये 9833/- अंके 9833/- को ही हजाल ग्रास सी जमा करेगा, मात्र पेशगी अदा करेगा, परन्तु लीजधारक, यदि चाहे तो एक बारीय नगरीय निर्धारण (शहरी जमाबन्दी या भूमि का किराया) की राशि जमा कर सकेंगा, जो उस वर्ष, जिसमें राशि जमा करायी जाती है, को सम्मिलित करते हुए, पूर्ण वार्षिक नगरीय निर्धारण की राशि के आठ गुणा के बराबर होगी और इस प्रकार जमा कराई गयी नगरीय निर्धारण की राशि के फलस्वरूप लीजधारक उक्त भूखण्ड पर नगरीय निर्धारण की राशि के संदाय के दायित्व से छूट प्राप्त करने का अधिकारी होगा।
- एक बार नियत किया गया नगरीय निर्धारण या भूमि का किराया प्रत्येक 15 वर्ष के परचात् और विक्रय या दान या अन्यथा द्वारा ऐसे अन्तरण पर पुनरीक्षण का दायी होगा और ऐसी वृद्धि प्रत्येक अवसर पर ऐसे पुनरीक्षण या, यथास्थिति, अन्तरण के समय नगरीय निर्धारण या भूमि के किराये पर 25 प्रतिशत होगी।
- पट्टे की अवधि :- पट्टाप्राप्ति अधिकार 99 वर्ष के लिए होंगे।
- उक्त भूखण्ड का उपयोग केवल 3-1-1-1/4 प्रयोजन, जिसके लिए नगर निकाय द्वारा उक्त नियमों के अन्तर्गत अनुमति दी गयी है, के लिए किया जायेगा और इसी प्रयोजन के उपयोग हेतु इस भूखण्ड पर भवन का निर्माण किया जायेगा।
- इस पट्टा विलेख की तारीख से 7 वर्ष, या ऐसी अतिरिक्त अवधि के भीतर जो नियम-26 के अन्तर्गत बढ़ा दी जावे, लीजधारक के द्वारा इस भूखण्ड पर भवन का निर्माण कराया जायेगा।
- लीजधारक उक्त भूखण्ड को आगे और अन्तरित या उप-पट्टे पर दे सकेंगा। उक्त नियमों में अन्तर्विष्ट निबंधन और शर्तों और अन्य उपबंध, यथावश्यक परिवर्तन सहित, अन्तरिती या उप-पट्टेदार पर इस प्रकार लागू होंगे मानो प्ररनगत उक्त भूखण्ड नगर निकाय द्वारा दिया गया है या अन्तरित किया गया है। लीजधारक द्वारा उप-पट्टे की कालावधि स्वयं द्वारा अवधारित की जायेगी किन्तु किसी भी दशा में मूल पट्टे की कालावधि से अधिक नहीं होगी। उप-पट्टे उक्त नियमों में विहित समस्त अन्य निबंधनों और शर्तों या किन्हीं पृथक् आदेशों द्वारा, जो राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर इस निमित्त विनिर्दिष्ट मामलों में जारी किये जायें, शासित होंगे।
- उक्त भूखण्ड के अन्तरण के मामले में, अन्तरिती के पक्ष में नाम में अन्तरण के लिए नगर निकाय को आवेदन के साथ रजिस्ट्रीकृत विक्रय विलेख, दान विलेख, या वसीयत या अन्य सुसंगत दस्तावेज प्रस्तुत किये जायेंगे। प्रत्येक अन्तरण के लिए आवेदन के साथ दस रुपये प्रति वर्गमीटर की दर से अन्तरण फीस निक्षिप्त की जायेगी; परन्तु लीजधारक की मृत्यु के मामलों में इस नियम के अधीन कोई फीस प्रभारित नहीं की जायेगी।
- उक्त नियमों के अधीन किसी व्यक्ति के प्रति परादेय प्रीमियम या नगरीय निर्धारण या ब्याज, आन्तरिक/बाह्य विकास प्रभारों का कोई बकाया राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 के अधीन भू-राजस्व की बकाया के रूप में लीजधारक से वसूलीय होगा।
- यदि आवंटन या पट्टा विलेख के निष्पादन के परचात् यह पाया जाता है कि आवंटन या पट्टा विलेख विधि की दुरुभिसंधि या उसके उल्लंघन में कपटपूर्ण दस्तावेज के आधार पर दुर्यपदेशन द्वारा अभिप्राप्त किया गया है या आवंटन या पट्टा विलेख के

(क.प.उ.)

निबंधनों और शर्तों का अतिक्रमण किया गया है तो नगर निकाय उक्त भूखण्ड पर उसके किसी सन्निर्माण सहित उसे प्रतिसंहत करेगा जो सभी प्रमारों से रहित नगर निकाय में निहित समझे जायेंगे, और नगर निकाय किसी भी व्यक्ति को कारित किसी भी प्रकार की नुकसानी के लिए दायी नहीं होगा।

10. इस पट्टा विलेख के आधार पर उक्त भूखण्ड को सरकार/जीवन बीमा निगम/शिड्यूल्ड बैंक/सरकार ऋणदात्री संस्था/एच.डी.एफ. सी. अधवा नेशनल बैंक द्वारा अधिकृत ऋणदात्री संस्थाओं के पास ऋण के लिए बंधक रखा जा सकेगा।

*जो लागू नहीं हो उसे काट दें।

प्रकरण संख्या :-

परिशिष्ट

कस्बे का नाम :
राजस्व ग्राम : 31.11.11.11.05
खसरा नम्बर : 15/8
योजना का नाम
विस्तृत नप सहित क्षेत्रफल वर्गगज/वर्गमीटर
105 (40) 10

सीमा पूर्व P.No. 40 सीमा पश्चिम 30' Road
सीमा उत्तर P.No. 22 सीमा दक्षिण P.No. 24 मानचित्र संलग्न है।
भूखण्ड की संख्या यदि कोई हो P.No. 23

इसके साक्षी के रूप में इसके फरीकेन ने इसके बाद प्रत्येक दशा में निर्देशित स्थानों और तारीखों पर अपने अपने हस्ताक्षर कर दिये हैं।

नगरीय निकाय की ओर से

आज सन् 20 माह के 11/9/2020 वें दिन
श्री
निम्न की उपस्थिति में जोधपुर में हस्ताक्षर किये।
अनिल कुमार पूनियाँ
उपायुक्त (प्रक)

11-9-2020
उपायुक्त (प्रक)
नगर विकास प्राधिकरण
जोधपुर
(सूक्ष्म अधिकारी के हस्ताक्षर एवं मोहर)

साक्षी :-

1. नाम श्री बाबूलाल
पिता/पति का नाम वरिष्ठ सहायक
व्यवसाय
निवास स्थान

[Signature]
साक्षी के हस्ताक्षर

2. नाम
पिता/पति का नाम
व्यवसाय
निवास स्थान

साक्षी के हस्ताक्षर



आज दिनांक सन् 20 के माह के
वें दिन को निम्नलिखित की उपस्थिति में उक्त श्री
लीजधारक द्वारा कार्यालय, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर में हस्ताक्षर किये गये।

For DHARTI INFRA
Ramkish Purshil
PARTNER
लीजधारक - द्वितीय पक्ष

साक्षी :-

1. नाम श्रीमती उपाध्याय
पिता/पति का नाम करोन उपाध्याय
व्यवसाय नौकरी
निवास स्थान जाजोरी गैर के आन्दर, अदर शिला

Bhumika
साक्षी के हस्ताक्षर

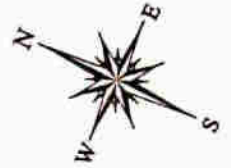
2. नाम नितिन माधुर
पिता/पति का नाम नरेश चन्द्र माधुर
व्यवसाय नौकरी
निवास स्थान महविरपुरम चाँपासनी ठाठासिजी बौड

[Signature]
साक्षी के हस्ताक्षर

**SITE PLAN OF PLOT NO. 23 IN RESIDENTIAL SCHEME (DHARTI ANGAN
PHASE - 02) ON KHASRA NO. $\frac{15}{8}$ OF VILLAGE JHALAMAND AT JODHPUR**

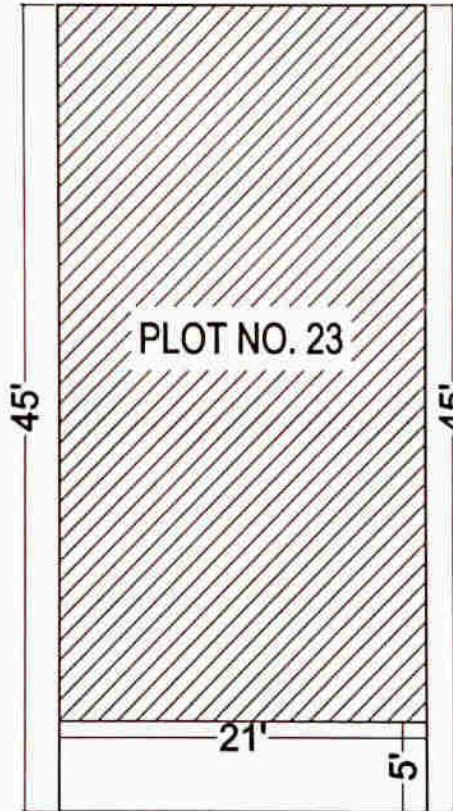
**PLOT SIZE - 21'0"X45'0"
PLOT AREA - 945.00 SQ.FT. OR 105.00 SQ.YARD**

SCALE - 1:10



PLOT NO. 40

PLOT NO. 22



PLOT NO. 24

30' WIDE ROAD




सहायक नगर नियोजक
जोधपुर विकास प्राधिकरण
जोधपुर


11.9.2020
उपनिष्ठा (पूर्व)
ज.स.व. विकास प्राधिकरण
जोधपुर



जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर

राजस्थान नगरीय क्षेत्र (कृषि भूमि का गैर-कृषिक प्रयोजन के लिए उपयोग की अनुज्ञा और आवंटन) नियम, 2012 के नियम 22 के अन्तर्गत भूमि का

14978/11/12/2012 पट्टा विलेख



यह विलेख आज वर्ष के माह के वे दिन जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर (जिन्हें इसके बाद नगर निकाय कहकर संबोधित किया गया है) प्रथम पक्ष एवं श्री

धत्ती-इंका-जरीये-पार्टनर

श्री कमलेश पुरहित पुत्र श्री इन्दीतात जी मुखर्जी

जाती-ब्राह्मण, निवासी-11, हरिजन नगर विस्तार, जोधपुर जाति

व्यवसाय निवासी (जिनको इसके बाद लीजधारक संबोधित किया गया है) द्वितीय पक्ष तथा इस इबारत में जहां कहीं प्रसंग से वैसा अर्थ निकले, उनके उत्तराधिकारी, निर्वाहक, प्रबंधक, प्रतिनिधि और मुन्तकिल अलैह भी सम्मिलित होंगे) के मध्य निष्पादित हुआ है।

यह विलेख साक्षात्कृत करता है कि प्रीमियम तथा विकास शुल्क की रकम जो लीजधारक (पट्टाधारक) के द्वारा अदा कर दी गई है और जिसकी रसीद नगर निकाय के द्वारा स्वीकार कर ली गई है, और इसमें उल्लेखित शर्तों और करारों जो लीजधारक द्वारा निष्पादित तथा पालन किये जायेंगे, के एवज में नगर निकाय इनके द्वारा लीजधारक को जमीन का वह तमाम भूखण्ड (जिसे इसके बाद उक्त भूखण्ड कहकर संबोधित किया गया है) प्रदान और लीज करती है जो योजना राजस्थान ग्राम के खसरा संख्या क्षेत्रफल में स्थित है और जो अपनी सीमा और क्षेत्रफल के साथ इसके अन्तर्गत लिखे गये परिशिष्ट में अधिक पूर्णरूपेण वर्णित है तथा जिसका आकार विशेष रूप से इससे संलग्न नक्शे में लाल रंग में दिखाया गया है, और जिसे पूर्ण स्वामित्व संबंधी स्वत्वों सहित किन्तु निम्नलिखित तमाम व प्रत्येक अपवादों, संरक्षणों, प्रतिबंधों, बंधनों, शर्तों और करारों के अधीन खरीददार अपने उपयोग, उपभोग और इस्तेमाल के लिए अपने अधिकार में रखेगा, अर्थात :-

- लीजधारक नगर निकाय के कार्यालय में या ऐसे स्थान पर जिसे नगर निकाय समय-समय पर इस हेतु नियत कर दे, प्रत्येक वर्ष अप्रैल के प्रथम दिन उक्त भूखण्ड के संबंध में उक्त नियमों के नियम 20 के उप-नियम (1) के अन्तर्गत निर्धारित किये गये नगरीय निर्धारण (शहरी जमाबन्दी या भूमि का किराया) के तौर पर रुपये अंके मात्र पेशगी अदा करेगा, परन्तु लीजधारक, यदि चाहे तो एक वार्षिक नगरीय निर्धारण (शहरी जमाबन्दी या भूमि का किराया) की राशि जमा करा सकेगा, जो उस वर्ष, जिसमें राशि जमा करायी जाती है, को सम्मिलित करते हुए, पूर्ण वार्षिक नगरीय निर्धारण की राशि के आठ गुणा के बराबर होगी और इस प्रकार जमा कराई गयी नगरीय निर्धारण की राशि के फलस्वरूप लीजधारक उक्त भूखण्ड पर नगरीय निर्धारण की राशि के संदाय के दायित्व से छूट प्राप्त करने का अधिकारी होगा।
- एक बार निश्चित किया गया नगरीय निर्धारण या भूमि का किराया प्रत्येक 15 वर्ष के परचातु और विग्रय या दान या अन्यथा द्वारा ऐसे अन्तरण पर भी पुनरीक्षण पर दायी होगा और ऐसी वृद्धि प्रत्येक अवसर पर ऐसे पुनरीक्षण या, यथारिथति, अन्तरण के समय नगरीय निर्धारण या भूमि का किराया का 25 प्रतिशत होगी।
- पट्टे की अवधि :- पट्टापूति अधिकार 99 वर्ष के लिए होगी।
- उक्त भूखण्ड का उपयोग केवल प्रयोजन, जिसके लिए नगर निकाय द्वारा उक्त नियमों के अन्तर्गत अनुमति दी गयी है, के लिए किया जायेगा और इसी प्रयोजन के उपयोग हेतु इस भूखण्ड पर भवन का निर्माण किया जायेगा।
- इस पट्टा विलेख की तारीख से 7 वर्ष, या ऐसी अतिरिक्त अवधि के भीतर जो नियम-26 के अन्तर्गत बढ़ा दी जावे, लीजधारक के द्वारा इस भूखण्ड पर भवन का निर्माण कराया जायेगा।
- लीजधारक उक्त भूखण्ड को आगे और अन्तरित या उप-पट्टे पर दे सकेगा। उक्त नियमों में अन्तर्विष्ट निबंधन और शर्तों और अन्य उपबंध, यथावश्यक परिवर्तन सहित, अन्तरिती या उप-पट्टेदार पर इस प्रकार लागू होंगे मानो प्ररनगत उक्त भूखण्ड नगर निकाय द्वारा दिया गया है या अन्तरित किया गया है। लीजधारक द्वारा उप-पट्टे की कालावधि स्वयं द्वारा अवधारित की जायेगी किन्तु किसी भी दशा में मूल पट्टे की कालावधि से अधिक नहीं होगी। उप-पट्टे उक्त नियमों में विहित समस्त अन्य निबंधनों और शर्तों या किन्हीं पृथक् आदेशों द्वारा, जो राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर इस निमित्त विनिर्दिष्ट मामलों में जारी किये जायें, शासित होंगे।
- उक्त भूखण्ड के अन्तरण के मामले में, अन्तरिती के पक्ष में नाम में अन्तरण के लिए नगर निकाय को आवेदन के साथ रजिस्ट्रीकृत विग्रय विलेख, दान विलेख, या वरीयत या अन्य सुसंगत दस्तावेज प्रस्तुत किये जायेंगे। प्रत्येक अन्तरण के लिए आवेदन के साथ दस रुपये प्रति वर्गमीटर की दर से अन्तरण फीस निश्चित की जायेगी; परन्तु लीजधारक की मृत्यु के मामले में इस नियम के अधीन कोई भी फीस प्रगारित नहीं की जायेगी।
- उक्त नियमों के अधीन किसी व्यक्ति के प्रति परादेय प्रीमियम या नगरीय निर्धारण या व्याज, आन्तरिक/वाह्य विकास प्रभारों का कोई बकाया राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 के अधीन भू-राजस्व की बकाया के रूप में लीजधारक से यत्तुलीय होगा।
- यदि आवंटन या पट्टा विलेख के निष्पादन के परचातु यह पाया जाता है कि आवंटन या पट्टा विलेख विधि की दुरभिराधि या उसके उत्पन्नधन में कपटपूर्ण दस्तावेज के आधार पर दुर्यपदेशन द्वारा अभिप्राप्त किया गया है या आवंटन या पट्टा विलेख के (कृ.प.उ.)

निबंधनों और शर्तों का अतिक्रमण किया गया है तो नगर निकाय उक्त भूखण्ड पर उसके किसी सन्निर्माण सहित उसे प्रतिसंहत करेगा जो सभी प्रभारों से रहित नगर निकाय में निहित समझे जायेंगे, और नगर निकाय किसी भी व्यक्ति को कारित किसी भी प्रकार की नुकसानी के लिए दायी नहीं होगा।

10. इस पट्टा विलेख के आधार पर उक्त भूखण्ड को सरकार/जीवन बीमा निगम/शिड्यूल्ड बैंक/सरकार ऋणदात्री संस्था/एच.डी.एफ. सी. अथवा नेशनल बैंक द्वारा अधिकृत ऋणदात्री संस्थाओं के पास ऋण के लिए बंधक रखा जा सकेगा।

*जो लागू नहीं हो उसे काट दें।

प्रकरण संख्या :-

परिशिष्ट

कस्बे का नाम :
राजस्व ग्राम : 311/1/105
खसरा नम्बर : 15/8
योजना का नाम
विस्तृत नाप सहित क्षेत्रफल वर्गगज/वर्गमीटर
105 40/10

सीमा पूर्व P.No. 39 सीमा पश्चिम 30' Road
सीमा उत्तर P.No. 23 सीमा दक्षिण P.No. 25 मानचित्र संलग्न है।
भूखण्ड की संख्या यदि कोई हो P.No. 24

इसके साक्षी के रूप में इसके फरीकेन ने इसके बाद प्रत्येक दशा में निर्देशित स्थानों और तारीखों पर अपने अपने हस्ताक्षर कर दिये हैं।

नगरीय निकाय की ओर से

आज सन् 20 माह के 11/9/2020 वें दिन
श्री अनिल कुमार पूनियाँ
निम्न की उपस्थिति में जोधपुर में हस्ताक्षर किये। उपायुक्त (पत्र)

11.9.2020
नगरपालिका (ग्राम पक्ष)
(सक्षम अधिकारी के हस्ताक्षर एवं मोहर)
जोधपुर

साक्षी :-

1. नाम श्री बाबुलाल
वरिष्ठ सहायक
पिता/पति का नाम
व्यवसाय
निवास स्थान
2. नाम
पिता/पति का नाम
व्यवसाय
निवास स्थान

साक्षी के हस्ताक्षर

साक्षी के हस्ताक्षर

आज दिनांक सन् 20 के माह के
वें दिन को निम्नलिखित की उपस्थिति में उक्त श्री
लीजधारक द्वारा कार्यालय, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर में हस्ताक्षर किये
गये।

For DHARTI INFRA

Kamlesh Purohit
PARTNER
लीजधारक - द्वितीय पक्ष

साक्षी :-

1. नाम भूमिका 3412/1/1
पिता/पति का नाम करी 3412/1/1
व्यवसाय नौकरी
निवास स्थान नागरी गेट के अन्दर, अलाव 1 शीका
2. नाम नितिन भाथुर
पिता/पति का नाम नरेश चन्द्र भाथुर
व्यवसाय नौकरी
निवास स्थान महेन्द्रपुर, जोधपुर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस, जोधपुर

Bhumika

साक्षी के हस्ताक्षर

N. N.

साक्षी के हस्ताक्षर

**SITE PLAN OF PLOT NO. 24 IN RESIDENTIAL SCHEME (DHARTI ANGAN
PHASE - 02) ON KHASRA NO. $\frac{15}{8}$ OF VILLAGE JHALAMAND AT JODHPUR**

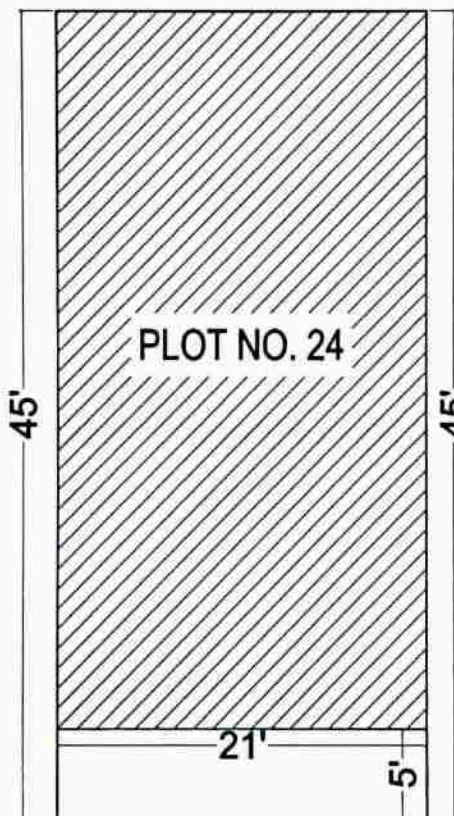
**PLOT SIZE - 21'0"X45'0"
PLOT AREA - 945.00 SQ.FT. OR 105.00 SQ.YARD**

SCALE - 1:10



PLOT NO. 39

PLOT NO. 23



PLOT NO. 25

30' WIDE ROAD



**सहायक नगर नियायक
जोधपुर विकास प्राधिकरण
जोधपुर**

**उपनियुक्त (पुत्री)
जोधपुर विकास प्राधिकरण
जोधपुर**



जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर

राजस्थान नगरीय क्षेत्र (कृषि भूमि का गैर-कृषिक प्रयोजन के लिए उपयोग की अनुज्ञा और आवंटन) नियम, 2012 के नियम 22 के अन्तर्गत भूमि का



1497/11/12 पट्टा विलेख

यह विलेख आज वर्ष के माह के वे दिन जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर (जिन्हें इसके बाद नगर निकाय कहकर संबोधित किया गया है) प्रथम पक्ष एवं दूसरी पक्षों द्वारा जारी पट्टा विलेख

श्री कमलेश पुराहित पुत्र श्री बन्नीलाल जी पुरोहित

जाती-बादल, निवासी-11, हट्टीम नगर विस्तार, जोधपुर जाति

व्यवसाय निवासी (जिनको इसके बाद लीजधारक संबोधित किया गया है) द्वितीय पक्ष तथा इस इबारत में जहां कहीं प्रसंग से वैसा अर्थ निकले, उनके उत्तराधिकारी, निर्वाहक, प्रबंधक, प्रतिनिधि और मुन्तकिल अलैह भी सम्मिलित होंगे) के मध्य निष्पादित हुआ है।

यह विलेख साक्ष्यांकित करता है कि प्रीमियम तथा विकास शुल्क की रकम जो लीजधारक (पट्टाधारक) के द्वारा अदा कर दी गई है और जिसकी रसीद नगर निकाय के द्वारा रबीकार कर ली गई है, और इसमें उल्लेखित शर्तों और करारों जो लीजधारक द्वारा निष्पादित तथा पालन किये जायेंगे, के एवज में नगर निकाय इनके द्वारा लीजधारक को जमीन का वह तमाम भूखण्ड (जिसे इसके बाद उक्त भूखण्ड कहकर संबोधित किया गया है) प्रदान और लीज करती है जो योजना राजस्व ग्राम के खसरा संख्या क्षेत्रफल में स्थित है और जो अपनी सीमा और क्षेत्रफल के साथ इसके अन्तर्गत लिखे गये परिशिष्ट में अधिक पूर्णरूपेण वर्णित है तथा जिसका आकार विशेष रूप से इससे संलग्न नक्शे में लाल रंग में दिखाया गया है, और जिसे पूर्ण स्वामित्व संबंधी रवत्यों सहित किन्तु निम्नलिखित तमाम च प्रत्येक अपवादों, संरक्षणों, प्रतिबंधों, बंधनों, शर्तों और करारों के अधीन खरीददार अपने उपयोग, उपभोग और इस्तेमाल के लिए अपने अधिकार में रखेगा, अर्थात् :-

- लीजधारक नगर निकाय के कार्यालय में या ऐसे स्थान पर जिसे नगर निकाय समय-समय पर इस हेतु नियत कर दे, प्रत्येक वर्ष अप्रैल के प्रथम दिन उक्त भूखण्ड के संबंध में उक्त नियमों के नियम 20 के उप-नियम (1) के अन्तर्गत निर्धारित किये गये नगरीय निर्धारण (शहरी जमाबन्दी के अन्तर्गत भूमि का विवरण) के तौर पर रूपरेखा अंके के माफ़ पेशगी अदा करेगा, परन्तु लीजधारक, यदि चाहे तो एक वार्षिक नगरीय निर्धारण (शहरी जमाबन्दी या भूमि का विवरण) की राशि जमा करा सकेगा, जो उस वर्ष, जिसमें राशि जमा करायी जाती है, को सम्मिलित करते हुए, पूर्ण वार्षिक नगरीय निर्धारण की राशि के आधु गुणा के बराबर होगी और इस प्रकार जमा कराई गयी नगरीय निर्धारण की राशि के फलस्वरूप लीजधारक उक्त भूखण्ड पर नगरीय निर्धारण की राशि के संदाय के दायित्व से छूट प्राप्त करने का अधिकारी होगा।
- एक बार निश्चित किया गया नगरीय निर्धारण या भूमि का किराया प्रत्येक 15 वर्ष के पश्चात् और विक्रय या दान या अन्यथा द्वारा ऐसे अन्तरण पर भी पुनरीक्षण का दायी होगा और ऐसी वृद्धि प्रत्येक अवसर पर ऐसे पुनरीक्षण या, यथारिथति, अन्तरण के समय नगरीय निर्धारण या भूमि के किराये का 25 प्रतिशत होगी।
- पट्टे की अवधि :- पट्टाधृति अधिकार 99 वर्ष के लिए होगा।
- उक्त भूखण्ड का उपयोग केवल प्रयोजन, जिसके लिए नगर निकाय द्वारा उक्त नियमों के अन्तर्गत अनुमति दी गयी है, के लिए किया जायेगा और इसी प्रयोजन के उपयोग हेतु इस भूखण्ड पर भवन का निर्माण किया जायेगा।
- इस पट्टा विलेख की तारीख से 7 वर्ष, या ऐसी अतिरिक्त अवधि के भीतर जो नियम-26 के अन्तर्गत बढ़ा दी जावे, लीजधारक के द्वारा इस भूखण्ड पर भवन का निर्माण कराया जायेगा।
- लीजधारक उक्त भूखण्ड को आगे और अन्तरित या उप-पट्टे पर दे सकेगा। उक्त नियमों में अन्तर्विष्ट निबंधन और शर्तों और अन्य उपबंध, यथावश्यक परिवर्तन सहित, अन्तरिती या उप-पट्टेदार पर इस प्रकार लागू होंगे मानो प्रश्नगत उक्त भूखण्ड नगर निकाय द्वारा दिया गया है या अन्तरित किया गया है। लीजधारक द्वारा उप-पट्टे की कालावधि रचय द्वारा अवधारित की जायेगी किन्तु किसी भी दशा में मूल पट्टे की कालावधि से अधिक नहीं होगी। उप-पट्टे उक्त नियमों में विहित समस्त अन्य निबंधनों और शर्तों या किन्हीं पृथक् आदेशों द्वारा, जो राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर इस निमित्त विनिर्दिष्ट मामलों में जारी किये जायें, शासित होंगे।
- उक्त भूखण्ड के अन्तरण के मामले में, अन्तरिती के पक्ष में नाम में अन्तरण के लिए नगर निकाय को आवेदन के साथ रजिस्ट्रीकृत विक्रय विलेख, दान विलेख, या वसीयत या अन्य सुसंगत दस्तावेज प्रस्तुत किये जायेंगे। प्रत्येक अन्तरण के लिए आवेदन के साथ दस रुपये प्रति वर्गमीटर की दर से अन्तरण फीस निक्षिप्त की जायेगी; परन्तु लीजधारक की मृत्यु के मामलों में इस नियम के अधीन कोई फीस प्रभारित नहीं की जायेगी।
- उक्त नियमों के अधीन किसी व्यक्ति के प्रति परादेय प्रीमियम या नगरीय निर्धारण या व्याज, आन्तरिक/बाह्य विकास प्रभारों का कोई बकाया राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 के अधीन भू-राजस्व की बकाया के रूप में लीजधारक से वसूलीय होगा।
- यदि आवंटन या पट्टा विलेख के निष्पादन के पश्चात् यह पाया जाता है कि आवंटन या पट्टा विलेख विधि की दुरभिसंधि या उसके उल्लंघन में कपटपूर्ण दस्तावेज के आधार पर दुर्यपदेशन द्वारा अभिप्राप्त किया गया है या आवंटन या पट्टा विलेख के (कृ.प.उ.)

निष्पत्तियों और शर्तों का अतिक्रमण किया गया है तो नगर निकाय उक्त भूखण्ड पर उसके किसी सम्निर्माण सहित उसे प्रतिसंवत्त करेगा जो सभी प्रभावी से रहित नगर निकाय में निहित समझे जायेगा, और नगर निकाय किसी भी व्यक्ति को कारित किसी भी प्रकार की नुकसानी के लिए दायी नहीं होगा।

10. इस पट्टा विलेख के आधार पर उक्त भूखण्ड को सरकार/जीवन बीमा निगम/शिड्यूल्ड बैंक/सरकार ऋणदात्री संस्था/एच.डी.एफ. सी. अथवा नेशनल बैंक द्वारा अधिकृत ऋणदात्री संस्थाओं के पास ऋण के लिए बंधक रखा जा सकेगा।

*जो लागू नहीं हो उसे काट दें।

प्रकरण संख्या :-

परिशिष्ट

कस्बे का नाम :
राजस्व ग्राम :
खसरा नम्बर :
योजना का नाम
विस्तृत नाम सहित क्षेत्रफल वर्गगज/वर्गमीटर
105 (105)।

सोमा पूर्व P.No. 38 सोमा पश्चिम 30 Road
सोमा उत्तर P.No. 24 सोमा दक्षिण P.No. 26 मानचित्र संलग्न है।
भूखण्ड की संख्या यदि कोई हो P.No. 25

इसके साक्षी के रूप में इसके फरीकेन ने इसके बाद प्रत्येक दशा में निर्देशित स्थानों और तारीखों पर अपने अपने हस्ताक्षर कर दिये हैं।

नगरीय निकाय की ओर से

आज सन् 20 माह के 11/9/2020 वें दिन
श्री अनिल कुमार पूनियाँ
निम्न की उपस्थिति में जोधपुर में हस्ताक्षर किये।
उपायुक्त (प्रबु)

उपायुक्त (पूर्व)
निकीसायाधिकार
(सक्षम अधिकार के हस्ताक्षर एवं मोहर)

साक्षी :-

श्री बाबूलाब
वरिष्ठ सहायक

- नाम
पिता/पति का नाम
व्यवसाय
निवास स्थान
- नाम
पिता/पति का नाम
व्यवसाय
निवास स्थान

साक्षी के हस्ताक्षर

साक्षी के हस्ताक्षर

आज दिनांक सन् 20 के माह के
वें दिन को निम्नलिखित को उपस्थिति में उक्त श्री
लोजधारक द्वारा कार्यालय, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर में हस्ताक्षर किये
गये।

For DHARTI INFRA

Kamlesh Purohit
PARTNER
लोजधारक - द्वितीय पक्ष

साक्षी :-

- नाम भूमिका उपाध्याय
पिता/पति का नाम करण उपाध्याय
व्यवसाय नौकरी
निवास स्थान नागौरी गेट के अन्दर, अन्धर शिल्पा
- नाम नितिन माधुर
पिता/पति का नाम नरेश चन्द्र माधुर
व्यवसाय नौकरी
निवास स्थान महाविरपुरम चौपासनी हाउसिंग बोर्ड

Bhumika

साक्षी के हस्ताक्षर

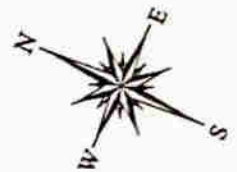
N. M.

साक्षी के हस्ताक्षर

SITE PLAN OF PLOT NO. 25 IN RESIDENTIAL SCHEME (DHARTI ANGAN
PHASE - 02) ON KHASRA NO. $\frac{15}{8}$ OF VILLAGE JHALAMAND AT JODHPUR

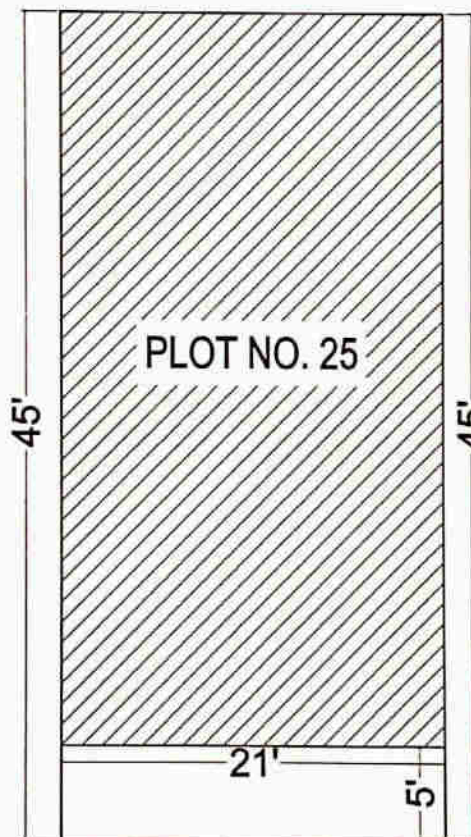
PLOT SIZE - 21'0"X45'0"
PLOT AREA - 945.00 SQ.FT. OR 105.00 SQ.YARD

SCALE - 1:10



PLOT NO. 38

PLOT NO. 24



PLOT NO. 26

30' WIDE ROAD



सहायक नगर नियोजक
जोधपुर विकास प्राधिकरण
जोधपुर

11.9.2020
उपनियुक्त (पूर्व)
जोधपुर विकास प्राधिकरण
जोधपुर



जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर

राजस्थान नगरीय क्षेत्र (कृषि भूमि का गैर-कृषिक प्रयोजन के लिए उपयोग की अनुज्ञा और आवंटन)नियम, 2012 के नियम 22 के अन्तर्गत भूमि का



पट्टा विलेख

यह विलेख आज वर्ष के माह के वे दिन जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
(जिन्हें इसके बाद नगर निकाय कहकर संबोधित किया गया है) प्रथम पक्ष एवं श्री

...नस्ती बुझा जसिये पार्ठनर

श्री कमलेश पुरहित पुत्र श्री बंसीलाल जी पुरहित

जाती-ब्राह्मण, निवासी-११, हरिओम नगर विस्तार, घोषपुर, जाति

..... (जिनको इसके बाद
लीजधारक संबोधित किया गया है) द्वितीय पक्ष तथा इस इबारत में जहां कहीं प्रसंग से वैसा अर्थ निकले, उनके उत्तराधिकारी, निर्वाहक, प्रबंधक,
प्रतिनिधि और मुन्तकिल अलैह भी सम्मिलित होंगे) के मध्य निष्पादित हुआ है।

यह विवेक साक्षात्कृत करता है कि प्रीमियम तथा विकास शुल्क की रकम जो लीजधारक (पट्टाधारक) के द्वारा अदा कर दी गई है और जिसकी रसीद नगर निकाय के द्वारा स्वीकार कर ली गई है, और इसमें उल्लेखित शर्तों और करारों जो लीजधारक द्वारा निष्पादित तथा पालन किये जायेंगे, के एवज में नगर निकाय इनके द्वारा लीजधारक को जमीन का वह तमाम भूखण्ड (जिसे इसके बाद उक्त भूखण्ड कहकर संबोधित किया गया है) प्रदान और लीज करती है जो योजना राजस्व ग्राम SHILAHOB के खसरा संख्या 15/18 क्षेत्रफल 105 40/100 में स्थित है और जो अपनी सीमा और क्षेत्रफल के साथ इसके अन्तर्गत लिखे गये परिशिष्ट में अधिक पूर्णरूपेण वर्णित है तथा जिसका आकार विशेष रूप से इससे संलग्न नक्शों में लाल रंग में दिखाया गया है, और जिसे पूर्ण स्वामित्व संबंधी स्वतंत्र सहित किन्तु निम्नलिखित तमाम व प्रत्येक अपवादों, संरक्षणों, प्रतिबंधों, बंधनों, शर्तों और करारों के अधीन खरीददार अपने उपयोग, उपभोग और इस्तेमाल के लिए अपने अधिकार में रखेगा, अर्थात :-

1. लीजधारक नगर निकाय के कार्यालय में या ऐसे स्थान पर जिसे नगर निकाय समय-समय पर इस हेतु नियत कर दे, प्रत्येक वर्ष अप्रैल के प्रथम दिन उक्त भूखण्ड के संबंध में उक्त नियमों के नियम 20 के उप-नियम (1) के अन्तर्गत निर्धारित किये गये नगरीय निर्धारण (शहरी जमाबन्दी या भूमि का किराया) के तौर पर रूपये 9833/- अंके मो एजा आर सी एलिस मात्र पेशगी अदा करेगा, परन्तु लीजधारक, यदि चाहे तो एक शहरी नगरीय निर्धारण (शहरी जमाबन्दी या भूमि का किराया) की राशि जमा करा सकेगा, जो उस वर्ष, जिसमें राशि जमा करायी जाती है, को सम्मिलित करते हुए, पूर्ण वार्षिक नगरीय निर्धारण की राशि के आठ गुणा के बराबर होगी और इस प्रकार जमा कराई गयी नगरीय निर्धारण की राशि के फलस्वरूप लीजधारक उक्त भूखण्ड पर नगरीय निर्धारण की राशि के संदाय के दायित्व से छूट प्राप्त करने का अधिकारी होगा। एक बार निश्चित किया गया नगरीय निर्धारण या भूमि का किराया प्रत्येक 15 वर्ष के पश्चात् और विद्रव्य या दान या अन्यथा द्वारा ऐसे अन्तरण पर भी पुनरीक्षण का दायी होगा और ऐसी वृद्धि प्रत्येक अवसर पर ऐसे पुनरीक्षण या, यथास्थिति, अन्तरण के समय नगरीय निर्धारण या भूमि के किराये या 25 प्रतिशत होगी।
3. पट्टे की अवधि :- पट्टापृति अधिकार 99 वर्ष के लिए होगा।
4. उक्त भूखण्ड का उपयोग केवल 31/12/11 प्रयोजन, जिसके लिए नगर निकाय द्वारा उक्त नियमों के अन्तर्गत अनुमति दी गयी है, के लिए किया जायेगा और इसी प्रयोजन के उपयोग हेतु इस भूखण्ड पर भवन का निर्माण किया जायेगा।
5. इस पट्टा विलेख की तारीख से 7 वर्ष, या ऐसी अतिरिक्त अवधि के भीतर जो नियम-26 के अन्तर्गत बढ़ा दी जायें, लीजधारक के द्वारा इस भूखण्ड पर भवन का निर्माण कराया जायेगा।
6. लीजधारक उक्त भूखण्ड को आगे और अन्तरित या उप-पट्टे पर दे सकेगा। उक्त नियमों में अन्तर्विष्ट निबंधन और शर्तों और अन्य उपबंध, यथावश्यक परिवर्तन सहित, अन्तरित या उप-पट्टेदार पर इस प्रकार लागू होंगे मानो प्रश्नगत उक्त भूखण्ड नगर निकाय द्वारा दिया गया है या अन्तरित किया गया है। लीजधारक द्वारा उप-पट्टे की कालावधि स्वयं द्वारा अवधारित की जायेगी किन्तु किसी भी दशा में मूल पट्टे की कालावधि से अधिक नहीं होगी। उप-पट्टे उक्त नियमों में विहित समस्त अन्य निबंधनों और शर्तों या किन्हीं पृथक् आदेशों द्वारा, जो राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर इस निमित्त विनिर्दिष्ट मामलों में जारी किये जायें, शासित होंगे।
7. उक्त भूखण्ड के अन्तरण के मामले में, अन्तरित के पक्ष में नाम में अन्तरण के लिए नगर निकाय को आवेदन के साथ रजिस्ट्रीकृत विक्रय विलेख, दान विलेख, या वसीयत या अन्य सुरांगत दस्तावेज प्रस्तुत किये जायेंगे। प्रत्येक अन्तरण के लिए आवेदन के साथ दस रूपये प्रति वर्गमीटर की दर से अन्तरण फीस निश्चित की जायेगी; परन्तु लीजधारक की मृत्यु के मामले में इस नियम के अधीन कोई फीस प्रभारित नहीं की जायेगी।
8. उक्त नियमों के अधीन किसी व्यक्ति के प्रति पचासवें प्रीमियम या नगरीय निर्धारण या ब्याज, आन्तरिक/बाह्य विकास प्रभारों का कोई बकाया राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 के अधीन भू-राजस्व की बकाया के रूप में लीजधारक से वसूली होगी।
9. यदि आवंटन या पट्टा विलेख के निष्पादन के पश्चात् यह पाया जाता है कि आवंटन या पट्टा विलेख विधि की दुरभिराधि या उसके उल्लंघन में कपटपूर्ण दस्तावेज के आधार पर दुरुपदेशन द्वारा अभिप्राप्त किया गया है या आवंटन या पट्टा विलेख के
- (क.प.उ.)

निबंधनों और शर्तों का अतिक्रमण किया गया है तो नगर निकाय उक्त भूखण्ड पर उसके किसी सन्निर्माण सहित उसे प्रतिसंहत करेगा जो सभी प्रभारों से सहित नगर निकाय में निहित समझे जायेंगे, और नगर निकाय किसी भी व्यक्ति को कारित किसी भी प्रकार की नुकसानी के लिए दायी नहीं होगा।

10. इस पट्टा विलेख के आधार पर उक्त भूखण्ड को सरकार/जीवन बीमा निगम/शिड्यूल्ड बैंक/सरकार ऋणदात्री संस्था/एच.डी.एफ. सी. अथवा नेशनल बैंक द्वारा अधिकृत ऋणदात्री संस्थाओं के पास ऋण के लिए बंधक रखा जा सकेगा।

*जो लागू नहीं हो उसे काट दें।

प्रकरण संख्या :-

परिशिष्ट

कस्बे का नाम :
राजस्व ग्राम :
खसरा नम्बर :
योजना का नाम
विस्तृत नाप सहित क्षेत्रफल वर्गगज/वर्गमीटर
105 de 110

सीमा पूर्व P.No. 37 सीमा पश्चिम 30 Road
सीमा उत्तर P.No. 25 सीमा दक्षिण P.No. 27 मानचित्र संलग्न है।
भूखण्ड की संख्या यदि कोई हो P.No. 26

इसके साक्षी के रूप में इसके फरीकेन ने इसके बाद प्रत्येक दशा में निर्देशित स्थानों और तारीखों पर अपने अपने हस्ताक्षर कर दिये हैं।

नगरीय निकाय की ओर से

आज सन् 20 माह के वें दिन
श्री
निम्न की उपस्थिति में जोधपुर में हस्ताक्षर किये।
अनिल कुमार पूनियाँ
उपायुक्त (जन)

उपायुक्त (जन)
जोधपुर विकास प्राधिकरण
नगर निकाय - प्रथम पक्ष
(सक्षम अधिकारी के हस्ताक्षर एवं मोहर)

साक्षी :-

श्री बाबूलाल

1. नाम
पिता/पति का नाम
व्यवसाय
निवास स्थान
2. नाम
पिता/पति का नाम
व्यवसाय
निवास स्थान

साक्षी के हस्ताक्षर

साक्षी के हस्ताक्षर

आज दिनांक सन् 20 के माह के
वें दिन को निम्नलिखित की उपस्थिति में उक्त श्री
लौजधारक द्वारा कार्यालय, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर में हस्ताक्षर किये
गये।

For DHARTI INFRA

Hamish Prohit
PARTNER
लौजधारक - द्वितीय पक्ष

साक्षी :-

1. नाम
पिता/पति का नाम
व्यवसाय
निवास स्थान
2. नाम
पिता/पति का नाम
व्यवसाय
निवास स्थान

Bhannika

साक्षी के हस्ताक्षर

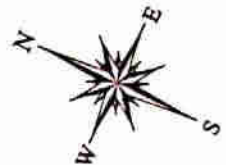
M. M.

साक्षी के हस्ताक्षर

**SITE PLAN OF PLOT NO. 26 IN RESIDENTIAL SCHEME (DHARTI ANGAN
PHASE.- 02) ON KHASRA NO. $\frac{15}{8}$ OF VILLAGE JHALAMAND AT JODHPUR**

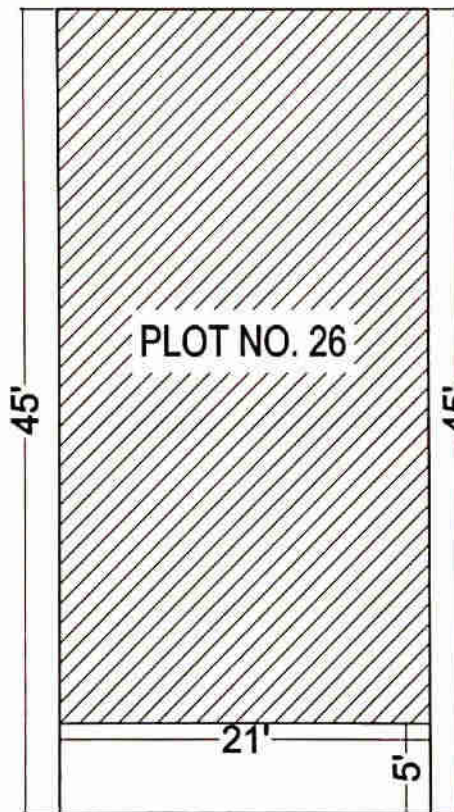
**PLOT SIZE - 21'0"X45'0"
PLOT AREA - 945.00 SQ.FT. OR 105.00 SQ.YARD**

SCALE - 1:10



PLOT NO. 37

PLOT NO. 25



PLOT NO. 27



30' WIDE ROAD


सहायक नगर नियोजक
जोधपुर विकास प्राधिकरण
जोधपुर


11.9.2020
उपायुक्त (पूरी)
जोधपुर विकास प्राधिकरण
जोधपुर



जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर

राजस्थान नगरीय क्षेत्र (कृषि भूमि का गैर-कृषिक प्रयोजन के लिए उपयोग की अनुज्ञा और आवंटन)नियम, 2012 के नियम 22 के अन्तर्गत भूमि का



14981 पट्टा विलेख
11/19/2000

यह विलेख आज वर्ष के माह के ये दिन जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
(जिन्हें इसके बाद नगर निकाय कहकर संबोधित किया गया है) प्रथम पक्ष एवं श्री
वसुन्ती इला. जॉयसि पाटेल

...श्री. कमलेश. पुराहित. पुत्र. श्री. बन्सीलाल. जी. पुरोहित

जाती-ब्राह्मण, निवासी-11, हरिजोम नगर विस्तार, जोधपुर..... जाति

व्यवसाय निवासी (जिनको इसके बाद
लीजधारक संबोधित किया गया है) द्वितीय पक्ष तथा इस इबारत में जहां कहीं प्रसंग से वैसा अर्थ निकले, उनके उत्तराधिकारी, निर्वाहक, प्रबंधक,
प्रतिनिधि और मन्तकिल अलैह भी सम्मिलित होंगे) के मध्य निष्पादित हुआ है।

यह विलेख साक्षात्कृत करता है कि प्रीमियम तथा विकास शुल्क की रकम जो लीजधारक (पट्टाधारक) के द्वारा अदा कर दी गई है और जिसकी रसीद नगर निकाय के द्वारा स्वीकार कर ली गई है, और इसमें उल्लेखित शर्तों और करारों जो लीजधारक द्वारा निष्पादित तथा पालन किये जायेंगे, के एवज में नगर निकाय इनके द्वारा लीजधारक को जमीन का वह तमाम भूखण्ड (जिसे इसके बाद उक्त भूखण्ड कहकर संबोधित किया गया है) प्रदान और लीज करती है जो योजना राजस्व ग्राम 8/11/18/28

के खसरा संख्या 15/2 क्षेत्रफल 105 वर्ग मी. में स्थित है और जो अपनी सीमा और क्षेत्रफल के साथ इसके अन्तर्गत लिखे गये परिशिष्ट में अधिक पूर्णरूपेण वर्णित है तथा जिराका आकार विशेष रूप से इससे संलग्न नक्शे में लाल रंग में दिखाया गया है, और जिसे पूर्ण स्वामित्व संबंधी रयत्ता सहित किन्तु निम्नलिखित तमाम व प्रत्येक अपवादों, संरक्षणों, प्रतिबंधों, बंधनों, शर्तों और करारों के अधीन खरीददार अपने उपयोग, उपभोग और इस्तेमाल के लिए अपने अधिकार में रखेगा, अर्थात् :-

1. लीजधारक नगर निकाय के कार्यालय में या ऐसे स्थान पर जिसे नगर निकाय समय-समय पर इस हेतु नियत कर दें, प्रत्येक वर्ष अप्रैल के प्रथम दिन उक्त भूखण्ड के संबंध में उक्त नियमों के नियम 20 के उप-नियम (1) के अन्तर्गत निर्धारित किये गये नगरीय निर्धारण (शहरी जमाबन्दी या भूमि का किराया) के तौर पर रूपये 98331/- अंके नौ हजार आठ सौ पचास मात्र पेशगी अदा करेगा, परन्तु लीजधारक, यदि चाहे तो एक वार्षिक नगरीय निर्धारण (शहरी जमाबन्दी या भूमि का किराया) की राशि जमा करा सकेगा, जो उस वर्ष, जिसमें राशि जमा करायी जाती है, को सम्मिलित करते हुए, पूर्ण वार्षिक नगरीय निर्धारण की राशि के आठ गुणा के बराबर होगी और इस प्रकार जमा कराई गयी नगरीय निर्धारण की राशि के फलस्वरूप लीजधारक उक्त भूखण्ड पर नगरीय निर्धारण की राशि के संदाय के दायित्व से छूट प्राप्त करने का अधिकारी होगा।
2. एक बार नियत किया गया नगरीय निर्धारण या भूमि का किराया प्रत्येक 15 वर्ष के पश्चात् और विक्रय या दान या अन्यथा द्वारा ऐसे अन्तरण पर भी पुनरीक्षण का दायी होगा और ऐसी वृद्धि प्रत्येक अवसर पर ऐसे पुनरीक्षण या, यथास्थिति, अन्तरण के समय नगरीय निर्धारण या भूमि का किराया का 25 प्रतिशत होगी।
3. पट्टे की अवधि - पट्टापृति अधिकार 99 वर्ष के लिए होंगे।
4. उक्त भूखण्ड का उपयोग केवल आवासीय प्रयोजन, जिसके लिए नगर निकाय द्वारा उक्त नियमों के अन्तर्गत अनुमति दी गयी है, के लिए किया जायेगा और इसी प्रयोजन के उपयोग हेतु इस भूखण्ड पर भवन का निर्माण किया जायेगा।
5. इस पट्टा विलेख की तारीख से 7 वर्ष, या ऐसी अतिरिक्त अवधि के भीतर जो नियम-26 के अन्तर्गत बढ़ा दी जावे, लीजधारक के द्वारा इस भूखण्ड पर भवन का निर्माण कराया जायेगा।
6. लीजधारक उक्त भूखण्ड को अपने और अन्तरित या उप-पट्टे पर दे सकेगा। उक्त नियमों में अन्तर्विष्ट निबंधन और शर्तें और अन्य उपबंध, यथावश्यक परिवर्तन सहित, अन्तरिती या उप-पट्टेदार पर इस प्रकार लागू होंगे मानो प्रश्नगत उक्त भूखण्ड नगर निकाय द्वारा दिया गया है या अन्तरित किया गया है। लीजधारक द्वारा उप-पट्टे की कालावधि स्वयं द्वारा अवधारित की जायेगी किन्तु किसी भी दशा में मूल पट्टे की कालावधि से अधिक नहीं होगी। उप-पट्टे उक्त नियमों में विहित समस्त अन्य निबंधनों और शर्तों या किन्हीं पृथक् आदेशों द्वारा, जो राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर इस निमित्त विनिर्दिष्ट मामलों में जारी किये जायें, श्रृंखलित होंगे।
7. उक्त भूखण्ड के अन्तरण के मामले में, अन्तरिती के पक्ष में नाम में अन्तरण के लिए नगर निकाय को आवेदन के साथ रजिस्ट्रीकृत विक्रय विलेख, दान विलेख, या वसीयत या अन्य सुसंगत दस्तावेज प्रस्तुत किये जायेंगे। प्रत्येक अन्तरण के लिए आवेदन के साथ दस रूपये प्रति वर्गमीटर की दर से अन्तरण फीस निक्षिप्त की जायेगी; परन्तु लीजधारक की मृत्यु के मामलों में इस नियम के अधीन कोई फीस प्रभारित नहीं की जायेगी।
8. उक्त नियमों के अधीन किसी व्यक्ति के प्रति पशुदेय प्रीमियम या नगरीय निर्धारण या ब्याज, आन्तरिक/बाह्य विकास प्रभारों का कोई बकाया राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 के अधीन भू-राजस्व की बकाया के रूप में लीजधारक को बसूलीय होगा।
9. यदि आवंटन या पट्टा विलेख के निष्पादन के पश्चात् यह पाया जाता है कि आवंटन या पट्टा विलेख विधि की दुरुभिराधि या उसके उत्प्लंघन में कपटपूर्ण दस्तावेज के आधार पर दुर्यपदेशन द्वारा अभिप्राप्त किया गया है या आवंटन या पट्टा विलेख के

निबंधनों और शर्तों का अतिक्रमण किया गया है तो नगर निकाय उक्त भूखण्ड पर उसके किसी सन्निर्माण सहित उसे प्रतिसंदर्भ करेगा जो सभी प्रभारों से रहित नगर निकाय में निहित समझे जायेंगे, और नगर निकाय किसी भी व्यक्ति को कारित किसी भी प्रकार की नुकसानी के लिए दायी नहीं होगा।

10. इस पट्टा विलेख के आधार पर उक्त भूखण्ड को सरकार/जीवन बीमा निगम/शिड्यूल्ड बैंक/सरकार ऋणदात्री संस्था/एच.डी.एफ. सी. अथवा नेशनल बैंक द्वारा अधिकृत ऋणदात्री संस्थाओं के पास ऋण के लिए बंधक रखा जा सकेगा।

*जो लागू नहीं हो उसे काट दें।

प्रकरण संख्या :-

परिशिष्ट

कस्बे का नाम :
राजस्व ग्राम : 51/15.14.25
खसरा नम्बर : 15/8
योजना का नाम
विस्तृत नाप सहित क्षेत्रफल वर्गगज/वर्गमीटर
105 4/10

सीमा पूर्व P.No. 36 सीमा पश्चिम 30' Road
सीमा उत्तर P.No. 26 सीमा दक्षिण P.No. 28 मानचित्र संलग्न है।
भूखण्ड की संख्या यदि कोई हो P.No. 27

इसके साक्षी के रूप में इसके फरोकने ने इसके बाद प्रत्येक दशा में निर्देशित स्थानों और तारीखों पर अपने अपने हस्ताक्षर कर दिये हैं।

नगरीय निकाय की ओर से

आज सन् 20 माह के 11/9/22 वें दिन
श्री अनिल कुमार पुनिया
निम्न की उपस्थिति में जोधपुर में हस्ताक्षर किये।
उपायुक्त (पुनः)

उपायुक्त (पुनः)
जन्म नगर निकाय - प्रथम पक्ष,
(सक्षम अधिकारी के हस्ताक्षर एवं मोहर)

साक्षी :-

श्री बाबूलाब
वरिष्ठ सहायक

- नाम
पिता/पति का नाम
व्यवसाय
निवास स्थान
- नाम
पिता/पति का नाम
व्यवसाय
निवास स्थान

साक्षी के हस्ताक्षर

साक्षी के हस्ताक्षर

आज दिनांक सन् 20 के माह के
वें दिन को निम्नलिखित की उपस्थिति में उक्त श्री
लीजधारक द्वारा कार्यालय, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर में हस्ताक्षर किये
गये।

For DHARTI INFRA

Kamlesh Purohit
PARTNER
लीजधारक - द्वितीय पक्ष

साक्षी :-

- नाम श्रीमती उपाध्याय
पिता/पति का नाम करवी उपाध्याय
व्यवसाय नौकरी
निवास स्थान नागोरी गेट के अन्दर, अन्धर शिला
- नाम मिलिन भागु
पिता/पति का नाम महेन्द्र चन्द्र भागु
व्यवसाय नौकरी
निवास स्थान मध्याह्न, चौपाया एडमिन लॉड, जोधपुर

साक्षी के हस्ताक्षर

साक्षी के हस्ताक्षर

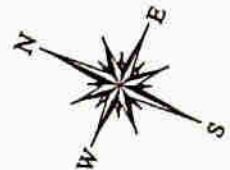
साक्षी के हस्ताक्षर

साक्षी के हस्ताक्षर

**SITE PLAN OF PLOT NO. 27 IN RESIDENTIAL SCHEME (DHARTI ANGAN
PHASE - 02) ON KHASRA NO. $\frac{15}{8}$ OF VILLAGE JHALAMAND AT JODHPUR**

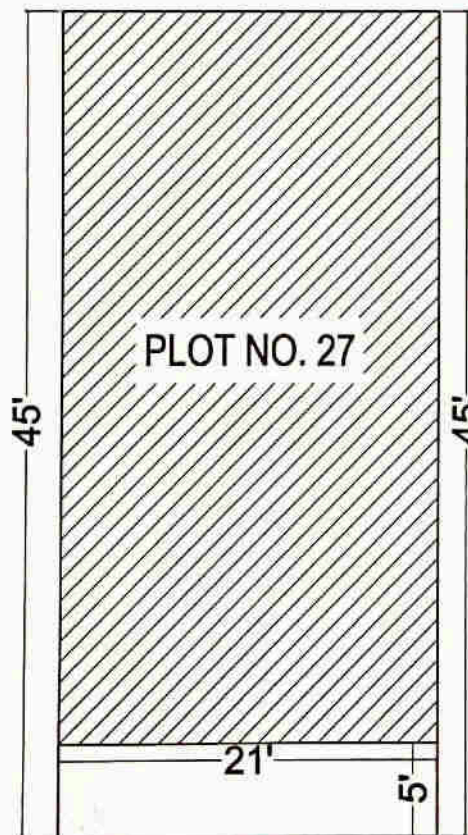
**PLOT SIZE - 21'0"X45'0"
PLOT AREA - 945.00 SQ.FT. OR 105.00 SQ.YARD**

SCALE - 1:10



PLOT NO. 36

PLOT NO. 26



PLOT NO. 28



30' WIDE ROAD

**सहायक नगर नियाजक
जोधपुर विकास प्राधिकरण
जोधपुर**

**11.9.2020
उपायुक्त (पूर्व)
जोधपुर विकास प्राधिकरण
जोधपुर**



जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर

राजस्थान नगरीय क्षेत्र (कृषि भूमि का गैर-कृषिक प्रयोजन के लिए उपयोग की अनुज्ञा और आवंटन) नियम, 2012 के नियम 22 के अन्तर्गत भूमि का



14982
11/9/20 पट्टा विलेख

यह विलेख आज वर्ष के माह के वे दिन जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर (जिन्हें इसके बाद नगर निकाय कहकर संबोधित किया गया है) प्रथम पक्ष एवं श्री

श्री अशोक जयदेव शर्मा

श्री कमलेश पुराहित पुत्र श्री बन्नीलाल जी पुराहित

जाति-ब्राह्मण, निवासी-11, हरिजन नगर विस्तार, जोधपुर

जाति

व्यवसाय निवासी (जिनको इसके बाद लीजधारक संबोधित किया गया है) द्वितीय पक्ष तथा इस इबारत में जहां कहीं प्रसंग से वैसा अर्थ निकले, उनके उत्तराधिकारी, निर्वाहक, प्रबंधक, प्रतिनिधि और मुक्तकिल अलैह भी सम्मिलित होंगे) के मध्य निष्पादित हुआ है।

यह विलेख साक्ष्यांकित करता है कि प्रीमियम तथा विकास शुल्क की रकम जो लीजधारक (पट्टाधारक) के द्वारा अदा कर दी गई है और जिसकी रसीद नगर निकाय के द्वारा रसीद कर ली गई है, और इसमें उल्लेखित शर्तों और करारों जो लीजधारक द्वारा निष्पादित तथा पालन किये जायेंगे, के एवज में नगर निकाय इनके द्वारा लीजधारक को जमीन का वह तमाम भूखण्ड (जिसे इसके बाद उक्त भूखण्ड कहकर संबोधित किया गया है) प्रदान और लीज करती है जो योजना राजस्व ग्राम के खसरा संख्या क्षेत्रफल में स्थित है और जो अपनी सीमा और क्षेत्रफल के साथ इसके अन्तर्गत लिखे गये परिशिष्ट में अधिक पूर्णरूपेण वर्णित है तथा जिसका आकार विशेष रूप से इससे संलग्न नक्शे में ताल रंग में दिखाया गया है, और जिसे पूर्ण स्वामित्व संबंधी रवत्यों सहित किन्तु निम्नलिखित तमाम व प्रत्येक अपवादों, संरक्षणों, प्रतिबंधों, बंधनों, शर्तों और करारों के अधीन खरीददार अपने उपयोग, उपभोग और इस्तेमाल के लिए अपने अधिकार में रखेगा, अर्थात :-

- लीजधारक नगर निकाय के कार्यालय में या ऐसे स्थान पर जिसे नगर निकाय समय-समय पर इस हेतु नियत कर दें, प्रत्येक वर्ष अप्रैल के प्रथम दिन उक्त भूखण्ड के संबंध में उक्त नियमों के नियम 20 के उप-नियम (1) के अन्तर्गत निर्धारित किये गये नगरीय निर्धारण (शहरी जमाबन्दी या भूमि का किराया) के तौर पर रुपये अंके मात्र पेशगी अदा करेगा, परन्तु लीजधारक, यदि चाहे तो एक बारीय नगरीय निर्धारण (शहरी जमाबन्दी या भूमि का किराया) की राशि जमा करा सकेगा, जो उस वर्ष, जिसमें राशि जमा कराई जाती है, को सम्मिलित करते हुए, पूर्ण वार्षिक नगरीय निर्धारण की राशि के आठ गुणा के बराबर होगी और इस प्रकार जमा कराई गयी नगरीय निर्धारण की राशि के फलस्वरूप लीजधारक उक्त भूखण्ड पर नगरीय निर्धारण की राशि के संदाय के दायित्व से छूट प्राप्त करने का अधिकारी होगा।
- एक बार नियत किया गया नगरीय निर्धारण या भूमि का किराया प्रत्येक 15 वर्ष के पश्चात् और विक्रय या दान या अन्यथा द्वारा ऐसे अन्तरण पर भी पुनरीक्षण की जायेगी और ऐसी वृद्धि प्रत्येक अवसर पर ऐसे पुनरीक्षण या, यथारिबति, अन्तरण के समय नगरीय निर्धारण या भूमि का किराया प्रतिशत होगी।
- पट्टे की अवधि :- पट्टाधृति अधिकार 99 वर्ष के लिए होंगे।
- उक्त भूखण्ड का उपयोग केवल प्रयोजन, जिसके लिए नगर निकाय द्वारा उक्त नियमों के अन्तर्गत अनुमति दी गयी है, के लिए किया जायेगा और इसी प्रयोजन के उपयोग हेतु इस भूखण्ड पर भवन का निर्माण किया जायेगा।
- इस पट्टा विलेख की तारीख से 7 वर्ष, या ऐसी अतिरिक्त अवधि के भीतर जो नियम-26 के अन्तर्गत बढ़ा दी जावे, लीजधारक के द्वारा इस भूखण्ड पर भवन का निर्माण कराया जायेगा।
- लीजधारक उक्त भूखण्ड को आगे और अन्तरित या उप-पट्टे पर दे सकेगा। उक्त नियमों में अन्तर्विष्ट निबंधन और शर्तों और अन्य उपबंध, यथावश्यक परिवर्तन सहित, अन्तरिती या उप-पट्टेदार पर इस प्रकार लागू होंगे मानो प्रशंगत उक्त भूखण्ड नगर निकाय द्वारा दिया गया है या अन्तरित किया गया है। लीजधारक द्वारा उप-पट्टे की कालावधि स्वयं द्वारा अवधारित की जायेगी किन्तु किसी भी दशा में मूल पट्टे की कालावधि से अधिक नहीं होगी। उप-पट्टे उक्त नियमों में विहित समस्त अन्य निबंधनों और शर्तों या किन्हीं पृथक् आदेशों द्वारा, जो राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर इस निमित्त विनिर्दिष्ट मामलों में जारी किये जायें, शासित होंगे।
- उक्त भूखण्ड के अन्तरण के मामले में, अन्तरिती के पक्ष में नाम में अन्तरण के लिए नगर निकाय को आवेदन के साथ रजिस्ट्रीकृत विक्रय विलेख, दान विलेख, या वसीयत या अन्य सुसंगत दस्तावेज प्रस्तुत किये जायेंगे। प्रत्येक अन्तरण के लिए आवेदन के साथ दस रुपये प्रति वर्गमीटर की दर से अन्तरण फीस निश्चित की जायेगी; परन्तु लीजधारक की मृत्यु के मामले में इस नियम के अधीन कोई फीस प्रभारित नहीं की जायेगी।
- उक्त नियमों के अधीन किसी व्यक्ति के प्रति परादेय प्रीमियम या नगरीय निर्धारण या ब्याज, आन्तरिक/बाह्य विकास प्रभारों का कोई बकाया राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 के अधीन भू-राजस्व की बकाया के रूप में लीजधारक से वसूली होगी।
- यदि आवंटन या पट्टा विलेख के निष्पादन के पश्चात् यह पाया जाता है कि आवंटन या पट्टा विलेख विधि की दुरभिसंधि या उसके उल्लंघन में कपटपूर्ण दस्तावेज के आधार पर दुरुपदेशन द्वारा अभिप्राप्त किया गया है या आवंटन या पट्टा विलेख के

(कृ.प.उ.)

निबंधनों और शर्तों का अतिक्रमण किया गया है तो नगर निकाय उक्त भूखण्ड पर उसके किसी सन्निर्माण सहित उसे प्रतिसंहत करेगा जो सभी प्रभारों से रहित नगर निकाय में निहित समझे जायेंगे, और नगर निकाय किसी भी व्यक्ति को कारित किसी भी प्रकार की नुकसानी के लिए दायी नहीं होगा।

10. इस पट्टा विलेख के आधार पर उक्त भूखण्ड को सरकार/जीवन बीमा निगम/शिड्यूल्ड बैंक/सरकार ऋणदात्री संस्था/एच.डी.एफ. सी. अथवा नेशनल बैंक द्वारा अधिकृत ऋणदात्री संस्थाओं के पास ऋण के लिए बंधक रखा जा सकेगा।

*जो लागू नहीं हो उसे काट दें।

प्रकरण संख्या :-

परिशिष्ट

कस्बे का नाम :
राजस्व ग्राम : 41M1403
खसरा नम्बर : 151.8
योजना का नाम :
विस्तृत नाम सहित क्षेत्रफल वर्गगज/वर्गमीटर
105 gaj

सीमा पूर्व P.No. 35 सीमा पश्चिम 30' Road
सीमा उत्तर P.No. 27 सीमा दक्षिण P.No. 29 मानचित्र संलग्न है।
भूखण्ड की संख्या यदि कोई हो P.No. 28

इसके साक्षी के रूप में इसके फरीकेन ने इसके बाद प्रत्येक दशा में निर्देशित स्थानों और तारीखों पर अपने अपने हस्ताक्षर कर दिये हैं।

नगरीय निकाय की ओर से

आज सन् 20 माह के 11/9/2022 वें दिन
श्री
निम्न की उपस्थिति में जोधपुर में हस्ताक्षर किये।
अनिल कुमार पूनियाँ
उपायुक्त (जुवे)

11.9.2022
नगर निकाय प्रथम पक्ष
संयुक्त विकास प्राधिकरण
(संक्षेप अधिकारी के हस्ताक्षर एवं मोहर)

साक्षी :-

1. नाम श्री बाबूलाल
पिता/पति का नाम
व्यवसाय
निवास स्थान
2. नाम
पिता/पति का नाम
व्यवसाय
निवास स्थान


साक्षी के हस्ताक्षर

साक्षी के हस्ताक्षर

आज दिनांक सन् 20 के माह के
वें दिन को निम्नलिखित की उपस्थिति में उक्त श्री
लोजधारक द्वारा कार्यालय, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर में हस्ताक्षर किये
गये।

For DHARTI INFRA

Kamlesh Parokit
PARTNER
लोजधारक - द्वितीय पक्ष

साक्षी :-

1. नाम श्रीमती उपाध्याय
पिता/पति का नाम
व्यवसाय
निवास स्थान
2. नाम
पिता/पति का नाम
व्यवसाय
निवास स्थान

Shumita

साक्षी के हस्ताक्षर

Shilpa

साक्षी के हस्ताक्षर

SITE PLAN OF PLOT NO. 28 IN RESIDENTIAL SCHEME (DHARTI ANGAN
PHASE - 02) ON KHASRA NO. $\frac{15}{8}$ OF VILLAGE JHALAMAND AT JODHPUR

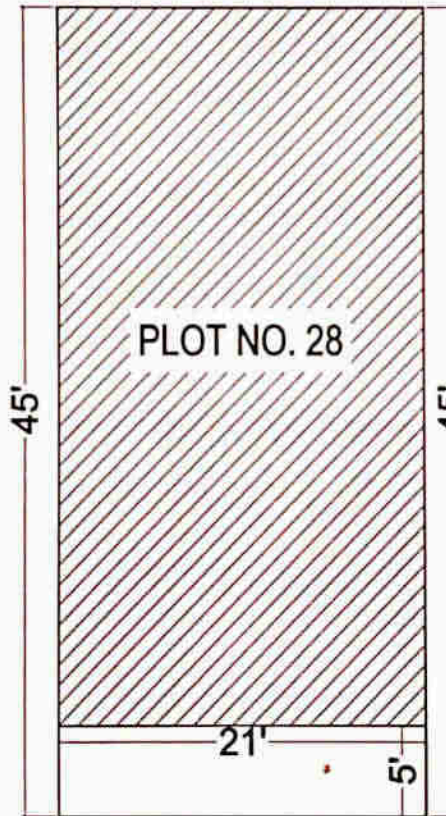
PLOT SIZE - 21'0"X45'0"
PLOT AREA - 945.00 SQ.FT. OR 105.00 SQ.YARD

SCALE - 1:10



PLOT NO. 35

PLOT NO. 27



30' WIDE ROAD



सहायक नगर नियोजक
जोधपुर विकास प्राधिकरण
जोधपुर

11.9.2020
उपायुक्त (पूर्व)
जोधपुर विकास प्राधिकरण
जोधपुर



जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर

राजस्थान नगरीय क्षेत्र (कृषि भूमि का गैर-कृषिक प्रयोजन के लिए उपयोग की अनुज्ञा और आवंटन) नियम, 2012 के नियम 22 के अन्तर्गत भूमि का



14283
11/9/2020 पट्टा विलेख

यह विलेख आज वर्ष के माह के वे दिन जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर (जिन्हें इसके बाद नगर निकाय कहकर संबोधित किया गया है) प्रथम पक्ष एवं श्री

श्री कमलेश पुराहित पुत्र श्री बन्सीलाल जी पुराहित

जाति-राक्षस, निवासी-11, हरिओम नगर विस्तार, जोधपुर

जाति

व्यवसाय निवासी (जिनको इसके बाद लीजधारक संबोधित किया गया है) द्वितीय पक्ष तथा इस इबारत में जहां कहीं प्रसंग से वैसा अर्थ निकले, उनके उत्तराधिकारी, निर्वाहक, प्रबंधक, प्रतिनिधि और मुक्तकिल अलंहे भी सम्मिलित होंगे) के मध्य निष्पादित हुआ है।

यह विलेख साक्ष्यांकित करता है कि प्रीमियम तथा विकास शुल्क की रकम जो लीजधारक (पट्टाधारक) के द्वारा अदा कर दी गई है और जिसकी रसीद नगर निकाय के द्वारा स्वीकार कर ली गई है, और इसमें उल्लेखित शर्तों और करारों जो लीजधारक द्वारा निष्पादित तथा पालन किये जायेंगे, के एवज में नगर निकाय इनके द्वारा लीजधारक को जमीन का वह तमाम भूखण्ड (जिसे इसके बाद उक्त भूखण्ड कहकर संबोधित किया गया है) प्रदान और लीज करती है जो योजना राजस्थान ग्राम के खसरा संख्या क्षेत्रफल में स्थित है और जो अपनी सीमा और क्षेत्रफल के साथ इसके अन्तर्गत लिखे गये परिशिष्ट में अधिक पूर्णरूपेण वर्णित है तथा जिसका आकार विशेष रूप से इससे संलग्न नक्शे में लाल रंग में दिखाया गया है, और जिसे पूर्ण स्वामित्व संबंधी स्वत्वों सहित किन्तु निम्नलिखित तमाम व प्रत्येक अपवादों, संरक्षणों, प्रतिबंधों, बंधनों, शर्तों और करारों के अधीन खरीददार अपने उपयोग, उपभोग और इस्तेमाल के लिए अपने अधिकार में रखेगा, अर्थात :-

- लीजधारक नगर निकाय के कार्यालय में या ऐसे स्थान पर जिसे नगर निकाय समय-समय पर इस हेतु नियत कर दें, प्रत्येक वर्ष अप्रैल के प्रथम दिन उक्त भूखण्ड के संबंध में उक्त नियमों के नियम 20 के उप-नियम (1) के अन्तर्गत निर्धारित किये गये नगरीय निर्धारण (शहरी जमाबन्दी या भूमि का किराया) के तौर पर रुपये 90331/- अंके मात्र पेशगी अदा करेगा, परन्तु लीजधारक, यदि चाहे तो एक वार्षिक नगरीय निर्धारण (शहरी जमाबन्दी या भूमि का किराया) की राशि जमा करा सकेगा, जो उस वर्ष, जिसमें राशि जमा करायी जाती है, को सम्मिलित करते हुए, पूर्ण वार्षिक नगरीय निर्धारण की राशि के आठ गुणा के बराबर होगी और इस प्रकार जमा कराई गयी नगरीय निर्धारण की राशि के फलस्वरूप लीजधारक उक्त भूखण्ड पर नगरीय निर्धारण की राशि के संदाय के दायित्व से छूट प्राप्त करने का अधिकारी होगा।
- एक बार नियत किया गया नगरीय निर्धारण या भूमि का किराया प्रत्येक 15 वर्ष के पश्चात् और विक्रय या दान या अन्यथा द्वारा ऐसे अन्तरण पर भी पुनरीक्षण को जारी होगा और ऐसी वृद्धि प्रत्येक अवसर पर ऐसे पुनरीक्षण या, यथारिथति, अन्तरण के समय नगरीय निर्धारण या भूमि के किराये का 25 प्रतिशत होगी।
- पट्टे की अवधि पट्टाधृति अधिकार 99 वर्ष के लिए होंगे।
- उक्त भूखण्ड का उपयोग केवल प्रयोजन, जिसके लिए नगर निकाय द्वारा उक्त नियमों के अन्तर्गत अनुमति दी गयी है, के लिए किया जायेगा और इसी प्रयोजन के उपयोग हेतु इस भूखण्ड पर भवन का निर्माण किया जायेगा।
- इस पट्टा विलेख की तारीख से 7 वर्ष, या ऐसी अतिरिक्त अवधि के भीतर जो नियम-26 के अन्तर्गत बढ़ा दी जावे, लीजधारक के द्वारा इस भूखण्ड पर भवन का निर्माण कराया जायेगा।
- लीजधारक उक्त भूखण्ड को आगे और अन्तरित या उप-पट्टे पर दे सकेगा। उक्त नियमों में अन्तर्विष्ट निबंधन और शर्तों और अन्य उपबंध, यथावश्यक परिवर्तन सहित, अन्तरिती या उप-पट्टेदार पर इस प्रकार लागू होंगे मानो प्ररनगत उक्त भूखण्ड नगर निकाय द्वारा दिया गया है या अन्तरित किया गया है। लीजधारक द्वारा उप-पट्टे की कालावधि स्वयं द्वारा अवधारित की जायेगी किन्तु किसी भी दशा में मूल पट्टे की कालावधि से अधिक नहीं होगी। उप-पट्टे उक्त नियमों में विहित सगस्त अन्य निबंधनों और शर्तों या किन्हीं पृथक् आदेशों द्वारा, जो राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर इस निमित्त विनिर्दिष्ट मामलों में जारी किये जायें, शासित होंगे।
- उक्त भूखण्ड के अन्तरण के मामले में, अन्तरिती के पक्ष में नाम में अन्तरण के लिए नगर निकाय को आवेदन के साथ रजिस्ट्रीकृत विक्रय विलेख, दान विलेख, या वरीयत या अन्य सुसंगत दस्तावेज प्रस्तुत किये जायेंगे। प्रत्येक अन्तरण के लिए आवेदन के साथ दस रुपये प्रति वर्गमीटर की दर से अन्तरण फीस निक्षिप्त की जायेगी; परन्तु लीजधारक की मृत्यु के मामलों में इस नियम के अधीन कोई फीस प्रभासित नहीं की जायेगी।
- उक्त नियमों के अधीन किसी व्यक्ति के प्रति परादेय प्रीमियम या नगरीय निर्धारण या ब्याज, आन्तरिक/वाह्य विकास प्रभारों का कोई बकाया राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 के अधीन भू-राजस्व की बकाया के रूप में लीजधारक से वसूलीय होगा।
- यदि आवंटन या पट्टा विलेख के निष्पादन के पश्चात् यह पाया जाता है कि आवंटन या पट्टा विलेख सिद्धि की दुरभिसंधि या उसके उत्तलंघन में कपटपूर्ण दस्तावेज के आधार पर दुर्यपदेशन द्वारा अभिप्राप्त किया गया है या आवंटन या पट्टा विलेख के

(क.प.उ.)

निबंधनों और शर्तों का अतिक्रमण किया गया है तो नगर निकाय उक्त भूखण्ड पर उसके किसी सन्निर्माण सहित उसे प्रतिसंहत करेगा जो सभी प्रभारों से रहित नगर निकाय में निहित समझे जायेंगे, और नगर निकाय किसी भी व्यक्ति को कारित, किसी भी प्रकार की नुकसानी के लिए दायी नहीं होगा।

10. इस पट्टा विलेख के आधार पर उक्त भूखण्ड को सरकार/जीवन बीमा निगम/शिड्यूल्ड बैंक/सरकार ऋणदात्री संस्था/एच.डी.एफ. सी. अथवा नेशनल बैंक द्वारा अधिकृत ऋणदात्री संस्थाओं के पास ऋण के लिए बंधक रखा जा सकेगा।

*जो लागू नहीं हो उसे काट दें।

प्रकरण संख्या :-

परिशिष्ट

कस्बे का नाम :	सीमा पूर्व P.No. 34	सीमा पश्चिम 30' Road
राजस्व ग्राम : 5111111111	सीमा उत्तर P.No. 28	सीमा दक्षिण P.No. 30
खसरा नम्बर : 15/8	मानचित्र संलग्न है।	
योजना का नाम	भूखण्ड की संख्या यदि कोई हो P.No. 29	
विस्तृत नाप सहित क्षेत्रफल वर्गगज/वर्गमीटर 105 (700)		

इसके साक्षी के रूप में इसके फरीकेन ने इसके बाद प्रत्येक दशा में निर्देशित स्थानों और तारीखों पर अपने अपने हस्ताक्षर कर दिये हैं।

नगरीय निकाय की ओर से

आज सन् 20 माह के 11/9/2020 वें दिन
श्री
निम्न की उपस्थिति में जोधपुर में हस्ताक्षर किये

उपायुक्त (पूर्व)
नगर विकास प्राधिकरण
जोधपुर
(सक्षम अधिकारी के हस्ताक्षर एवं मोहर)

साक्षी :-

1. नाम श्री बाबूलाल
पिता/पति का नाम
व्यवसाय
निवास स्थान
2. नाम
पिता/पति का नाम
व्यवसाय
निवास स्थान

साक्षी के हस्ताक्षर
साक्षी के हस्ताक्षर

आज दिनांक सन् 20 के माह के
वें दिन को निम्नलिखित की उपस्थिति में उक्त श्री
लौजधारक द्वारा कार्यालय, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर में हस्ताक्षर किये
गये।

For DHARTI INFRA
/Kamlesh Prakash
PARTNER
लौजधारक - द्वितीय पक्ष

साक्षी :-

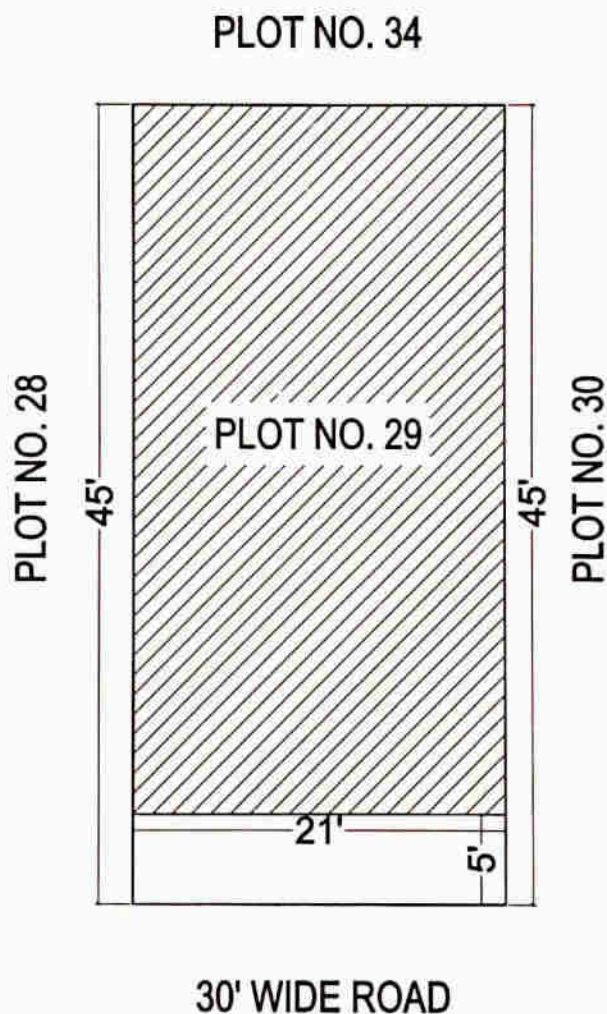
1. नाम भूमिका उपाध्याय
पिता/पति का नाम कपूर उपाध्याय
व्यवसाय नोकरी
निवास स्थान नौगोरी गेट के अन्दर, अवार 1 शिवा
2. नाम नितिन भागुत
पिता/पति का नाम महेन्द्र चन्द्र भागुत
व्यवसाय नोकरी
निवास स्थान महेन्द्रपुर नौगोरी गेट के अन्दर, जोधपुर

साक्षी के हस्ताक्षर
साक्षी के हस्ताक्षर

**SITE PLAN OF PLOT NO. 29 IN RESIDENTIAL SCHEME (DHARTI ANGAN
PHASE - 02) ON KHASRA NO. $\frac{15}{8}$ OF VILLAGE JHALAMAND AT JODHPUR**

PLOT SIZE - 21'0"X45'0"
PLOT AREA - 945.00 SQ.FT. OR 105.00 SQ.YARD

SCALE - 1:10



सहायक नगर नियोजक
जोधपुर विकास प्राधिकरण
जोधपुर

उपायुक्त (पूर्व)
जोधपुर विकास प्राधिकरण
जोधपुर



जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर

राजस्थान नगरीय क्षेत्र (कृषि भूमि का गैर-कृषिक प्रयोजन के लिए उपयोग की अनुज्ञा और आवंटन) नियम, 2012 के नियम 22 के अन्तर्गत भूमि का

14984
11/9/2020

पट्टा विलेख



यह विलेख आज वर्ष के माह के वे दिन जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर (जिन्हें इसके बाद नगर निकाय कहकर संबोधित किया गया है) प्रथम पक्ष एवं श्री

दरती इन्द्र जयिपे मार्टन

श्री कमलेश पुरहित पुत्र श्री बन्नीलाल जी पुरहित

जाती-ब्राह्मण, निवासी-11, हरिओम नगर विस्तार जोधपुर जाति

व्यवसाय निवासी (जिनको इसके बाद लीजधारक संबोधित किया गया है) द्वितीय पक्ष तथा इस इबारत में जहां कहीं प्रसंग से वैसा अर्थ निकले, उनके उत्तराधिकारी, निर्वाहक, प्रबंधक, प्रतिनिधि और मुक्तकिल अलैह भी सम्मिलित होंगे) के मध्य निष्पादित हुआ है।

यह विलेख साक्षात्कृत करता है कि प्रीमियम तथा विकास शुल्क की रकम जो लीजधारक (पट्टाधारक) के द्वारा अदा कर दी गई है और जिसकी रसीद नगर निकाय के द्वारा रबीकार कर ली गई है, और इसमें उल्लेखित शर्तों और करारों जो लीजधारक द्वारा निष्पादित तथा पालन किये जायेंगे, के एवज में नगर निकाय इनके द्वारा लीजधारक को जमीन का वह तमाम भूखण्ड (जिसे इसके बाद उक्त भूखण्ड कहकर संबोधित किया गया है) प्रदान और लीज करती है जो योजना राजस्व ग्राम 3774/285 के खसरा संख्या 15/8 क्षेत्रफल 100.921 में स्थित है और जो अपनी सीमा और क्षेत्रफल के साथ इसके अन्तर्गत लिखे गये परिशिष्ट में अधिक पूर्णरूपेण वर्णित है तथा जिसका आकार विशेष रूप से इससे संलग्न नक्शे में लाल रंग में दिखाया गया है, और जिसे पूर्ण स्वामित्व संबंधी रवत्तों सहित किन्तु निम्नलिखित तमाम व प्रत्येक अपवादों, संरक्षणों, प्रतिबंधों, बंधनों, शर्तों और करारों के अधीन खरीददार अपने उपयोग, उपभोग और इस्तेमाल के लिए अपने अधिकार में रखेगा, अर्थात :-

- लीजधारक नगर निकाय के कार्यालय में या ऐसे स्थान पर जिसे नगर निकाय समय-समय पर इस हेतु नियत कर दें, प्रत्येक वर्ष अप्रैल के प्रथम दिन उक्त भूखण्ड के संबंध में उक्त नियमों के नियम 20 के उप-नियम (1) के अन्तर्गत निर्धारित किये गये नगरीय निर्धारण (शहरी जमाबन्दी या भूमि का किराया) के तौर पर रुपये 9833/- अंके में राजस्व (आठ सौ पचास मात्र पेशगी अदा करेगा, परन्तु लीजधारक, यदि चाहे तो एक बारीय नगरीय निर्धारण (शहरी जमाबन्दी या भूमि का किराया) की राशि जमा कर सकेगा, जो उस वर्ष, जिसमें राशि जमा करायी जाती है, को सम्मिलित करते हुए, पूर्ण वार्षिक नगरीय निर्धारण की राशि के आठ गुणा के बराबर होगी और इस प्रकार जमा कराई गयी नगरीय निर्धारण की राशि के फलस्वरूप लीजधारक उक्त भूखण्ड पर नगरीय निर्धारण की राशि के संदाय के दायित्व से छूट प्राप्त करने का अधिकारी होगा।
- एक बार नियत किया गया नगरीय निर्धारण या भूमि का किराया प्रत्येक 15 वर्ष के पश्चात् और विक्रय या दान या अन्यथा द्वारा ऐसे अन्तरण पर भी पुनरीक्षण का दायी होगा और ऐसी वृद्धि प्रत्येक अवसर पर ऐसे पुनरीक्षण या, यथास्थिति, अन्तरण के समय नगरीय निर्धारण या भूमि के किराये का 25 प्रतिशत होगी।
- पट्टे की अवधि :- पट्टाधृति अधिकार 99 वर्ष के लिए होंगे।
- उक्त भूखण्ड का उपयोग केवल 311/1+1/21 प्रयोजन, जिसके लिए नगर निकाय द्वारा उक्त नियमों के अन्तर्गत अनुमति दी गयी है, के लिए किया जायेगा और इसी प्रयोजन के उपयोग हेतु इस भूखण्ड पर भवन का निर्माण किया जायेगा।
- इस पट्टा विलेख की तारीख से 7 वर्ष, या ऐसी अतिरिक्त अवधि के भीतर जो नियम-26 के अन्तर्गत बढ़ा दी जावे, लीजधारक के द्वारा इस भूखण्ड पर भवन का निर्माण कराया जायेगा।
- लीजधारक उक्त भूखण्ड को आगे और अन्तरित या उप-पट्टे पर दे सकेगा। उक्त नियमों में अन्तर्विष्ट निबंधन और शर्तों और अन्य उपबंध, यथावश्यक परिवर्तन सहित, अन्तरिती या उप-पट्टेदार पर इस प्रकार लागू होंगे मानो प्रश्नगत उक्त भूखण्ड नगर निकाय द्वारा दिया गया है या अन्तरित किया गया है। लीजधारक द्वारा उप-पट्टे की कालावधि स्वयं द्वारा अवधारित की जायेगी किन्तु किसी भी दशा में मूल पट्टे की कालावधि से अधिक नहीं होगी। उप-पट्टे उक्त नियमों में विहित समस्त अन्य निबंधनों और शर्तों या किन्हीं पृथक् आदेशों द्वारा, जो राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर इस निमित्त विनिर्दिष्ट मामलों में जारी किये जायें, शासित होंगे।
- उक्त भूखण्ड के अन्तरण के मामले में, अन्तरिती के पक्ष में नाम में अन्तरण के लिए नगर निकाय को आवेदन के साथ रजिस्ट्रीकृत विक्रय विलेख, दान विलेख, या वसीयत या अन्य सुसंगत दस्तावेज प्रस्तुत किये जायेंगे। प्रत्येक अन्तरण के लिए आवेदन के साथ दस रुपये प्रति वर्गमीटर की दर से अन्तरण फीस निक्षिप्त की जायेगी; परन्तु लीजधारक की मृत्यु के मामलों में इस नियम के अधीन कोई भी फीस प्रभावित नहीं की जायेगी।
- उक्त नियमों के अधीन किसी व्यक्ति के प्रति परादेय प्रीमियम या नगरीय निर्धारण या ब्याज, आन्तरिक/बाह्य विकास प्रभारों का कोई बकाया राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 के अधीन भू-राजस्व की बकाया के रूप में लीजधारक से वसूलीय होगा।
- यदि आवंटन या पट्टा विलेख के निष्पादन के पश्चात् यह पाया जाता है कि आवंटन या पट्टा विलेख विधि की दुरभिसंधि या उसके उत्पन्न में कष्टपूर्ण दस्तावेज के आधार पर दुर्यपदेशन द्वारा अभिप्राप्त किया गया है या आवंटन या पट्टा विलेख के (क.प.उ.)

निबंधनों और शर्तों का अतिक्रमण किया गया है तो नगर निकाय उक्त भूखण्ड पर उसके किसी सन्निर्माण सहित उसे प्रतिसंहत करेगा जो सभी प्रभारों से रहित नगर निकाय में निहित समझे जायेंगे, और नगर निकाय किसी भी व्यक्ति को कारित किसी भी प्रकार की नुकसानी के लिए दायी नहीं होगा।

10. इस पट्टा विलेख के आधार पर उक्त भूखण्ड को सरकार/जीवन बीमा निगम/शिड्युल्ड बैंक/सरकार ऋणदात्री संस्था/एच.डी.एफ. सी. अथवा नेशनल बैंक द्वारा अधिकृत ऋणदात्री संस्थाओं के पास ऋण के लिए बंधक रखा जा सकेगा।

*जो लागू नहीं हो उसे काट दें।

प्रकरण संख्या :-

परिशिष्ट

कस्बे का नाम :
राजस्व ग्राम : 31/11/1985
खसरा नम्बर : 15/8
योजना का नाम
विस्तृत नाप सहित क्षेत्रफल वर्गगज/वर्गमीटर
105 do 10

सीमा पूर्व P.No. 33 सीमा पश्चिम 30' Road
सीमा उत्तर P.No. 29 सीमा दक्षिण P.No. 31 मानचित्र संलग्न है।
भूखण्ड की संख्या यदि कोई हो P.No. 30

इसके साक्षी के रूप में इसके फरीकेन ने इसके बाद प्रत्येक दशा में निर्देशित स्थानों और तारीखों पर अपने अपने हस्ताक्षर कर दिये हैं।

नगरीय निकाय की ओर से

आज सन् 20 माह के 11/9/2000 वें दिन
श्री अनिल कुमार पूनियाँ
निम्न की उपस्थिति में जोधपुर में हस्ताक्षर किये।
उपायुक्त (पूर्व)

उपायुक्त (पूर्व)
जोधपुर विकास प्राधिकरण
(सक्षम अधिकारी के हस्ताक्षर एवं मोहर)

साक्षी :-

1. नाम श्री बाबूलाल
पिता/पति का नाम वरिष्ठ सहायक
व्यवसाय
निवास स्थान

साक्षी के हस्ताक्षर

2. नाम
पिता/पति का नाम
व्यवसाय
निवास स्थान

साक्षी के हस्ताक्षर

आज दिनांक सन् 20 के माह के
वें दिन को निम्नलिखित की उपस्थिति में उक्त श्री
लोजधारक द्वारा कार्यालय, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर में हस्ताक्षर किये
गये।

For DHARTI INFRA

Kamlesh Purohit
PARTNER
लोजधारक - द्वितीय पक्ष

साक्षी :-

1. नाम श्रीमती उपमा
पिता/पति का नाम करण उपमा
व्यवसाय नौकरी
निवास स्थान नागोरी गेट के अन्दर, अंधार शिला

साक्षी के हस्ताक्षर

2. नाम नितीन भागु
पिता/पति का नाम नरेश चन्द्र भागु
व्यवसाय नौकरी
निवास स्थान महाविपुल, जोधपुर हाउसिंग बोर्ड, जोधपुर

साक्षी के हस्ताक्षर

**SITE PLAN OF PLOT NO. 30 IN RESIDENTIAL SCHEME (DHARTI ANGAN
PHASE - 02) ON KHASRA NO. $\frac{15}{86}$ OF VILLAGE JHALAMAND AT JODHPUR**

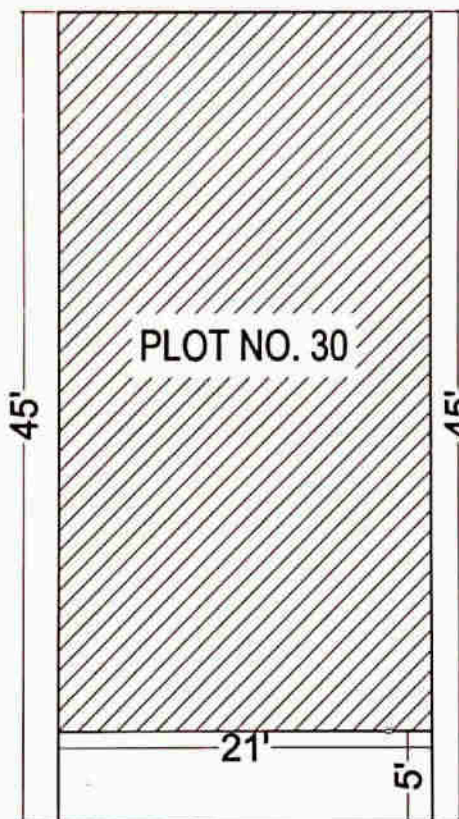
**PLOT SIZE - 21'0"X45'0"
PLOT AREA - 945.00 SQ.FT. OR 105.00 SQ.YARD**

SCALE - 1:10



PLOT NO. 33

PLOT NO. 29



PLOT NO. 31

30' WIDE ROAD



**सहायक नगर नियोजक
जोधपुर विकास प्राधिकरण
जोधपुर**

**11.9.2020
समाप्त (पूर्व)
जोधपुर विकास प्राधिकरण
जोधपुर**



जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर

राजस्थान नगरीय क्षेत्र (कृषि भूमि का गैर-कृषिक प्रयोजन के लिए उपयोग की अनुज्ञा और आवंटन) नियम, 2012 के नियम 22 के अन्तर्गत भूमि का

14985
11/9/2017 पट्टा विलेख



यह विलेख आज वर्ष के माह के वे दिन जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर (जिन्हें इसके बाद नगर निकाय कहकर संबोधित किया गया है) प्रथम पक्ष एवं श्री

धरती-इंका जरिये-पार्टनर

श्री कमलेश पुसहित पुत्र श्री बन्सीलाल जी पुरोहित

जाती-ब्राह्मण, निवासी-11, हरिओम नगर विस्तार, जोधपुर जाति

व्यवसाय निवासी (जिनको इसके बाद लीजधारक संबोधित किया गया है) द्वितीय पक्ष तथा इस इबारत में जहां कहीं प्रसंग से वैसा अर्थ निकले, उनके उत्तराधिकारी, निर्वाहक, प्रबंधक, प्रतिनिधि और मुन्तकिल अलैह भी सम्मिलित होंगे) के मध्य निष्पादित हुआ है।

यह विलेख साक्षात्कृत करता है कि प्रीमियम तथा विकास शुल्क की एकम जो लीजधारक (पट्टाधारक) के द्वारा अदा कर दी गई है और जिसकी रसीद नगर निकाय के द्वारा रबीकार कर ली गई है, और इसमें उल्लेखित शर्तों और करारों जो लीजधारक द्वारा निष्पादित तथा पालन किये जायेंगे, के एवज में नगर निकाय इनके द्वारा लीजधारक को जमीन का वह तमाम भूखण्ड (जिसे इसके बाद उक्त भूखण्ड कहकर संबोधित किया गया है) प्रदान और लीज करती है जो योजना राजस्व ग्राम के खसरा संख्या क्षेत्रफल में स्थित है और जो अपनी सीमा और क्षेत्रफल के साथ इसके अन्तर्गत लिखे गये परिशिष्ट में अधिक पूर्णरूपेण वर्णित है तथा जिसका आकार विशेष रूप से इससे संलग्न नक्शे में लाल रंग में दिखाया गया है, और जिसे पूर्ण स्वामित्व संबंधी रवत्यों सहित किन्तु निम्नलिखित तमाम व प्रत्येक अपवादों, संरक्षणों, प्रतिबंधों, बंधनों, शर्तों और करारों के अधीन खरीददार अपने उपयोग, उपभोग और इस्तेमाल के लिए अपने अधिकार में रखेगा, अर्थात् :-

- लीजधारक नगर निकाय के कार्यालय में या ऐसे स्थान पर जिसे नगर निकाय समय-समय पर इस हेतु नियत कर दें, प्रत्येक वर्ष अप्रैल के प्रथम दिन उक्त भूखण्ड के संबंध में उक्त नियमों के नियम 20 के उप-नियम (1) के अन्तर्गत निर्धारित किये गये नगरीय निर्धारण (शहरी जमाबन्दी या भूमि का किराया) के तौर पर रुपये अंके मात्र पेशगी अदा करेगा, परन्तु लीजधारक, यदि चाहे तो एक बारीय नगरीय निर्धारण (शहरी जमाबन्दी या भूमि का किराया) की राशि जमा करा सकेगा, जो उस वर्ष, जिसमें राशि जमा करायी जाती है, को सम्मिलित करते हुए, पूर्ण वार्षिक नगरीय निर्धारण की राशि के बराबर होगी और इस प्रकार जमा कराई गयी नगरीय निर्धारण की राशि के फलस्वरूप लीजधारक उक्त भूखण्ड पर नगरीय निर्धारण की राशि के संदाय के दायित्व से छूट प्राप्त करने का अधिकारी होगा।
- एक बार नियत किया गया नगरीय निर्धारण या भूमि का किराया प्रत्येक 15 वर्ष के पश्चात् और विक्रय या दान या अन्यथा द्वारा ऐसे अन्तरण पर भी पुनरीक्षण का दायी होगा और ऐसी वृद्धि प्रत्येक अवसर पर ऐसे पुनरीक्षण या, यथारिथति, अन्तरण के समय नगरीय निर्धारण या भूमि का किराया 25 प्रतिशत होगी।
- पट्टे की अवधि :- पट्टाधृति अधिकार 99 वर्ष के लिए होंगे।
- उक्त भूखण्ड का उपयोग केवल प्रयोजन, जिसके लिए नगर निकाय द्वारा उक्त नियमों के अन्तर्गत अनुमति दी गयी है, के लिए किया जायेगा और इसी प्रयोजन के उपयोग हेतु इस भूखण्ड पर भवन का निर्माण किया जायेगा।
- इस पट्टा विलेख की तारीख से 7 वर्ष, या ऐसी अतिरिक्त अवधि के भीतर जो नियम-26 के अन्तर्गत बढ़ा दी जावें, लीजधारक के द्वारा इस भूखण्ड पर भवन का निर्माण कराया जायेगा।
- लीजधारक उक्त भूखण्ड को आगे और अन्तरित या उप-पट्टे पर दे सकेगा। उक्त नियमों में अन्तर्विष्ट निबंधन और शर्तों और अन्य उपबंध, यथावश्यक परिवर्तन सहित, अन्तरिती या उप-पट्टेदार पर इस प्रकार लागू होंगे मानो प्रथम उक्त भूखण्ड नगर निकाय द्वारा दिया गया है या अन्तरित किया गया है। लीजधारक द्वारा उप-पट्टे की कालावधि स्वयं द्वारा अवधारित की जायेगी किन्तु किसी भी दशा में मूल पट्टे की कालावधि से अधिक नहीं होगी। उप-पट्टे उक्त नियमों में विहित समस्त अन्य निबंधनों और शर्तों या किन्हीं पृथक् आदेशों द्वारा, जो राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर इस निमित्त विनिर्दिष्ट मामलों में जारी किये जायें, शासित होंगे।
- उक्त भूखण्ड के अन्तरण के मामले में, अन्तरिती के पक्ष में नाम में अन्तरण के लिए नगर निकाय को आवेदन के साथ रजिस्ट्रीकृत विक्रय विलेख, दान विलेख, या वसीयत या अन्य सुसंगत दस्तावेज प्रस्तुत किये जायेंगे। प्रत्येक अन्तरण के लिए आवेदन के साथ दश रुपये प्रति वर्गमीटर की दर से अन्तरण फीस निक्षिप्त की जायेगी; परन्तु लीजधारक की मृत्यु के मामलों में इस नियम के अधीन कोई फीस प्रभारित नहीं की जायेगी।
- उक्त नियमों के अधीन किसी व्यक्ति के प्रति परादेय प्रीमियम या नगरीय निर्धारण या ब्याज, आन्तरिक/बाह्य विकास प्रभारों का कोई बकाया राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 के अधीन भू-राजस्व की बकाया के रूप में लीजधारक से वसूलीय होगा।
- यदि आवंटन या पट्टा विलेख के निष्पादन के पश्चात् यह पाया जाता है कि आवंटन या पट्टा विलेख विधि की दुरुभिसंधि या उसके उल्लंघन में कपटपूर्ण दस्तावेज के आधार पर दुरुव्यपदेशन द्वारा अभिप्राप्त किया गया है या आवंटन या पट्टा विलेख के

निबंधनो और शर्तों का अतिक्रमण किया गया है तो नगर निकाय उक्त भूखण्ड पर उसके किसी सम्मिलन सहित उसे प्रतिबंधित करेगा जो सभी प्रभारों से रहित नगर निकाय में निहित समझे जायेंगे, और नगर निकाय किसी भी व्यक्ति को कारित किसी भी प्रकार की नुकसानी के लिए दायी नहीं होगा।

10. इस पट्टा विलेख के आधार पर उक्त भूखण्ड को सरकार/जीवन बीमा निगम/शिड्युल्ड बैंक/सरकार ऋणदात्री संस्था/एच.डी.एफ. सी. अथवा नेशनल बैंक द्वारा अधिकृत ऋणदात्री संस्थाओं के पास ऋण के लिए बंधक रखा जा सकेगा।

*जो लागू नहीं हो उसे काट दें।

प्रकरण संख्या :-

परिशिष्ट

कस्बे का नाम :
राजस्व ग्राम : 1111111111
खसरा नम्बर : 15/8
योजना का नाम
विस्तृत नाप सहित क्षेत्रफल वर्गगज/वर्गमीटर
405 (100)0

सीमा पूर्व P.No. 32 सीमा पश्चिम 30' Road
सीमा उत्तर P.No. 30 सीमा दक्षिण 40' Road मानचित्र संलग्न है।
भूखण्ड की संख्या यदि कोई हो P.No. 31

इसके साक्षी के रूप में इसके फरीकेन ने इसके बाद प्रत्येक दृष्टा में निर्देशित स्थानों और तारीखों पर अपने अपने हस्ताक्षर कर दिये हैं।

नगरीय निकाय की ओर से

आज सन् 20 माह के 11/9/2020 वें दिन
श्री
निम्न की उपस्थिति में जोधपुर में हस्ताक्षर किये।
अनिल कुमार पूनियाँ
उपायुक्त (जुन)

उपायुक्त (पूर्व)
नगरीय निकाय प्राधिकरण
(सक्षम अधिकारी के हस्ताक्षर एवं मोहर)

साक्षी :-

- नाम श्री बाबूलाल
पिता/पति का नाम प्रशान्त चतुर्वेदी
व्यवसाय
निवास स्थान
- नाम
पिता/पति का नाम
व्यवसाय
निवास स्थान

साक्षी के हस्ताक्षर

साक्षी के हस्ताक्षर



आज दिनांक सन् 20 के माह के
वें दिन को निम्नलिखित की उपस्थिति में उक्त श्री
लोजधारक द्वारा कार्यालय, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर में हस्ताक्षर किये
गये।

For DHARTI INFRA

Kamlesh Purohit
PARTNER
लोजधारक - द्वितीय पक्ष

साक्षी :-

- नाम भूमिका उपाध्याय
पिता/पति का नाम करण उपाध्याय
व्यवसाय नौकरी
निवास स्थान नागोरी गेट के उत्तर, गंधार शिला
- नाम नितीन भागुत
पिता/पति का नाम नरेश चन्द्र भागुत
व्यवसाय नौकरी
निवास स्थान महाविश्वविद्यालय चौक, हाउसिंग कॉम्प्लेक्स, जोधपुर

साक्षी के हस्ताक्षर

साक्षी के हस्ताक्षर

**SITE PLAN OF PLOT NO. 31 IN RESIDENTIAL SCHEME (DHARTI ANGAN
PHASE - 02) ON KHASRA NO. $\frac{15}{8}$ OF VILLAGE JHALAMAND AT JODHPUR**

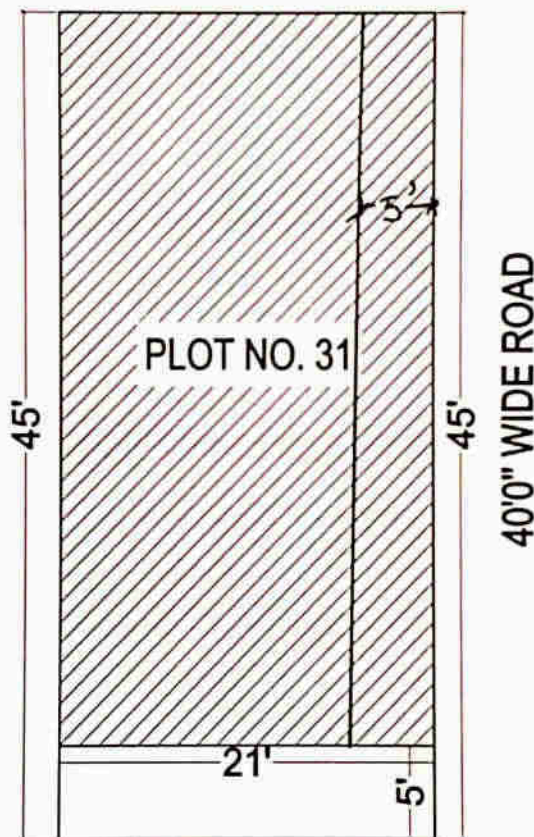
PLOT SIZE - 21'0"X45'0"
PLOT AREA - 945.00 SQ.FT. OR 105.00 SQ.YARD

SCALE - 1:10



PLOT NO. 32

PLOT NO. 30



30' WIDE ROAD

सहायक नगर नियोजक
जोधपुर विकास प्राधिकरण
जोधपुर

11.9.2020
उपायुक्त (पूर्व)
ज.व. विकास प्राधिकरण
जोधपुर



निबंधनों और शर्तों का अतिक्रमण किया गया है तो नगर निकाय उक्त भूखण्ड पर उसके किसी सन्निर्माण सहित उसे प्रतिसंभृत करेगा जो सभी प्रभारों से रहित नगर निकाय में निहित समझे जायेंगे, और नगर निकाय किसी भी व्यक्ति को कारित किसी भी प्रकार की नुकसानी के लिए दायी नहीं होगा।

10. इस पट्टा विलेख के आधार पर उक्त भूखण्ड को सरकार/जीवन बीमा निगम/शिड्यूल्ड बैंक/सरकार ऋणदात्री संस्था/एच.डी.एफ. सी. अथवा नेशनल बैंक द्वारा अधिकृत ऋणदात्री संस्थाओं के पास ऋण के लिए बंधक रखा जा सकेगा।

*जो लागू नहीं हो उसे काट दें।

प्रकरण संख्या :-

परिशिष्ट

कस्बे का नाम :
राजस्व ग्राम : 31/01/11.0.5.....
खसरा नम्बर : 15/8.....
योजना का नाम
विस्तृत नाप सहित क्षेत्रफल वर्गगज/वर्गमीटर
105 d.0.0

सीमा पूर्व 30' Road सीमा पश्चिम P.No. 31
सीमा उत्तर P.No. 33 सीमा दक्षिण 40' Road मानचित्र संलग्न है।
भूखण्ड की संख्या यदि कोई हो P.No. 32

इसके साक्षी के रूप में इसके फरीकन ने इसके बाद प्रत्येक दशा में निर्देशित स्थानों और तारीखों पर अपने अपने हस्ताक्षर कर दिये हैं।

नगरीय निकाय की ओर से

आज सन् 20 माह के 11/9/2020 वें दिन
श्री अनिल कुमार पूनियाँ
निम्न की उपस्थिति में जोधपुर में हस्ताक्षर किये।
उपायुक्त (चुके)

11-9-2020
उपायुक्त (चुके)
नगर निकाय प्रथम पक्ष
विकास प्राधिकरण
(सक्षम अधिकारी के हस्ताक्षर एवं मोहर)
जोधपुर

साक्षी :-

1. नाम श्री बाबूलाल
पिता/पति का नाम
व्यवसाय
निवास स्थान
2. नाम
पिता/पति का नाम
व्यवसाय
निवास स्थान



साक्षी के हस्ताक्षर

साक्षी के हस्ताक्षर

For DHARTI INFRA

Kamlesh Porokit
PARTNER
लोजधारक - द्वितीय पक्ष

आज दिनांक सन् 20 के माह के
वें दिन को निम्नलिखित की उपस्थिति में उक्त श्री
लोजधारक द्वारा कार्यालय, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर में हस्ताक्षर किये
गये।

साक्षी :-

1. नाम नमिका उपाध्याय
पिता/पति का नाम करवी उपाध्याय
व्यवसाय मिर्ची
निवास स्थान नजारी गेट के अन्दर, अथर शील,
2. नाम नितिन माथु
पिता/पति का नाम नरेश माथु
व्यवसाय मोकरी
निवास स्थान मन्डारि, जोधपुर, जोधपुर, जोधपुर, जोधपुर

Bhuvika

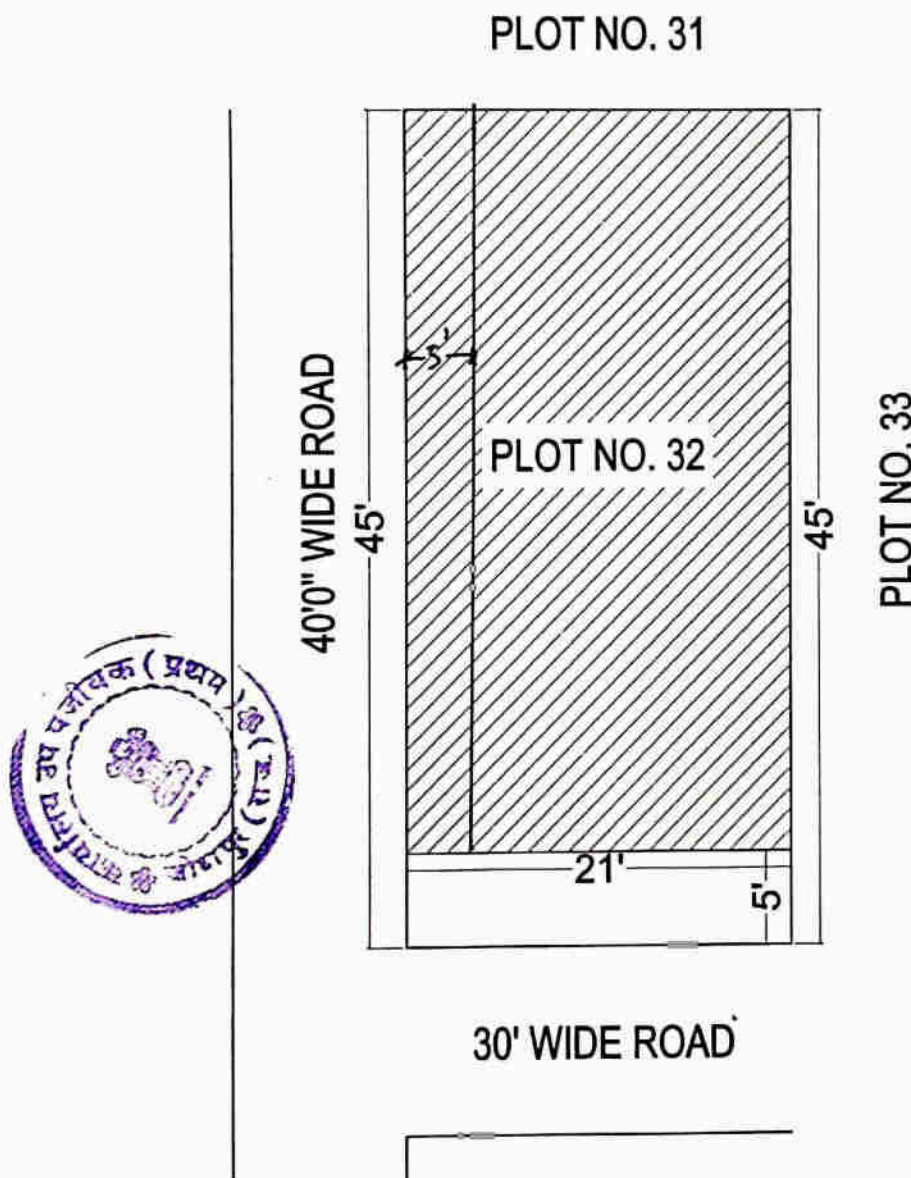
साक्षी के हस्ताक्षर

साक्षी के हस्ताक्षर

**SITE PLAN OF PLOT NO. 32 IN RESIDENTIAL SCHEME (DHARTI ANGAN
PHASE - 02) ON KHASRA NO. $\frac{15}{8}$ OF VILLAGE JHALAMAND AT JODHPUR**

PLOT SIZE - 21'0"X45'0"
PLOT AREA - 945.00 SQ.FT. OR 105.00 SQ.YARD

SCALE - 1:10



सहायक नगर नियोजक
जोधपुर विकास प्राधिकरण
जोधपुर

11.9.2020
उपायुक्त (पूर्व)
जोधपुर विकास प्राधिकरण
जोधपुर



जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर

राजस्थान नगरीय क्षेत्र (कृषि भूमि का गैर-कृषिक प्रयोजन के लिए उपयोग की अनुज्ञा और आवंटन) नियम, 2012 के नियम 22 के अन्तर्गत भूमि का

14987/11/9/2022 पट्टा विलेख



यह विलेख आज वर्ष के माह के वे दिन जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर (जिन्हें इसके बाद नगर निकाय कहकर संबोधित किया गया है) प्रथम पक्ष एवं श्री

श्री कप्तान जसिप पटेल

श्री कमलेश पुराहित पुत्र श्री बन्सीलाल जी पुराहित

जाति-ब्राह्मण, निवासी-11, हरिओम नगर विस्तार, जोधपुर जाति

व्यवसाय निवासी (जिनको इसके बाद लीजधारक संबोधित किया गया है) द्वितीय पक्ष तथा इस इबारत में जहां कहीं प्रसंग से वैसा अर्थ निकले, उनके उत्तराधिकारी, निर्वाहक, प्रबंधक, प्रतिनिधि और मुत्तफिल अलैह भी सम्मिलित होंगे) के मध्य निष्पादित हुआ है।

यह विलेख साक्ष्यकित करता है कि प्रीमियम तथा विकास शुल्क की रकम जो लीजधारक (पट्टाधारक) के द्वारा अदा कर दी गई है और जिसकी रसीद नगर निकाय के द्वारा स्वीकार कर ली गई है, और इसमें उल्लेखित शर्तों और करारों जो लीजधारक द्वारा निष्पादित तथा पालन किये जायेंगे, के एवज में नगर निकाय इनके द्वारा लीजधारक को जमीन का यह तमाम भूखण्ड (जिसे इसके बाद उक्त भूखण्ड कहकर संबोधित किया गया है) प्रदान और लीज करती है जो योजना राजस्थान ग्राम के खसरा संख्या 15/8 क्षेत्रफल 105.0000 में स्थित है और जो अपनी सीमा और क्षेत्रफल के साथ इसके अन्तर्गत लिखे गये परिशिष्ट में अधिक पूर्णरूपेण वर्णित है तथा जिसका आकार विशेष रूप से इससे संलग्न नक्शे में ताल रंग में दिखाया गया है, और जिसे पूर्ण स्वामित्व संबंधी स्वत्वों सहित किन्तु निम्नलिखित तमाम व प्रत्येक अपवादों, संरक्षणों, प्रतिबंधों, बंधनों, शर्तों और करारों के अधीन खरीददार अपने उपयोग, उपभोग और इस्तेमाल के लिए अपने अधिकार में रखेगा, अर्थात :-

- लीजधारक नगर निकाय के कार्यालय में या ऐसे स्थान पर जिसे नगर निकाय समय-समय पर इस हेतु नियत कर दें, प्रत्येक वर्ष अप्रैल के प्रथम दिन उक्त भूखण्ड के संबंध में उक्त नियमों के नियम 20 के उप-नियम (1) के अन्तर्गत निर्धारित किये गये नगरीय निर्धारण (शहरी जमाबन्दी या भूमि का किराया) के तौर पर रुपये 9833/- अंके का राजस्व आठ सौ तीस मात्र पेशगी अदा करेगा, परन्तु लीजधारक, यदि चाहे तो एक वार्षिक नगरीय निर्धारण (शहरी जमाबन्दी या भूमि का किराया) की राशि जमा करा सकेगा, जो उस वर्ष, जिसमें राशि जमा करायी जाती है, को सम्मिलित करते हुए, पूर्ण वार्षिक नगरीय निर्धारण की राशि के आठ गुणा के बराबर होगी और इस प्रकार जमा कराई गयी नगरीय निर्धारण की राशि के फलस्वरूप लीजधारक उक्त भूखण्ड पर नगरीय निर्धारण की राशि के संदाय के दायित्व से छूट प्राप्त करने का अधिकारी होगा।
- एक बार नियत किया गया नगरीय निर्धारण या भूमि का किराया प्रत्येक 15 वर्ष के पश्चात् और विक्रय या दान या अन्यथा द्वारा ऐसे अन्तरण पर भूस्वामि का दायी होगा और ऐसी वृद्धि प्रत्येक अवसर पर ऐसे पुनरीक्षण या, यथारिथित, अन्तरण के समय नगरीय निर्धारण या भूमि का किराया का 25 प्रतिशत होगी।
- पट्टे की अवधि :- पट्टाधृति अधिकार 99 वर्ष के लिए होंगे। उक्त भूखण्ड का उपयोग केवल प्रयोजन, जिसके लिए नगर निकाय द्वारा उक्त नियमों के अन्तर्गत अनुमति दी गयी है, के लिए किया जायेगा और इसी प्रयोजन के उपयोग हेतु इस भूखण्ड पर भवन का निर्माण किया जायेगा।
- इस पट्टा विलेख की तारीख से 7 वर्ष, या ऐसी अतिरिक्त अवधि के भीतर जो नियम-26 के अन्तर्गत बढ़ा दी जावें, लीजधारक के द्वारा इस भूखण्ड पर भवन का निर्माण कराया जायेगा।
- लीजधारक उक्त भूखण्ड को आगे और अन्तरित या उप-पट्टे पर दे सकेगा। उक्त नियमों में अन्तर्विष्ट निबंधन और शर्तों और अन्य उपबंध, यथावश्यक परिवर्तन सहित, अन्तरिती या उप-पट्टेदार पर इस प्रकार लागू होंगे मानो प्ररनगत उक्त भूखण्ड नगर निकाय द्वारा दिया गया है या अन्तरित किया गया है। लीजधारक द्वारा उप-पट्टे की कालावधि स्वयं द्वारा अधधारित की जायेगी किन्तु किसी भी दशा में मूल पट्टे की कालावधि से अधिक नहीं होगी। उप-पट्टे उक्त नियमों में विहित समस्त अन्य निबंधनों और शर्तों या किन्हीं पृथक् आदेशों द्वारा, जो राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर इस निमित्त विनिर्दिष्ट मामलों में जारी किये जायें, शासित होंगे।
- उक्त भूखण्ड के अन्तरण के मामले में, अन्तरिती के पक्ष में नाम में अन्तरण के लिए नगर निकाय को आवेदन के साथ रजिस्ट्रीकृत विक्रय विलेख, दान विलेख, या वसीयत या अन्य सुरांगत दस्तावेज प्रस्तुत किये जायेंगे। प्रत्येक अन्तरण के लिए आवेदन के साथ दस रुपये प्रति वर्गमीटर की दर से अन्तरण फीस निश्चित की जायेगी; परन्तु लीजधारक की मृत्यु के मामलों में इस नियम के अधीन कोई फीस प्रभारित नहीं की जायेगी।
- उक्त नियमों के अधीन किसी व्यक्ति के प्रति परादेय प्रीमियम या नगरीय निर्धारण या ब्याज, आन्तरिक/बाह्य विकास प्रभारों का कोई बकाया राजस्थान नगर-राजस्थान अधिनियम, 1956 के अधीन नगर-राजस्थान की बकाया के रूप में लीजधारक से वसूलीय होगा।
- यदि आवंटन या पट्टा विलेख के निष्पादन के पश्चात् यह पाया जाता है कि आवंटन या पट्टा विलेख विधि की दुरभिराधि या उसके उल्लंघन में कपटपूर्ण दस्तावेज के आधार पर दुर्यपदेशन द्वारा अभिप्राप्त किया गया है या आवंटन या पट्टा विलेख के

(क.प.उ.)

निबंधनों और शर्तों का अतिक्रमण किया गया है तो नगर निकाय उक्त भूखण्ड पर उसके किसी सन्निर्माण सहित उसे प्रतिसंहत करेगा जो सभी प्रमारों से रहित नगर निकाय में निहित समझे जायेंगे, और नगर निकाय किसी भी व्यक्ति को कारित किसी भी प्रकार की नुकसानी के लिए दायी नहीं होगा।

10. इस पट्टा विलेख के आधार पर उक्त भूखण्ड को सरकार/जीवन बीमा निगम/शिड्यूल्ड बैंक/सरकार ऋणदात्री संस्था/एच.डी.एफ. सी. अथवा नेशनल बैंक द्वारा अधिकृत ऋणदात्री संस्थाओं के पास ऋण के लिए बंधक रखा जा सकेगा।

*जो लागू नहीं हो उसे काट दें।

प्रकरण संख्या :-

परिशिष्ट

कस्बे का नाम :
राजस्व ग्राम : 31/11/11/05
खसरा नम्बर : 15/8
योजना का नाम
विस्तृत नाप सहित क्षेत्रफल वर्गगज/वर्गमीटर
105 do/10

सीमा पूर्व 30' Road सीमा पश्चिम P.No. 30
सीमा उत्तर P.No. 34 सीमा दक्षिण P.No. 32 मानचित्र संलग्न है।
भूखण्ड की संख्या यदि कोई हो P.No. 33

इसके साक्षी के रूप में इसके फरीकेन ने इसके बाद प्रत्येक दशा में निर्देशित स्थानों और तारीखों पर अपने अपने हस्ताक्षर कर दिये हैं।

नगरीय निकाय की ओर से

आज सन् 20 माह के 11/9/2020 वें दिन
श्री अनिल कुमार पूनियाँ
निम्न की उपस्थिति में जोधपुर में हस्ताक्षर किये।
उपायुक्त (पुर्व)

उपायुक्त (पुर्व)
नगर निकाय प्रथम पक्ष
विकास प्राधिकरण
(सक्षम अधिकारी के हस्ताक्षर एवं मोहर)

साक्षी :-

1. नाम श्री बाबूलाल
पिता/पति का नाम हरिध सहायक
व्यवसाय
निवास स्थान

साक्षी के हस्ताक्षर

2. नाम
पिता/पति का नाम
व्यवसाय
निवास स्थान

साक्षी के हस्ताक्षर



आज दिनांक सन् 20 के माह के
वें दिन को निम्नलिखित की उपस्थिति में उक्त श्री
लीजधारक द्वारा कार्यालय, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर में हस्ताक्षर किये
गये।

For DHARTI INFRA

Kamlesh Purohit
PARTNER
लीजधारक - द्वितीय पक्ष

साक्षी :-

1. नाम मूमिका उपाध्याय
पिता/पति का नाम करण उपाध्याय
व्यवसाय नौकरी
निवास स्थान नागौरी गेट के अन्दर, अन्दर शीला

साक्षी के हस्ताक्षर

2. नाम निखिल भायुज
पिता/पति का नाम नरेन्द्र चन्द्र भायुज
व्यवसाय नौकरी
निवास स्थान महाविश्वविद्यालय, चौलाशरी हाउसिंग बोर्ड, जोधपुर

साक्षी के हस्ताक्षर

SITE PLAN OF PLOT NO. 33 IN RESIDENTIAL SCHEME (DHARTI ANGAN
PHASE - 02) ON KHASRA NO. $\frac{15}{8}$ OF VILLAGE JHALAMAND AT JODHPUR

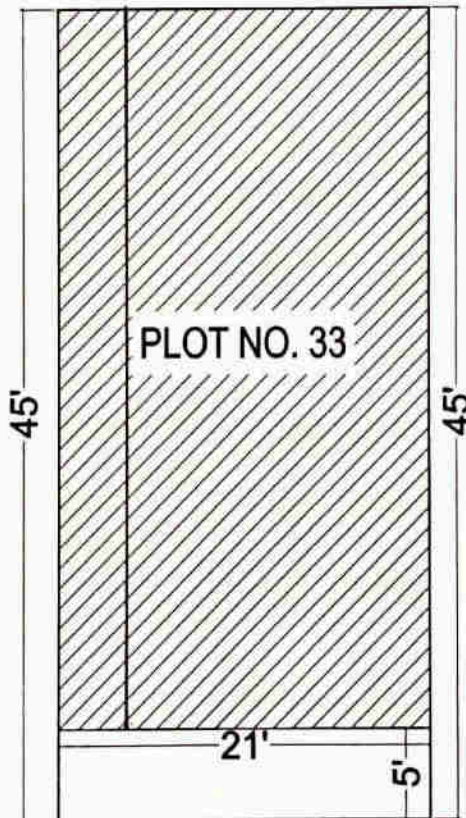
PLOT SIZE - 21'0"X45'0"
PLOT AREA - 945.00 SQ.FT. OR 105.00 SQ.YARD

SCALE - 1:10



PLOT NO. 30

PLOT NO. 32



PLOT NO. 34

30' WIDE ROAD



सहायक नगर नियोजक
जोधपुर विकास प्राधिकरण
जोधपुर

11.9.2020
उपायुक्त (पूरी)
जोधपुर विकास प्राधिकरण
जोधपुर



जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर

राजस्थान नगरीय क्षेत्र (कृषि भूमि का गैर-कृषिक प्रयोजन के लिए उपयोग की अनुज्ञा और आवंटन) नियम, 2012 के नियम 22 के अन्तर्गत भूमि का



14968
11/9/20 पट्टा विलेख

यह विलेख आज वर्ष के माह के वे दिन जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर (जिन्हें इसके बाद नगर निकाय कहकर संबोधित किया गया है) प्रथम पक्ष एवं श्री

पत्नी इन्द्रा जरीये-वर्तन

श्री कमलेश पुराहित पुत्र श्री बन्सीलाल जी पुराहित

जाति-ब्राह्मण, निवासी-11, हरिजोम नगर विस्तार, जोधपुर जाति

व्यवसाय निवासी (जिनको इसके बाद लीजधारक संबोधित किया गया है) द्वितीय पक्ष तथा इस इबारत में जहां कहीं प्रसंग से वैसा अर्थ निकले, उनके उत्तराधिकारी, निर्वाहक, प्रबंधक, प्रतिनिधि और मुन्तकिल अलैह भी सम्मिलित होंगे) के मध्य निष्पादित हुआ है।

यह विलेख साक्ष्यांकित करता है कि प्रीमियम तथा विकास शुल्क की रकम जो लीजधारक (पट्टाधारक) के द्वारा अदा कर दी गई है और जिसकी रसीद नगर निकाय के द्वारा स्वीकार कर ली गई है, और इसमें उल्लेखित शर्तों और करारों जो लीजधारक द्वारा निष्पादित तथा पालन किये जायेंगे, के एवज में नगर निकाय इनके द्वारा लीजधारक को जमीन का यह तमाम भूखण्ड (जिसे इसके बाद उक्त भूखण्ड कहकर संबोधित किया गया है) प्रदान और लीज करती है जो योजना राजसर ग्राम में स्थित है और जो अपनी सीमा और क्षेत्रफल के साथ इसके अन्तर्गत लिखे गये परिशिष्ट में अधिक पूर्णरूपेण वर्णित है तथा जिसका आकार विशेष रूप से इससे संलग्न नक्शों में लाल रंग में दिखाया गया है, और जिसे पूर्ण स्वामित्व संबंधी रस्सों सहित किन्तु निम्नलिखित तमाम व प्रत्येक अपवादों, संरक्षणों, प्रतिबंधों, बंधनों, शर्तों और करारों के अधीन खरीददार अपने उपयोग, उपभोग और इस्तेमाल के लिए अपने अधिकार में रखेगा, अर्थात् :-

- लीजधारक नगर निकाय के कार्यालय में या ऐसे स्थान पर जिसे नगर निकाय समय-समय पर इस हेतु नियत कर दे, प्रत्येक वर्ष अप्रैल के प्रथम दिन (उक्त भूखण्ड के संबंध में उक्त नियमों के नियम 20 के उप-नियम (1) के अन्तर्गत निर्धारित किये गये नगरीय निर्धारण (शहरी जमाबन्दी या भूमि का किराया) के तौर पर रुपये अंके मात्र पेशगी अदा करेगा, परन्तु लीजधारक, यदि चाहे तो एक वार्षिक नगरीय निर्धारण (शहरी जमाबन्दी या भूमि का किराया) की राशि जमा करा सकेगा, जो उस वर्ष, जिसमें राशि जमा कराई जाती है, को सम्मिलित करते हुए, पूर्ण वार्षिक नगरीय निर्धारण की राशि आठ गुणा के बराबर होगी और इस प्रकार जमा कराई गयी नगरीय निर्धारण की राशि के फलस्वरूप लीजधारक उक्त भूखण्ड पर नगरीय निर्धारण की राशि के संदाय के दायित्व से छूट प्राप्त करने का अधिकारी होगा।
- एक बार निष्पादित किया गया नगरीय निर्धारण या भूमि का किराया प्रत्येक 15 वर्ष के पश्चात् और विक्रय या दान या अन्यथा द्वारा ऐसे अन्तरण पर भी पुनरीक्षण का दायी होगा और ऐसी वृद्धि प्रत्येक अवसर पर ऐसे पुनरीक्षण या, यथारिथति, अन्तरण के समय नगरीय निर्धारण या भूमि के किराये का 25 प्रतिशत होगी।
- पट्टे की अवधि :- पट्टाधृति अधिकार 99 वर्ष के लिए होंगे।
- उक्त भूखण्ड का उपयोग केवल प्रयोजन, जिसके लिए नगर निकाय द्वारा उक्त नियमों के अन्तर्गत अनुमति दी गयी है, के लिए किया जायेगा और इसी प्रयोजन के उपयोग हेतु इस भूखण्ड पर भवन का निर्माण किया जायेगा।
- इस पट्टा विलेख की तारीख से 7 वर्ष, या ऐसी अतिरिक्त अवधि के भीतर जो नियम-26 के अन्तर्गत बढ़ा दी जावे, लीजधारक के द्वारा इस भूखण्ड पर भवन का निर्माण कराया जायेगा।
- लीजधारक उक्त भूखण्ड को आगे और अन्तरित या उप-पट्टे पर दे सकेगा। उक्त नियमों में अन्तर्विष्ट निबंधन और शर्तों और अन्य उपबंध, यथावश्यक परिवर्तन सहित, अन्तरिती या उप-पट्टेदार पर इस प्रकार लागू होंगे मानो प्रश्नगत उक्त भूखण्ड नगर निकाय द्वारा दिया गया है या अन्तरित किया गया है। लीजधारक द्वारा उप-पट्टे की कालावधि स्वयं द्वारा अवधारित की जायेगी किन्तु किसी भी दशा में मूल पट्टे की कालावधि से अधिक नहीं होगी। उप-पट्टे उक्त नियमों में विहित समस्त अन्य निबंधनों और शर्तों या किन्हीं पृथक् आदेशों द्वारा, जो राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर इस निमित्त विनिर्दिष्ट मामलों में जारी किये जायें, शासित होंगे।
- उक्त भूखण्ड के अन्तरण के मामले में, अन्तरिती के पक्ष में नाम में अन्तरण के लिए नगर निकाय को आवेदन के साथ जरिद्वीकृत विक्रय विलेख, दान विलेख, या वंसीयत या अन्य सुसंगत दस्तावेज प्रस्तुत किये जायेंगे। प्रत्येक अन्तरण के लिए आवेदन के साथ दस रुपये प्रति वर्गमीटर की दर से अन्तरण फीस निक्षिप्त की जायेगी; परन्तु लीजधारक की मृत्यु के मामलों में इस नियम के अधीन कोई फीस प्रभारित नहीं की जायेगी।
- उक्त नियमों के अधीन किसी व्यक्ति के प्रति परादेय प्रीमियम या नगरीय निर्धारण या व्याज, आन्तरिक/बाह्य विकास प्रभारों का कोई बकाया राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 के अधीन भू-राजस्व की बकाया के रूप में लीजधारक से वसूलीय होगा।
- यदि आवंटन या पट्टा विलेख के निष्पादन के पश्चात् यह पाया जाता है कि आवंटन या पट्टा विलेख विधि की दुरभिरंधि या उसके उत्प्लंघन में कपटपूर्ण दस्तावेज के आधार पर दुर्यपदेशन द्वारा अभिप्राप्त किया गया है या आवंटन या पट्टा विलेख के

(क.प.उ.)

निबंधनों और शर्तों का अतिक्रमण किया गया है तो नगर निकाय उक्त भूखण्ड पर उसके किसी सन्निर्माण सहित उरो प्रतिसंहत करेगा जो सभी प्रभारों से रहित नगर निकाय में निहित समझे जायेंगे, और नगर निकाय किसी भी व्यक्ति को कारित किसी भी प्रकार की नुकसानी के लिए दायी नहीं होगा।

10. इस पट्टा विलेख के आधार पर उक्त भूखण्ड को सरकार/जीवन बीमा निगम/शिड्युल्ड बैंक/सरकार ऋणदात्री संस्था/एच.डी.एफ. सी. अथवा नेशनल बैंक द्वारा अधिकृत ऋणदात्री संस्थाओं के पास ऋण के लिए बंधक रखा जा सकेगा।

*जो लागू नहीं हो उसे काट दें।

प्रकरण संख्या :-

परिशिष्ट

कस्बे का नाम :
 राजस्व ग्राम : SHIMLIPUR
 खसरा नम्बर : 15/8
 योजना का नाम
 विस्तृत नाप सहित क्षेत्रफल वर्गगज/वर्गमीटर
105 d. 110

सीमा पूर्व 30' Road सीमा पश्चिम P.No. 29
 सीमा उत्तर P.No. 35 सीमा दक्षिण P.No. 33 मानचित्र संलग्न है।
 भूखण्ड की संख्या यदि कोई हो P.No. 34

इसके साक्षी के रूप में इसके फरीकेन ने इसके बाद प्रत्येक दशा में निर्देशित स्थानों और तारीखों पर अपने अपने हस्ताक्षर कर दिये हैं।

नगरीय निकाय की ओर से

आज सन् 20 माह के 11/9/2020 वें दिन
 श्री अनिल कुमार पूनियाँ
 निम्न की उपस्थिति में जोधपुर में हस्ताक्षर किये। उपायुक्त (चुव)

11.9.2020
 उपायुक्त (चुव)
 नगर विकास प्राधिकरण
 (सक्षम अधिकारी को हस्ताक्षर एवं मोहर)

साक्षी :-

1. नाम श्री बाबूलाल
वरिष्ठ सहायक
 पिता/पति का नाम
 व्यवसाय
 निवास स्थान
2. नाम
 पिता/पति का नाम
 व्यवसाय
 निवास स्थान



[Signature]
 साक्षी के हस्ताक्षर

.....
 साक्षी के हस्ताक्षर

For DHARTI INFRA

Kamlesh Parashar
 PARTNER
 लीजधारक - द्वितीय पक्ष

आज दिनांक सन् 20 के माह के
 वें दिन को निम्नलिखित की उपस्थिति में उक्त श्री
 लीजधारक द्वारा कार्यालय, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर में हस्ताक्षर किये
 गये।

साक्षी :-

1. नाम भूमिका उपाध्याय
 पिता/पति का नाम करण उपाध्याय
 व्यवसाय नौकरी
 निवास स्थान गाँव गौरी जी के अन्दर, अद्वार शिला
2. नाम नितीन भायुज
 पिता/पति का नाम नरेश चन्द्र भायुज
 व्यवसाय नौकरी
 निवास स्थान महाविश्वनाथ, चौदा अमि हाउसिंग कॉर्ड, जोधपुर

Blumika
 साक्षी के हस्ताक्षर

[Signature]
 साक्षी के हस्ताक्षर

**SITE PLAN OF PLOT NO. 34 IN RESIDENTIAL SCHEME (DHARTI ANGAN
PHASE - 02) ON KHASRA NO. $\frac{15}{8}$ OF VILLAGE JHALAMAND AT JODHPUR**

**PLOT SIZE - 21'0"X45'0"
PLOT AREA - 945.00 SQ.FT. OR 105.00 SQ.YARD**

SCALE - 1:10



PLOT NO. 29

PLOT NO. 33

45'

PLOT NO. 34

45'

PLOT NO. 35

21'

5'



30' WIDE ROAD

**सहायक नगर नियोजक
जोधपुर विकास प्राधिकरण
जोधपुर**

**उपायुक्त (पूर्व)
जोधपुर विकास प्राधिकरण
जोधपुर**



जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर

राजस्थान नगरीय क्षेत्र (कृषि भूमि का गैर-कृषिक प्रयोजन के लिए उपयोग की अनुज्ञा और आवंटन) नियम, 2012 के नियम 22 के अन्तर्गत भूमि का

14989
11/9/2020

पट्टा विलेख



यह विलेख आज वर्ष के माह के के दिन जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर (जिन्हें इसके बाद नगर निकाय कहकर संबोधित किया गया है) प्रथम पक्ष एवं श्री

धरती-इंफ्रा जरिये पार्टनर

श्री कमलेश पुनरहित पुत्र श्री बन्नीलाल जी पुनरहित

जाती-ब्राह्मण, निवासी-11, हरिओम नगर विस्तार, जोधपुर जाति

व्यवसाय निवासी (जिनको इसके बाद लीजधारक संबोधित किया गया है) द्वितीय पक्ष तथा इस इबारत में जहां कहीं प्रसंग से वैसा अर्थ निकले, उनके उत्तराधिकारी, निर्वाहक, प्रबंधक, प्रतिनिधि और मुन्ताकिल अलैह भी सम्मिलित होंगे) के मध्य निष्पादित हुआ है।

यह विलेख साक्षात्कृत करता है कि प्रीमियम तथा विकास शुल्क की रकम जो लीजधारक (पट्टाधारक) के द्वारा अदा कर दी गई है और जिसकी रसीद नगर निकाय के द्वारा स्वीकार कर ली गई है, और इसमें उल्लेखित शर्तों और करारों जो लीजधारक द्वारा निष्पादित तथा पालन किये जायेंगे, के एवज में नगर निकाय इनके द्वारा लीजधारक को जमीन का वह तमाम भूखण्ड (जिसे इसके बाद उक्त भूखण्ड कहकर संबोधित किया गया है) प्रदान और लीज करती है जो योजना राजस्व ग्राम आला मंडी के खसरा संख्या 15/8 क्षेत्रफल 105 द. 50 में स्थित है और जो अपनी सीमा और क्षेत्रफल के साथ इसके अन्तर्गत लिखे गये परिशिष्ट में अधिक पूर्णरूपेण वर्णित है तथा जिसका आकार विशेष रूप से इससे संलग्न नक्शे में ताल रंग में दिखाया गया है, और जिसे पूर्ण स्वामित्व संबंधी स्वत्वों सहित किन्तु निम्नलिखित तमाम व प्रत्येक अपवादों, संरक्षणों, प्रतिबंधों, बंधनों, शर्तों और करारों के अधीन खरीददार अपने उपयोग, उपभोग और इस्तेमाल के लिए अपने अधिकार में रखेगा, अर्थात :-

- लीजधारक नगर निकाय के कार्यालय में या ऐसे स्थान पर जिसे नगर निकाय समय-समय पर इस हेतु नियत कर दें, प्रत्येक वर्ष अप्रैल के प्रथम दिन उक्त भूखण्ड के संबंध में उक्त नियमों के नियम 20 के उप-नियम (1) के अन्तर्गत निर्धारित किये गये नगरीय निर्धारण (शहरी जमाबन्दी या भूमि का किराया) के तौर पर रूपये 9833/- अंके में राजस्व आला मंडी में मात्र पेशगी अदा करेगा, परन्तु लीजधारक, यदि चाहे तो एक वार्षिक नगरीय निर्धारण (शहरी जमाबन्दी या भूमि का किराया) की राशि जमा करा सकेगा, जो उस वर्ष, जिसमें राशि जमा करायी जाती है, को सम्मिलित करते हुए, पूर्ण वार्षिक नगरीय निर्धारण की राशि के आठ गुणा के बराबर होगी और इस प्रकार जमा कराई गयी नगरीय निर्धारण की राशि के फलस्वरूप लीजधारक उक्त भूखण्ड पर नगरीय निर्धारण की राशि के संदाय के दायित्व से छूट प्राप्त करने का अधिकारी होगा।
- एक बार नियत किया गया नगरीय निर्धारण या भूमि का किराया प्रत्येक 15 वर्ष के पश्चात् और विक्रय या दान या अन्यथा द्वारा ऐसे अन्तरण पर भी पुनरीक्षण के दायी होगा और ऐसी वृद्धि प्रत्येक अवसर पर ऐसे पुनरीक्षण या, यथार्थति, अन्तरण के समय नगरीय निर्धारण या भूमि के किराये का 25 प्रतिशत होगी।
- पट्टे की अवधि :- पट्टाधृति अधिकार 99 वर्ष के लिए होंगे।
- उक्त भूखण्ड का उपयोग केवल प्रयोजन, जिसके लिए नगर निकाय द्वारा उक्त नियमों के अन्तर्गत अनुमति दी गयी है, के लिए किया जायेगा और इसी प्रयोजन के उपयोग हेतु इस भूखण्ड पर भवन का निर्माण किया जायेगा।
- इस पट्टा विलेख की तारीख से 7 वर्ष, या ऐसी अतिरिक्त अवधि के भीतर जो नियम-26 के अन्तर्गत बढ़ा दी जावे, लीजधारक के द्वारा इस भूखण्ड पर भवन का निर्माण कराया जायेगा।
- लीजधारक उक्त भूखण्ड को आगे और अन्तरित या उप-पट्टे पर दे सकेगा। उक्त नियमों में अन्तर्विष्ट निबंधन और शर्तों और अन्य उपबंध, यथावश्यक परिवर्तन सहित, अन्तरिती या उप-पट्टेदार पर इस प्रकार लागू होंगे मानो प्रश्नगत उक्त भूखण्ड नगर निकाय द्वारा दिया गया है या अन्तरित किया गया है। लीजधारक द्वारा उप-पट्टे की कालावधि स्वयं द्वारा अवधारित की जायेगी किन्तु किसी भी दशा में मूल पट्टे की कालावधि से अधिक नहीं होगी। उप-पट्टे उक्त नियमों में विहित समस्त अन्य निबंधनों और शर्तों या किन्हीं पृथक् आदेशों द्वारा, जो राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर इस निमित्त विनिर्दिष्ट मामलों में जारी किये जायें, शासित होंगे।
- उक्त भूखण्ड के अन्तरण के मामले में, अन्तरिती के पक्ष में नाम में अन्तरण के लिए नगर निकाय को आवेदन के साथ रजिस्ट्रीकृत विक्रय विलेख, दान विलेख, या वसीयत या अन्य सुसंगत दस्तावेज प्रस्तुत किये जायेंगे। प्रत्येक अन्तरण के लिए आवेदन के साथ दस रूपये प्रति वर्गमीटर की दर से अन्तरण फीस निक्षिप्त की जायेगी; परन्तु लीजधारक की मृत्यु के मामलों में इस नियम के अधीन कोई फीस प्रभारित नहीं की जायेगी।
- उक्त नियमों के अधीन किसी व्यक्ति के प्रति पशुदेय प्रीमियम या नगरीय निर्धारण या ब्याज, आन्तरिक/बाह्य विकास प्रभारों का कोई बकाया राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 के अधीन भू-राजस्व की बकाया के रूप में लीजधारक से वसूलीय होगा।
- यदि आवंटन या पट्टा विलेख के निष्पादन के पश्चात् यह पाया जाता है कि आवंटन या पट्टा विलेख विधि की दुरभिसंधि या उसके उत्प्लंघन में कपटपूर्ण दस्तावेज के आधार पर दुरुपदेशन द्वारा अभिप्राप्त किया गया है या आवंटन या पट्टा विलेख के

(क.प.उ.)

निबंधनों और शर्तों का अतिक्रमण किया गया है तो नगर निकाय उक्त भूखण्ड पर उसके किसी सन्निर्माण सहित उसे प्रतिसंहत करेगा जो सभी प्रभारों से रहित नगर निकाय में निहित समझे जायेंगे, और नगर निकाय किसी भी व्यक्ति को कारित किसी भी प्रकार की नुकसानी के लिए दायी नहीं होगा।

10. इस पट्टा विलेख के आधार पर उक्त भूखण्ड को सरकार/जीवन बीमा निगम/शिड्यूल्ड बैंक/सरकार ऋणदात्री संस्था/एच.डी.एफ. सी. अथवा नेशनल बैंक द्वारा अधिकृत ऋणदात्री संस्थाओं के पास ऋण के लिए बंधक रखा जा सकेगा।

*जो लागू नहीं हो उसे काट दें।

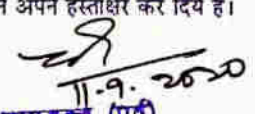
प्रकरण संख्या :-

परिशिष्ट

कस्बे का नाम :	सीमा पूर्व <u>30' Road</u> सीमा पश्चिम <u>P.No. 28</u>
राजस्व ग्राम : <u>SHALIMARS</u>	सीमा उत्तर <u>P.No. 36</u> सीमा दक्षिण <u>P.No. 34</u> मानचित्र संलग्न है।
खसरा नम्बर : <u>15/8</u>	भूखण्ड की संख्या यदि कोई हो <u>P.No. 35</u>
योजना का नाम	
विस्तृत नाप सहित क्षेत्रफल वर्गगज/वर्गमीटर <u>105 dooo</u>	

इसके साक्षी के रूप में इसके फरीकेन ने इसके बाद प्रत्येक दशा में निर्देशित स्थानों और तारीखों पर अपने अपने हस्ताक्षर कर दिये हैं।

नगरीय निकाय की ओर से

आज सन् 20 माह के <u>11/9/2020</u> वें दिन	 उपायुक्त (पूर्व) नगर विकास प्राधिकरण (सक्षम अधिकारी के हस्ताक्षर एवं मोहर)
श्री <u>अनिल कुमार पूनियाँ</u>	
निम्न की उपस्थिति में जोधपुर में हस्ताक्षर किये। <u>उपायुक्त (पूर्व)</u>	

साक्षी :-

- नाम श्री बाबूलाल
विराट सहायक
- नाम
- पिता/पति का नाम
- व्यवसाय
- निवास स्थान

साक्षी के हस्ताक्षर

- नाम
- पिता/पति का नाम
- व्यवसाय
- निवास स्थान

साक्षी के हस्ताक्षर

आज दिनांक सन् 20 के माह के
 वें दिन को निम्नलिखित की उपस्थिति में उक्त श्री
 लीजधारक द्वारा कार्यालय, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर में हस्ताक्षर किये
 गये।

For DHARTI INFRA

Kamlesh Purohit

लीजधारक PARTNER

साक्षी :-

- नाम श्रीमती उपायुक्त
पिता/पति का नाम कर 01 उपायुक्त
व्यवसाय नौकरी
निवास स्थान नाजोरी गेट के अन्दर, उधर शिला
- नाम नितिन भागु
पिता/पति का नाम नेहा चन्द्र भागु
व्यवसाय नौकरी
निवास स्थान महाविद्यालय, जोधपुर

Shunika

साक्षी के हस्ताक्षर

Nitika

साक्षी के हस्ताक्षर

**SITE PLAN OF PLOT NO. 35 IN RESIDENTIAL SCHEME (DHARTI ANGAN
PHASE - 02) ON KHASRA NO. $\frac{15}{8}$ OF VILLAGE JHALAMAND AT JODHPUR**

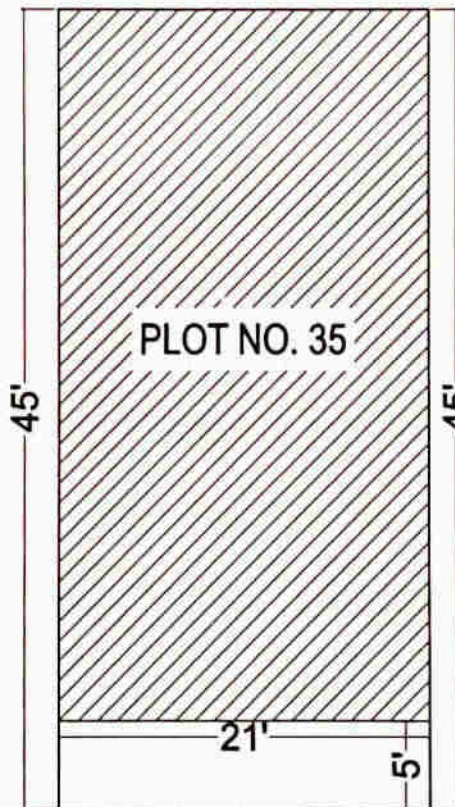
**PLOT SIZE - 21'0"X45'0"
PLOT AREA - 945.00 SQ.FT. OR 105.00 SQ.YARD**

SCALE - 1:10



PLOT NO. 28

PLOT NO. 34



PLOT NO. 36



30' WIDE ROAD

**सहायक नगर निवाहक
जोधपुर विकास प्राधिकरण
जोधपुर**

**11.9.2020
उपायुक्त (पूर्व)
जोधपुर विकास प्राधिकरण
जोधपुर**



जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर

राजस्थान नगरीय क्षेत्र (कृषि भूमि का गैर-कृषिक प्रयोजन के लिए उपयोग की अनुज्ञा और आवंटन) नियम, 2012 के नियम 22 के अन्तर्गत भूमि का

14990/11912/20 पट्टा विलेख



यह विलेख आज वर्ष के माह के वे दिन जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर (जिन्हें इसके बाद नगर निकाय कहकर संबोधित किया गया है) प्रथम पक्ष एवं श्री

श्री इन्द्रा जयिरे पार्दर

श्री कमलेश पुराहित पुत्र श्री बन्नीलाल जी पुरोहित

जाति-ब्राह्मण, निवासी-1, हरिओम नगर विस्तार, जोधपुर

जाति

व्यवसाय निवासी (जिनको इसके बाद लीजधारक संबोधित किया गया है) द्वितीय पक्ष तथा इस इबारत में जहां कहीं प्रसंग से वैसा अर्थ निकले, उनके उत्तराधिकारी, निर्वाहक, प्रबंधक, प्रतिनिधि और मुन्तकिल अलैह भी सम्मिलित होंगे) के मध्य निष्पादित हुआ है।

यह विलेख साक्ष्यांकित करता है कि प्रीमियम तथा विकास शुल्क की रकम जो लीजधारक (पट्टाधारक) के द्वारा अदा कर दी गई है और जिसकी रसीद नगर निकाय के द्वारा स्वीकार कर ली गई है, और इसमें उल्लेखित शर्तों और करारों जो लीजधारक द्वारा निष्पादित तथा पालन किये जायेंगे, के एवज में नगर निकाय इनके द्वारा लीजधारक को जमीन का वह तमाम भूखण्ड (जिसे इसके बाद उक्त भूखण्ड कहकर संबोधित किया गया है) प्रदान और लीज करती है जो योजना राजस्व ग्राम के खसरा संख्या क्षेत्रफल में स्थित है और जो अपनी सीमा और क्षेत्रफल के साथ इसके अन्तर्गत लिखे गये परिशिष्ट में अधिक पूर्णरूपेण वर्णित है तथा जिसका आकार विशेष रूप से इससे संलग्न नक्शे में ताल रंग में दिखाया गया है, और जिसे पूर्ण स्वामित्व संबंधी स्वत्वों सहित किन्तु निम्नलिखित तमाम व प्रत्येक अपवादों, संरक्षणों, प्रतिबंधों, बंधनों, शर्तों और करारों के अधीन खरीददार अपने उपयोग, उपभोग और इस्तेमाल के लिए अपने अधिकार में रखेगा, अर्थात् :-

- लीजधारक नगर निकाय के कार्यालय में या ऐसे स्थान पर जिसे नगर निकाय समय-समय पर इस हेतु नियत कर दें, प्रत्येक वर्ष अप्रैल के प्रथम दिन उक्त भूखण्ड के संबंध में उक्त नियमों के नियम 20 के उप-नियम (1) के अन्तर्गत निर्धारित किये गये नगरीय निर्धारण (शहरी जमाबन्दी या भूमि का किराया) के तौर पर रूपये अके मात्र पेशगी अदा करेगा, परन्तु लीजधारक, यदि चाहे तो एक वार्षिक नगरीय निर्धारण (शहरी जमाबन्दी या भूमि का किराया) की राशि जमा करा सकेगा, जो उस वर्ष, जिसमें राशि जमा करायी जाती है, को सम्मिलित करते हुए, पूर्ण वार्षिक नगरीय निर्धारण की राशि के आठ गुणा के बराबर होगी और इस प्रकार जमा कराई गयी नगरीय निर्धारण की राशि के फलस्वरूप लीजधारक उक्त भूखण्ड पर नगरीय निर्धारण की राशि के संदाय के दायित्व से छूट प्राप्त करने का अधिकारी होगा।
- एक बार नियत किया गया नगरीय निर्धारण या भूमि का किराया प्रत्येक 15 वर्ष के पश्चात् और विक्रय या दान या अन्यथा द्वारा ऐसे अन्तरण पर भी पुनरीक्षण का दायी होगा और ऐसी वृद्धि प्रत्येक अवसर पर ऐसे पुनरीक्षण या, यथास्थिति, अन्तरण के समय नगरीय निर्धारण या भूमि के किराये का 25 प्रतिशत होगी।
- पट्टे की अवधि पट्टाधारक अधिकार 99 वर्ष के लिए होगी।
- उक्त भूखण्ड का उपयोग केवल प्रयोजन, जिसके लिए नगर निकाय द्वारा उक्त नियमों के अन्तर्गत अनुमति दी गयी है, के लिए किया जायेगा और इसी प्रयोजन के उपयोग हेतु इस भूखण्ड पर भवन का निर्माण किया जायेगा।
- इस पट्टा विलेख की तारीख से 7 वर्ष, या ऐसी अतिरिक्त अवधि के भीतर जो नियम-26 के अन्तर्गत बढ़ा दी जायें, लीजधारक के द्वारा इस भूखण्ड पर भवन का निर्माण कराया जायेगा।
- लीजधारक उक्त भूखण्ड को आगे और अन्तरित या उप-पट्टे पर दे सकेगा। उक्त नियमों में अन्तर्विष्ट निबंधन और शर्तों और अन्य उपबंध, यथावश्यक परिवर्तन सहित, अन्तरिती या उप-पट्टेदार पर इस प्रकार लागू होंगे मानो प्रश्नगत उक्त भूखण्ड नगर निकाय द्वारा दिया गया है या अन्तरित किया गया है। लीजधारक द्वारा उप-पट्टे की कालावधि स्वयं द्वारा अवधारित की जायेगी किन्तु किसी भी दशा में मूल पट्टे की कालावधि से अधिक नहीं होगी। उप-पट्टे उक्त नियमों में विहित समस्त अन्य निबंधनों और शर्तों या किन्हीं पृथक् आदेशों द्वारा, जो राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर इस निमित्त विनिर्दिष्ट मामलों में जारी किये जायें, शासित होंगे।
- उक्त भूखण्ड के अन्तरण के मामले में, अन्तरिती के पक्ष में नाम में अन्तरण के लिए नगर निकाय को आवेदन के साथ रजिस्ट्रीकृत विक्रय विलेख, दान विलेख, या वसीयत या अन्य सुसंगत दस्तावेज प्रस्तुत किये जायेंगे। प्रत्येक अन्तरण के लिए आवेदन के साथ दस रूपये प्रति वर्गमीटर की दर से अन्तरण फीस निश्चित की जायेगी; परन्तु लीजधारक की मृत्यु के मामलों में इस नियम के अधीन कोई फीस प्रभावि नहीं की जायेगी।
- उक्त नियमों के अधीन किसी व्यक्ति के प्रति परादेय प्रीमियम या नगरीय निर्धारण या ब्याज, आन्तरिक/बाह्य विकास प्रभासों का कोई बकाया राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 के अधीन भू-राजस्व की बकाया के रूप में लीजधारक से वसूलीय होगा।
- यदि आवंटन या पट्टा विलेख के निष्पादन के पश्चात् यह पाया जाता है कि आवंटन या पट्टा विलेख विधि की दुरभिराधि या उसके उत्पन्न में कपटपूर्ण दस्तावेज के आधार पर दुर्यपदेशन द्वारा अभिप्राप्त किया गया है या आवंटन या पट्टा विलेख के

निबंधनों और शर्तों का अतिक्रमण किया गया है तो नगर निकाय उक्त भूखण्ड पर उसके किसी सन्निर्माण सहित उसे प्रतिसंहत करेगा जो सभी प्रभावों से रहित नगर निकाय में निहित समझे जायेंगे, और नगर निकाय किसी भी व्यक्ति को कारित किसी भी प्रकार की नुकसानी के लिए दायी नहीं होगा।

10. इस पट्टा विलेख के आधार पर उक्त भूखण्ड को सरकार/जीवन बीमा निगम/शिड्यूल्ड बैंक/सरकार ऋणदात्री संस्था/एच.डी.एफ. सी. अथवा नेशनल बैंक द्वारा अधिकृत ऋणदात्री संस्थाओं के पास ऋण के लिए बंधक रखा जा सकेगा।

*जो लागू नहीं हो उसे काट दें।

प्रकरण संख्या :-

परिशिष्ट

कस्बे का नाम :
राजस्व ग्राम : झरमामोस
खसरा नम्बर : 1518
योजना का नाम
विस्तृत नाप सहित क्षेत्रफल वर्गगज/वर्गमीटर
105 000

सीमा पूर्व 30' Road सीमा पश्चिम P.No. 27
सीमा उत्तर P.No. 37 सीमा दक्षिण P.No. 35 मानचित्र संलग्न है।
भूखण्ड की संख्या यदि कोई हो P.No. 36

इसके साक्षी के रूप में इसके फरीकेन ने इसके बाद प्रत्येक दशा में निर्देशित स्थानों और तारीखों पर अपने अपने हस्ताक्षर कर दिये हैं।

नगरीय निकाय की ओर से

आज सन् 20 माह के 11/9/2020 वें दिन
श्री
निम्न की उपस्थिति में जोधपुर में हस्ताक्षर किये।
अनिल कुमार पूनियाँ
उपायुक्त (पुर्व)

11.9.2020
उपायुक्त (पुर्व)
नगर निकाय - प्रथम पक्ष
विकास प्राधिकरण
(सक्षम अधिकारी के हस्ताक्षर एवं मोहर)

साक्षी :-

1. नाम श्री बाबूलाल
वरिष्ठ सहायक
पिता/पति का नाम
व्यवसाय
निवास स्थान
2. नाम
पिता/पति का नाम
व्यवसाय
निवास स्थान

[Signature]
साक्षी के हस्ताक्षर

साक्षी के हस्ताक्षर



आज दिनांक सन् 20 के माह के
वें दिन को निम्नलिखित की उपस्थिति में उक्त श्री
लोगधारक द्वारा कार्यालय, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर में हस्ताक्षर किये गये।

For DHARTI INFRA

[Signature]
PARTNER
लोगधारक - द्वितीय पक्ष

साक्षी :-

1. नाम भूमिका उपाध्याय
पिता/पति का नाम कमल उपाध्याय
व्यवसाय
निवास स्थान नागोरी गेट के अन्दर, अधर शिला
2. नाम निर्मल माधुर
पिता/पति का नाम नरेशचन्द्र माधुर
व्यवसाय माधुर
निवास स्थान महावीरपुरम जोधपुर

[Signature]
साक्षी के हस्ताक्षर

साक्षी के हस्ताक्षर

**SITE PLAN OF PLOT NO. 36 IN RESIDENTIAL SCHEME (DHARTI ANGAN
PHASE - 02) ON KHASRA NO. $\frac{15}{8}$ OF VILLAGE JHALAMAND AT JODHPUR**

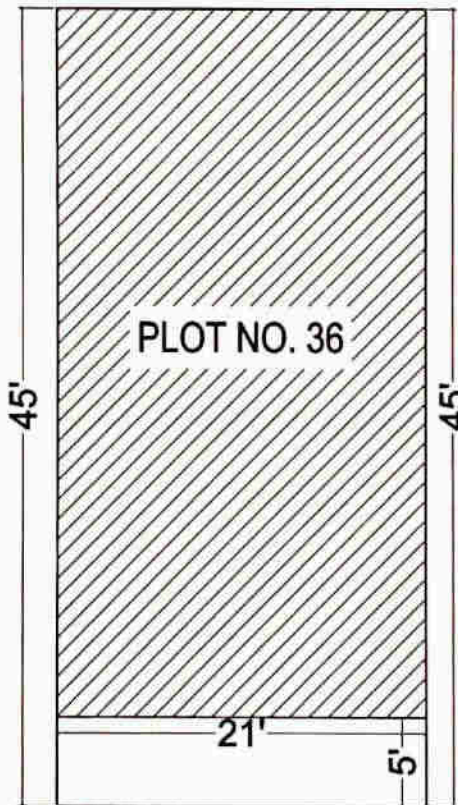
**PLOT SIZE - 21'0"X45'0"
PLOT AREA - 945.00 SQ.FT. OR 105.00 SQ.YARD**

SCALE - 1:10



PLOT NO. 27

PLOT NO. 35



PLOT NO. 37



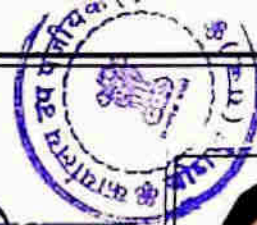
30' WIDE ROAD

**सहायक नगर नियोजक
जोधपुर विकास प्राधिकरण
जोधपुर**

**11.9.2020
उपनिषक्त (पूर्व)
जोधपुर विकास प्राधिकरण
जोधपुर**



जोधपुर विकास प्राधिकरण



जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर

राजस्थान नगरीय क्षेत्र (कृषि भूमि का गैर-कृषिक प्रयोजन के लिए उपयोग की अनुज्ञा और आवंटन) नियम, 2012 के नियम 22 के अन्तर्गत भूमि का

14991/119120-पट्टा विलेख



यह विलेख आज वर्ष के माह के के दिन जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर (जिन्हें इसके बाद नगर निकाय कहकर संबोधित किया गया है) प्रथम पक्ष एवं श्री

वस्ती इलाहाबाद

श्री कमलेश प्रसाद पुत्र श्री बन्नीलाल जी प्रसाद

जाति-बाह्य, निवासी-11, हरिजन नगर विस्तार, जोधपुर

जाति

व्यवसाय निवासी (जिनको इसके बाद लीजधारक संबोधित किया गया है) द्वितीय पक्ष तथा इस इबारत में जहां कहीं प्रसंग से वैसा अर्थ निकले, उनके उत्तराधिकारी, निर्वाहक, प्रबंधक, प्रतिनिधि और मुत्तकिल अलैह भी सम्मिलित होंगे) के मध्य निष्पादित हुआ है।

यह विलेख साक्षात्कृत करता है कि प्रीमियम तथा विकास शुल्क की रकम जो लीजधारक (पट्टाधारक) के द्वारा अदा कर दी गई है और जिसकी रसीद नगर निकाय के द्वारा स्वीकार कर ली गई है, और इसमें उल्लेखित शर्तों और करारों जो लीजधारक द्वारा निष्पादित तथा पालन किये जायेंगे, के एवज में नगर निकाय इनके द्वारा लीजधारक को जमीन का वह तमाम भूखण्ड (जिसे इसके बाद उक्त भूखण्ड कहकर संबोधित किया गया है) प्रदान और लीज करती है जो योजना राजस्व ग्राम के खसरा संख्या 15/8 क्षेत्रफल 105 (दो) में स्थित है और जो अपनी सीमा और क्षेत्रफल के साथ इसके अन्तर्गत लिखे गये परिशिष्ट में अधिक पूर्णरूपेण वर्णित है तथा जिसका आकार विशेष रूप से इससे संलग्न नक्शे में लाल रंग में दिखाया गया है, और जिसे पूर्ण स्वामित्व संबंधी स्वतंत्रता सहित किन्तु निम्नलिखित तमाम व प्रत्येक अपवादों, संरक्षणों, प्रतिबंधों, बंधनों, शर्तों और करारों के अधीन खरीददार अपने उपयोग, उपयोग और इस्तेमाल के लिए अपने अधिकार में रखेगा, अर्थात् :-

- लीजधारक नगर निकाय के कार्यालय में या ऐसे स्थान पर जिसे नगर निकाय समय-समय पर इस हेतु नियत कर दें, प्रत्येक वर्ष अप्रैल के प्रथम दिन उक्त भूखण्ड के संबंध में उक्त नियमों के नियम 20 के उप-नियम (1) के अन्तर्गत निर्धारित किये गये नगरीय निर्धारण (शहरी जमाबन्दी या भूमि का किराया) के तौर पर रुपये 9833/- अंके के मात्र पेशगी अदा करेगा, परन्तु लीजधारक, यदि चाहे तो एक वार्षिक नगरीय निर्धारण (शहरी जमाबन्दी या भूमि का किराया) की राशि जमा करा सकेगा, जो उस वर्ष, जिसमें राशि जमा करायी जाती है, को सम्मिलित करते हुए, पूर्ण वार्षिक नगरीय निर्धारण की राशि के आठ गुणा के बराबर होगी और इस प्रकार जमा कराई गयी नगरीय निर्धारण की राशि के फलस्वरूप लीजधारक उक्त भूखण्ड पर नगरीय निर्धारण की राशि के संदाय के दायित्व से छूट प्राप्त करने का अधिकारी होगा।
- पट्टाधार नियत किया गया नगरीय निर्धारण या भूमि का किराया प्रत्येक 15 वर्ष के पश्चात् और विक्रय या दान या अन्यथा द्वारा ऐसे अन्तरण पर भूखण्ड की जायेगी और ऐसी वृद्धि प्रत्येक अवसर पर ऐसे पुनरीक्षण या, यथारिथति, अन्तरण के समय नगरीय निर्धारण या भूमि का किराया का दस प्रतिशत होगी।
- पट्टे की अवधि :- पट्टाधृति अधिकार 99 वर्ष के लिए होगी।
- उक्त भूखण्ड का उपयोग केवल प्रयोजन, जिसके लिए नगर निकाय द्वारा उक्त नियमों के अन्तर्गत अनुमति दी गयी है, के लिए किया जायेगा और इसी प्रयोजन के उपयोग हेतु इस भूखण्ड पर भवन का निर्माण किया जायेगा।
- इस पट्टा विलेख की तारीख से 7 वर्ष, या ऐसी अतिरिक्त अवधि के भीतर जो नियम-26 के अन्तर्गत बढ़ा दी जायें, लीजधारक के द्वारा इस भूखण्ड पर भवन का निर्माण कराया जायेगा।
- लीजधारक उक्त भूखण्ड को आगे और अन्तरित या उप-पट्टे पर दे सकेगा। उक्त नियमों में अन्तर्विष्ट निबंधन और शर्तों और अन्य उपबंध, यथावश्यक परिवर्तन सहित, अन्तरिती या उप-पट्टेदार पर इस प्रकार लागू होंगे मानो प्रथमतः उक्त भूखण्ड नगर निकाय द्वारा दिया गया है या अन्तरित किया गया है। लीजधारक द्वारा उप-पट्टे की कालावधि स्वयं द्वारा अधिपारित की जायेगी किन्तु किसी भी दशा में मूल पट्टे की कालावधि से अधिक नहीं होगी। उप-पट्टे उक्त नियमों में विहित समस्त अन्य निबंधनों और शर्तों या किन्हीं पृथक् आदेशों द्वारा, जो राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर इस निमित्त विनिर्दिष्ट मामलों में जारी किये जायें, शासित होंगे।
- उक्त भूखण्ड के अन्तरण के मामले में, अन्तरिती के पक्ष में नाम में अन्तरण के लिए नगर निकाय को आवेदन के साथ रजिस्ट्रीकृत विक्रय विलेख, दान विलेख, या वसीयत या अन्य सुसंगत दस्तावेज प्रस्तुत किये जायेंगे। प्रत्येक अन्तरण के लिए आवेदन के साथ दस रुपये प्रति वर्गमीटर की दर से अन्तरण फीस निश्चित की जायेगी; परन्तु लीजधारक की मृत्यु के मामले में इस नियम के अधीन कोई फीस प्रसारित नहीं की जायेगी।
- उक्त नियमों के अधीन किसी व्यक्ति के प्रति परदेय प्रीमियम या नगरीय निर्धारण या व्याज, आन्तरिक/बाह्य विकास प्रमारों का कोई बकाया राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 के अधीन भू-राजस्व की बकाया के रूप में लीजधारक से वसूलीय होगा।
- यदि आवंटन या पट्टा विलेख के निष्पादन के पश्चात् यह पाया जाता है कि आवंटन या पट्टा विलेख विधि की दुरभिराधि या उसके उल्लंघन में कपटपूर्ण दस्तावेज के आधार पर दुरुपदेशन द्वारा अभिप्राप्त किया गया है या आवंटन या पट्टा विलेख के (क.प.उ.)

निबंधनों और शर्तों का अतिक्रमण किया गया है तो नगर निकाय उक्त भूखण्ड पर उसके किसी सन्निर्माण सहित उसी प्रतिबंधित करेगा जो सभी प्रभारों से रहित नगर निकाय में निहित समझे जायेंगे, और नगर निकाय किसी भी व्यक्ति को कारित किसी भी प्रकार की नुकसानी के लिए दायी नहीं होगा।

10. इस पट्टा विलेख के आधार पर उक्त भूखण्ड को सरकार/जीवन बीमा निगम/शिड्यूल्ड बैंक/सरकार ऋणदात्री संस्था/एच.डी.एफ. सी. अथवा नेशनल बैंक द्वारा अधिकृत ऋणदात्री संस्थाओं के पास ऋण के लिए बंधक रखा जा सकेगा।

*जो लागू नहीं हो उसे काट दें।

प्रकरण संख्या :-

परिशिष्ट

कस्बे का नाम :
 राजस्व ग्राम : 51101/1105
 खसरा नम्बर : 15/8
 योजना का नाम
 विस्तृत नाप सहित क्षेत्रफल वर्गगज/वर्गमीटर
 105 d. 20

सीमा पूर्व 30' Road सीमा पश्चिम P.No. 26
 सीमा उत्तर P.No. 30 सीमा दक्षिण P.No. 36 मानचित्र संलग्न है।
 भूखण्ड की संख्या यदि कोई हो P.No. 37

इसके साक्षी के रूप में इसके फरीकेन ने इसके बाद प्रत्येक दशा में निर्देशित स्थानों और तारीखों पर अपने अपने हस्ताक्षर कर दिये हैं।

नगरीय निकाय की ओर से

आज सन् 20 माह के 11/9/2020 वें दिन
 श्री अनिल कुमार पूनियाँ
 निम्न की उपस्थिति में जोधपुर में हस्ताक्षर किये।
 उपायुक्त (पूरे)

उपायुक्त (पूरे)
 नगर निकाय प्रथम पक्ष
 जोधपुर
 (सक्षम अधिकारी के हस्ताक्षर एवं मोहर)

साक्षी :-

श्री बाबूलाल

1. नाम बरिष्ठ सहायक
 पिता/पति का नाम
 व्यवसाय
 निवास स्थान
 2. नाम
 पिता/पति का नाम
 व्यवसाय
 निवास स्थान

साक्षी के हस्ताक्षर

साक्षी के हस्ताक्षर



For DHARTI INFRA

Kamlesh Purohit
 PARTNER
 लौजधारक - द्वितीय पक्ष

आज दिनांक सन् 20 के माह के
 वें दिन को निम्नलिखित की उपस्थिति में उक्त श्री
 लौजधारक द्वारा कार्यालय, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर में हस्ताक्षर किये
 गये।

साक्षी :-

1. नाम भूमिका उपाध्याय
 पिता/पति का नाम करीम उपाध्याय
 व्यवसाय
 निवास स्थान नागीरी गेट के अन्दर, अद्वार शिला
 2. नाम विनिन माथुर
 पिता/पति का नाम सुरेश चन्द्र माथुर
 व्यवसाय नोकर
 निवास स्थान मलादीपुरम जोधपुर

भूमिका

साक्षी के हस्ताक्षर

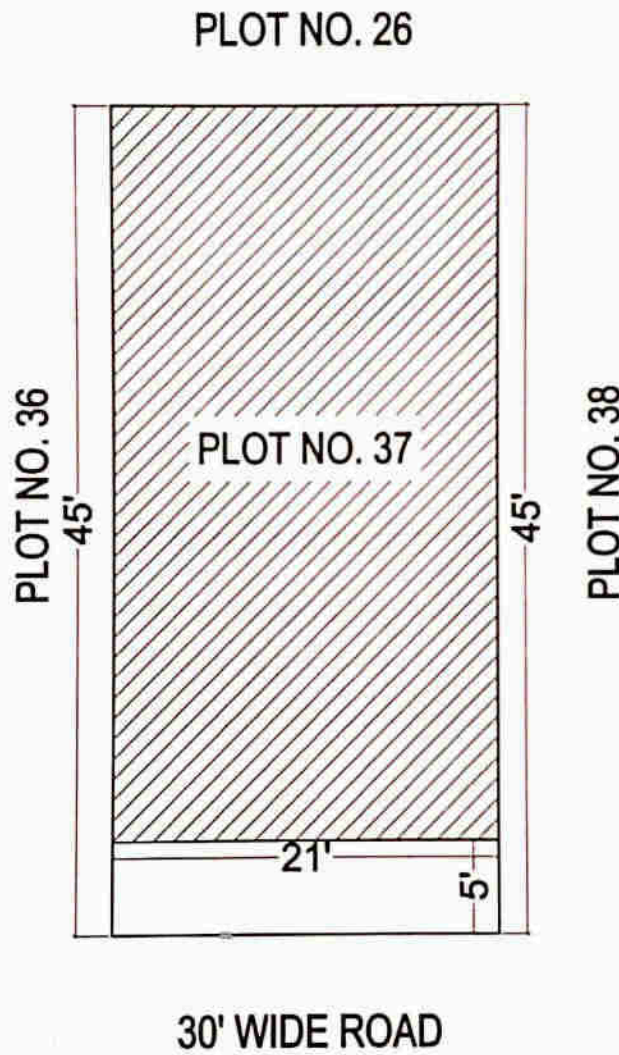
विनिन

साक्षी के हस्ताक्षर

**SITE PLAN OF PLOT NO. 37 IN RESIDENTIAL SCHEME (DHARTI ANGAN
PHASE - 02) ON KHASRA NO. $\frac{15}{8}$ OF VILLAGE JHALAMAND AT JODHPUR**

PLOT SIZE - 21'0"X45'0"
PLOT AREA - 945.00 SQ.FT. OR 105.00 SQ.YARD

SCALE - 1:10




सहायक नगर नियाजक
जोधपुर विकास प्राधिकरण
जोधपुर


11.9.2020
उपायुक्त (पूरी)
ज.व. विकास प्राधिकरण
जोधपुर



जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर

राजस्थान नगरीय क्षेत्र (कृषि भूमि का गैर-कृषिक प्रयोजन के लिए उपयोग की अनुज्ञा और आवंटन) नियम, 2012 के नियम 22 के अन्तर्गत भूमि का



14992
11/9/2018 पट्टा विलेख

यह विलेख आज वर्ष के माह के वे दिन जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर (जिन्हें इसके बाद नगर निकाय कहकर संबोधित किया गया है) प्रथम पक्ष एवं श्री

पत्नी-इंका जसिबे पार्ठर

श्री कनूरा पुराहित पुत्र श्री बन्सीलाल जी पुराहित

जाती-ब्राह्मण, निवासी-11, हरिजोम नगर विस्तार, जोधपुर जाति

व्यवसाय निवासी (जिनको इसके बाद लीजधारक संबोधित किया गया है) द्वितीय पक्ष तथा इस इबारत में जहां कहीं प्रसंग से वैसा अर्थ निकले, उनके उत्तराधिकारी, निर्वाहक, प्रबंधक, प्रतिनिधि और मुन्तकिल अलैह भी सम्मिलित होंगे) के मध्य निष्पादित हुआ है।

यह विलेख साक्ष्यांकित करता है कि प्रीमियम तथा विकास शुल्क की रकम जो लीजधारक (पट्टाधारक) के द्वारा अदा कर दी गई है और जिसकी रसीद नगर निकाय के द्वारा स्वीकार कर ली गई है, और इसमें उल्लेखित शर्तों और करारों जो लीजधारक द्वारा निष्पादित तथा पालन किये गये, के एवज में नगर निकाय इनके द्वारा लीजधारक को जमीन का यह तमाम भूखण्ड (जिसे इसके बाद उक्त भूखण्ड कहकर संबोधित किया गया है) प्रदान और लीज करती है जो योजना

के खसरा संख्या 15/8 क्षेत्रफल 105 (100)00 में स्थित है और जो अपनी सीमा और क्षेत्रफल के साथ इसके अन्तर्गत लिखे गये परिशिष्ट में अधिक पूर्णरूपेण वर्णित है तथा जिसका आकार विशेष रूप से इससे संलग्न नक्शे में ताल रंग में दिखाया गया है, और जिसे पूर्ण स्वामित्व संबंधी स्वत्वों सहित किन्तु निम्नलिखित तमाम व प्रत्येक अपवादों, संरक्षणों, प्रतिबंधों, बंधनों, शर्तों और करारों के अधीन खरीददार अपने उपयोग, उपभोग और इस्तेमाल के लिए अपने अधिकार में रखेगा, अर्थात् :-

- लीजधारक नगर निकाय के कार्यालय में या ऐसे स्थान पर जिसे नगर निकाय समय-समय पर इस हेतु नियत कर दें, प्रत्येक वर्ष अप्रैल के प्रथम दिन उक्त भूखण्ड के संबंध में उक्त नियमों के नियम 20 के उप-नियम (1) के अन्तर्गत निर्धारित किये गये नगरीय निर्धारण (शहरी जमाबन्दी या भूमि का किराया) के तौर पर रुपये 98731 अंके मो हजा आठ सौ पचास मात्र पेशगी अदा करेगा, परन्तु लीजधारक, यदि चाहे तो एक वार्षिक नगरीय निर्धारण (शहरी जमाबन्दी या भूमि का किराया) की राशि जमा करा सकेगा, जो उस वर्ष, जिसमें राशि जमा करायी जाती है, को सम्मिलित करते हुए, पूर्ण वार्षिक नगरीय निर्धारण के आठ गुणा के बराबर होगी और इस प्रकार जमा कराई गयी नगरीय निर्धारण की राशि के फलस्वरूप लीजधारक उक्त भूखण्ड पर नगरीय निर्धारण की राशि के संदाय के दायित्व से छूट प्राप्त करने का अधिकारी होगा।
- एक बार नियत किया गया नगरीय निर्धारण या भूमि का किराया प्रत्येक 15 वर्ष के पश्चात् और विक्रय या दान या अन्यथा द्वारा ऐसे अन्तरण पर भी पुनरीक्षण पर जायेगा और ऐसी वृद्धि प्रत्येक अवसर पर ऐसे पुनरीक्षण या, यथास्थिति, अन्तरण के समय नगरीय निर्धारण या भूमि का किराया 25 प्रतिशत होगी।
- पट्टे की अवधि :- पट्टाधृति अधिकार 99 वर्ष के लिए होगा।
- उक्त भूखण्ड का उपयोग केवल 31/9/14 प्रयोजन, जिसके लिए नगर निकाय द्वारा उक्त नियमों के अन्तर्गत अनुमति दी गयी है, के लिए किया जायेगा और इसी प्रयोजन के उपयोग हेतु इस भूखण्ड पर भवन का निर्माण किया जायेगा।
- इस पट्टा विलेख की तारीख से 7 वर्ष, या ऐसी अतिरिक्त अवधि के भीतर जो नियम-26 के अन्तर्गत बढ़ा दी जावे, लीजधारक के द्वारा इस भूखण्ड पर भवन का निर्माण कराया जायेगा।
- लीजधारक उक्त भूखण्ड को आगे और अन्तरित या उप-पट्टे पर दे सकेगा। उक्त नियमों में अन्तर्दिष्ट निबंधन और शर्तों और अन्य उपबंध, यथावश्यक परिवर्तन सहित, अन्तरिती या उप-पट्टेदार पर इस प्रकार लागू होंगे मानो प्रश्नगत उक्त भूखण्ड नगर निकाय द्वारा दिया गया है या अन्तरित किया गया है। लीजधारक द्वारा उप-पट्टे की कालावधि खयें द्वारा अवधारित की जायेगी किन्तु किसी भी दशा में मूल पट्टे की कालावधि से अधिक नहीं होगी। उप-पट्टे उक्त नियमों में विहित समस्त अन्य निबंधनों और शर्तों या किन्हीं पृथक् आदेशों द्वारा, जो राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर इस निमित्त विनिर्दिष्ट मामलों में जारी किये जायें, शासित होंगे।
- उक्त भूखण्ड के अन्तरण के मामले में, अन्तरिती के पक्ष में नाम में अन्तरण के लिए नगर निकाय को आवेदन के साथ रजिस्ट्रीकृत विक्रय विलेख, दान विलेख, या वरीयत या अन्य सुसंगत दस्तावेज प्रस्तुत किये जायेंगे। प्रत्येक अन्तरण के लिए आवेदन के साथ दस रुपये प्रति वर्गमीटर की दर से अन्तरण फीस निक्षिप्त की जायेगी; परन्तु लीजधारक की मृत्यु के मामलों में इस नियम के अधीन कोई फीस प्रभारित नहीं की जायेगी।
- उक्त नियमों के अधीन किसी व्यक्ति के प्रति परादेय प्रीमियम या नगरीय निर्धारण या ब्याज, आन्तरिक/वाह्य विकास प्रभारों का कोई बकाया राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 के अधीन भू-राजस्व की बकाया के रूप में लीजधारक से वसूली होगी।
- यदि आवंटन या पट्टा विलेख के निष्पादन के पश्चात् यह पाया जाता है कि आवंटन या पट्टा विलेख विधि की दुरभिसंधि या उसके उत्प्लंघन में कपटपूर्ण दस्तावेज के आधार पर दुर्यपदेशन द्वारा अभिप्राप्त किया गया है या आवंटन या पट्टा विलेख के (कृ.प.उ.)

निबंधनों और शर्तों का अतिक्रमण किया गया है तो नगर निकाय उक्त भूखण्ड पर उराके किसी सन्निर्माण सहित उसे प्रतिबंधित करेगा जो सभी प्रमारों से रहित नगर निकाय में निहित समझे जायेंगे, और नगर निकाय किसी भी व्यक्ति को कारित किसी भी प्रकार की नुकसानी के लिए दायी नहीं होगा।

10. इस पट्टा विलेख के आधार पर उक्त भूखण्ड को सरकार/जीवन बीमा निगम/शिड्यूल्ड बैंक/सरकार ऋणदात्री संस्था/एच.डी.एफ. सी. अथवा नेशनल बैंक द्वारा अधिकृत ऋणदात्री संस्थाओं के पास ऋण के लिए बंधक रखा जा सकेगा।

*जो लागू नहीं हो उसे काट दें।

प्रकरण संख्या :-

परिशिष्ट

कस्बे का नाम :
राजस्व ग्राम :
खसरा नम्बर :
योजना का नाम
विस्तृत नाप सहित क्षेत्रफल वर्गगज/वर्गमीटर
105 00 00

सीमा पूर्व 30' Road सीमा पश्चिम P.No. 25
सीमा उत्तर P.No. 39 सीमा दक्षिण P.No. 37 मानचित्र संलग्न है।
भूखण्ड की संख्या यदि कोई हो P.No. 38

इसके साक्षी के रूप में इसके फरोकेन ने इसके बाद प्रत्येक दशा में निर्देशित स्थानों और तारीखों पर अपने अपने हस्ताक्षर कर दिये हैं।

नगरीय निकाय की ओर से

आज सन् 20 माह के 11/9/2020 वें दिन
श्री अनिल कुमार पूनियाँ
निम्न की उपस्थिति में जोधपुर में हस्ताक्षर किये। उपायुक्त (पु) (पु)

11.9.2020
नगर निकाय प्रथम पक्ष
उपायुक्त (पु)
(सक्षम अधिकारी निम्न पक्ष प्राधिकार)
जोधपुर

साक्षी :-

1. नाम श्री बाबूलाल
वरिष्ठ सहायक
पिता/पति का नाम
व्यवसाय
निवास स्थान

साक्षी के हस्ताक्षर

2. नाम
पिता/पति का नाम
व्यवसाय
निवास स्थान

साक्षी के हस्ताक्षर

आज दिनांक सन् 20 के माह के
वें दिन को निम्नलिखित की उपस्थिति में उक्त श्री
लीजधारक द्वारा कार्यालय, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर में हस्ताक्षर किये
गये।

For DHARTI INFRA

Kamlesh Purohit
PARTNER
लीजधारक - द्वितीय पक्ष

साक्षी :-

1. नाम भूमिका उपाध्याय
पिता/पति का नाम करण उपाध्याय
व्यवसाय
निवास स्थान नाजोरी गेट के अन्दर, आधर शिला

भूमिका
साक्षी के हस्ताक्षर

2. नाम नितीन माधुर
पिता/पति का नाम नरेश चन्द माधुर
व्यवसाय जोधपुर
निवास स्थान मन्दावीर पुरम जोधपुर

साक्षी के हस्ताक्षर

SITE PLAN OF PLOT NO. 38 IN RESIDENTIAL SCHEME (DHARTI ANGAN
PHASE - 02) ON KHASRA NO. $\frac{15}{8}$ OF VILLAGE JHALAMAND AT JODHPUR

PLOT SIZE - 21'0"X45'0"
PLOT AREA - 945.00 SQ.FT. OR 105.00 SQ.YARD

SCALE - 1:10



PLOT NO. 25

PLOT NO. 37
45'

PLOT NO. 38

PLOT NO. 39
45'

21'

5'

30' WIDE ROAD



सहायक नगर नियोजक
जोधपुर विकास प्राधिकरण
जोधपुर

11.9.2020
उपायुक्त (पू.)
जोधपुर विकास प्राधिकरण
जोधपुर



जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर

राजस्थान नगरीय क्षेत्र (कृषि भूमि का गैर-कृषिक प्रयोजन के लिए उपयोग की अनुज्ञा और आवंटन) नियम, 2012 के नियम 22 के अन्तर्गत भूमि का

14993/119120 पट्टा विलेख



यह विलेख आज वर्ष के माह के वे दिन जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर (जिनहे इसके बाद नगर निकाय कहकर संबोधित किया गया है) प्रथम पक्ष एवं श्री

प्रती ईशा जरिये पार्टनर

श्री कमलेश पुराहित पुत्र श्री बन्सीलाल जी पुरोहित

जाती-ब्राह्मण, निवासी-11, हरिओम नगर विस्तार, जोधपुर

जाति

व्यवसाय निवासी (जिनको इसके बाद लीजधारक संबोधित किया गया है) द्वितीय पक्ष तथा इस इबारत में जहां कहीं प्रसंग से वैसा अर्थ निकले, उनके उत्तराधिकारी, निर्वाहक, प्रबंधक, प्रतिनिधि और मुत्तकिल अलैह भी सम्मिलित होंगे) के मध्य निष्पादित हुआ है।

यह विलेख साक्ष्यकित करता है कि प्रीमियम तथा विकास शुल्क की रकम जो लीजधारक (पट्टाधारक) के द्वारा अदा कर दी गई है और जिसकी रसीद नगर निकाय के द्वारा स्वीकार कर ली गई है, और इसमें उल्लेखित शर्तों और करारों जो लीजधारक द्वारा निष्पादित तथा पालन किये जायेंगे, के एवज में नगर निकाय इनके द्वारा लीजधारक को जमीन का वह तमाम भूखण्ड (जिसे इसके बाद उक्त भूखण्ड कहकर संबोधित किया गया है) प्रदान और लीज करती है जो योजना राजरव ग्राम 21/11/05

के खसरा संख्या 1518 क्षेत्रफल 106 वर्ग मी. में स्थित है और जो अपनी सीमा और क्षेत्रफल के साथ इसके अन्तर्गत लिखे गये परिशिष्ट में अधिक पूर्णरूपेण वर्णित है तथा जिसका आकार विशेष रूप से इससे संलग्न नक्शे में लाल रंग में दिखाया गया है, और जिसे पूर्ण स्वामित्व संबंधी स्वत्वों सहित किन्तु निम्नलिखित तमाम व प्रत्येक अपवादों, संरक्षणों, प्रतिबंधों, बंधनों, शर्तों और करारों के अधीन खरीददार अपने उपयोग, उपभोग और इस्तेमाल के लिए अपने अधिकार में रखेगा, अर्थात् :-

- लीजधारक नगर निकाय के कार्यालय में या ऐसे स्थान पर जिसे नगर निकाय समय-समय पर इस हेतु नियत कर दें, प्रत्येक वर्ष अप्रैल के प्रथम दिन उक्त भूखण्ड के संबंध में उक्त नियमों के नियम 20 के उप-नियम (1) के अन्तर्गत निर्धारित किये गये नगरीय निर्धारण (शहरी जमाबन्दी या भूमि का किराया) के तौर पर रुपये 9833/- अंके मोहरा आठ सौ पचास मात्र पेशगी अदा करेगा, परन्तु लीजधारक, यदि चाहे तो एक बारीय नगरीय निर्धारण (शहरी जमाबन्दी या भूमि का किराया) की राशि जमा करा सकेगा, जो उस वर्ष, जिसमें राशि जमा कराई जाती है, को सम्मिलित करते हुए, पूर्ण वार्षिक नगरीय निर्धारण की राशि के आठ गुणा के बराबर होगी और इस प्रकार जमा कराई गयी नगरीय निर्धारण की राशि के फलस्वरूप लीजधारक उक्त भूखण्ड पर नगरीय निर्धारण की राशि के संदाय के दायित्व से छूट प्राप्त करने का अधिकारी होगा।
- एक बार नियत किया गया नगरीय निर्धारण या भूमि का किराया प्रत्येक 15 वर्ष के पश्चात् और विक्रय या दान या अन्यथा द्वारा ऐसे अन्तरण पर भी पुनरीक्षण का दायी होगा और ऐसी वृद्धि प्रत्येक अवसर पर ऐसे पुनरीक्षण या, यथास्थिति, अन्तरण के समय नगरीय निर्धारण या भूमि के किराये का 25 प्रतिशत होगा।
- पट्टे की अवधि :- पट्टावधि अधिकार 99 वर्ष के लिए होंगे।
- उक्त भूखण्ड का उपयोग केवल आवासीय प्रयोजन, जिसके लिए नगर निकाय द्वारा उक्त नियमों के अन्तर्गत अनुमति दी गयी है, के लिए किया जायेगा और इसी प्रयोजन के उपयोग हेतु इस भूखण्ड पर भवन का निर्माण किया जायेगा।
- इस पट्टा विलेख की तारीख से 7 वर्ष, या ऐसी अतिरिक्त अवधि के भीतर जो नियम-26 के अन्तर्गत बढ़ा दी जावे, लीजधारक के द्वारा इस भूखण्ड पर भवन का निर्माण कराया जायेगा।
- लीजधारक उक्त भूखण्ड को आगे और अन्तरित या उप-पट्टे पर दे सकेगा। उक्त नियमों में अन्तर्विष्ट निबंधन और शर्तों और अन्य उपबंध, यथावश्यक परिवर्तन सहित, अन्तरिती या उप-पट्टेदार पर इस प्रकार लागू होंगे मानो प्रश्नगत उक्त भूखण्ड नगर निकाय द्वारा दिया गया है या अन्तरित किया गया है। लीजधारक द्वारा उप-पट्टे की कालावधि स्वयं द्वारा अवधारित की जायेगी किन्तु किसी भी दशा में मूल पट्टे की कालावधि से अधिक नहीं होगी। उप-पट्टे उक्त नियमों में विहित समस्त अन्य निबंधनों और शर्तों या किन्हीं पृथक् आदेशों द्वारा, जो राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर इस निमित्त किनिर्दिष्ट मामलों में जारी किये जायें, शासित होंगे।
- उक्त भूखण्ड के अन्तरण के मामले में, अन्तरिती के पक्ष में नाम में अन्तरण के लिए नगर निकाय को आवेदन के साथ रजिस्ट्रीकृत विक्रय विलेख, दान विलेख, या यसीयत या अन्य सुसंगत दस्तावेज प्रस्तुत किये जायेंगे। प्रत्येक अन्तरण के लिए आवेदन के साथ दस रुपये प्रति वर्गमीटर की दर से अन्तरण फीस निक्षिप्त की जायेगी; परन्तु लीजधारक की मृत्यु के मामलों में इस नियम के अधीन कोई फीस प्रभारित नहीं की जायेगी।
- उक्त नियमों के अधीन किसी व्यक्ति के प्रति परादेय प्रीमियम या नगरीय निर्धारण या व्याज, आन्तरिक/बाह्य विकास प्रभारों का कोई बकाया राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 के अधीन भू-राजस्व की बकाया के रूप में लीजधारक से वसूलीय होगा।
- यदि आवंटन या पट्टा विलेख के निष्पादन के पश्चात् यह पाया जाता है कि आवंटन या पट्टा विलेख विधि की दुरुभिराधि या उसके उल्लंघन में कपटपूर्ण दस्तावेज के आधार पर दुर्यपदेशन द्वारा अभिप्राप्त किया गया है या आवंटन या पट्टा विलेख के (क.प.उ.)

निबंधनों और शर्तों का अतिक्रमण किया गया है तो नगर निकाय उक्त भूखण्ड पर उसको किसी सम्मिलित सहित उसे प्रतिबंधित करेगा जो सभी प्रभारों से रहित नगर निकाय में निहित समझे जायेंगे, और नगर निकाय किसी भी व्यक्ति को काशित किसी भी प्रकार की नुकसानी के लिए दायी नहीं होगा।

10. इस पट्टा विलेख के आधार पर उक्त भूखण्ड को सरकार/जीवन बीमा निगम/शिड्यूल्ड बैंक/सरकार ऋणदात्री संस्था/एच.डी.एफ. सी. अथवा नेशनल बैंक द्वारा अधिकृत ऋणदात्री संस्थाओं के पास ऋण के लिए बंधक रखा जा सकेगा।

*जो लागू नहीं हो उसे काट दें।

प्रकरण संख्या :-

परिशिष्ट

कस्बे का नाम :
राजस्व ग्राम : ह. 110/111/105
खसरा नम्बर : 15/8
योजना का नाम :
विस्तृत नाप सहित क्षेत्रफल वर्गगज/वर्गमीटर
105 sq. m.

सीमा पूर्व 30' Road सीमा पश्चिम P.No. 34
सीमा उत्तर P.No. 40 सीमा दक्षिण P.No. 30 मानचित्र संलग्न है।
भूखण्ड की संख्या यदि कोई हो P.No. 39

इसके साक्षी के रूप में इसके फरीकेन ने इसके बाद प्रत्येक दशा में निर्देशित स्थानों और तारोखों पर अपने अपने हस्ताक्षर कर दिये हैं।

नगरीय निकाय की ओर से

आज सन् 20 माह के 11/9/2020 वें दिन
श्री अनिल कुमार पूनिया
निम्न की उपस्थिति में जोधपुर में हस्ताक्षर किये।
उपायुक्त (पूर्व)

11.9.2020
उपायुक्त (पूर्व)
नगर निकाय प्रशासक
जोधपुर
(सक्षम अधिकारी के हस्ताक्षर एवं मोहर)

साक्षी :-

1. नाम श्री बाबूलाल
वर्षादाता
पिता/पति का नाम
व्यवसाय
निवास स्थान
2. नाम
पिता/पति का नाम
व्यवसाय
निवास स्थान



[Signature]
साक्षी के हस्ताक्षर

साक्षी के हस्ताक्षर

आज दिनांक सन् 20 के माह के
वें दिन को निम्नलिखित की उपस्थिति में उक्त श्री
लोजधारक द्वारा कार्यालय, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर में हस्ताक्षर किये
गये।

For DHARTI INFRA

Kamlesh Runkit
PARTNER
लोजधारक - द्वितीय पक्ष

साक्षी :-

1. नाम महमिका उपाध्याय
पिता/पति का नाम करण उपाध्याय
व्यवसाय
निवास स्थान नगरी गेट के अन्दर, अक्षर शिना
2. नाम निविन माधुर
पिता/पति का नाम नरेशचन्द्र माधुर
व्यवसाय नौकरी
निवास स्थान महावीरपुरम जोधपुर

[Signature]
साक्षी के हस्ताक्षर

[Signature]
साक्षी के हस्ताक्षर

SITE PLAN OF PLOT NO. 39 IN RESIDENTIAL SCHEME (DHARTI ANGAN
PHASE - 02) ON KHASRA NO. $\frac{15}{8}$ OF VILLAGE JHALAMAND AT JODHPUR

PLOT SIZE - 21'0"X45'0"
PLOT AREA - 945.00 SQ.FT. OR 105.00 SQ.YARD

SCALE - 1:10



PLOT NO. 24

PLOT NO. 38
45'

PLOT NO. 39

PLOT NO. 40
45'

21'

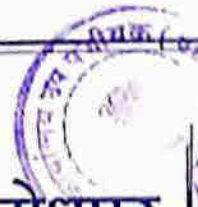
5'



30' WIDE ROAD

सहायक नगर नियोजक
जोधपुर विकास प्राधिकरण
जोधपुर

11.9.2020
उपायुक्त (पूर्व)
जोधपुर विकास प्राधिकरण
जोधपुर



जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर

राजस्थान नगरीय क्षेत्र (कृषि भूमि का गैर-कृषिक प्रयोजन के लिए उपयोग की अनुज्ञा और आवंटन) नियम, 2012 के नियम 22 के अन्तर्गत भूमि का

14994/11/2012-20 पट्टा विलेख



यह विलेख आज यहाँ के माह के ने दिन जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर (जिन्हें इसके बाद नगर निकाय कहकर संबोधित किया गया है) प्रथम पक्ष एवं श्री

महोदय श्री जयशंकर पाटील

श्री कमलेश पुरालिप्त पुत्र श्री बन्नालाल जी पुरालिप्त

जाति-ब्राह्मण, निवासी-11, हरिओम नगर विस्तार, जोधपुर

जाति

व्यवसाय निवासी

(जिन्होंने इसके बाद

लीजधारक संबोधित किया गया है) द्वितीय पक्ष तथा इस द्वाबस्त में जहाँ कहीं प्रसंग से वैसा अर्थ निकले, उनके उत्तराधिकारी, निर्वाहक, प्रबन्धक, प्रतिनिधि और मुन्तखिल अलैह भी सम्मिलित होंगे) के मध्य निष्पादित हुआ है।

यह विलेख साक्षात्कृत करता है कि प्रीमियम तथा विकास शुल्क की रकम जो लीजधारक (पट्टाधारक) के द्वारा अदा कर दी गई है और जिसकी रसीद नगर निकाय के द्वारा रसीद कर ली गई है, और इसमें उल्लेखित शर्तों और कर्तव्यों जो लीजधारक द्वारा निष्पादित तथा मालूम किये जायेंगे, के एवज में नगर निकाय इनके द्वारा लीजधारक को अधीन का यह तमाम भूखण्ड (जिसे इसके बाद उक्त भूखण्ड कहकर संबोधित किया गया है) प्रदान और लीज करती है जो योजना राजस्व माग के खराबा संख्या 15.18 क्षेत्रफल 105.4000 में स्थित है और जो अपनी सीमा और क्षेत्रफल के साथ इसके अन्तर्गत लिखे गये परिशिष्ट में अधिक पूर्णरूपेण वर्णित है तथा जिसका आवरण विशेष रूप से इससे संलग्न नक्शे में चाल रूप में दिखाया गया है, और जिसे पूर्ण स्वामित्व संबंधी स्वत्वो सहित किन्तु निम्नलिखित तमाम व प्रत्येक अपवादों, संरक्षणों, प्रतिबंधों, बंधनों, शर्तों और कर्तव्यों के अधीन खरीददार अपने उपयोग, उपयोग और दस्तोमाज के लिए अपने अधिकार में रखेगा, अर्थात् :-

- लीजधारक नगर निकाय के कार्यालय में या ऐसे स्थान पर जिसे नगर निकाय समय-समय पर इस हेतु नियत कर दे, प्रत्येक वर्ष अप्रैल के प्रथम दिन उक्त भूखण्ड के संबंध में उक्त नियमों के नियम 20 के उप-नियम (1) के अन्तर्गत निर्धारित किये गये नगरीय निर्धारण (राश्वे जमावन्दी या भूमि का किराया) के तौर पर रुपये 7833 अंके माघ पेशगी अदा करेगा, परन्तु लीजधारक, यदि चाहे तो एक वार्षिक नगरीय निर्धारण (राश्वे जमावन्दी या भूमि का किराया) की राशि जमा कर सकता है, जो उस वर्ष, जिसमें राशि जमा करायी जाती है, को सम्मिलित करते हुए, पूर्ण वार्षिक नगरीय निर्धारण की राशि के आठ गुणा के बराबर होगी और इस प्रकार जमा कराई गयी नगरीय निर्धारण की राशि के फलस्वरूप लीजधारक उक्त भूखण्ड पर नगरीय निर्धारण की राशि के संदाय के दायित्व से मुक्त प्राप्त करने का अधिकारी होगा।
- उक्त भूखण्ड पर नगरीय निर्धारण या भूमि का किराया प्रत्येक 15 वर्ष के पश्चात् और विक्रय या दान या अन्यथा द्वारा ऐसे अन्तरण पर भी पुनर्निर्धारण की गयी होगा और ऐसी वृद्धि प्रत्येक अवसर पर ऐसे पुनर्निर्धारण या, यथास्थिति, अन्तरण के समय नगरीय निर्धारण या भूमि का किराया के 25% तक बढ़ाया जायेगी।
- पट्टाधारक पट्टाधृति अधिकार 99 वर्ष के लिए होंगे।
- उक्त भूखण्ड का उपयोग केवल प्रयोजन, जिसके लिए नगर निकाय द्वारा उक्त नियमों के अन्तर्गत अनुमति दी गयी है, के लिए किया जायेगा और इसी प्रयोजन के उपयोग हेतु इस भूखण्ड पर भवन का निर्माण किया जायेगा।
- इस पट्टा विलेख की तारीख से 7 वर्ष, या ऐसी अतिरिक्त अवधि के भीतर जो नियम-26 के अन्तर्गत बढ़ा दी जावे, लीजधारक के द्वारा इस भूखण्ड पर भवन का निर्माण कराया जायेगा।
- लीजधारक उक्त भूखण्ड को आगे और अन्तरित या उप-पट्टे पर दे सकता है। उक्त नियमों में अन्तर्निहित निबंधन और शर्तों और अन्य उपबंध, यथावश्यक परिवर्तन सहित, अन्तरिणी या उप-पट्टेदार पर इस प्रकार लागू होंगे मानो प्रथमतः उक्त भूखण्ड नगर निकाय द्वारा दिया गया है या अन्तरित किया गया है। लीजधारक द्वारा उप-पट्टे की कालावधि स्वयं द्वारा अकामरित की जायेगी किन्तु किसी भी दशा में मूल पट्टे की कालावधि से अधिक नहीं होगी। उप-पट्टे उक्त नियमों में विहित शर्तों अन्य निबंधनों और शर्तों या किन्हीं पृथक् आदेशों द्वारा, जो राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर इस निमित्त विनिर्दिष्ट मामलों में जारी किये जायें, शासित होंगे।
- उक्त भूखण्ड के अन्तरण के मामले में, अन्तरिणी के पक्ष में माग में अन्तरण के लिए नगर निकाय को आवेदन के साथ सजिस्ट्रीकृत विवरण विलेख, दान विलेख, या वसीयत या अन्य सुसंगत दस्तावेज प्रस्तुत किये जायेंगे। प्रत्येक अन्तरण के लिए आवेदन के साथ दस रुपये प्रति वर्गमीटर की दर से अन्तरण फीस निश्चित की जायेगी; परन्तु लीजधारक की मृत्यु के मामलों में इस नियम के अधीन कोई भी फीस प्रभावि नहीं की जायेगी।
- उक्त नियमों के अधीन किसी व्यक्ति के प्रति परादेय प्रीमियम या नगरीय निर्धारण या ब्याज, आन्तरिक/बाह्य विकास प्रभारों का कोई नकाना राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 के अधीन भू-राजस्व की बकाया के रूप में लीजधारक से वसूलीय होगा।
- यदि आवंटन या पट्टा विलेख के निष्पादन के पश्चात् यह पाया जाता है कि आवंटन या पट्टा विलेख विधि की दुरुविराधि या उसके उल्लंघन में कपटपूर्ण दस्तावेज के आधार पर दुरुपयोग द्वारा अधिप्राप्त किया गया है या आवंटन या पट्टा विलेख के

(क.प.उ.)

निबंधनों और शर्तों का अतिक्रमण किया गया है तो नगर निकाय उक्त भूखण्ड पर उसके किसी सन्निर्माण सहित उसे प्रतिसंभृत करेगा जो सभी प्रभारों से रहित नगर निकाय में निहित समझे जायेंगे, और नगर निकाय किसी भी व्यक्ति को कारित किसी भी प्रकार की नुकसानी के लिए दायी नहीं होगा।

10. इस पट्टा विलेख के आधार पर उक्त भूखण्ड को सरकार/जीवन बीमा निगम/शिड्यूल्ड बैंक/सरकार ऋणदात्री संस्था/एच.डी.एफ. सी. अथवा नेशनल बैंक द्वारा अधिकृत ऋणदात्री संस्थाओं के पास ऋण के लिए बंधक रखा जा सकेगा।

*जो लागू नहीं हो उसे काट दें।

प्रकरण संख्या :-

परिशिष्ट

कस्बे का नाम :
राजस्व ग्राम :
खसरा नम्बर :
योजना का नाम
विस्तृत नाप सहित क्षेत्रफल वर्गगज/वर्गमीटर
105 4000

सीमा पूर्व 30' Road सीमा पश्चिम P.No. 23
सीमा उत्तर P.No. 41 सीमा दक्षिण P.No. 39 मानचित्र संलग्न है।
भूखण्ड की संख्या यदि कोई हो P.No. 40

इसके साक्षी के रूप में इसके फरीकेन ने इसके बाद प्रत्येक दशा में निर्देशित स्थानों और तारीखों पर अपने अपने हस्ताक्षर कर दिये हैं।

नगरीय निकाय की ओर से

आज सन् 20 माह के 11/9/2020 वें दिन
श्री
निम्न को उपस्थिति में जोधपुर में हस्ताक्षर किये।
अनिल कुमार पूनियाँ
उपायुक्त (पुनः)

11.9.2020
उपायुक्त (पुनः)
नगर निकाय, मध्य प्रदेश
विकास प्राधिकरण
(सक्षम अधिकारी जोधपुर एवं मोहर)

साक्षी :-

1. नाम श्री. बाबूलाल
पिता/पति का नाम वरिष्ठ सहायक
व्यवसाय
निवास स्थान
2. नाम
पिता/पति का नाम
व्यवसाय
निवास स्थान

साक्षी के हस्ताक्षर

साक्षी के हस्ताक्षर

For DHARTI INFRA

Kamlesh Prasad
PARTNER
लीजधारक द्वितीय पक्ष

आज दिनांक सन् 20 के माह के
वें दिन को निम्नलिखित की उपस्थिति में उक्त श्री
लीजधारक द्वारा कार्यालय, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर में हस्ताक्षर किये
गये।

साक्षी :-

1. नाम अमिका उपाध्याय
पिता/पति का नाम करण उपाध्याय
व्यवसाय
निवास स्थान नागोरी गेट के अन्दर, अद्वार गिला
2. नाम निरंजन माथुर
पिता/पति का नाम नरेश चन्द्र माथुर
व्यवसाय नौकर
निवास स्थान महावीर पुष्प जोधपुर

Bumika

साक्षी के हस्ताक्षर

N. M.

साक्षी के हस्ताक्षर

**SITE PLAN OF PLOT NO. 40 IN RESIDENTIAL SCHEME (DHARTI ANGAN
PHASE - 02) ON KHASRA NO. $\frac{15}{8}$ OF VILLAGE JHALAMAND AT JODHPUR**

PLOT SIZE - 21'0"X45'0"

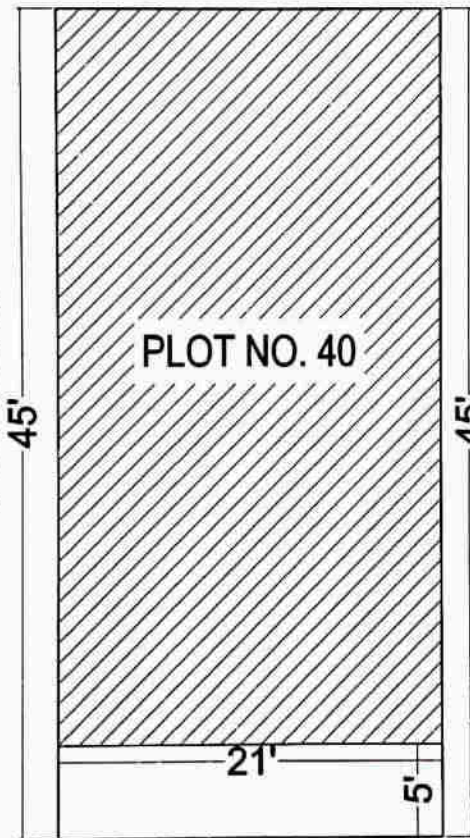
PLOT AREA - 945.00 SQ.FT. OR 105.00 SQ.YARD

SCALE - 1:10



PLOT NO. 23

PLOT NO. 39



PLOT NO. 40

PLOT NO. 41



30' WIDE ROAD

**सहायक नगर नियोजक
जोधपुर विकास प्राधिकरण,
जोधपुर**

**उपायुक्त (पूर्व)
जोधपुर विकास प्राधिकरण
जोधपुर**



जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर

राजस्थान नगरीय क्षेत्र (कृषि भूमि का गैर-कृषिक प्रयोजन के लिए उपयोग को अनुज्ञा और आवंटन) नियम, 2012 के नियम 22 के अन्तर्गत भूमि का

14995
11/9/20 पट्टा विलेख



यह विलेख आज वर्ष के माह के वे दिन जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर (जिन्हें इसके बाद नगर निकाय कहकर संबोधित किया गया है) प्रथम पक्ष एवं श्री

वस्ती ईश्वर परिवे पार्टर

श्री कन्तेस पुताहि पुत्र श्री बन्सीलाल जी पुताहि

जाति

व्यवसाय नियासी-11, हरिजाम नगर विस्तार, जोधपुर (जिनको इसके बाद लीजधारक संबोधित किया गया है) द्वितीय पक्ष तथा इस इशारे में जहां कहीं प्रसंग से ऐसा अर्थ निकले, उनके उत्तराधिकारी, निर्वाहक, प्रबंधक, प्रतिनिधि और मुन्तफिल अलैह भी सम्मिलित होंगे) के मध्य निष्पादित हुआ है।

यह विलेख साक्ष्यकित करता है कि प्रीमियम तथा विकास शुल्क की रकम जो लीजधारक (पट्टाधारक) के द्वारा अदा कर दी गई है और जिसकी रसीद नगर निकाय के द्वारा स्वीकार कर ली गई है, और इसमें उल्लेखित शर्तों और करारों जो लीजधारक द्वारा निष्पादित तथा पालन किये जायेंगे, के एवज में नगर निकाय इनके द्वारा लीजधारक को जमीन का वह तमाम भूखण्ड (जिसे इसके बाद उक्त भूखण्ड कहकर संबोधित किया गया है) प्रदान और लीज करती है जो योजना राजस्व ग्राम हालांकि मण्ड के खसरा संख्या 1518 क्षेत्रफल 105 d. 300 में स्थित है और जो अपनी सीमा और क्षेत्रफल के साथ इसके अन्तर्गत लिखे गये परिशिष्ट में अधिक पूर्णरूपेण वर्णित है तथा जिसका आकार विशेष रूप से इससे संलग्न नक्शों में लाल रंग में दिखाया गया है, और जिसे पूर्ण स्वामित्व संबंधी स्वत्वों सहित किन्तु निम्नलिखित तमाम व प्रत्येक अपवादों, संरक्षणों, प्रतिबंधों, बंधनों, शर्तों और करारों के अधीन खरीददार अपने उपयोग, उपभोग और इस्तेमाल के लिए अपने अधिकार में रखेगा, अर्थात् :-

- लीजधारक नगर निकाय के कार्यालय में या ऐसे स्थान पर जिसे नगर निकाय समय-समय पर इस हेतु नियत कर दे, प्रत्येक वर्ष अप्रैल के प्रथम दिन उक्त भूखण्ड के संबंध में उक्त नियमों के नियम 20 के उप-नियम (1) के अन्तर्गत निर्धारित किये गये नगरीय निर्धारण (शहरी जमाबन्दी या भूमि का किराया) के तौर पर रुपये 90331/- अंके मो रजा आठ सौ पचास मात्र पेशगी अदा करेगा, परन्तु लीजधारक, यदि चाहे तो एक वार्षिक नगरीय निर्धारण (शहरी जमाबन्दी या भूमि का किराया) की राशि जमा करा सकेगा, जो उस वर्ष, जिसमें राशि जमा करायी जाती है, को सम्मिलित करते हुए, पूर्ण वार्षिक नगरीय निर्धारण की राशि के अमल गुणा के बराबर होगी और इस प्रकार जमा कराई गयी नगरीय निर्धारण की राशि के फलस्वरूप लीजधारक उक्त भूखण्ड पर नगरीय निर्धारण की राशि के संदाय के दायित्व से छूट प्राप्त करने का अधिकारी होगा।
- एक बार नियत किया गया नगरीय निर्धारण या भूमि का किराया प्रत्येक 15 वर्ष के पश्चात् और विक्रय या दान या अन्यथा द्वारा ऐसे अन्तरण पर भी पुनरीक्षण का दायी होगा और ऐसी वृद्धि प्रत्येक अवसर पर ऐसे पुनरीक्षण या, यथारिथति, अन्तरण के समय नगरीय निर्धारण या भूमि के किराये का 25 प्रतिशत होगी।
- पट्टे की अवधि :- पट्टाधृति अधिकार 99 वर्ष के लिए होंगे।
- उक्त भूखण्ड का उपयोग केवल 311.91.41.4 प्रयोजन, जिसके लिए नगर निकाय द्वारा उक्त नियमों के अन्तर्गत अनुमति दी गयी है, के लिए किया जायेगा और इसी प्रयोजन के उपयोग हेतु इस भूखण्ड पर भवन का निर्माण किया जायेगा।
- इस पट्टा विलेख की तारीख से 7 वर्ष, या ऐसी अतिरिक्त अवधि के भीतर जो नियम-26 के अन्तर्गत बढ़ा दी जावे, लीजधारक के द्वारा इस भूखण्ड पर भवन का निर्माण कराया जायेगा।
- लीजधारक उक्त भूखण्ड को आगे और अन्तरित या उप-पट्टे पर दे सकेगा। उक्त नियमों में अन्तर्विष्ट निबंधन और शर्तों और अन्य उपबंध, यथावश्यक परिवर्तन सहित, अन्तरिती या उप-पट्टेदार पर इस प्रकार लागू होंगे मानो प्रश्नगत उक्त भूखण्ड नगर निकाय द्वारा दिया गया है या अन्तरित किया गया है। लीजधारक द्वारा उप-पट्टे की कालावधि स्वयं द्वारा अवधारित की जायेगी किन्तु किसी भी दशा में मूल पट्टे की कालावधि से अधिक नहीं होगी। उप-पट्टे उक्त नियमों में विहित समस्त अन्य निबंधनों और शर्तों या किन्हीं पृथक् आदेशों द्वारा, जो राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर इस निमित्त विनिर्दिष्ट मामलों में जारी किये जायें, शासित होंगे।
- उक्त भूखण्ड के अन्तरण के मामले में, अन्तरिती के पक्ष में नाम में अन्तरण के लिए नगर निकाय को आवेदन के साथ रजिस्ट्रीकृत विक्रय विलेख, दान विलेख, या वसीयत या अन्य सुसंगत दस्तावेज प्रस्तुत किये जायेंगे। प्रत्येक अन्तरण के लिए आवेदन के साथ दस रुपये प्रति वर्गमीटर की दर से अन्तरण फीस निक्षिप्त की जायेगी; परन्तु लीजधारक की मृत्यु के मामलों में इस नियम के अधीन कोई फीस प्रभारित नहीं की जायेगी।
- उक्त नियमों के अधीन किसी व्यक्ति के प्रति परादेय प्रीमियम या नगरीय निर्धारण या ब्याज, आन्तरिक/बाह्य विकास प्रभारों का कोई बकाया राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 के अधीन भू-राजस्व की बकाया के रूप में लीजधारक से वसूलीय होगा।
- यदि आवंटन या पट्टा विलेख के निष्पादन के पश्चात् यह पाया जाता है कि आवंटन या पट्टा विलेख विधि की दुरभिसंधि या उसके उत्प्लंघन में कपटपूर्ण दस्तावेज के आधार पर दुर्यपदेशन द्वारा अभिप्राप्त किया गया है या आवंटन या पट्टा विलेख के

(क.प.उ.)

निबंधनों और शर्तों का अतिक्रमण किया गया है तो नगर निकाय उक्त भूखण्ड पर उसके किसी सन्निर्माण सहित उसे प्रतिसंहत करेगा जो सभी प्रभारों से रहित नगर निकाय में निहित समझे जायेंगे, और नगर निकाय किसी भी व्यक्ति को कारित किसी भी प्रकार की नुकसानी के लिए दायी नहीं होगा।

10. इस पट्टा विलेख के आधार पर उक्त भूखण्ड को सरकार/जीवन बीमा निगम/शिड्यूल्ड बैंक/सरकार ऋणदात्री संस्था/एच.डी.एफ. सी. अथवा नेशनल बैंक द्वारा अधिकृत ऋणदात्री संस्थाओं के पास ऋण के लिए बंधक रखा जा सकेगा।

*जो लागू नहीं हो उसे काट दें।

प्रकरण संख्या :-

परिशिष्ट

कच्चे का नाम :
 राजस्व ग्राम : 51K11105
 खसरा नम्बर : 1518
 योजना का नाम
 विस्तृत नाप सहित क्षेत्रफल वर्गगज/वर्गमीटर
405 do 110

सीमा पूर्व 38' Road सीमा पश्चिम P.No. 22
 सीमा उत्तर P.No. 42 सीमा दक्षिण P.No. 40 मानचित्र संलग्न है।
 भूखण्ड की संख्या यदि कोई हो P.No. 41

इसके साक्षी के रूप में इसके फरोकेन ने इसके बाद प्रत्येक दशा में निर्देशित स्थानों और तारीखों पर अपने अपने हस्ताक्षर कर दिये हैं।

नगरीय निकाय की ओर से

आज सन् 20 माह के 11/9/2020 वें दिन
 श्री
 निम्न की उपस्थिति में जोधपुर में हस्ताक्षर किये।
अनिल कुमार पूनियाँ
 उपायुक्त (पूर्व)

11.9.2020
 उपायुक्त (पूर्व)
 नगर विकास प्राधिकरण
 (सक्षम अधिकारी के रूप में एवं मोहर)

साक्षी :-

1. नाम श्री बाबूलाल
 पिता/पति का नाम वरिष्ठ सहायक
 व्यवसाय
 निवास स्थान
 2. नाम
 पिता/पति का नाम
 व्यवसाय
 निवास स्थान



साक्षी के हस्ताक्षर

साक्षी के हस्ताक्षर

आज दिनांक सन् 20 के माह के
 वें दिन को निम्नलिखित की उपस्थिति में उक्त श्री
 लीजधारक द्वारा कार्यालय, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर में हस्ताक्षर किये
 गये।

For DHARTI INFRA

Kamlesh Punotit
 PARTNER
 लीजधारक - द्वितीय पक्ष

साक्षी :-

1. नाम भूमिका उपाध्याय
 पिता/पति का नाम करवी उपाध्याय
 व्यवसाय
 निवास स्थान नागोरी गेट के अन्दर, अक्षर शिला
 2. नाम निर्मल माथुर
 पिता/पति का नाम नरेश-पन्ड माथुर
 व्यवसाय मोटर
 निवास स्थान महावीरपुरक जोधपुर

Bhumika
 साक्षी के हस्ताक्षर

Nirmal
 साक्षी के हस्ताक्षर

**SITE PLAN OF PLOT NO. 41 IN RESIDENTIAL SCHEME (DHARTI ANGAN
PHASE - 02) ON KHASRA NO. $\frac{15}{8}$ OF VILLAGE JHALAMAND AT JODHPUR**

**PLOT SIZE - 21'0"X45'0"
PLOT AREA - 945.00 SQ.FT. OR 105.00 SQ.YARD**

SCALE - 1:10



PLOT NO. 22

PLOT NO. 40

45'

PLOT NO. 41

PLOT NO. 42

45'

21'

5'



30' WIDE ROAD

सहायक नगर नियोजक

**जोधपुर विकास प्राधिकरण
जोधपुर**

उपायुक्त (पूर्व)

**जोधपुर विकास प्राधिकरण
जोधपुर**



जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर

राजस्थान नगरीय क्षेत्र (कृषि भूमि का गैर-कृषिक प्रयोजन के लिए उपयोग की अनुज्ञा और आवंटन) नियम, 2012 के नियम 22 के अन्तर्गत भूमि का



14996
11/9/2022 पट्टा विलेख

यह विलेख आज वर्ष के माह के ये दिन जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर (जिनके इसके बाद नगर निकाय कहकर संबोधित किया गया है) प्रथम पक्ष एवं श्री

श्री. इफा. जरीये पट्टर

श्री. कमलेश पुराहि-मुन. श्री. बलीदास जी पुराहि

जाती-बाह्य, निवासी-14, हरिओम नगर, विहार, जोधपुर

जाति

प्यदास्य निवासी (जिनको इसके बाद लीजधारक संबोधित किया गया है) द्वितीय पक्ष तथा इस इबारत में जहां कहीं प्रसंग से वैसा अर्थ निकले, उनके उत्तराधिकारी, निर्वाहक, प्रबंधक, प्रतिनिधि और मुत्ताफल अलैह भी सम्मिलित होंगे) के मध्य निम्नादित हुआ है।

यह विलेख साक्षात्कृत करता है कि प्रीमियम तथा विकास शुल्क की रकम जो लीजधारक (पट्टाधारक) के द्वारा अदा कर दी गई है और जिसकी रसीद नगर निकाय के द्वारा स्वीकार कर ली गई है, और इसमें उल्लेखित शर्तों और करारों जो लीजधारक द्वारा निम्नादित तथा पालन किये जायेंगे, के एवज में नगर निकाय इनके द्वारा लीजधारक को जमीन का वह तमाम भूखण्ड (जिसे इसके बाद उक्त भूखण्ड कहकर संबोधित किया गया है) प्रदान और लीज करती है जो योजना राजस्थान ग्राम के खसरा संख्या क्षेत्रफल में स्थित है और जो अपनी सीमा और क्षेत्रफल के साथ इसके अन्तर्गत लिखे गये परिशिष्ट में अधिक पूर्णरूपेण वर्णित है तथा जिसका आकार विशेष रूप से इससे संलग्न नक्शे में लाल रंग में दिखाया गया है, और जिसे पूर्ण स्वामित्व संबंधी स्वत्वों सहित किन्तु निम्नलिखित तमाम व प्रत्येक अपवादों, संरक्षणों, प्रतिबंधों, बंधनों, शर्तों और करारों के अधीन स्वतंत्रतापूर्वक अपने उपयोग, उपयोग और इस्तेमाल के लिए अपने अधिकार में रखेगा, अर्थात् :-

- लीजधारक नगर निकाय के कार्यालय में या ऐसे स्थान पर जिसे नगर निकाय समय-समय पर इस हेतु नियत कर दें, प्रत्येक वर्ष अप्रैल के प्रथम दिन उक्त भूखण्ड के संबंध में उक्त नियमों के नियम 20 के उप-नियम (1) के अन्तर्गत निर्धारित किये गये नगरीय निर्धारण (शहरी जमाबन्दी या भूमि का किराया) के तौर पर रुपये अके के हिसाब आठ सौ दिनांकी मात्र पेशगी अदा करेगा, परन्तु लीजधारक, यदि चाहे तो एक बारीय नगरीय निर्धारण (शहरी जमाबन्दी या भूमि का किराया) को पेश कर सकता है, जो उस वर्ष, जिसमें शहरी जमा कराई जाती है, को सम्मिलित करते हुए, पूर्ण वार्षिक नगरीय निर्धारण की शर्तों के आठ गुणा के बराबर होगी और इस प्रकार जमा कराई गयी नगरीय निर्धारण की शर्तों के फलस्वरूप लीजधारक उक्त भूखण्ड पर नगरीय निर्धारण की शर्तों के संदाय के दायित्व से छूट प्राप्त करने का अधिकारी होगा।
- यदि नगर निकाय द्वारा नगरीय निर्धारण या भूमि का किराया प्रत्येक 15 वर्ष के पर्याप्त और विद्यमान या दान या अन्यथा द्वारा ऐसे अन्तरण पर निर्धारित किया जायेगा और ऐसी वृद्धि प्रत्येक अवसर पर ऐसे पुनरीक्षण या, यथास्थिति, अन्तरण के समय नगरीय निर्धारण या भूमि का किराया को 15 प्रतिशत होगी।
- पट्टे की अवधि :- पट्टाधृति अधिकार 99 वर्ष के लिए होगा।
- उक्त भूखण्ड का उपयोग केवल प्रयोजन, जिसके लिए नगर निकाय द्वारा उक्त नियमों के अन्तर्गत अनुमति दी गयी है, के लिए किया जायेगा और इसी प्रयोजन के उपयोग हेतु इस भूखण्ड पर भवन का निर्माण किया जायेगा।
- इस पट्टा विलेख की तारीख से 7 वर्ष, या ऐसी अतिरिक्त अवधि के भीतर जो नियम-26 के अन्तर्गत बढ़ा दी जाये, लीजधारक के द्वारा इस भूखण्ड पर भवन का निर्माण कराया जायेगा।
- लीजधारक उक्त भूखण्ड को आगे और अन्तरित या उप-पट्टे पर दे सकेंगा। उक्त नियमों में अन्तर्दिष्ट निबंधन और शर्तों और अन्य उपबंध, कयावरयक परिवर्तन सहित, अन्तरिती या उप-पट्टेदार पर इस प्रकार लागू होंगे मानो प्ररुनगत उक्त भूखण्ड नगर निकाय द्वारा दिया गया है या अन्तरित किया गया है। लीजधारक द्वारा उप-पट्टे की कालावधि स्वयं द्वारा अवधारित की जायेगी किन्तु किसी भी दशा में मूल पट्टे की कालावधि से अधिक नहीं होगी। उप-पट्टे उक्त नियमों में विहित समस्त अन्य निबंधनों और शर्तों या किसी पृथक् आदेशों द्वारा, जो राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर इस निमित्त विनिर्दिष्ट मामलों में जारी किये जायें, शासित होंगे।
- उक्त भूखण्ड के अन्तरण के मामले में, अन्तरिती के पक्ष में नाम में अन्तरण के लिए नगर निकाय को आवेदन के साथ रजिस्ट्रीकृत विक्रय विलेख, दान विलेख, या वसीयत या अन्य सुसंगत दस्तावेज प्रस्तुत किये जायेंगे। प्रत्येक अन्तरण के लिए आवेदन के साथ दस रुपये प्रति वर्गमीटर की दर से अन्तरण फीस निश्चित की जायेगी; परन्तु लीजधारक की मृत्यु के मामलों में इस नियम के अधीन कोई फीस प्रसारित नहीं की जायेगी।
- उक्त नियमों के अधीन किसी व्यक्ति के प्रति पसंदेय प्रीमियम या नगरीय निर्धारण या व्याज, आन्तरिक/बाह्य विकास प्रभारों का कोई बकाया राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 के अधीन भू-राजस्व की बकाया के रूप में लीजधारक से वसूलीय होगा।
- यदि आवंटन या पट्टा विलेख के निष्पादन के पर्याप्त यह पाया जाता है कि आवंटन या पट्टा विलेख विधि की दुरुनसिंधि या उसके उत्प्लंघन में कपटपूर्ण दस्तावेज के आधार पर दुर्यधदेशन द्वारा अभिप्राप्त किया गया है या आवंटन या पट्टा विलेख के

(क.प.उ.)

निबंधनों और शर्तों का अतिक्रमण किया गया है तो नगर निकाय उक्त भूखण्ड पर उसके किसी सम्मिलित सहित उसे प्रतिबंधित करेगा जो सभी प्रभारों से रहित नगर निकाय में निहित समझे जायेंगे, और नगर निकाय किसी भी व्यक्ति को कारित किसी भी प्रकार की नुकसानी के लिए दायी नहीं होगा।

10. इस पट्टा विलेख के आधार पर उक्त भूखण्ड को सरकार/जीवन बीमा निगम/शिडयुल्ट बैंक/सरकार ऋणदात्री संस्था/एच.डी.एफ. सी. अथवा नेशनल बैंक द्वारा अधिकृत ऋणदात्री संस्थाओं के पास ऋण के लिए बंधक रखा जा सकेगा।

*जो लागू नहीं हो उसे काट दें।

प्रकरण संख्या :-

परिशिष्ट

कस्बे का नाम :
राजस्व ग्राम : सी. 1. 1. 1. 1. 0. 5
खसरा नम्बर : 15/18
योजना का नाम
विस्तृत नाप सहित क्षेत्रफल वर्गगज/वर्गमीटर
105 00 00

सीमा पूर्व 30' Road सीमा पश्चिम P.No. 21
सीमा उत्तर 30' Road सीमा दक्षिण P.No. 41 मानचित्र संलग्न है।
भूखण्ड की संख्या यदि कोई हो P.No. 42

इसके साक्षी के रूप में इसके फरीकेन ने इसके बाद प्रत्येक दशा में निर्देशित स्थानों और तारीखों पर अपने अपने हस्ताक्षर कर दिये हैं।

नगरीय निकाय की ओर से

आज सन् 20 माह के 11/19/2020 वें दिन
श्री अनिल कुमार पूनियाँ
निम्न की उपस्थिति में जोधपुर में हस्ताक्षर किये। उपायुक्त (पुके)

11.9.2020
उपायुक्त (पुके)
नगरीय निकाय प्राधिकरण
(सक्षम अधिकारी के हस्ताक्षर एवं मोहर)

साक्षी :-

- नाम श्री. साबूलाल
पिता/पति का नाम वरिष्ठ सहायक
व्यवसाय
निवास स्थान
- नाम
पिता/पति का नाम
व्यवसाय
निवास स्थान



साक्षी के हस्ताक्षर

साक्षी के हस्ताक्षर

For DHARTI INFRA

Kamlesh Pyroket
PARTNER
लोजधारक - द्वितीय पक्ष

आज दिनांक सन् 20 के माह के
वें दिन को निम्नलिखित की उपस्थिति में उक्त श्री
लोजधारक द्वारा कार्यालय, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर में हस्ताक्षर किये
गये।

साक्षी :-

- नाम भूमिका उपाध्याय
पिता/पति का नाम करण उपाध्याय
व्यवसाय
निवास स्थान नागौरी गेट के अन्दर, अलवर जिला
- नाम नितिन माथुर
पिता/पति का नाम रमेश चन्द्र माथुर
व्यवसाय नौकर
निवास स्थान मलवीपुरम जोधपुर

Bhumika
साक्षी के हस्ताक्षर

Nitin
साक्षी के हस्ताक्षर

SITE PLAN OF PLOT NO. 42 IN RESIDENTIAL SCHEME (DHARTI ANGAN
PHASE - 02) ON KHASRA NO. $\frac{15}{8}$ OF VILLAGE JHALAMAND AT JODHPUR

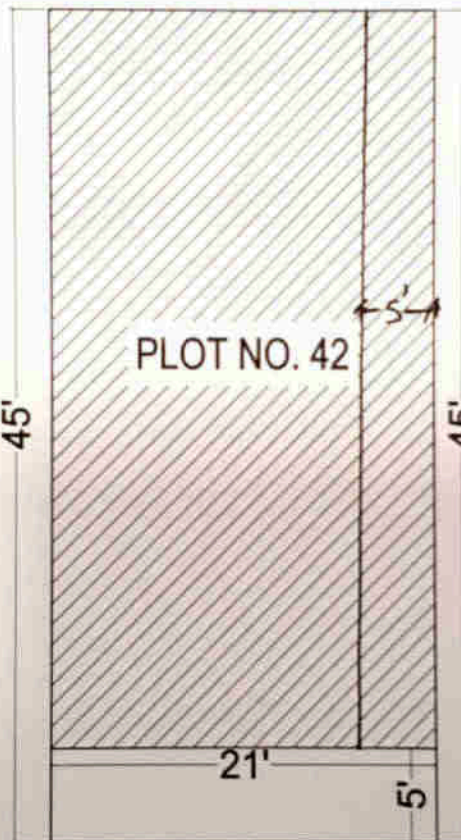
PLOT SIZE - 21'0"X45'0"
PLOT AREA - 945.00 SQ.FT. OR 105.00 SQ.YARD

SCALE - 1:10



PLOT NO. 21

PLOT NO. 41
45'



30'0" ROAD

30' WIDE ROAD



सहायक नगर नियोजक
जोधपुर विकास प्राधिकरण
जोधपुर

उपायुक्त (पूर्व)
जोधपुर विकास प्राधिकरण
जोधपुर
11.9.2020



जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर

राजस्थान नगरीय क्षेत्र (कृषि भूमि का गैर-कृषिक प्रयोजन के लिए उपयोग की अनुज्ञा और आवंटन) नियम, 2012 के नियम 22 के अन्तर्गत भूमि का

14997/11912 पट्टा विलेख



यह विलेख आज वर्ष के माह के वे दिन जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर (जिन्हें इसके बाद नगर निकाय कहकर संबोधित किया गया है) प्रथम पक्ष एवं श्री

श्री राजेश जयसिंह मार्टन

श्री कमलेश पुरहित पुत्र श्री बन्सीलाल जी पुरहित

जाती-ब्राह्मण, निवासी-11, हरिओम नगर विस्तार, जोधपुर

जाति

(जिनको इसके बाद

व्यवसाय निवासी (जिनको इसके बाद लीजधारक संबोधित किया गया है) द्वितीय पक्ष तथा इस इबारत में जहां कहीं प्रसंग से वैसा अर्थ निकले, उनके उत्तराधिकारी, निर्वाहक, प्रबंधक, प्रतिनिधि और मुत्ताफल अलैह भी सम्मिलित होंगे) के मध्य निष्पादित हुआ है।

यह विलेख साक्ष्यांकित करता है कि प्रीमियम तथा विकास शुल्क की रकम जो लीजधारक (पट्टाधारक) के द्वारा अदा कर दी गई है और जिसकी रसीद नगर निकाय के द्वारा रवीकार कर ली गई है, और इसमें उल्लेखित शर्तों और करारों जो लीजधारक द्वारा निष्पादित तथा पालन किये जायेंगे, के एवज में नगर निकाय इनके द्वारा लीजधारक को जमीन का वह तमाम भूखण्ड (जिसे इसके बाद उक्त भूखण्ड कहकर संबोधित किया गया है) प्रदान और लीज करती है जो योजना राजस्थान ग्राम 811641405 के खसरा संख्या 1518 क्षेत्रफल 100 वर्ग मी. में स्थित है और जो अपनी सीमा और क्षेत्रफल के साथ इसके अन्तर्गत लिखे गये परिशिष्ट में अधिक पूर्णरूपेण वर्णित है तथा जिसका आकार विशेष रूप से इससे संलग्न नक्शे में लाल रंग में दिखाया गया है, और जिसे पूर्ण स्वामित्व संबंधी स्वत्वों सहित किन्तु निम्नलिखित तमाम व प्रत्येक अपवादों, संरक्षणों, प्रतिबंधों, बंधनों, शर्तों और करारों के अधीन खरीददार अपने उपयोग, उपभोग और इस्तेमाल के लिए अपने अधिकार में रखेगा, अर्थात् :-

- लीजधारक नगर निकाय के कार्यालय में या ऐसे स्थान पर जिसे नगर निकाय समय-समय पर इस हेतु नियत कर दे, प्रत्येक वर्ष अप्रैल के प्रथम दिन उक्त भूखण्ड के संबंध में उक्त नियमों के नियम 20 के उप-नियम (1) के अन्तर्गत निर्धारित किये गये नगरीय निर्धारण (शहरी जमाबन्दी या भूमि का किराया) के तौर पर रुपये 40366/1 अके राजस्थान ग्राम 811641405 मात्र पेशगी अदा करेगा, परन्तु लीजधारक, यदि चाहे तो एक बारीय नगरीय निर्धारण (शहरी जमाबन्दी या भूमि का किराया) की राशि जमा करा सकेगा, जो उस वर्ष, जिसमें राशि जमा करायी जाती है, को सम्मिलित करते हुए, पूर्ण वार्षिक नगरीय निर्धारण की राशि के आठ गुणा के बराबर होगी और इस प्रकार जमा कराई गयी नगरीय निर्धारण की राशि के फलस्वरूप लीजधारक उक्त भूखण्ड पर नगरीय निर्धारण की राशि के संदाय के दायित्व से छूट प्राप्त करने का अधिकारी होगा।
- एक बार नियत किया गया नगरीय निर्धारण या भूमि का किराया प्रत्येक 15 वर्ष के पश्चात् और विक्रय या दान या अन्यथा द्वारा ऐसे अन्तरण पर भी पुनर्विचार का दावा होगा और ऐसी वृद्धि प्रत्येक अवसर पर ऐसे पुनरीक्षण या, यथास्थिति, अन्तरण के समय नगरीय निर्धारण या भूमि का किराया को प्रतिष्ठित होगी।
- पट्टा की अवधि पट्टाधृति अधिकार 99 वर्ष के लिए होंगे।
- उक्त भूखण्ड का उपयोग केवल 311912/1 प्रयोजन, जिसके लिए नगर निकाय द्वारा उक्त नियमों के अन्तर्गत अनुमति दी गयी है, के लिए किया जायेगा और इसी प्रयोजन के उपयोग हेतु इस भूखण्ड पर भवन का निर्माण किया जायेगा।
- इस पट्टा विलेख की तारीख से 7 वर्ष, या ऐसी अतिरिक्त अवधि के भीतर जो नियम-26 के अन्तर्गत बढ़ा दी जावे, लीजधारक के द्वारा इस भूखण्ड पर भवन का निर्माण कराया जायेगा।
- लीजधारक उक्त भूखण्ड को आगे और अन्तरित या उप-पट्टे पर दे सकेगा। उक्त नियमों में अन्तर्विष्ट निबंधन और शर्तों और अन्य उपबंध, यथावश्यक परिवर्तन सहित, अन्तरिती या उप-पट्टेदार पर इस प्रकार लागू होंगे मानो प्रसंगत उक्त भूखण्ड नगर निकाय द्वारा दिया गया है या अन्तरित किया गया है। लीजधारक द्वारा उप-पट्टे की कालावधि स्वयं द्वारा अवधारित की जायेगी किन्तु किसी भी दशा में मूल पट्टे की कालावधि से अधिक नहीं होगी। उप-पट्टे उक्त नियमों में विहित समस्त अन्य निबंधनों और शर्तों या किन्हीं पृथक् आदेशों द्वारा, जो राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर इस निमित्त विनिर्दिष्ट मामलों में जारी किये जायें, शासित होंगे।
- उक्त भूखण्ड के अन्तरण के मामले में, अन्तरिती के पक्ष में नाम में अन्तरण के लिए नगर निकाय को आवेदन के साथ रजिस्ट्रीकृत विक्रय विलेख, दान विलेख, या वसीयत या अन्य सुरंगत दस्तावेज प्रस्तुत किये जायेंगे। प्रत्येक अन्तरण के लिए आवेदन के साथ दस रुपये प्रति वर्गमीटर की दर से अन्तरण फीस निक्षिप्त की जायेगी; परन्तु लीजधारक की मृत्यु के मामलों में इस नियम के अधीन कोई फीस प्रगारित नहीं की जायेगी।
- उक्त नियमों के अधीन किसी व्यक्ति के प्रति परादेय प्रीमियम या नगरीय निर्धारण या व्याज, आन्तरिक/कह्य विकास प्रभारों का कोई बकाया राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 के अधीन भू-राजस्व की बकाया के रूप में लीजधारक से वसूली होगी।
- यदि आवंटन या पट्टा विलेख के निष्पादन के पश्चात् यह पाया जाता है कि आवंटन या पट्टा विलेख विधि की दुरभिराधि या उसका उल्लंघन में कपटपूर्ण दस्तावेज के आधार पर दुरव्यपदेशन द्वारा अभिप्राप्त किया गया है या आवंटन या पट्टा विलेख के (क.प.उ.)

निबंधनों और शर्तों का अतिक्रमण किया गया है तो नगर निकाय उक्त भूखण्ड पर उसके किसी सन्निर्माण सहित उसे प्रतिसंभृत करेगा जो सभी प्रमारों से रहित नगर निकाय में निहित समझे जायेंगे, और नगर निकाय किसी भी व्यक्ति को कारित किसी भी प्रकार की नुकसानी के लिए दायी नहीं होगा।

10. इस पट्टा विलेख के आधार पर उक्त भूखण्ड को सरकार/जीवन बीमा निगम/शिड्यूलड बैंक/सरकार ऋणदात्री संस्था/एच.डी.एफ. सी. अथवा नेशनल बैंक द्वारा अधिकृत ऋणदात्री संस्थाओं के पास ऋण के लिए बंधक रखा जा सकेगा।

*जो लागू नहीं हो उसे काट दें।

प्रकरण संख्या :-

परिशिष्ट

कस्बे का नाम :
राजस्व ग्राम : 51/11/05
खसरा नम्बर : 1518
योजना का नाम
विस्तृत नाप सहित क्षेत्रफल वर्गगज/वर्गमीटर
100 90/10

सीमा पूर्व 30' Road सीमा पश्चिम P.No. 20
सीमा उत्तर P.No. 44 सीमा दक्षिण 30' Road मानचित्र संलग्न है।
भूखण्ड की संख्या यदि कोई हो P.No. 43

इसके साक्षी के रूप में इसके फरीकेन ने इसके बाद प्रत्येक दशा में निर्देशित स्थानों और तारीखों पर अपने अपने हस्ताक्षर कर दिये हैं।

नगरीय निकाय की ओर से

आज सन् 20 माह के 11/9/2020 वें दिन
श्री अनिल कुमार पूनियाँ
निम्न की उपस्थिति में जोधपुर में हस्ताक्षर किये।
उपायुक्त (उप)

11.9.2020
उपायुक्त (उप)
नगर निकाय प्रशासन
(सक्षम अधिकारी जोधपुर एवं मोहर)

साक्षी :-

1. नाम श्री बाबूलाल
पिता/पति का नाम
व्यवसाय
निवास स्थान
2. नाम
पिता/पति का नाम
व्यवसाय
निवास स्थान

साक्षी के हस्ताक्षर

साक्षी के हस्ताक्षर



आज दिनांक सन् 20 के माह के
वें दिन को निम्नलिखित की उपस्थिति में उक्त श्री
लीजधारक द्वारा कार्यालय, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर में हस्ताक्षर किये
गये।

For DHARTI INFRA

Kanishk Parshit
PARTNER
लीजधारक - द्वितीय पक्ष

साक्षी :-

1. नाम मूमिका उपाध्याय
पिता/पति का नाम केशव उपाध्याय
व्यवसाय
निवास स्थान नागोरी गेट के अन्दर, अद्वार शिला
2. नाम निरमल माथुर
पिता/पति का नाम नरेश चन्द्र माथुर
व्यवसाय नौकरी
निवास स्थान मसकीपुरम जोधपुर

Bhushika
साक्षी के हस्ताक्षर

साक्षी के हस्ताक्षर

**SITE PLAN OF PLOT NO. 43 IN RESIDENTIAL SCHEME (DHARTI ANGAN
PHASE - 02) ON KHASRA NO. $\frac{15}{8}$ OF VILLAGE JHALAMAND AT JODHPUR**

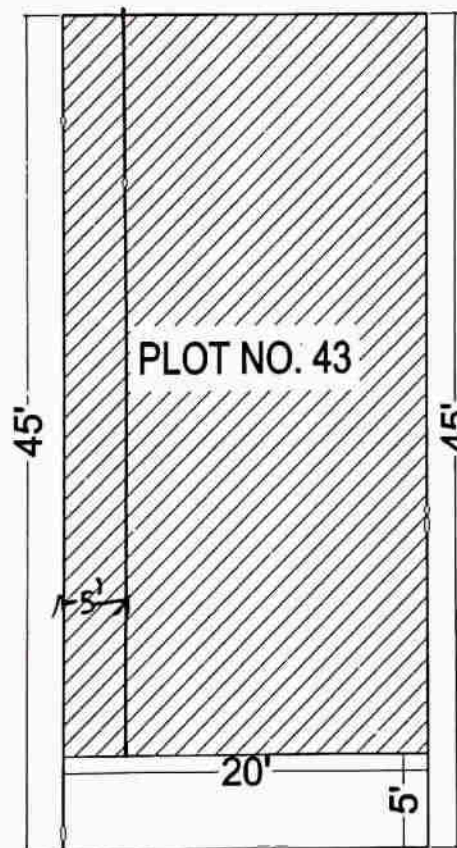
**PLOT SIZE - 20'0"X45'0"
PLOT AREA - 900.00 SQ.FT. OR 100.00 SQ.YARD**

SCALE - 1:10



30'0" WIDE ROAD

PLOT NO. 20



PLOT NO. 44

30' WIDE ROAD

सहायक नगर निवासी
जोधपुर विकास प्राधिकरण
जोधपुर

11-9-2020
उपायुक्त (पूर्व)
जोधपुर विकास प्राधिकरण
जोधपुर



जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर

राजस्थान नगरीय क्षेत्र (कृषि भूमि का गैर-कृषिक प्रयोजन के लिए उपयोग की अनुज्ञा और आवंटन) नियम, 2012 के नियम 22 के अन्तर्गत भूमि का

14998/11/3/20 पट्टा विलेख



यह विलेख आज वर्ष के माह के के दिन जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर (जिन्हें इसके बाद नगर निकाय कहकर संबोधित किया गया है) प्रथम पक्ष एवं श्री

वसुन्धरा इन्फ्रा जॉइन्ट वार्टनर

श्री कमलेश पुराणित पुत्र श्री बन्सीलाल जी पुराणित

जाति-बाह्य, निवासी-11, हरिजोम नगर विस्तार, जोधपुर जाति

व्यवसाय निवासी (जिनको इसके बाद लीजधारक संबोधित किया गया है) द्वितीय पक्ष तथा इस इबारत में जहां कहीं प्रसंग से वैसा अर्थ निकले, उनके उत्तराधिकारी, निर्वाहक, प्रबंधक, प्रतिनिधि और मुन्तकिल अलैह भी सम्मिलित होंगे) के मध्य निष्पादित हुआ है।

यह विलेख साक्ष्यांकित करता है कि प्रीमियम तथा विकास शुल्क की रकम जो लीजधारक (पट्टाधारक) के द्वारा अदा कर दी गई है और इसकी रसीद नगर निकाय के द्वारा स्वीकार कर ली गई है, और इसमें उल्लेखित शर्तों और करारों जो लीजधारक द्वारा निष्पादित तथा पालन किये जायेंगे, के एवज में नगर निकाय इनके द्वारा लीजधारक को जमीन का यह तमाम भूखण्ड (जिसे इसके बाद उक्त भूखण्ड कहकर संबोधित किया गया है) प्रदान और लीज करती है जो योजना राजस्व ग्राम 51/1/203 के खसरा संख्या 15/8 क्षेत्रफल 100 वर्ग मी. में स्थित है और जो अपनी सीमा और क्षेत्रफल के साथ इसके अन्तर्गत लिखे गये परिशिष्ट में अधिक पूर्णरूपेण वर्णित है तथा जिसका आकार विशेष रूप से इससे संलग्न नक्शे में ताल रंग में दिखाया गया है, और जिसे पूर्ण स्वामित्व संबंधी स्वत्वां सहित किन्तु निम्नलिखित तमाम व प्रत्येक अपवादों, संरक्षणों, प्रतिबंधों, बंधनों, शर्तों और करारों के अधीन खरीददार अपने उपयोग, उपभोग और इस्तेमाल के लिए अपने अधिकार में रखेगा, अर्थात् :-

- लीजधारक नगर निकाय के कार्यालय में या ऐसे स्थान पर जिसे नगर निकाय समय-समय पर इस हेतु नियत कर दें, प्रत्येक वर्ष अप्रैल के प्रथम दिन उक्त भूखण्ड के संबंध में उक्त नियमों के नियम 20 के उप-नियम (1) के अन्तर्गत निर्धारित किये गये नगरीय निर्धारण (शहरी जमाबन्दी या भूमि का किराया) के तौर पर रुपये 9865/- अंके में हजारतीन सौ पचास मात्र पेशगी अदा करेगा, परन्तु लीजधारक, यदि चाहे तो एक बारीय नगरीय निर्धारण (शहरी जमाबन्दी या भूमि का किराया) को राशि जमा करा सकेगा, जो उस वर्ष, जिसमें राशि जमा करायी जाती है, को सम्मिलित करते हुए, पूर्ण वार्षिक नगरीय निर्धारण की राशि के आठ गुणा के बराबर होगी और इस प्रकार जमा कराई गयी नगरीय निर्धारण की राशि के फलस्वरूप लीजधारक उक्त भूखण्ड पर नगरीय निर्धारण की राशि के संदाय के दायित्व से छूट प्राप्त करने का अधिकारी होगा।
- एक बार नियत किया गया नगरीय निर्धारण या भूमि का किराया प्रत्येक 15 वर्ष के पश्चात् और विक्रय या दान या अन्यथा द्वारा ऐसे अन्तरण पर पुनरीक्षण का दायी होगा और ऐसी वृद्धि प्रत्येक अवसर पर ऐसे पुनरीक्षण या, यथास्थिति, अन्तरण के समय नगरीय निर्धारण या भूमि के किराये का 25 प्रतिशत होगी।
- पट्टे की अवधि :- पट्टाप्राप्ति अधिकार 99 वर्ष के लिए होंगे।
- उक्त भूखण्ड का उपयोग केवल 51/1/203 प्रयोजन, जिसके लिए नगर निकाय द्वारा उक्त नियमों के अन्तर्गत अनुमति दी गयी है, के लिए किया जायेगा और इसी प्रयोजन के उपयोग हेतु इस भूखण्ड पर भवन का निर्माण किया जायेगा।
- इस पट्टा विलेख की तारीख से 7 वर्ष, या ऐसी अतिरिक्त अवधि के भीतर जो नियम-26 के अन्तर्गत बढ़ा दी जायें, लीजधारक के द्वारा इस भूखण्ड पर भवन का निर्माण कराया जायेगा।
- लीजधारक उक्त भूखण्ड को आगे और अन्तरित या उप-पट्टे पर दे सकेगा। उक्त नियमों में अन्तर्विष्ट निबंधन और शर्तों और अन्य उपबंध, यथावश्यक परिवर्तन सहित, अन्तरिती या उप-पट्टेदार पर इस प्रकार लागू होंगे मानो प्रश्नगत उक्त भूखण्ड नगर निकाय द्वारा दिया गया है या अन्तरित किया गया है। लीजधारक द्वारा उप-पट्टे की कालावधि स्वयं द्वारा अवधारित की जायेगी किन्तु किसी भी दशा में मूल पट्टे की कालावधि से अधिक नहीं होगी। उप-पट्टे उक्त नियमों में विहित समस्त अन्य निबंधनों और शर्तों या किन्हीं पृथक् आदेशों द्वारा, जो राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर इस निमित्त विनिर्दिष्ट मामलों में जारी किये जायें, शासित होंगे।
- उक्त भूखण्ड के अन्तरण के मामले में, अन्तरिती के पक्ष में नाम में अन्तरण के लिए नगर निकाय को आवेदन के साथ रजिस्ट्रीकृत विक्रय विलेख, दान विलेख, या वसीयत या अन्य सुसंगत दस्तावेज प्रस्तुत किये जायेंगे। प्रत्येक अन्तरण के लिए आवेदन के साथ दस रुपये प्रति वर्गमीटर की दर से अन्तरण फीस निक्षिप्त की जायेगी; परन्तु लीजधारक की मृत्यु के मामलों में इस नियम के अधीन कोई फीस प्रभारित नहीं की जायेगी।
- उक्त नियमों के अधीन किसी व्यक्ति के प्रति परादेय प्रीमियम या नगरीय निर्धारण या ब्याज, आन्तरिक/बाह्य विकास प्रभारों का कोई बकाया राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 के अधीन भू-राजस्व की बकाया के रूप में लीजधारक से वसूली होगा।
- यदि आवंटन या पट्टा विलेख के निष्पादन के पश्चात् यह पाया जाता है कि आवंटन या पट्टा विलेख विधि की दुरभिसंधि या उसके उल्लंघन में कपटपूर्ण दस्तावेज के आधार पर दुरुपदेशन द्वारा अभिप्राप्त किया गया है या आवंटन या पट्टा विलेख के (कू.प.उ.)

निबंधनों और शर्तों का अतिक्रमण किया गया है तो नगर निकाय उक्त भूखण्ड पर उसके किसी सन्निर्माण सहित उसे प्रतिसंहत करेगा जो सभी प्रभारों से रहित नगर निकाय में निहित समझे जायेंगे, और नगर निकाय किसी भी व्यक्ति को कारित किसी भी प्रकार की नुकसानी के लिए दायी नहीं होगा।

10. इस पट्टा विलेख के आधार पर उक्त भूखण्ड को सरकार/जीवन बीमा निगम/शिड्यूल्ड बैंक/सरकार ऋणदात्री संस्था/एच.डी.एफ. सी. अथवा नेशनल बैंक द्वारा अधिकृत ऋणदात्री संस्थाओं के पास ऋण के लिए बंधक रखा जा सकेगा।

*जो लागू नहीं हो उसे काट दें।

प्रकरण संख्या :-

परिशिष्ट

करवे का नाम :
 राजस्व ग्राम : 51/1/1405
 खसरा नम्बर : 1518
 योजना का नाम
 विस्तृत नाप सहित क्षेत्रफल वर्गगज/वर्गमीटर
 100 वर्गगज

सीमा पूर्व 80' Road सीमा पश्चिम P.No. 19
 सीमा उत्तर P.No. 45 सीमा दक्षिण P.No. 43 मानचित्र संलग्न है।
 भूखण्ड की संख्या यदि कोई हो P.No. 44

इसके साक्षी के रूप में इसके फरीकेन ने इसके बाद प्रत्येक दशा में निर्देशित स्थानों और तारीखों पर अपने अपने हस्ताक्षर कर दिये हैं।

नगरीय निकाय की ओर से

आज सन् 20 माह के 11/12/22 वें दिन
 श्री अनिल कुमार पूनियाँ
 निम्न की उपस्थिति में जोधपुर में हस्ताक्षर किये। उपायुक्त (पुनः)

उपायुक्त (पुनः)
 नगर निकाय प्रमुख
 (सक्षम अधिकारी के हस्ताक्षर एवं मोहर)

साक्षी :-

- नाम बाबुलाल
 पिता/पति का नाम
 व्यवसाय
 निवास स्थान
 2. नाम
 पिता/पति का नाम
 व्यवसाय
 निवास स्थान

साक्षी के हस्ताक्षर

साक्षी के हस्ताक्षर

आज दिनांक सन् 20 के माह के
 वें दिन को निम्नलिखित की उपस्थिति में उक्त श्री
 लीजधारक द्वारा कार्यालय, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर में हस्ताक्षर किये
 गये।

For DHARTI INFRA

Kamlesh Pasricha
 PARTNER
 लीजधारक - द्वितीय पक्ष

साक्षी :-

- नाम भूमिका उपाध्याय
 पिता/पति का नाम करण उपाध्याय
 व्यवसाय
 निवास स्थान नागोरी गेट के आन्दर, आधार शिला
 2. नाम निहिन माथुर
 पिता/पति का नाम नरेश चन्द्र माथुर
 व्यवसाय नौकरी
 निवास स्थान मसकीरपुर जोधपुर

Bhumika
 साक्षी के हस्ताक्षर

Nehin
 साक्षी के हस्ताक्षर

**SITE PLAN OF PLOT NO. 44 IN RESIDENTIAL SCHEME (DHARTI ANGAN
PHASE - 02) ON KHASRA NO. $\frac{15}{8}$ OF VILLAGE JHALAMAND AT JODHPUR**

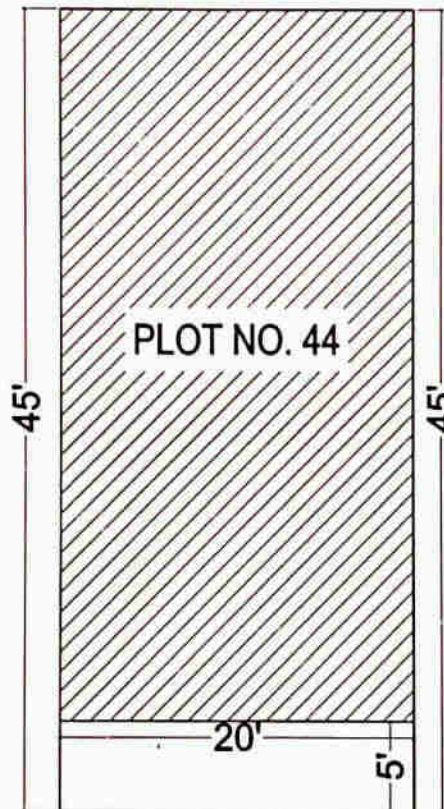
**PLOT SIZE - 20'0"X45'0"
PLOT AREA - 900.00 SQ.FT. OR 100.00 SQ.YARD**

SCALE - 1:10



PLOT NO. 19

PLOT NO. 43



PLOT NO. 45



30' WIDE ROAD

**सहायक नगर नियोजक
जोधपुर विकास प्राधिकरण
जोधपुर**

**उपायुक्त (पूर्व)
जोधपुर विकास प्राधिकरण
जोधपुर**



जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर

राजस्थान नगरीय क्षेत्र (कृषि भूमि का गैर-कृषिक प्रयोजन के लिए उपयोग की अनुज्ञा और आवंटन) नियम, 2012 के नियम 22 के अन्तर्गत भूमि का

14999/11/9/2022 पट्टा विलेख



यह विलेख आज वर्ष के माह के के दिना जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर (जिन्हें इसके बाद नगर निकाय कहकर संबोधित किया गया है) प्रथम पक्ष एवं श्री

श्री राजीव शर्मा

श्री कमलेश पुनित पुत्र श्री बन्नीता देवी पुनित

जन्म-राजस्थान, निवासी-11, हरिजन नगर विस्तार, जोधपुर

जाति

व्यवसाय निवासी (जिनको इसके बाद लीजधारक संबोधित किया गया है) द्वितीय पक्ष तथा इस इबारत में जहां कहीं प्रसंग से वैसा अर्थ निकले, उनके उत्तराधिकारी, निर्वाहक, प्रबंधक, प्रतिनिधि और मुत्तकिल अलैह भी सम्मिलित होंगे) के मध्य निष्पादित हुआ है।

यह विलेख साक्षात्कृत करता है कि प्रीमियम तथा विकास शुल्क की रकम जो लीजधारक (पट्टाधारक) के द्वारा अदा कर दी गई है और जिसकी रसीद नगर निकाय के द्वारा रसीद कर ली गई है, और इसमें उल्लेखित शर्तों और करारों जो लीजधारक द्वारा निष्पादित तथा पालन किये जायेंगे, के एवज में नगर निकाय इनके द्वारा लीजधारक को जमीन का वह तमाम भूखण्ड (जिसे इसके बाद उक्त भूखण्ड कहकर संबोधित किया गया है) प्रदान और लीज करती है जो योजना राजस्थान ग्राम 511/11/103 के खसरा संख्या 1518 क्षेत्रफल 100 वर्ग मी. में स्थित है और जो अपनी सीमा और क्षेत्रफल के साथ इसके अन्तर्गत लिखे गये परिशिष्ट में अधिक पूर्णरूपेण वर्णित है तथा जिसका आकार विशेष रूप से इससे संलग्न नक्शे में लाल रंग में दिखाया गया है, और जिसे पूर्ण स्वामित्व संबंधी स्वत्वों सहित किन्तु निम्नलिखित तमाम च प्रत्येक अपवादों, संरक्षणों, प्रतिबंधों, बंधनों, शर्तों और कर्तव्यों के अधीन खरीददार अपने उपयोग, उपभोग और इस्तेमाल के लिए अपने अधिकार में रखेगा, अर्थात् :-

- लीजधारक नगर निकाय के कार्यालय में या ऐसे स्थान पर जिससे नगर निकाय समय-समय पर इस हेतु नियत कर दें, प्रत्येक वर्ष अप्रैल के प्रथम दिवस उक्त भूखण्ड के संबंध में उक्त नियमों के नियम 20 के उप-नियम (1) के अन्तर्गत निर्धारित किये गये नगरीय निर्धारण (राष्ट्रीय जमाबन्दी या भूमि का किराया) के तौर पर रुपये 9365/- अंके में नगर निकाय को पेश करेगा, परन्तु लीजधारक, यदि चाहे तो एक वार्षिक नगरीय निर्धारण (राष्ट्रीय जमाबन्दी या भूमि का किराया) की राशि जमा करा सकेगा, जो उस वर्ष, जिसमें राशि जमा करायी जाती है, को सम्मिलित करते हुए, पूर्ण वार्षिक नगरीय निर्धारण की राशि के आठ गुणा के बराबर होगी और इस प्रकार जमा कराई गयी नगरीय निर्धारण की राशि के फलस्वरूप लीजधारक उक्त भूखण्ड पर नगरीय निर्धारण की राशि के संदाय के दायित्व से छूट प्राप्त करने का अधिकारी होगा।
- एक बार नियत किया गया नगरीय निर्धारण या भूमि का किराया प्रत्येक 15 वर्ष के पश्चात् और विक्रय या दान या अन्यथा द्वारा ऐसे अन्तरण पर भी पुनरीक्षण का दायी होगा और ऐसी वृद्धि प्रत्येक अवसर पर ऐसे पुनरीक्षण या, यथार्थिति, अन्तरण के समय नगरीय निर्धारण या भूमि के किराये का 25 प्रतिशत होगी।
- पट्टे की अवधि :- पट्टाधृति अधिकार 99 वर्ष के लिए होंगे।
- उक्त भूखण्ड का उपयोग केवल 31/9/14 प्रयोजन, जिसके लिए नगर निकाय द्वारा उक्त नियमों के अन्तर्गत अनुमति दी गयी है, के लिए किया जायेगा और इसी प्रयोजन के उपयोग हेतु इस भूखण्ड पर भवन का निर्माण किया जायेगा।
- इस पट्टा विलेख की तारीख से 7 वर्ष, या ऐसी अतिरिक्त अवधि के भीतर जो नियम-26 के अन्तर्गत बढ़ा दी जायें, लीजधारक के द्वारा इस भूखण्ड पर भवन का निर्माण कराया जायेगा।
- लीजधारक उक्त भूखण्ड को आगे और अन्तरित या उप-पट्टे पर दे सकेगा। उक्त नियमों में अन्तर्विष्ट निबंधन और शर्तों और अन्य उपबंध, यथावश्यक परिवर्तन सहित, अन्तरिती या उप-पट्टेदार पर इस प्रकार लागू होंगे मानो प्रश्नगत उक्त भूखण्ड नगर निकाय द्वारा दिया गया है या अन्तरित किया गया है। लीजधारक द्वारा उप-पट्टे की कालावधि रवयं द्वारा अवधारित की जायेगी किन्तु किसी भी दशा में मूल पट्टे की कालावधि से अधिक नहीं होगी। उप-पट्टे उक्त नियमों में विहित समस्त अन्य निबंधनों और शर्तों या किन्हीं पृथक् आदेशों द्वारा, जो राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर इस निमित्त विनिर्दिष्ट मामलों में जारी किये जायें, शासित होंगे।
- उक्त भूखण्ड के अन्तरण के मामले में, अन्तरिती के पक्ष में नाम में अन्तरण के लिए नगर निकाय को आवेदन के साथ रजिस्ट्रीकृत विक्रय विलेख, दान विलेख, या वरीयत या अन्य सुरंगत दस्तावेज प्रस्तुत किये जायेंगे। प्रत्येक अन्तरण के लिए आवेदन के साथ दस रुपये प्रति वर्गमीटर की दर से अन्तरण फीस निश्चित की जायेगी; परन्तु लीजधारक की मृत्यु के मामले में इस नियम के अधीन कोई फीस प्रभारित नहीं की जायेगी।
- उक्त नियमों के अधीन किसी व्यक्ति के प्रति परादेय प्रीमियम या नगरीय निर्धारण या ब्याज, आन्तरिक/बाह्य विकास प्रभारों का कोई बकाया राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 के अधीन भू-राजस्व की बकाया के रूप में लीजधारक से वसूलीय होगा।
- यदि आवंटन या पट्टा विलेख के निष्पादन के पश्चात् यह पाया जाता है कि आवंटन या पट्टा विलेख विधि की दुरभिसंधि या उसके उल्लंघन में कपटपूर्ण दस्तावेज के आधार पर दुर्यपदेशन द्वारा अभिप्राप्त किया गया है या आवंटन या पट्टा विलेख के (क.प.उ.)

निबंधन और हारों का अतिक्रमण किया गया है तो नगर निकाय उक्त भूखण्ड पर उसके किसी सम्मिलन सहित उसे प्रतिबंधित करेगा जो सभी प्रभारों से रहित नगर निकाय में निहित समझे जायेंगे, और नगर निकाय किसी भी व्यक्ति को कतिपय किसी भी प्रकार की नुकसानी के लिए दायी नहीं होगा।

10. इस पट्टा विलेख के आधार पर उक्त भूखण्ड को सरकार/जीवन बीमा निगम/शिद्धयुक्त बैंक/सरकार ऋणदात्री संस्था/एच.डी.एफ.सी. अथवा नेशनल बैंक द्वारा अधिकृत ऋणदात्री संस्थाओं के पास ऋण के लिए कंधक रखा जा सकेगा।

*जो लागू नहीं हो उसे काट दें।

प्रकरण संख्या :-

परिशिष्ट

कस्बे का नाम :
राजस्व ग्राम : 511/11/05
खसरा नम्बर : 15/18
योजना का नाम
विस्तृत नाप सहित क्षेत्रफल वर्गगज/वर्गमीटर
100 वर्गमीटर

सीमा पूर्व 30' Road सीमा पश्चिम P.No. 18
सीमा उत्तर P.No. 46 सीमा दक्षिण P.No. 44 मानचित्र संलग्न है।
भूखण्ड को मंजूर यदि कोई हो P.No. 45

इसके साक्षी के रूप में इसके फरीकन ने इसके बाद प्रत्येक दशा में निर्देशित स्थानों और तारीखों पर अपने अपने हस्ताक्षर कर दिये हैं।

नगरीय निकाय की ओर से

आज सन् 20 माह के 11/12/2020 वें दिन
श्री अनिल कुमार पूनियाँ
निम्न की उपस्थिति में जोधपुर में हस्ताक्षर किये। उपायुक्त (प्र.)

11-9-2020
उपायुक्त (प्र.)
नगर विकास प्राधिकरण
(सक्षम अधिकारी के हस्ताक्षर एवं मोहर)

साक्षी :-

1. बाबूलाल
परिशिष्ट. सहायक

1. नाम
पिता/पति का नाम
व्यवसाय
निवास स्थान
2. नाम
पिता/पति का नाम
व्यवसाय
निवास स्थान



साक्षी के हस्ताक्षर

साक्षी के हस्ताक्षर

For DHARTI INFRA

आज दिनांक सन् 20 के माह के
वें दिन को निम्नलिखित की उपस्थिति में उक्त श्री
लोजधारक द्वारा कार्यालय, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर में हस्ताक्षर किये
गये।

Kamlesh Puri
PARTNER
लोजधारक - द्वितीय पक्ष

साक्षी :-

1. नाम मूमिका उपाध्याय
पिता/पति का नाम करण उपाध्याय
व्यवसाय
निवास स्थान नागोरी गेट के अन्दर, अक्षर शिला
2. नाम निरिन माथुर
पिता/पति का नाम नरेशचन्द्र माथुर
व्यवसाय जोधपुरी
निवास स्थान मन्दावीरपुरी जोधपुर

Quenick
साक्षी के हस्ताक्षर

साक्षी के हस्ताक्षर

**SITE PLAN OF PLOT NO. 45 IN RESIDENTIAL SCHEME (DHARTI ANGAN
PHASE - 02) ON KHASRA NO. $\frac{15}{8}$ OF VILLAGE JHALAMAND AT JODHPUR**

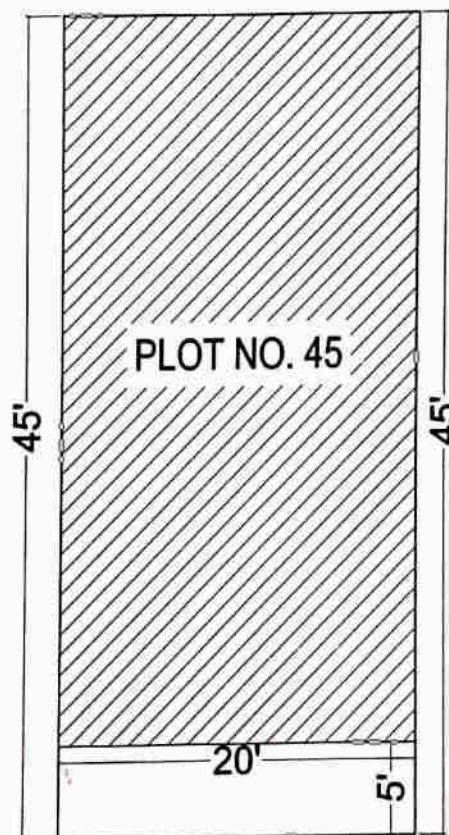
PLOT SIZE - 20'0"X45'0"
PLOT AREA - 900.00 SQ.FT. OR 100.00 SQ.YARD

SCALE - 1:10



PLOT NO. 18

PLOT NO. 44



PLOT NO. 45

PLOT NO. 46

30' WIDE ROAD



सहायक नगर निवाजक
जोधपुर विकास प्राधिकरण
जोधपुर

उपायुक्त (पूर्व)
जोधपुर विकास प्राधिकरण
जोधपुर



जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर

राजस्थान नगरीय क्षेत्र (कृषि भूमि का गैर-कृषिक प्रयोजन के लिए उपयोग की अनुज्ञा और आवंटन) नियम, 2012 के नियम 22 के अन्तर्गत भूमि का

15008
11/9/2018
पट्टा विलेख



यह विलेख आज वर्ष के माह के वे दिन जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर (जिन्हें इसके बाद नगर निकाय कहकर संबोधित किया गया है) प्रथम पक्ष एवं श्री

वर्ग **जमीन का वर्ग**

वर्ग **जमीन का वर्ग**

जमीन का वर्ग **जमीन का वर्ग**

जाति

व्यवसाय निवासी (जिनको इसके बाद लीजधारक संबोधित किया गया है) द्वितीय पक्ष तथा इस इबारत में जहां कहीं प्रसंग से वैसा अर्थ निकले, उनके उत्तराधिकारी, निर्वाहक, प्रबंधक, प्रतिनिधि और मुत्तकिल अलैह भी सम्मिलित होंगे) के मध्य निष्पादित हुआ है।

यह विलेख साक्ष्यांकित करता है कि प्रीमियम तथा विकास शुल्क की रकम जो लीजधारक (पट्टाधारक) के द्वारा अदा कर दी गई है और जिसकी रसीद नगर निकाय के द्वारा स्वीकार कर ली गई है, और इसमें उल्लेखित शर्तों और करारों जो लीजधारक द्वारा निष्पादित तथा पालन किये जायेंगे, के एवज में नगर निकाय इनके द्वारा लीजधारक को जमीन का वह तमाम भूखण्ड (जिसे इसके बाद उक्त भूखण्ड कहकर संबोधित किया गया है) प्रदान और लीज करती है जो योजना राजरव ग्राम के खसरा संख्या 15/8 क्षेत्रफल 100 चो 210 में स्थित है और जो अपनी सीमा और क्षेत्रफल के साथ इसके अन्तर्गत लिखे गये परिशिष्ट में अधिक पूर्णरूपेण वर्णित है तथा जिसका आकार विशेष रूप से इससे संलग्न नक्शों में लाल रंग में दिखाया गया है, और जिसे पूर्ण स्वामित्व संबंधी स्वत्वों सहित किन्तु निम्नलिखित तमाम व प्रत्येक अपवादों, संरक्षणों, प्रतिबंधों, बंधनों, शर्तों और करारों के अधीन खरीददार अपने उपयोग, उपभोग और इस्तेमाल के लिए अपने अधिकार में रखेगा, अर्थात् :-

- लीजधारक नगर निकाय के कार्यालय में या ऐसे स्थान पर जिसे नगर निकाय समय-समय पर इस हेतु नियत कर दें, प्रत्येक वर्ष अप्रैल के प्रथम दिन उक्त भूखण्ड के संबंध में उक्त नियमों के नियम 20 के उप-नियम (1) के अन्तर्गत निर्धारित किये गये नगरीय निर्धारण (शहरी जमाबन्दी या भूमि का किराया) के तौर पर रुपये 9365/- अंके 9365/- में आरक्षण (सी) पैसे के मात्र पेशगी अदा करेगा, परन्तु लीजधारक, यदि चाहे तो एक बारीय नगरीय निर्धारण (शहरी जमाबन्दी या भूमि का किराया) की राशि जमा करा सकेगा, जो उस वर्ष, जिसमें राशि जमा करायी जाती है, को सम्मिलित करते हुए, पूर्ण वार्षिक नगरीय निर्धारण की राशि के आठ गुणा के बराबर होगी और इस प्रकार जमा कराई गयी नगरीय निर्धारण की राशि के फलस्वरूप लीजधारक उक्त भूखण्ड पर नगरीय निर्धारण की राशि के संदाय के दायित्व से छूट प्राप्त करने का अधिकारी होगा।
- एक बार नियत किया गया नगरीय निर्धारण या भूमि का किराया प्रत्येक 15 वर्ष के पश्चात् और विक्रय या दान या अन्यथा द्वारा ऐसे अन्तरण पर भी पुनरीक्षण का दायी होगी और ऐसी वृद्धि प्रत्येक अवसर पर ऐसे पुनरीक्षण या, यथास्थिति, अन्तरण के समय नगरीय निर्धारण या भूमि के किराये का 25 प्रतिशत होगी।
- पट्टे की अवधि - पट्टाप्राप्ति अधिकार 99 वर्ष के लिए होंगे।
- उक्त भूखण्ड का उपयोग केवल 31/9/2018 प्रयोजन, जिसके लिए नगर निकाय द्वारा उक्त नियमों के अन्तर्गत अनुमति दी गयी है, के लिए किया जायेगा और इसी प्रयोजन के उपयोग हेतु इस भूखण्ड पर भवन का निर्माण किया जायेगा।
- इस पट्टा विलेख की तारीख से 7 वर्ष, या ऐसी अतिरिक्त अवधि के भीतर जो नियम-26 के अन्तर्गत बढ़ा दी जावे, लीजधारक के द्वारा इस भूखण्ड पर भवन का निर्माण कराया जायेगा।
- लीजधारक उक्त भूखण्ड को आगे और अन्तरित या उप-पट्टे पर दे सकेगा। उक्त नियमों में अन्तर्विष्ट निबंधन और शर्तों और अन्य उपबंध, यथावश्यक परिवर्तन सहित, अन्तरिती या उप-पट्टेदार पर इस प्रकार लागू होंगे मानो प्रथम उक्त भूखण्ड नगर निकाय द्वारा दिया गया है या अन्तरित किया गया है। लीजधारक द्वारा उप-पट्टे की कालावधि स्वयं द्वारा अवधारित की जायेगी किन्तु किसी भी दशा में मूल पट्टे की कालावधि से अधिक नहीं होगी। उप-पट्टे उक्त नियमों में विहित समस्त अन्य निबंधनों और शर्तों या किन्हीं पृथक् आदेशों द्वारा, जो राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर इस निमित्त विनिर्दिष्ट मामलों में जारी किये जायें, शासित होंगे।
- उक्त भूखण्ड के अन्तरण के मामले में, अन्तरिती के पक्ष में नाम में अन्तरण के लिए नगर निकाय को आवेदन के साथ रजिस्ट्रीकृत विक्रय विलेख, दान विलेख, या वसीयत या अन्य सुसंगत दस्तावेज प्रस्तुत किये जायेंगे। प्रत्येक अन्तरण के लिए आवेदन के साथ दस रुपये प्रति वर्गमीटर की दर से अन्तरण फीस निक्षिप्त की जायेगी; परन्तु लीजधारक की मृत्यु के मामलों में इस नियम के अधीन कोई फीस प्रभारित नहीं की जायेगी।
- उक्त नियमों के अधीन किसी व्यक्ति के प्रति परादेय प्रीमियम या नगरीय निर्धारण या ब्याज, आन्तरिक/बाह्य विकास प्रभारों का कोई बकाया राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 के अधीन भू-राजस्व की बकाया के रूप में लीजधारक से वसूली होगी।
- यदि आवंटन या पट्टा विलेख के निष्पादन के पश्चात् यह पाया जाता है कि आवंटन या पट्टा विलेख विधि की दुरभिरंधि या उसके उल्लंघन में कपटपूर्ण दस्तावेज के आधार पर दुरुपदेशन द्वारा अभिप्राप्त किया गया है या आवंटन या पट्टा विलेख के

(क.प.उ.)

निबंधनों और शर्तों का अतिक्रमण किया गया है तो नगर निकाय उक्त भूखण्ड पर उसके किसी सन्निर्माण सहित उसे प्रतिसंहत करेगा जो सभी प्रभारों से रहित नगर निकाय में निहित समझे जायेंगे, और नगर निकाय किसी भी व्यक्ति को कारित किसी भी प्रकार की नुकसानी के लिए दायी नहीं होगा।

10. इस पट्टा विलेख के आधार पर उक्त भूखण्ड को सरकार/जीवन बीमा निगम/शिड्यूल बैंक/सरकार ऋणदात्री संस्था/एच.डी.एफ. सी. अथवा नेशनल बैंक द्वारा अधिकृत ऋणदात्री संस्थाओं के पास ऋण के लिए बंधक रखा जा सकेगा।

*जो लागू नहीं हो उसे काट दें।

प्रकरण संख्या :-

परिशिष्ट

कस्बे का नाम :
राजस्व ग्राम : SHALIMOS
खसरा नम्बर : 15/8
योजना का नाम
विस्तृत नाप सहित क्षेत्रफल वर्गगज/वर्गमीटर
100 00/10

सीमा पूर्व 30' Road सीमा पश्चिम P.No. 17

सीमा उत्तर OTHER LAND सीमा दक्षिण P.No. 45 मानचित्र संलग्न है।

भूखण्ड की संख्या यदि कोई हो P.No. 46

इसके साक्षी के रूप में इसके फरीकन ने इसके बाद प्रत्येक दशा में निर्देशित स्थानों और तारीखों पर अपने अपने हस्ताक्षर कर दिये हैं।

नगरीय निकाय की ओर से

आज सन् 20 माह के 11/9/2020 वें दिन
श्री
निम्न की उपस्थिति में जोधपुर में हस्ताक्षर किये।
अनिल कुमार पूनियाँ
उपायुक्त (प्र.वि.)

11.9.2020
उपायुक्त (प्र.वि.)
सक्षम अधिकारी
(सक्षम अधिकारी के हस्ताक्षर एवं मोहर)

साक्षी :-

1. नाम श्री धाबूलाल
चरिष्ठ उद्योग
पिता/पति का नाम
व्यवसाय
निवास स्थान
2. नाम
पिता/पति का नाम
व्यवसाय
निवास स्थान

[Signature]
साक्षी के हस्ताक्षर

साक्षी के हस्ताक्षर



आज दिनांक सन् 20 के माह के
वें दिन को निम्नलिखित की उपस्थिति में उक्त श्री
लोजधारक द्वारा कार्यालय, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर में हस्ताक्षर किये
गये।

For DHARTI INFRA

Kamlesh Purohit
PARTNER
लोजधारक - द्वितीय पक्ष

साक्षी :-

1. नाम नमिका उपाध्याय
पिता/पति का नाम करन उपाध्याय
व्यवसाय
निवास स्थान नागोरी गेट के अन्दर, अक्षर शिला
2. नाम नितिन माधुर
पिता/पति का नाम नरेश चन्द्र माधुर
व्यवसाय नॉकरी
निवास स्थान महाविर पुरम चौपासनि हाउसिंग बोर्ड

[Signature]

साक्षी के हस्ताक्षर

[Signature]

साक्षी के हस्ताक्षर

**SITE PLAN OF PLOT NO. 46 IN RESIDENTIAL SCHEME (DHARTI ANGAN
PHASE - 02) ON KHASRA NO. $\frac{15}{8}$ OF VILLAGE JHALAMAND AT JODHPUR**

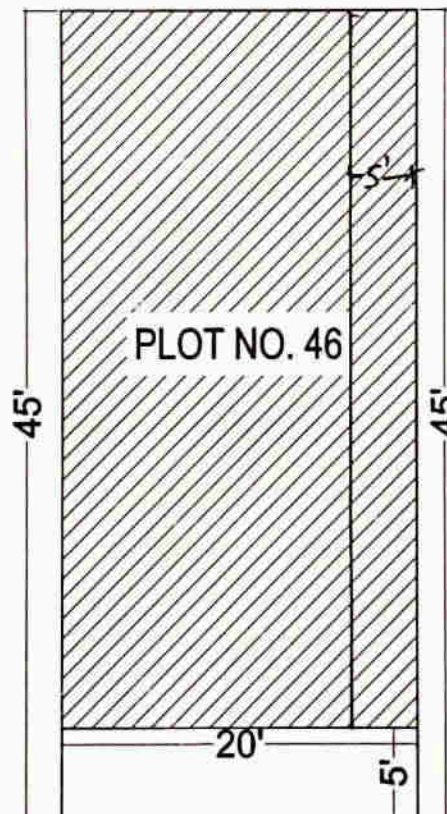
**PLOT SIZE - 20'0"X45'0"
PLOT AREA - 900.00 SQ.FT. OR 100.00 SQ.YARD**

SCALE - 1:10



PLOT NO. 17

PLOT NO. 45



OTHER LAND

30' WIDE ROAD



**सहायक नगर नियोजक
जोधपुर विकास प्राधिकरण
जोधपुर**

**उपायुक्त (पू.)
जोधपुर विकास प्राधिकरण
जोधपुर**